लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

सप्तम माला, खंड 47, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)
अंक 31, गुरुवार 5 अप्रैल, 1984/16 चैत्र, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या 574 और 576 से 580	...	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	21-166
तारांकित प्रश्न संख्या 576 और 581 से 596	...	21-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 6531 से 6584 और 6586 से 6741	...	34-166
सभा-पटल पर रखे पत्र	...	166-168,221-233
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	...	169-174
की गई कार्यवाही के बारे में 82वां तथा 84वां प्रतिवेदन	...	169
नियम 377 के अधीन मामले	...	174-179,210-212
(एक) छोटा उदयपुर तथा भारत के अन्य भागों में वनरोपण के नवीन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता		
श्री अमरसिंह राठवा	...	174-175
(दो) वाराणसी स्थित डीजल इंजिन कारखाने के कार्यकरण की जांच कराना		
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	175-176
(तीन) मिदनापुर में जल की भारी कमी		
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	176-177
(चार) दिल्ली से कुछ कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर विचार करने हेतु गठित किये जाने वाले बोर्ड में मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता		
श्री एन० के० शेजवलकर	...	177
(पांच) अयोध्या स्थित राम जन्म स्थान-स्थल को हिन्दू समाज को सौंपना		
डा० कर्ण सिंह	...	177-178
(छः) मेडिकल रेप्रेंजेंटेटिव्स एसोसिएशन की फेडरेशन के विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता		
श्री अजीत कुमार साहा	...	178
(सात) शीशे की चिमनियों का निर्माण करने वाले लघु उद्योग कारखानों को उत्पाद-शुल्क से छूट देना		
श्री के० लकप्पा	...	178-179

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 5 अप्रैल, 1984/16 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i) पंक्ति 8, तारांकित प्रश्न संख्या "576" के स्थान पर "575" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 10, "सभा पटल पर रखे पत्र" के स्थान पर "सभा पटल पर रखे गये पत्र" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 9, "स्विचिंक" के स्थान पर "स्विचिंग" पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 13, "बैक्सीन" के स्थान पर "वैक्सीन" पढिये ।

पृष्ठ 72, पंक्ति नीचे से 14, "डा॰ प्रताप वाद्यु" के स्थान पर "डा॰ प्रताप वाघ" पढ़िये ।

पृष्ठ 74, पंक्ति नीचे से 7, "श्री के॰ आबुल रेड्डी" के स्थान पर "श्री के॰ओबुल रेड्डी" पढ़िये ।

पृष्ठ 82, पंक्ति 12, "श्री अजित बागा" के स्थान पर "श्री अजित बाग" पढ़िये

पृष्ठ 93, नीचे से पंक्ति 5, अ॰प्र॰ संख्या "6633" के स्थान पर "6634" पढ़िये।

पृष्ठ 104, पंक्ति 24, "गोपाल में हावड़ा" के स्थान पर "गोपाल में और हावड़ पढ़िये ।

पृष्ठ 109, पंक्ति नीचे से 7, "डा॰ वसन्त पण्डित" के स्थान पर "डा॰ वसन्त कुमार पण्डित" पढ़िये ।

पृष्ठ 138, पंक्ति नीचे से 8 "(बनायगढ)" के स्थान पर "(बोनायगढ)" पढ़िये।

पृष्ठ 139, पंक्ति 4, "श्री जेवियर" के स्थान पर "श्री जेवियर अराकल" पढ़िये।

पृष्ठ 141, पंक्ति 25, "मुहानो रेल" के स्थान पर "रेल मुहानो" पढ़िये ।

पृष्ठ 156, पंक्ति 8, "श्री चिंतामणि पाणिग्रहणी" के स्थान पर "श्री चिंतामणि पाणिग्राही" पढिये ।

पृष्ठ 166, पंक्ति 32 तथा पृष्ठ 173, पंक्ति 21, वाद-टिप्पण "** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया" को अंतिम पंक्ति के नीचे पढ़िये ।

पृष्ठ 168, पंक्ति 12, "श्रीमती मोहसिन किदवई" को स्थान पर "श्रीमती मोहसिना किदवई" पढ़िये ।

पृष्ठ 171, पंक्ति 6, 13, 23, "श्री पी॰व॰ नरसिम्हा राव" के स्थान पर "श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव" पढ़िये ।

पृष्ठ 175, पंक्ति 10, "शास्त्री" के पश्चात "(सेदपुरी)" अंत: स्थापित करिए।

पृष्ठ 176, पंक्ति 4, "श्री अमर रायव प्रधान" के स्थान पर "श्री अमर राय प्रधान" पढ़िये ।

पृष्ठ 176, पंक्ति 23, "मुखर्जी" के पश्चात "(पंकुरा)" अंत: स्थापित करिए ।

पृष्ठ 178, पंक्ति नीचे से 8, "उद्योग" के स्थान पर "मद्य उद्योग" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, पंक्ति 10, "(राबर्ट्सगंज)" के स्थान पर "(राबर्टसगंज)" पढ़िये ।

पृष्ठ 241, पंक्ति नीचे से 4, "श्री रामवतर शास्त्री" के स्थान पर "श्री रामेश्वर शास्त्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 257, पंक्ति 15, 20, 24 "श्री आरिफ मुहम्मद खां" के स्थान पर "श्री आरिफ मोहम्मद खां" पढ़िये ।

पृष्ठ 261, पंक्ति 14, "कला" के स्थान पर "कत्त" पढ़िये ।

पृष्ठ 261, पंक्ति 18, "ग्याहर बजे" के स्थान पर "ग्यारह बजे" पढ़िये ।

सप्तम माला, खंड 47, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 31, गुरुवार 5 अप्रैल, 1984/16 चैत्र, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	**1-21**
*तारांकित प्रश्न संख्या 574 और 576 से 580	...	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	**21-166**
तारांकित प्रश्न संख्या 576 और 581 से 596	...	21-34
अतारांकित प्रश्न संख्या 6531 से 6584 और 6586 से 6741	...	34-166
सभा-पटल पर रखे पत्र	...	**166-168,221-233**
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	...	**169-174**
की गई कार्यवाही के बारे में 82वां तथा 84वां प्रतिवेदन	...	169
नियम 377 के अधीन मामले	...	**174-179,210-212**
(एक) छोटा उदयपुर तथा भारत के अन्य भागों में वनरोपण के नवीन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता		
श्री हमरसिंह राठवा	...	174-175
(दो) वाराणसी स्थित डीजल इंजिन कारखाने के कार्यकरण की जांच कराना		
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	175-176
(तीन) मिदनापुर में जल की भारी कमी		
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	176-177
(चार) दिल्ली से कुछ कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर विचार करने हेतु गठित किये जाने वाले बोर्ड में मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता		
श्री एन० के० शेजवलकर	...	177
(पांच) अयोध्या स्थित राम जन्म स्थान-स्थल को हिन्दू समाज को सौंपना		
डा० कर्ण सिंह	...	177-178
(छः) मेडिकल रेप्रेंजेंटेटिव्स एसोसिएशन की फेडरेशन के विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता		
श्री अजीत कुमार साहा	...	178
(सात) शीशे की चिमनियों का निर्माण करने वाले लघु उद्योग कारखानों को उत्पाद-शुल्क से छूट देना		
श्री के० लकप्पा	...	178-179

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(आठ) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण		
श्री हरीश कुमार गंगवार	...	210
(नौ) दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उड़िया संस्कृति से संबंधित और अधिक कार्यक्रम शामिल करने की आवश्यकता		
श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	210-211
(दस) महाराष्ट्र में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक स्विचिंक फैक्टरी स्थापित करना		
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	211
(ग्यारह) डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र का विकास		
श्री भीखा भाई	...	211-212
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85	...	179-210, 212-261
ऊर्जा मन्त्रालय	...	179-261
श्री एम० एम० लारेंस	...	180-185
श्री नुरुल इस्लाम	...	199-203
श्री सूर्य नारायण सिंह	...	203-206
श्री राम सिंह यादव	...	206-210
श्री के० टी० कोसलराम	...	212-214
श्री दिगम्बर सिंह	...	214-217
श्री विष्णु प्रसाद	...	217-221
श्री प्रताप भानु शर्मा	...	233-237
श्री सत्यनारायण जटिया	...	237-240
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	240-243
श्री राम लाल राही	...	243-246
श्री काली चरण शर्मा	...	246-247
श्री ए० के० राय	...	247-255
श्री आरिफ मोहम्मद खां	...	255-261

—०—

लोक सभा

गुरुवार, 5 अप्रैल 1984/16 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : कहिये प्रोफेसर आज कैसे मिजाज हैं। आज आप लड़ेंगे या सहयोग देंगे।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : आज गुरुवार है। आज हम कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज व्रत रखा हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : (**राजापुर**) आज बागड़ी जी, बहुत सारी किताबें लाए हैं।

श्री मनी राम बागड़ी (**हिसार**) : मैं तो आज कानून की किताब लाया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नं० 574, श्रीमती किशोरी सिन्हा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला कंपनियों को वैगनों का आबंटन

* 574 **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते } : **क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग कोयले की ढुलाई के लिए कोयला कंपनियों को वैगन आबंटित करता है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसतन कितने वैगन आबंटित किए गए ;

(ग) क्या कोयला कंपनियों ने इन वैगनों का समय पर प्रयोग किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान कोयला कंपनियों के कितने विलम्ब शुल्क का भुगतान किया ;

(ङ) क्या आबंटित वैगनों की यह संख्या कोयला कंपनियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है ; और

(च) यदि नहीं, तो कितने वैगनों की कमी रहती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान आबंटित किये गए माल डिब्बों की अन्तिम दैनिक औसत संख्या चौपहियों के हिसाब से 13228 माल डिब्बे तथा लादे गये माल डिब्बों की दैनिक संख्या 11639 माल डिब्बे रही है।

(ग) सप्लाई किए गए माल डिब्बों में से कोयला कंपनियों द्वारा कुछ माल डिब्बों का लदान के लिए अनुमत छूट समय के भीतर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क पर माल डिब्बों को रोके रखा जाता है।

(घ) कोयला कंपनियों द्वारा 1.4.83 से 29.2.84 के बीच विलम्ब शुल्क के रूप में लगभग 1.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(ङ) और (च) आबंटित तथा सप्लाई किए गये माल डिब्बों की संख्या कुल मिलाकर कोयला कंपनियों को आवश्यताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त है बशर्ते वे माल डिब्बों के लिए अपनी मांग में अत्यधिक मौसमी कमोबेशी न करें ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या विभिन्न कोयला कम्पनियों की मांग के अनुपात से रेलवे समय से वैगन अलॉट करता है । दूसरे मैं यह जानना चाहूँगी कि क्या कोल इण्डिया ने यह कहा है कि यदि उन्हें काफी संख्या में वैगनें मिलें तो वह कोयले का स्टाक कम कर सकते हैं । क्या सरकार को यह बात मालूम हैं यदि हाँ तो इस शिकायत का क्या करण है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कोयला कम्पनियों की आवश्यकता के अनुसार वैगन अलॉट किए जाते हैं । वह अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग पत्र रखते हैं तथा हम अलाटमैंट करते हैं जो आंकड़े मेरे पास हैं उनसे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोयला कम्पनी की आवश्यकता को पूरा करने में रेलवे कभी नहीं चूका । यदि माननीय सदस्या किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी चाहती हैं तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ । सिंगरौनी के अलावा जहाँ कोयला मजदूर हड़ताल पर हैं वहां तो शिकायत की गुंजाइश भी है जिसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं परन्तु कहीं और तो कोई शिकायत नहीं है ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : कोल इण्डिया लि० ने यह शिकायत की है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है हम उनकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार वैगनों को फ्री समय के भीतर न करने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा 1.73 करोड़ रु० विलम्ब शुल्क अदा किया गया है । वैगनों का इस्तेमाल कोयला कम्पनियों द्वारा उस विभिन्न कम्पनियों को कोयले की ढुलाई के लिए किया जाता है जिन को कोयले की जरूरत होती है । वैगन आवंटित किए जाने के क्या मानक हैं तथा 1980 से कितने मामलों में वैगनों का आबंटन बिना पारी के किया गया है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्या जो जानकारी चाह रही है यह मेरे पास नहीं है । जहां तक आबंटन का संबन्ध है, वह मांगपत्र के अनुसार किया जाता है प्रमुख दायित्व तो यह है कि वरीयता प्राप्त क्षेत्रों जैसे पावर हाऊस, वाशरीज, इस्पात संयंत्रों आदि की आवश्यकता पूरी की जाए । हम बिना पारी के आबंटन नहीं करते । परन्तु यदि कोई उद्योग रुग्ण एकक हैं जहाँ रोजगार की संभावनाएँ अधिक हैं और वहां कोयले की आवश्यकता तो वहां हम बिना पारी के आबंटन करते हैं । जहां तक माननीय सदस्या द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न का संबंध है मुझे अलग से नोटिस दिया जाए ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से उससे संबंधित है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हो सकता है कि वह चीनी और कोयले को एक साथ मिला लें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : दोनों महिलाओं को आज प्रथम स्थान कैसे मिल गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह एकाधिकार का मामला है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, हमें यह शिकायत रहती है कि कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध नहीं होते हैं । इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं । लगता है इन दोनों से कोल्डवार चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप हाट्स चाहते हैं या कोल्ड ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं तो दोनों का ही भुक्त भोगी हूँ ।

रेलवे वैगन से जब कोयले का ट्रान्सपोर्टेशन होता है तो ओनर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है रेलवे की जिम्मेदरी नहीं होती कि कोयला ठीक से पहुंचा या रास्ते में ही चोरी हो गया। इसको रोकने के लिए क्या रेलवे की तरफ से कोई कदम उठाया जायेगा कि बिना साइजेबल लॉस के कोयला डिलीवर किया जा सके। और सही परिमाण में कोयले की चोरी रोकने के लिए पिट-हैड के नजदीक या जहाँ पर डम्प है उसके वे ब्रिज लगाने पर विचार करेंगे ? जहां कोयला डिलीवर करते हैं क्या वहाँ भी वैगन तोलकर देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आप कैसी हिन्दी बोलते हैं ?

.....(**व्यवधान**)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम आमतौर पर कोयला रेलहैड से ले जाते हैं पिटहैड से नहीं। जैसे कि आपको मालूम है चोरी को रोकने के लिए हम विभिन्न प्रकार की वैगनों का इस्तेमाल करते हैं तथा जिन क्षेत्रों में चोरी का डर अधिक होता है वहां जी० आर० पी० तथा आर० पी० एफ० माल गाड़ी के साथ जाते हैं। जहां तक कोयला ले जाया जाता है वहाँ कोयले की मात्रा कम होने की शिकायत नहीं आती। यदि इस प्रकार का कोई खास मामला हो तो माननीय सदस्य बता सकते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय रोजाना शिकायतें होती हैं तथा चोरी को रोकने के लिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बिना भारी हानि से कोयले की ढुलाई का दायित्व रेलवे अपने अवर लेने के लिए तैयार है। मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जब तक हम कोयले की ढुलाई गंतव्य स्थान तक नहीं कर देते तब तक दायित्व हमारा ही है। माननीय सदस्य ने जो पहले जिक्र किया उस बारे में···(**व्यवधान**)

श्री अजित कुमार मेहता : क्या रेलवे बिना किसी कमी के कोयले की ढुलाई का दायित्व लेता है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि कोई कमी होती है तो वह दावा करते हैं। यदि किसी को परेषित माल नहीं मिलता तो वह दावा करता है और हम उसकी अदायगी करते हैं।

जहां तक यह दावा है कि हम कोयला विभाग पर दोष डाल देते हैं। तथा कोयला विभाग रेलवे पर तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम एक ही सरकार के अधीन हैं तथा हम आपस में सहयोग के साथ मिल-जुलकर काम करते हैं। कोयला विभाग पर दोष डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में "भारत समारोह" का आयोजन

* 576. **श्री जयपाल सिंह कश्यप**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन और अमरीका सहित उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान "भारत समारोह" तथा इसी प्रकार के अन्य सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन तिथिवार कब किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक समारोह पर कितना व्यय किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार अमरीका में ऐसा कोई समारोह आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) यू० के० में भारतीय उत्सव 22 मार्च से 14 नवम्बर, 1982 तक भारत तथा ग्रेट ब्रिटेन की राज्य सरकारों

द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था । किसी अन्य देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई उत्सव आयोजित नहीं किया गया ।

(ख) यू० के० में वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयोजित "भारतीय उत्सव" पर 1,76,85,456,23 रुपये का कुल खर्च किया गया था। खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

1. प्रदर्शनियां	93,57,891,23 रु०
2. निष्पादन कलाएँ	46,46,717.00 रु०
3. प्रकाशन	22,56,629.56 रु०
4. फिल्मोत्सव	4,40,000.00 रु०
5. प्रशासनिक व्यय	9,84,218.44 रु०
	1,76,85,456.23 रु०

(ग) जी, हाँ । अस्थायी तारीखें जून 1985 से बसन्त 1986 तक है ।

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय उत्सव के बजट प्राक्कलनों को उक्त देश में उक्त कार्यक्रम का निर्णय होते ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत उत्सव का उद्देश्य क्या था और उससे देश को लाभ क्या हुआ ?

श्रीमती शीला कौल : ब्रिटिश गवर्नमैंट ने 1978 में लन्दन में एक फैस्टिवल किया था,

अध्यक्ष महोदय : फायदा यह हुआ है कि आपको मौका मिलेगा ।

श्रीमती शीला कौल : पहले से यह सिलसिला चला आ रहा था। 1980 में जब नई सरकार आई तो उसने इसको टेक-अप किया । इसके लिए वहां की सरकार ने पिछली हिन्दुस्तानी सरकार से कहा था कि यह होना चाहिए। इसलिए यह सिलसिला जारी किया गया । ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो सामान इस बारे में आयेगा, उसके आने-जाने का किराया और पैंकिंग का खर्चा ब्रिटिश सरकार देगी । इस पर एग्री करके हमने यह वहां किया ।

उन्होंने कहा है कि फायदा क्या हुआ है । फायदा यह है कि वहां जो हिन्दुस्तानी रहते थे, जिनके वहाँ पर बाल-बच्चे पैदा हो गये थे जो वापिस हिन्दुस्तान नहीं आ सके, उनको इसका ज्ञान हुआ कि हिन्दुस्तान की कल्चरल हैरिटेज क्या है । इसका ज्ञान दूसरों को भी हुआ कि कल्चरल हैरिटेज कितनी बढ़ी है । इससे लोगों की काबलियत बढ़ी और उनमें गौरव पैदा हुआ ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : 1 करोड़ 76 लाख 85 हजार रुपये से ज्यादा खर्चा भारत जैसे देश का हुआ । इसमें भारत का खर्च शामिल है या ब्रिटेन का शेयर भी है ? और वह कितना है ?

श्रीमती शीला कौल : यह अखराजात मिल-जुलकर खर्च हुए हैं । वहां दो कमेटियां बनी थीं—एक हिन्दुस्तान की कमेटी थी और दूसरी ग्रेट ब्रिटेन की । इसमें हमारी तरफ से भी हुआ और वहां से हिन्दुस्तानियों ने भी डोनेशन दिये और वहां के लोगों ने भी दिये । मिलजुल कर काम हुआ ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : भारत सरकार की ओर से कितना व्यय किया गया ?

श्रीमती शीला कौल : अभी जो आपको बताया है, वही हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें लिखा है ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं लिखा है ।

श्री बी० डी० सिंह : 1 करोड़ 76 लाख में दोनों का शेयर अलग-अलग कितना है ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने बताया कि यही तो कंट्रीट्यूशन है। जो वहाँ हुआ उन्होंने अपना किया होगा । यह हमारा है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा काम हुआ है । आपका प्रभाव बढ़ा है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय कुछ व्यक्तियों की यह बहुत बुरी आदत होती है कि वह हर चीज को पैसे से तोलते हैं । यह बहुत निन्दनीय है ।

महोदय मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि वहाँ किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था ? क्या भारतीय तथा अन्य व्यक्तियों ने उन्हें पसन्द किया ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या अन्य देशों ने इस प्रकार की प्रदर्शनी की मांग की है । जब हम अपनी संस्कृति आदि का प्रदर्शन अन्य देशों में कर रहे हैं तो क्या यह सम्भव नहीं है कि यदि सभी बड़े नगरों में नहीं तो कम से कम देश के चारों जोनों में इन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाए । यहाँ भी हम यह जानना चाहते हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की संस्कृति हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश के चारों जोनों में इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाना संभव है ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर माननीय सदस्य ने शायद यह पूछा है कि क्या यह मुश्किल हो सकता है कि दूसरे मुल्कों के कल्चर के बारे में यहां पर नुमाइश हो । (व्यवधान) जहां तक विदेश में हमारी तरफ से की गई प्रदर्शनी का ताल्लुक है, उनमें से कुछ ये हैं दि इंडियन परसेप्शन ऑफ दि यूनिवर्स थ्रू 2000 इयरर्स ऑफ पेंन्टिग एण्ड स्कल्पचर ; भारत में विज्ञान, श्रीनगर, भारत में डिजाइन, भारत और ग्रेट ब्रिटेन ; भारतीय पुस्तकें, टेटगैलरी, आधुनिक भारतीय कलाकार, मानवता का संग्रहालय, भारतीय गांव के भीतर, भारत में पुस्तक कला, भारतीय परम्परा, प्राचीन भारत में गांव से शहर तक, दि लिविंग आर्ट्स, एन आई फार इंडिया·····

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आई ? ओह !

श्रीमती शीला कौल : आंख

प्रो० मधु दण्डवते : यह कांग्रेस (आई) नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने सोचा वह आई ।

श्रीमती शीला कौल : कन्टेम्परेरी आर्ट फ्रोम इण्डिया, टैक्सटाइल एण्ड सिरेमिक्स ।

आप देखेंगे कि ये जितने एग्जहिविशन हुए हैं, उनमें हिन्दुस्तान के कल्चर का पैनोरामा पेश किया गया है । उन्हें देख कर वहां के लोगों को ताज्जुब हुआ कि हिन्दुस्तान का कल्चर इतना पुराना है । मैं समझती हूँ कि माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या दूसरे मुल्कों से ऐसी एग्जहिविशन करने की रिक्वेस्ट की गई है ?

श्रीमती शीला कौल : इस फेस्टिवल के बाद यू एस ए और फ्रांस की तरफ से बहुत जोरों से रिक्वेस्ट हुई । वहां हम करने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और मुल्कों से भी बराबर रिक्वेस्ट्स आ रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आई. पी. यू. में जर्मन के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि वे भारत की वैज्ञानिक तरक्की से आश्चर्य चकित हैं । वे हनोअर में एक मेले का आयोजन कर रहे हैं । वे सब इन सब बातों की तारीफ कर रहे थे । सबने उनकी बहुत प्रशंसा की ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये बता सकती हैं कि इग्लैंड में भारत उत्सव समिति (फैस्टिवल ऑफ इण्डिया कमेटी) के भारत की ओर से कौन-कौन से सदस्य थे ? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए समिति कौन-कौन से सदस्य बनाए जायेंगे ? क्या उसमें कोई संसद के सदस्य भी होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम उनमें हो ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप सिफारिश करें तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : इन्हें अमरीकी समिति में ले लिया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने कहा है दो समितियाँ थीं। आप भारतीय समिति के बारे में जानना चाहेंगे या इग्लैंड की समिति के बारे में ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारतीय समिति।

श्रीमती शीला कौल : श्रीमती पुपुल जयकर अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य हैं। डा० मुल्कराज आनन्द, श्रीमती उषा भगत, श्रीमती मनोरमा भल्ला, श्री ई० गोन्साल्बिस, श्री आबिद हुसैन, श्री बी. वी. कारंथ, श्री गिरीश कर्नाड, श्री बी. बी. लाल, श्री मीर नसरुल्ला, श्री राजीव सेठी, श्री मार्तण्ड सिंह, डा० बी० वेंकरामण, श्री मोहम्मद यूनुस और श्री बी० रामदोरई जो भारत में महा निदेशक हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और अमेरिका के लिए ?

श्रीमती शीला कौल : श्रीमती मारग्रेट थ्रेचर इंग्लैंड की ओर से तथा हमारी प्रधानमंत्री हमारी ओर ही संरक्षक हैं। सर माइकल वाकर चेयरमैन हैं। माननीय लार्ड एलडिंगटन सदस्य हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : नाम बताना जरूरी नहीं है। अधिकांश नामों के बारे में पता है।

अध्यक्ष महोदय : नाम इनको लिख कर भेज दीजिएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अमरीकी समिति के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्रीमती शीला कौल : उसके बारे में हमने अभी निर्णय नहीं किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इसमें ससद सदस्यों को लेने पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : हमें देखना पड़ेगा।

मदुरै बोडिना यकनौर-कोट्टायम ब्राड गेज सम्पर्क परियोजना

*577. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै-बोडिना यकनौर-कोट्टायम बड़ी लाइन सम्पर्क परियोजना किस अवस्था में है ; और

(ख) इस परियोजना का काम शुरू करने के लिए ठोस कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मदुरे-बोदिनयक्कनूर खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने और बोदिनायक्कनूर से कोच्चिन तक बड़ी आमान की नयी लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और 1984 में किसी भी समय पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। कोच्चिन-कोट्टयम पहले ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं।

श्री पी० के० कोडियन : अध्यक्ष महोदय विवरण से यह पता चलता है कि इस परियोजना पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और ये 1984 में किसी समय पूरा हो जाएगा। महोदय यह परियोजना बहुत समय से लम्बित पड़ी है और सर्वेक्षण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सर्वेक्षण को पूरा करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है वास्तविक सर्वेक्षण कार्य कब शुरू हुआ था ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय वास्तव में इसे 1982 में 3 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई थी। 1984-85 में हमने लगभग 30,000 रुपये का प्रावधान किया है अब

इस वर्ष सर्वे रिपोर्ट की अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। इससे यह पता चलता है कि काम लगभग पूरा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वह व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

श्री पी० के० कोडियन : यदि काम लगभग पूरा है तो माननीय मंत्री महोदय हमें यह बता सकने की स्थिति में होने चाहिएं कि किस तिथि को सर्वे रिकार्ड सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस तिथि की सर्वे पूरा किया जाएगा और सरकार इस परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन का काम कब शुरू करेगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने कहा है कि इसके सर्वेक्षण से काम को इस वर्ष अंतिम रूप दिया जाएगा उसका मतलब है कि इस वर्ष के अंत तक। जहाँ तक आगे कार्यवाही का संबंध है यह योजना आयोग तथा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

श्री के० मायातेवर : महोदय, जहाँ तक तमिलनाडु में रेल की परियोजनाओं का संबंध है, पिछले 36 वर्षों से उनकी उपेक्षा की गई है। बड़ी लाईन रेल मार्गों दोहरी लाईनों, मद्रास की.....

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, क्या ये इस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री के० मायातेवर : ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है ?

श्री के० मायातेवर : हां, मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसे रेल द्वारा जोहा जाना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हो सकता हू परन्तु ये अभी भी इससे संबंधित नहीं है।

श्री के० मायातेवर : मैं इस सदन, माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सरकार को यह बनाना चाहता हूँ कि हमें भय कि रेलवे लाइनें.....

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न का नोटिस दे दीजिए। मैं उसका उत्तर दिल्ली दूंगा। परंतु ऐसे नहीं। उन्हें यह बताने के लिए ऐसे नहीं कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 578 श्री ब्रजमोहन कहन्ती।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप ऐसे नहीं पूछ सकते। आप पृथक विषय के लिए पृथक से प्रश्न का नोटिस दीजिए मैं उसका उत्तर दिलवा दूँगा।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। सरकार के हाथों में तमिलनाडु में हित सुरक्षित हैं।

श्री के० मायातेवर : हमेशा ही रेलमंत्री ये कार्य-भार योजना आयोग पर डाल देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये आर्थिक रूप से व्यवहारिक है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको रेल चाहिए.....

श्री के० मायातेवर : सभी कुछ योजना आयोग पर.....

अध्यक्ष महोदय : ये तर्क संभव है।

श्री के० मायातेवर : क्या ये व्यवहारिक है ? ये व्यवहारिक नहीं है..... **(व्यवधान)** ये ब्रिटिश राज्य के समय से लम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं ? आप एक रेलवे लाइन चाहते हैं ताकि उस पर गाड़ी चल सके।

श्री के० मायातेवर : मैं अभी चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप पटरी से मत उतरिए।

नेपाल और भूटान में विकास परियोजनाएं

*578 **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा नेपाल और भूटान में कितनी विकास परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है;

(ख) पूरी की जा चुकी तथा चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोनों देशों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) क्या भूटान और नेपाल के साथ व्यापार के सबंध में कोई बातचीत की जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें पहले ही पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है।

(ग) 1982-83 तक नेपाल को भारतीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 206.25 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान दिया गया। 1983-84 के वित्तीय वर्ष में, करीब 15 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिए जाने की संभावना है।

जहाँ तक भूटान का ताल्लुक है, 1960 के बीच उसे 415 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

नेपाल में पूरी की गई विकास परियोजनाएँ

i. सड़कें

क्र. सं. परियोजना	लम्बाई	निर्माण की अवधि
1. त्रिभुवन राज पथ	116 कि.मी.	1953-59
2. सिद्धार्थ राज मार्ग(शहरी कस्बों सहित)	200 कि.मी	1965-72
3. महेन्द्र राजमार्ग (पूर्वी क्षेत्र एवं संपर्क सड़कें)	300 कि.मी,	1969-75
4. काठमाण्डू-त्रिशूली रोड	69 कि.मी.	1972-75
कोसी क्षेत्र सड़कें		
(क) हनुमान नगर-फतेहपुर	28.2 कि.मी.	1975-77
(ख) हनुमान नगर-राजविराज	13.5 कि.मी.	1983
6. काठमाडू-गोदावरी	16 कि.मी.	1973-75
7. दक्षिणकाली रोड	19 कि.मी.	1669

ii. सिंचाई

1. छात्र नहर परियोजना-35 मील लम्बी नहर तथा कुल 185 मील लम्बी नदी की 16 वितरिकाएं और 6 क्यूसेक तक क्षमता वाली छोटी नहरें।

	स्थान	सिंचाई किए गए एकड़
2. टीका भैरव (1961)	काठमाण्डू घाटी	6,700
3. महादेव खोला	वही	3,500
4. बुद्धानीलकठ	वही	2,000
5. आशे खोला कुलो	छात्रे जिला	120
6. लोअर विजयपुर	पोखरा घाटी	7,200
7. फैवातल बंद	वही	3,000
8. बागलुंग	बागलुंग जिला	400
9. झाज	बारा, बरसा और रोताहट जिला	15,000
10. ढुंढुवा	बांके जिला	7,000
11. खोटकू खोला	काठमाँडू घाटी	1,800
12. गोदावरीं	वही	2,200
13. बोसन खोला	वही	500
14. हरदीनाथ	महोत्तरी जिला	900
15. मनसमारा	सरलाही और रौताहट जिला	4,500
16. तिनाओ	पुन्ही मजखंड जिला	50,000

iii बिजली

	क्षमता	पूरा करने का वर्ष
1. त्रिसूली पनबिजली विद्युत केन्द्र	21 मेगावाट	1974
2. सूरजपुर बिजलीघर	15 मेगावाट	1981
3. कतैया बिजलीघर	19.2 मेगावाट	1977
4. फुरसेखोला बिजलीघर	1 मेगावाट	1967
5. देवीघाट पनबिजली विद्युत केन्द्र	14.1 मेगावाट	1983

vi पीने के पानी की सप्लाई परियोजनाएं

स्थान	कितने लोगों को लाभ होगा
1. सुन्दरी जल (काठमाण्डू)	2,35,000
2. पंचमी	1,23,000
3. विष्णुमती 4. छावरे खोला	
5. कर्की मन्थाली	1,500
6. संखु	5,600
7. गौचर	200
8. वलाम्बू	1,650

9. भीमद बाजार	200
10. जनप्रेमी	150
11. सतंग दरंग	11,200
12. देवराली	900
13. संगा	1,500
14. पनौती	4,000
15. अमलेखगंज	20,000
16. विराटनगर	45,000
17. धुलीखेल	2,000
18. पोखरा	60,000
19. भक्तपुर	45,000
20. वीरगंज	15,000
21. भाईरहवा	7,500
22. नेपालगंज	10,000
23. जनकपुर	8,000
24. राजविराज	12,000
25. नेपाल के विभिन्न भागों में 405 हैंडपम्प	2,00,0000

v स्वास्थ्य

1. परोपकार श्री पंच इन्द्रा राज्य लक्ष्मी देवी प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र, काठमाण्डू। इस परियोजना के साथ 1959 में सहयोग शुरू किया गया और इसमें भारत की सहायता से जो निर्माण संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई, उनमें शामिल हैं अस्पताल के विभिन्न वार्ड, वाह्य-रोगी विभाग क्लीनिक, प्रयोगशालाएं और डिस्पैंसरियाँ, आपरेशन थियेटर, केन्द्रीय नसबन्दी यूनिट, डाक्टरों के घर, प्रशासकीय ब्लाक, एक्सरे यूनिट, मुरदाघर और विभिन्न विभागों के लिए उपस्कर।

अस्पताल का स्थान	विस्तरों की संख्या
2. राजविराज	25
3. धनगढ़ी	25
4. तौलीहावा	15
5. गुल्मी	15
6. इलाम	15

vi उद्योग

लघु उद्योगों का संवर्धन करने के लिए काठमाडू में पतन में 34 शेड वाले, नेपालगंज में 18 शेड वाले और धरन में 13 शेड वाले इंडस्ट्रियल इस्टेट की स्थापना की गई।

vi हवाई अड्डे

1. काठमाण्डू
2. पोखरा
3. विराटनगर
4. मैराहवा
5. जनकपुर
6. सिमरा

viii. दूर संचार

इन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए

स्थान	क्षमता	
1. जनकपुर	200 लाइनें	(मेनुअल)
2. विराटनगर	1300 लाइनें	(क्रास-वार आटोमैटिक)
3. झापा	100 लाइनें	(मेनुअल)
4. वीरगंज	300 (आटोमैटिक)	
5. हेतौदा	20 लाइनें	
6. भैंसे	10 लाइनें	
7. अमलेखगंज	10 लाइनें	
8. सिमरा	10 लाइनें	

ix बागवानी

बागवानी का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत अनुसंधान और विकास विस्तार सेवाओं तथा विभिन्न फलों के विपणन को उठाया गया। इस उद्देश्य से निम्नलिखित स्थानों पर पन्द्रह बागवानी केन्द्रों की स्थापना की गई:—

1. वैतादी
2. जुमला
3. धाक
4. पोखरा
5. तानसेन
6. सरमाथंग
7. धुसनोने
8. त्रिसूली
9. धूनीवेसी
10. दमन
11. काठमाण्डू
12. धानकुटा
13. जौवारी
14. धुंचो
15. पल्पा

x शिक्षा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपाल के पहले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय काठमाण्डू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के निर्माण के एक वर्ष के पश्चात् अर्थात् 1960 में भारत के सहयोग से नेपाल में उच्च शिक्षा का विकास शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय में भारत से प्राप्त सहायता से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई उत्पन्न कराई गई:—

1. विज्ञान खंड
2. पुस्तकालय
3. अमले के लिए क्वार्टर

4. छात्रों के लिए छात्रावास

5. लड़कियों के लिए छात्रावास

6. स्टेडियम

7. अनुसंधान विद्वानों के लिए क्वार्टर

8. गांधी भवन, छात्र क्लब आदि ।

विभिन्न विभागों के लिए वैज्ञानिक उपस्कर और अन्य सुविधाएँ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का प्रावधान किया गया । त्रिभुवन विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में, जब तक नेपाली अध्यापक उपलब्ध नहीं होते, तब तक रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, संस्कृत, सांख्यिकी, अंग्रेजी, भूगर्भ विज्ञान और हिन्दी के अध्यापन के लिए प्राध्यापकों, रीडरों और लेक्चरारों की सेनाएँ उपलब्ध कराई गईं ।

त्रिचन्द्र कालेज

त्रिचन्द्र कालेज काठमाण्डू घाटी का प्रमुख कालेज है । इस कालेज के विकास विस्तार में सहायता देने के लिए भारत सरकार ने इस कालेज के विज्ञान भवन के निर्माण में और फर्नीचर, फिटिंग्स और उपस्कर उपलब्ध कराने में सहायता दी ।

xi राष्ट्रीय अभिलेखागार

राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन का निर्माण करने में और दुर्लभ हस्तलिपियों के सूचीकरण तथा माइक्रो फिल्में बनाने में सहायता दी गई ।

xii सामुदायिक विकास

1959 में ग्रामीण विकास की एक योजना शुरू की गई । इस योजना के अन्तर्गत, स्थानीय विकास कार्य योजना के अधीन स्थानीय महत्व के लगभग 1500 कार्यों का विकास किया गया । ये है:—

(1) स्कूल और पुस्तकालय	320
(2) पेय जल योजना	710
(3) पुलिया, पुल और बाँध	280
(4) गाँव की सड़कें	110
(5) अन्य कार्य	96

भूटान

पूरी हो चुकी परियोजनाएँ:—

पेंडन सीमेंट संयंत्र : यह संयंत्र 1980 में पूरा हो गया । इसकी उत्पादन क्षमता लगभग एक लाख टन प्रति वर्ष है ।

2. **गेलेगफुग लिफ्ट सिंचाई परियोजना चरण I :** 1981 में पूरी हुई । इससे 2000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है ।

3. **भूटान के वन्य संसाधनों का निवेश :** पूर्व सर्वेक्षण 1981 में पूरा हुआ ।

4. **सड़कें :** भूटान के विभिन्न भागों में 2000 किलो मीटर लम्बी सड़कें बनाई गईं :—

(1) थिम्पू-ताशीगंग (उत्तर-पश्चिम राजमार्ग)	550 कि. मी.
(2) थिम्पू-फंतशोलिंग	179 कि. मी.

(3) तोंगसा-सरभंग 246 कि. मी.

(4) ताशीगंग-सासदूप जोंगखर 180 कि. मी.

नेपाल में निर्माणाधीन परियोजनाएं

1. सड़कें

महेन्द्र राज मार्ग : सेन्ट्रल सेक्टर 350 कि. मी. । इस परियोजना पर 1972 में काम शुरू किया गया ।

2. सिंचाई

चन्द्रा नहर का नवीकरण और विस्तार : इस समय चन्द्रा नहर के नवीकरण और विस्तार का नाम चल रहा है जिसमें 34 कि० मी० लम्बी पम्प नहर और वितरण प्रणाली भी शामिल है जिससे लगभग 34,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी । आशा की जाती है कि ये परियोजना जून, 1985 में पूरी हो गाएगी ।

3. स्वास्थ्य

1. **बीर अस्पताल काठमाण्डू का विस्तार** : लगभग 6 करोड़ की लागत से बाह्य रोगी ब्लाक और सहायक सुविधा की व्यवस्था ।

2. **पुलिस अस्पताल** : लगभग 30 लाख रुपए की लागत से पुलिस अस्तपाल को आज सामान और फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

3. **परोपकार श्री पंच इन्दरा राज्यलक्ष्मी देवी मैटरनिटी और बाल कल्याण केन्द्र काठमाण्डू** : इस समय 30 बिस्तरों के एक वार्ड और बाह्य रोगी विभाग के विस्तार का काम चालू है ।

4. **इंडस्ट्रियल एस्टेट** : काठमाण्डू में पत्तन इंडस्ट्रियल एस्टेट के विस्तार के पंचम चरण का काम शुरू है जिसमें अतिरिक्त सुविधाएं और नए उद्योगों के लिए शेडों के प्रावधान की व्यवस्था है ।

5. **पोखरा में खेलकूद काम्पलेक्स** : भारत सरकार की सहायता से 10 लाख रुपए की लागत से पोखरा स्थित खेलकूद काम्पलेक्स का विस्तार किया जा रहा है ।

6. **पेय जल सप्लाई योजना** : 20 लाख रुपये की लागत से दूर दराज के इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना पर इस समय काम चल रहा है ।

भूटान को निर्माणाधीन परियजोनाएं

1. **चुक्खा पनबिजली परियोजना** : उम्मीद है कि 336 मेगावाट की यह परियोजना 1985-86 में पूरी हो जाएगी ।

2. **पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर तारकोल बिछाना** : 1987 में पूरी होने की सम्भावना है ।

3. थिम्पू और हाशीमारा के बीच भारत-भूटान माइक्रो-वेव लिंक 1984 में पूरी होने की सम्भावना है ।

4. गेलेगफुंग लिफ्ट सिंचाई परियोजना चरण-II 2500 एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ।

श्री ब्रज मोहन महन्ती : नेपाल में लगभग 13 लाख लोग हैं । इसके नीति के बारे में नेपाल सरकार से हमारे मतभेदों के बावजूद एक नई बात हो गई है । एक अमेरिकन मिशनरी – श्री मिजूर वर्ड ने राष्ट्रीय समाज सुधार संस्थान शुरू किया है । भारतीय के नेपाल जाने तथा उनको रोकने के लिए जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं । वह भारत विरोधी प्रचार कर रहा है, न केवल सरकार बल्कि लोगों का भी विरोध कर रहा है । इस प्रचार से नेपाल सरकार के साथ हमारे व्यापारिक संबधों पर प्रभाव पड़ सकता है । इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ? क्या इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे विचार से इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या करता है ? इसे एक अलग संदर्भ में देखना पड़ेगा । इस प्रश्न का सदर्भ कुछ तथ्यात्मक है । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या अनुदान दिया गया है और पूरी की गई परियोजनाएं कितनी हैं तथ्यात्मक जानकारी मैंने दे दी है ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : हमने भूटान को 104 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया है । ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है । इस बात के बावजूद भी कि भूटान सरकार ने चीन सरकार को भूटान तिब्बत सीमा क्षेत्र के बारे में सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है । इस सर्वेक्षण के द्वारा वह सारी तकनीक जो हमने दी है तथा जो विकास हमने किया है, वह सारी जानकारी पाकिस्तान को मिल जाएगी । क्या इसे रोकने के लिए उपाय किया गया है ताकि ऐसी कोई जानकारी किसी दुश्मन देश को न मिल सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ये तो सर्वेक्षण फोटो ग्राफी तथा स्थायी परियोजनाओं की जानकारी के बारे में है । शायद सदस्य किसी नाजुक मसले के बारे में जानकारी की बात कर रहे हैं । जहां तक परियोजनाओं का सम्बन्ध है किसी भी सर्वे के बारे में हर जगह रिकार्ड उपलब्ध हैं । मैं नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न से संबंधित है ।

प्रो० के० के० तिवारी : हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भूटान के विकास कार्यों में भारत का बहुत हाथ रहा है । परंन्तु हमें ये बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे इन्जीनियरी तथा इन परियोजनाओं में लगे हुए और लोगों से कुछ त्रुटियां हुई हैं । इस बात से तथा कुछ राजनीतिक कारणों के परिणाम स्वरूप नेपाल के विकास कार्यों में चीन का बड़े पैमाने पर दखल रहा है । मैं नहीं समझता कि इससे हमारे नेपाल सरकार के साथ राजनयिक संबन्धों में खराबी आई है । हम इस बात से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा विशेष रूप से भारत सरकार तथा सामान्य तौर पर भारतीयों के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है ।

इसलिए वहां पर काम करने तथा उनकी सहायता करने के प्रश्न पर भी वहां की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये सत्य है कि इससे हमारे सम्बंधों को कुछ हानि पंहुची है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैंने इंजीनियरों तथा काम के तरीके के विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायत नहीं की है । वास्तव में स्थिति विपरीत है हमारी कुछ परियोजनाओं में बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है तथा उन्हें पूरी प्रशंसा मिली है । इसलिए मैं समझता हूं कि परियोजनाओं के कार्य निष्पादन तथा परियोजनाओं को पूरा करने के तरीके तथा नेपाल के कुछ

हिस्सों में जो लोगों का दृष्टिकोण है उसमें कोई सम्बन्ध है। इन दोनों बातों में परस्पर कोई संबंध नहीं है। मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि इस आशय की कोई भी बात तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, भूटान और नेपाल भारत के पड़ौसी देश हैं। इन पड़ौसी देशों से मजबूत संबंध रखना केवल उचित ही नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी भी है। यह बात आपको मान लेनी पड़ेगी कि ऐतिहासिक और आर्केलाजिकल दृष्टिकोण से यहां मंगोलियन प्रभाव है। हमारे फेसेस देखने से इसका आपको पता चल सकता है। मेरा घर कूच-बिहार पश्चिम बंगाल में है। भूटान और नेपाल के आस-पास का इलाका उधर से काफी दूर नहीं है। उधर के आदमियों से हमारे निकट के संबंध हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अतिरिक्त प्रश्न यह है कि कल्चर के विकास को और बढ़ाने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और इसके लिए आपने कितना रुपया रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : अति सुन्दर।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको इस प्रश्न के लिए सदस्य से शिकायत करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए कहा है—अति सुन्दर, साधु।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं और उन पर काफी काम हो रहा है। इस मायने में कि हमारे और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संबंध है। वहां के लोग यहां आ रहे हैं, जैसे भूटान के बौद्ध धर्म के लोग हर साल बड़े भक्ति भाव से यहां के बौद्ध धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार पशुपतिनाथ के दर्शन करने हजारों लोग भारत से नेपाल जाते हैं। इसलिए सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उनके और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और चल रहे हैं। जहां तक चेहरों की बात है, चेहरे देखकर सांकृतिक संबंध स्थापित या विस्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तरी भाग नेपाल के बार्डर से मिलता- जुलता है। हम में से बहुतों की कान्स्टीचूयेंसी भी उससे लगी हुई है। मेरी भी लगी हुई है। नेपाल में बहुत सी नदियां हैं, जैसे कोसी जो बिहार की तरफ जाती है, इसी तरह से घाघरा है, लेकिन मुख्यत: मेरा प्रश्न राप्ती नदी से संबंधित है। राप्ती नदी के सर्वेक्षण की बात सुनने में आई और बहुत से नैगोशिएशन्स भी हुए हैं, लेकिन करनाली और भालूबन्ध और इसी तरह की योजनाओं के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है और हम निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। नतीजे के तौर पर मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि अब नेपाल अपने तौर पर इन नदियों के जो जलग्रहण क्षेत्र है उन में अपने यहां इस तरह की योजनायें बनाकर काम शुरू करने जा रहा है, जिस से भारत की जो नदियां हैं, जैसे राप्ती, उस के क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है। आज के ही समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि करनाली नदी के बारे में सर्वे के लिये कोई फाइनेन्शियल अरेंजमेंट हुआ है। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं—नेपाल से भारत का जो रिश्ता है वह बहुत गम्भीर है, वह अच्छा होना चाहिये और अच्छा करने का प्रयास भी चल रहा है लेकिन इस रिश्ते को देखते हुए नेपाल की जो समस्या है, जैसे उन के यहां नदियों की समस्या है जिस से हम भी प्रभावित होते हैं और दूसरी उनकी समस्या यातायात की है, जिस से भी हम प्रभावित होते हैं, वे चाहते हैं कि नेपाल को रेल-लिंक से मिलाया जाय और मुझे जानकारी है कि उन्होंने एक सुझाव भेजा है कि गोरखपुर से नोतनवा

होते हुए भेरावा तक बड़ी लाइन ले जाई जाय, इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं ? पहली बात मैंने राप्ती नदी के बारे में पूछी है, वह मामला किस स्टेज पर है और नौतनवा-भेरावा रेल-लिंक के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पानी के बारे में जब मेरे मंत्रालय की मागों के बारे में चर्चा हुई थी, तब बतला चुका हूं, खास तौर से करनाली के बारे में मैंने कहा था कि बातचीत चल रही है और हो सकता है कि उस सर्वेक्षण के लिये पैसा जुटाने का प्रबन्ध हो जाय। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन के बारे में उनके और हमारे बीच में कुछ मतभेद हैं, उन पर चर्चा हो रही है। हमने उनको छोड़ नहीं दिया है, हम यह देखेंगे कि जो कोई फैसला हो उसमें हमारे हितों की भी रक्षा हो और उनके हितों को भी देखा जायगा।

जहां तक रेल-लिंक का सवाल है, इस वक्त मेरे पास उस की तफसील नहीं है, लेकिन पता कर के बतला सकूंगा।

श्री जमीलुर्रहमान : मेरा सवाल भी भाई अशफाक के तर्ज पर ही है। नेपाल के बहुत से प्राजेक्ट्स चल रहे हैं जिन को भारत सरकार की तरफ से काफी माली-इमदाद दी गई है और काम भी अच्छे हुए हैं, जिस में कोई शुब्हे की बात नहीं है। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं—बाउण्ड्री फिक्स करने के बारे में सर्वे का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वह कहां तक पहुंचा है। चूंकी सारी नदियां नेपाल से निकलती हैं, मेरी कांस्टीचूएन्सी भी नेपाल से मिलती है, नदियों के कटाव की वजह से हिंदुस्तान का करीब 20 हजार एकड़ इलाका—गलगलिया, दीघलबांक और फुलवरिया—नेपाल की तरफ चले गये हैं। हमारे लोग वहां फसल बोते हैं, लेकिन वे लोग (नेपाली) काट कर ले जाते हैं। इस लिये वहां सर्वे का जो काम शुरू हुआ था, जिस में हम ने पैसा दिया है, वह काम किस हद तक हुआ है और आगे क्या होने वाला है। यह बड़ा गम्भीर मसला है—इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना काम आगे बढ़ा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन मैं इस का जवाब पहले भी सदन में दे चुका हूं कि सर्वेक्षण का काम कहां तक हुआ है, कितना बाकी है और कहां-कहां कुछ कठिनाइयां आई हैं। लेकिन जो तफसील मांगी गई है, वह इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं उन को बाद में बतला सकता हूं

दक्षिण तट से लापता मछुए

*579. **श्री एन० डेनिस**
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में भारत के दक्षिणी तट में अनेक मछुओं के लापता होने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के तथाकथित उल्लंघन के कारण, श्रीलंका के प्राधिकारियों ने हाल ही के महीनों में कई भारतीय मछेरों को गिरफ्तार किया है।

श्रीलंका के प्राधिकरियों द्वारा, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के पकड़े जाने के बारे में सूचना मिलते ही, कोलम्बो स्थित हमारा हाई कमीशन इन नौकाओं और उनके कप्तानों तथा कर्मीदल के सदस्यों की रिहाई का प्रश्न तत्काल ही श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ उठाता है।

मार्च, 1984 के अंत तक पकड़ी गई मछली पकड़ने वाली कुल 8 नौकाओं में से दो नौकाओं अर्थात् "फ्लोरिडा", आर० एम० 441 और "प्राइमा" 641 के कप्तानों तथा कर्मीदल के सदस्यों को रिहा किया जा चुका है।

30 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के प्राधिकारियों के कब्जे में 6 नौकाएं थीं। इन सभी नौकाओं के कप्तान जाफना में जमानत पर हैं। आर० एम० III को छोड़कर, इन सभी नौकाओं के कर्मीदलों के सदस्य भारत लौट चुके हैं। आर एम III के कर्मीदल के सदस्यों के शीघ्र ही भारत लौटने की संभावना है। श्रीलंका के प्राधिकारी बाकी 6 में से नो नौकाओं को छोड़ने पर भी सहमत हो गए हैं।

शेष नौकाओं और उनके कप्तानों की शीघ्र रिहाई के लिए कोलम्बो स्थित हमारा हाई कमीशन इन मामलों में सक्रिय रूप से अगली कार्रवाई कर रहा है।

श्री एन० डेनिस : भारतीय मत्स्य नौकाओं और उनके चालक सदस्यों के पकड़े जाने तथा उनके छुटकारे के संबंध में हमारी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि जब तक श्रीलंका और भारत के बीच कच्छाटीवू के बारे में कुछ वर्ष पहले जो करार हुआ था तब से श्रीलंका के नौसैनिक गार्ड गश्त लगाने के नाम पर भारतीय समुद्र क्षेत्र में घुसते हैं और मछुआरों की मछलियों और झींगों को लूट लेते हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार दोनों देशों की सरकारों के बीच कोई करार करने का जल्दी ही कोई कदम उठायेगी जिससे कि दोनों देशों के मछुआरों द्वारा उस संकरे समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मत्स्यन हो सके जो भारत श्रीलंका को विभाजित करता है जिससे उस क्षेत्र में शांति और सोहार्द का वातावरण बना रह सके और इस मुद्दे पर एक स्थायी समझौता किया जा सके।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : 1974 के करार की शर्तें इस बारे में मौजूद हैं कि कोई भी इसे देख सकता है। उन्हें सख्ती से क्रियान्वित किये जाने की जरूरत है।

जो कुछ हो रहा है वह यह है कि भारतीय मछुआरे उस जल में मछलियां पकड़ते हैं जिस पर श्रीलंका द्वारा दावा किया जाता है और इसी वजह से वे उन्हें गिरफ्तार करते हैं।

इसी प्रकार श्रीलंका के कुछ मछुआरे भी हमारे समुद्री क्षेत्र में मछलियां पकड़ने आ जाते हैं और ऐसे मामलों में हमने भी उन्हें पकड़ा है।

अधिकांशतः, यह मामला इस वजह से उठता है क्योंकि समुद्र के इतने बड़े क्षेत्र में सीमाओं की जानकारी भली-भांति नहीं हो पाती है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे दिखाई देने वाले चिन्ह बना दिये जाएं जो सीमा रेखा पर तैरते रहें। परन्तु मुझे बताया गया है कि यह बहुत खर्चीला साधन है।

इसी दौरान हम अपने तटरक्षकों को भी सुदृढ कर रहे हैं, ताकि मछुआरों को समय पर समुचित चेतावनी दी जा सके।

यह कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम कर रहे हैं।

परन्तु मेरे सामने अभी तक तो ऐसे मामले नहीं आए हैं जहां श्रीलंका के मत्स्य प्राधिकारीगणों ने भारतीय जल में प्रवेश किया हो और भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया हो।

परन्तु यह मामला एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने से संबंधित है।

इसलिए जो प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है वह एक अलग किस्म का है। हमारे पास कोई ऐसे ठोस मामले नहीं आए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया हो कि श्रीलंका के अधिकारी गणों ने जानबूझ कर हमारे समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किया है और हमारे मछुआरों को पकड़ लिया है अथवा उन्हें अन्यथा परेशान किया है।

श्री एन० डेनिस : इस संबंध में अनेकों रिपोर्टें समाचार पत्रों में छपती रहती हैं और इस मामले में सरकार को कई अभ्यावेदन भी प्राप्त हो चुके हैं।

एक दूसरी बात जो मैं और कहना चाहूंगा वह यह है कि समुद्री जल के इस्तेमाल के संबंध में बनाए गए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, विदेशी मत्स्य नौकाएं और अन्य नौकाएं हमारे समुद्री जल में घुसपैठ करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं और मछली पकड़ने संबंधी कार्यवाही भी करती हैं। ऐसी भी कई घटनाएं रहती होती हैं जिसमें मछली पकड़ने के दौरान उपकरणों को भी छीन लिया जाता है और उनमें मछुआरों की मृत्यु तक के समाचार मिलते रहते हैं। हमारे तटरक्षकों की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं है कि वे हमारे विस्तृत समुद्री जलसीमा की देखभाल भलीभांति कर सकें; उनके पास जो उपकरण हैं वे भी पर्याप्त नहीं हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तथा अपने मछुआरों की सुरक्षा के हित में भी, यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार तटरक्षकों को आधुनिक बनाने की प्रस्तावित व्यापक योजना को कार्यान्वित करेगी और मछुआरों की जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई अन्य प्रभावी कदम उठाएंगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने अभी-अभी कहा है कि हम यह समझते हैं कि तटरक्षकों की संख्या बढ़ाने की योजना पर विचार किया जा रहा है और यह कार्यान्वित की जा रही है। मैं यह नहीं जानता कि यह योजना कितनी व्यापक होगी क्योंकि इस समय यह अपर्याप्त दिखाई देती है और बहुत लम्बी समुद्री सीमा को देखते हुए अगर इसे बहुत व्यापक होना है तो मेरा ख्याल है कि यह कई गुनी होगी और मैं यह ठीक से नहीं कह सकता कि इसे एक पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करना संभव होगी भी या नहीं। परन्तु सरकार की यह धारण है कि तटरक्षकों की संख्या में निस्तर वृद्धि की जाए परन्तु इस दौरान जो भी घटनाएं होती हैं जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, हमें इन्हें अलग-अलग मामले के आधार पर तय करना होगा। यदि माननीय सदस्य की नजर में कोई ऐसा मामला हो जहां वे यह समझते हैं कि कुछ घुसपैठ हुई है तो वे मुझे बतायें और मैं उस पर निश्चय ही कार्यवाही करूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इन सभी मामलों की सूचना दे दी गई थी और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने इन मामलों पर तुरन्त कार्यवाही की है। विशेष रूप से प्राइमा, कृष्णा तथा शैफो के मामले में इन सभी को पकड़ लिया गया था और भारत सरकार ने इन सभी मामलों को उठाया है। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आर्थिक क्षेत्र (जोन) में मछलियों के पकड़ने का प्रश्न है। आप जानते ही हैं कि सीमा के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कुछ विवाद हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक जोन की सीमा के बारे में आपका श्रीलंका की सरकार से कोई ठोस करार है यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि यह

सम्भव हो सकता है कि अनेकों मामलों में यह मछुआरे जिम्मेदार न हों, क्योंकि खराब मौसम के कारण यह भटक जाते हैं। यह देखने में आता है कि जब उन्हें पकड़ा जाता है तो उन्हें दो या तीन महीने तक वहां रहना पड़ता है और उनके परिवार जनों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आपके अपने पड़ोसी श्रीलंका के साथ मधुर सम्बंध स्थापित करने चाहियें। क्या सरकार हमारे मछुआरों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्बन्धी नियमों के बारे में ऐसा प्रार्थना देने पर विचार कर रही है जिससे कि यदि वे इस मामले में सुशिक्षित हो जायें तो वे अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकेंगे और अपने आप को परेशानी में नहीं डालेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक हो सकता है ऐसा किया जा सकता है, यह किया भी जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि यह प्रश्न आर्थिक समस्या का है यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की जानकारी का नहीं है उन्हें कच्छाटीवू तक जाने की आदत रही है। 1974 में यह करार हुआ था और तब उन्हें यह बताया गया था कि वे वहां नहीं जा सकते और वहां मछलियां नहीं पकड़ सकते। उन्हें यह समझना बहुत मुश्किल है कि करार की वजह से अब उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं है। वे इसे जानते हैं। परन्तु कुछ मामलों में वे वहां चले जाते हैं और उनमें उन्हें पकड़ लिया जाता है। कुल मिलाकर वे इसका पालन कर रहे हैं। केवल उसी समय जब वे खराब मौसम के कारण सहित किसी वजह से इसका पालन नहीं कर पाते तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। कुल मिलाकर ये आठ नौकाएं हैं जिनमें से चार को अब छुड़ा लिया गया है और अभी तक चार नौकायें उन्हीं के पास हैं। जब से यह चल रहा है उस लम्बे समय को देखते हुये यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अतः किसी भी समय उनके पास चार पांच या छः नौकायें ही पकड़ में रही हैं। इनमें प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जायेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमारे आर्थिक क्षेत्र (जोन) की क्या सीमा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह निर्धारित कर ली गई है।

श्री के० मायातेवर : उस देश और हमारे देश के बीच अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्रीय जल सीमा क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसके बारे में तय हो चुका है। प्रश्न यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो श्रीलंका के नजदीक हैं परन्तु वे हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कच्छाटीवू उनके अधिकार क्षेत्र में चल गया है। इसलिये हमें जानना जरूरी है कि हमारा क्षेत्र कौनसा है और यदि ये नौकायें उस क्षेत्र में नहीं जा सकती तो हमें अपने मछुआरों को ट्रालर आई उपलब्ध कराने के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि वे अपने ही उस क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ सकें जो हमारे तट से कुछ दूरी पर हैं। अतः नई स्थिति के परिणाम स्वरूप, कुछ नये कदम उठाये जायेंगे और इन कदमों के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री ए०टी० पाटिल : समुद्री कानून अभी हाल ही में लागू किया गया है और मेरा ख्याल है कि श्री लंका भी इसमें एक पार्टी है। आर्थिक क्षेत्र (जोन) की कुछ सीमायें बांधी गई हैं और मछलियां पकड़ने के अधिकार को सही सही रूप में परिभाषित किया गया है। परन्तु क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये दोनों देशों के बीच को द्विपक्षीय करार करने की सम्भावना का पता-लगायेगी ताकि दोनों के बीच संबंधित जल में दोनों ही देशों के मछुआरों को मछलियां पकड़ने का परस्पर अधिकार प्राप्त हो जाये ?

प्रो एन० जी० रंगा : एक दूसरे की सीमा में पड़ने वाले क्षेत्र ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : समुद्री कानून के अनुसरण में द्विपक्षीय कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गई है । वास्तव में समुद्री कानूनों को अभी तक भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अत: जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और जब हमें सभी देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कर लिया जायेगा, तो वे द्विपक्षीय समझौता कर सकेंगे । यह तभी किया जा सकेगा जब हमें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

पश्चिमी जर्मनी के नक्शों में जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्य के रूप में न दिखाया जाना

*580. श्री० बी० वी देसाई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी में हाल ही में ऐसे नक्शे प्रकाशित किए गए थे जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत के भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है;

(ख) क्या वहां की संघीय सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सभी चार नक्शों में उक्त राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा भारत से अलग दिखाया गया है;

(ग) क्या उन्होंने जम्मू और कश्मीर तथा पाक अधिकृत काश्मीर के बीच में एक टूटी हुई रेखा खींची है;

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड़) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री० पी० वी नरसिंह राव):(क) जी हां ।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य की 1982 की "संघीय सरकार की वार्षिक रिपोर्ट" में दिए गए मानचित्रों में जम्मू और कश्मीर राज्य को एक अविच्छिन्न रेखा द्वारा भारत से अलग दिखाया गया है न कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ड़) जर्मन संघीय गणराज्य के मानचित्रों में भारत की बाहरी सीमा को ठीक करवाने के प्रयोजन से यह मामला वहां की सरकार के साथ उठाया गया है ।

श्री बी० वी० देसाई : माननीय मंत्री महोदय ने अपने बारे में यह बताया है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि यह एक अविछिन्न रेखा है । इससे बाद जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच एक और टूटी हुई रेखा बनाई गई है ।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि इस अविछिन्न रेखा, टूटी हुई रेखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा आदि की क्या परिभाषा है ।

दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस ओर के कश्मीर और दूसरी ओर के कश्मीर के बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और यदि हां तो वहां किस ओर है ?

श्री पी०वी०नरसिंह राव : मेरे पास नक्शे की एक प्रति है । आज जो कुछ हो रहा है वह यह है कि विभिन्न देश इस रेखा के लिये विभिन्न चिन्हों को मान रहे हैं । वे सब अलग अलग हैं एक से नहीं । इस मामले में हमने यह बताया है कि जिस रूप में उन्होंने जम्मू और कश्मीर को तथा उसकी सीमा रेखा को नक्शे में दिखाया है, वह हमारे दृष्टिकोण से आपत्ति जनक है क्योंकि यह हमारे विचारों से तथा तथ्यों से मेल नहीं खाता है जैसा कि हम जानते ही हैं। उन्होंने

आश्वासन दिया है कि वे इसे भविष्य के सही रूप से छापेंगे और उन्होंने इस मामले में हमसे हमारे स्पष्ट विचार भी लिखित में मांगे है जिन्हें हम उन्हें भेज रहे हैं।

श्री बी० वी० देसाई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस अविच्छिन्न रेखा की क्या परिभाषा है और अविच्छिन्न रेखा, अन्तर्राष्ट्रीय सीमारेखा तथा टूटी हुई रेखा में क्या अन्तर है ? और क्या इन नक्शों में कोई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दिखाई गई है ? यदि हां तो वह किस ओर है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि नक्शे से मुझे पता चलता है, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो सामान्यत: एक देश तथा दूसरे देश के बीच खींची जाती है जैसा कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित रेखा है, इस प्रकार खींची गई है जिससे यह आभास होता है कि वे यह समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत से अलग है। हमें यही आपत्ति है और हमने इस बारे में उन्हें ध्यान दिलाया है।

श्री बी० वी० देसाई : मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि कितने देश जम्मू और कश्मीर को भारत के भाग के रूप में दिखाने के लिये सहमत नहीं हुये हैं और क्या ऐसे भी कुछ देश हैं जिन्होंने भारत सरकार द्वारा बताये जाने के बाद भी वही गल्ती पुन: दोहरायी है और क्या सरकार भारतीय क्षेत्र के बारे में उन देशों के रवैये के प्रति भविष्य में गम्भीर भाव अपनाने का विचार रखती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण

*575. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं, जो ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण दे रहे हैं; और

(ख) केन्द्र द्वारा उनको किस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) इस समय देश में 23 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ये सभी विश्वविद्यालय एम०एस०सी० (कृषि विस्तार) में एक पाठ्यक्रम के रूप में ग्रामीण समाज शास्त्र/ग्रामीण विकास पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसी प्रकार, बी०एस०सी० (कृषि) स्तर पर भी सामुदायिक विकास/ ग्रामीण विकास को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने ग्रामीण विकास/ग्रामीण अध्ययन विभाग स्थापित किए हैं :—

1. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत।
2. श्री कृष्ण देव आर्य विश्वविद्यालय अनन्तपुर।
3. बंगलौर विश्वविद्यालय।
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
5. हैदराबाद विश्वविद्यलय
6. विश्वभारती।

बम्बई विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ और ग्रामीण संस्थान द्वारा भी ग्रामीण विकास अथवा ग्रामीण अध्ययन को एक विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम के रूप में चलाया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सभी कृषि विश्वविद्यालयों को उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें अवस्थापना सम्बंधी विकास, उपस्करों की खरीद, स्टाफ की नियुक्ति आदि के लिए सहायता शामिल है। अन्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास के कार्यक्रम सहित सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक मामले में सहायता की वास्तविक राशि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षण समितियों द्वारा मूल्यांकन किये जाने के बाद ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाएं तैयार करने के लिए 10,000/-रु० की प्रारंभिक राशि देने की पेशकश की है।

उत्तर प्रदेश में ब्राड गेज लाइनों को बदला जाना तथा पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाना

*581. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन है और उनमें से कितने किलोमीटर ब्राड-गेज तथा कितने किलोमीटर मीटर-गेज लाइनें हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में वहां कितने किलोमीटर मीटर-गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का विचार है और प्रत्येक लाइन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना हैं;

(ग) क्या कुछ पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन रेल लाइनों के नाम क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई = 8, 882 कि०मी० (31.3.83 को)

बड़ी लाइन	=	5, 924 कि० मी०
मीटर लाइन	=	2, 956 कि० मी०
छोटी लाइन	=	2 कि० मी०।

(ख) उत्तर प्रदेश में मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाब की निम्नलिखित परियोनाएं अनुमोदित की गयी हैं। इनकी प्रगति से सम्बंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1	2	3	4	5
क्रम सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)	31.3.84 तक संभावित खर्च (करोड़ रुपये में)	1984-85 में परिव्यय रुपये
1. मुरादाबाद-रामनगर (ब० ला०)		7.83	2.97	3 करोड़
2. काशीपुर-लालकुंआ और लालकुआ-न्यू हल्दवानी (ब०ला०)		9.08	0.015	1 हजार

1	2	3	4	5
3.	वाराणसी-भटनी (ब० ला०)	40.93	4.97	3 करोड़
4.	बरेली से भोजीपुरा तक समानान्तर बड़ी लाइन और भोजीपुरा से काठगोदाम तक सीधे आमान परिवर्तन	24.66	कोई नहीं	1 हजार

(अभी इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होनी है)

उपर्युक्त परियोजनाओं के पूरा होने की लक्ष्य तिथि समय-समय पर उपलब्ध धन पर निर्भर करेगी ।

(ग) समग्र पुरानी रेल लाइनों का बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, कहीं-कहीं पुरानी पटरियों/स्लीपरों के नवीकरण अथवा संकटग्रस्त पुलों के आयु-एवं-हालत तथा प्राथमिकता क्रम के आधार पर पुनर्निर्माण करने की योजना है और यह एक सतत प्रक्रिया है । इस प्रकार स्वीकृत किये गये कार्यों को प्रत्येक वर्ष संसद को प्रस्तुत किये जाने वाले रेलवे बजट के साथ रेलों के लिए निर्माण कार्य, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम-भाग II में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए मदवार अलग-अलग दिखाया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

*582. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री के० प्रधानी } : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2+3 प्रणाली के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण लगभग आरम्भ ही नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रणाली को किन-किन राज्यों ने अपनाया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें क्या सहायता दी गई थी;

(घ) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान इस प्रणाली को लागू करने का है चाहे उसके लिए अपेक्षित व्यय के आधे भाग का वहन ही क्यों न करना पड़े; और

(ङ) क्या व्यवसाय उन्मुख यह शिक्षा प्रणाली वर्तमान प्रणाली की तुलना में बेहतर होगी, जिसका उद्देश्य कोरी डिग्रियां ही हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ख) 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण का आरम्भ लगभग नगण्य ही रहा है जिसकी प्रगति की गति उतनी तेज नहीं रही है जितनों परिकल्पित की गई थी । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात

4. हरियाणा
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. तमिलनाडु
9. पश्चिम बंगाल
10. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह
11. दिल्ली
12. पांडिचेरी

राज्य सरकारों को पांचवी पंच वर्षीय योजना तक व्यावसायीकरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना थी। तथापि, यह योजना बहुत सी अन्य योजनाओं के साथ वर्ष 1979-80 से राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गई थी। छठी पंच वर्षीय योजना में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है।

(घ) सातवीं पंच वर्षीय योजना फिलहाल तैयार की जा रही है और व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण/परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ङ) व्यावसायीकरण, तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए शिक्षा उत्पादकता के साथ जोड़ने का लक्ष्य है, जिसका मुख्य लक्ष्य युवकों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पायी गई ऐसी तकनीकी कुशलताओं और क्षमताओं से सम्पन्न करना है जिनकी आज के समाज में जरूरत होंगी।

योग को प्रोत्साहन

*583. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु**
श्री के० मालन्ना } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बीमारियों के इलाज के लिए केवल मात्र एलोपैथी पर निर्भर रहने के स्थान पर योगाभ्यास को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने देश में कितने योग अनुसंधान संस्थान स्थापित किये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार मेडिकल कालेजों में भी योग को एक पाठ्य विषय के रूप में आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और स्वास्थ्य परिचर्या को, जिसमें योग और प्राकृतिक-चिकित्सा भी शामिल है, प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है।

(ख) भारत सरकार ने (1) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा (2) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना की है।

(ग) और (घ) आयुर्वेदिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या में योग को पहले से एक विषय के रूप में शामिल किया गया है।

रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों की पदोन्नति और स्थानान्तरण संबंधी नीति

*584. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड के रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त नीति का उल्लंघन करते हुये इस समय उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड में रेल सुरक्षा बल के कई अधिकारी तैनात हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राजपत्रित कोटि में अधिकारियों की पदोन्नति रेलवे सुरक्षा बल (ग्रुप ए० और बी० के पद) भर्ती नियम, 1981 के अनुसार की जाती है और अराजपत्रित कोटियों में पदोन्नति रेलवे सुरक्षा बल विनियमों के अनुसार की जाती है। जहां तक स्थानान्तरणों का सम्बन्ध है, सामान्यत: रेलवे सुरक्षा बल का कोई भी अराजपत्रित अधिकारी एक स्टेशन पर पांच वर्ष से अधिक समय तक तैनात नहीं किया जाता है चूंकि रक्षकों, वरिष्ठ रक्षकों और प्रधान रक्षकों के स्थानान्तरण केवल उनके मंडलों तक ही सीमित होते हैं जहां कि अधिकांश बल दिल्ली और लखनऊ आदि जैसे मंडल मुख्यालय वाले नगरों में, तैनात होता है, उनका पांच वर्ष के बाद स्थानान्तरण करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, ऐसे कर्मचारियों को उसी स्थान के भीतर भिन्न पदों पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सहायक उप-निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और निरीक्षकों के स्थानान्तरण उनकी रेलवे के अन्तर्गत ही किये जाते हैं। सामान्यत: किसी भी राजपत्रित अधिकारी को एक ही पद पर चार वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहने दिया जाता।

(ग) हालांकि सामान्यत: यही नीति अपनायी जाती है, फिर भी प्रशासन के हित में अथवा अनुकम्पा के आधार पर अपवाद भी होते हैं।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देना

*585. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का कोई ऐसा आदेश है कि कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित (पुत्र आदि) को रोजगार दिया जाता है, यदि हां, तो उपरोक्त नियम और आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन और उत्तर रेलवे के मुरादाबाद में मृत कर्मचारियों के स्थान पर ऐसे कितने आश्रितों को रोजगार दिया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के कितने आवेदन पत्र मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) 1981, 1982 और 1983 के दौरान नियोजित, मृत कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या इस प्रकार है—

(1) मुरादाबाद मंडल (उत्तर रेलवे)	413
(2) इज्जतनगर मंडल (पूर्वोत्तर रेलवे)	161
(ग) रेल मंत्रालय में	373.

विवरण

सेवा के दौरान दिवंगत होने वाले क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन यूनिटों आदि के कर्मचारियों के आश्रितों (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए एक योजना मौजूद है। मोटे तौर पर इस प्रकार की नियुक्तियां निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाती हैं—

(1) जब रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाये।

(2) जब रेल कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये।

2. सामान्यत: ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कि इस प्रकार की नियुक्तियां अनुज्ञेय हैं, कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/विधवा/विधुर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते हैं। कुछ शर्तों के अध्यधीन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ निकट संबंधी को भी दिया जा सकता है।

3. ऐसी नियुक्ति सामान्यत: ग्रुप सी० (श्रेणी-III) और ग्रुप डी० (श्रेणी iv) के भर्ती ग्रेडों में की जाती है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के उम्मीदवार को सामान्यत: आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूरी करनी चाहिए।

4. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है —

(1) ड्यूटी के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के आश्रित।

(2) ऐसे रेल कर्मचारियों के आश्रित जिनकी, ड्यूटी से बाहर, रेल दुर्घटना के परिणाम स्वरूप, सेवा में रहते हुए, मृत्यु हो जाय।

(3) सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के आश्रित।

5. नियुक्तियां आमतौर पर यथासंभव शीघ्र कर दी जाती हैं और आश्रित के नाबालिग होने की दशा में पांच वर्ष की छूट देने की व्यवस्था है जिसकी गिनती सम्बद्ध घटना की तारीख से की जाती है।

6. रेल मंत्रालय खास में सेवा में रहते हुए दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार की जाती हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र

*535. **श्री जैनुल बशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन्द रहने के कारण अपने शैक्षणिक सत्र के मामले में पिछड़ रहे हैं और किस सीमा तक; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों में केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ही कुछ संकायों के शैक्षिक निर्धारित कार्यक्रमों में पिछड़ रहा है। विश्वविद्यालय सामानान्तर सत्रों के संचालन जैसे कई उपायों के माध्यम से विलम्बित सत्रों को नियमित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

हज यात्रियों के लिए कोटे में वृद्धि

*587. श्री बिरदा राम फुलवारिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रा को जाने वाले इच्छुक भारतीय मुसलमानों की संख्या में प्रति वर्ष हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार हज यात्रियों के लिए कोटा बढ़ाने का है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है; और

(ग) वर्ष 1980 से 1983 के दौरान वर्ष-वार, कितने व्यक्ति वास्तव में हज करने गए और कितने इच्छुक व्यक्तियों को यह सुविधा नहीं मिल सकी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं। 1984 के लिए हज यात्रियों का कोटा 21,000 नियत किया गया है। इसके अलावा 1,000 व्यक्तियों को विदेशों में बसे हुए अपने संबंधियों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के आधार पर यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हज यात्रा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। सूचना इस प्रकार है—

(ग) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष	समुद्र द्वारा		विमान द्वारा	
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	हज यात्रियों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	हज यात्रियों की संख्या
1980	20,630	13,173	4866	4866
1981	16,333	13,245	7699	7699
1982	34,513	9,965	11010	11010
1983	उपलब्ध नहीं	9,885	12783	11585

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा पुलों की अपूर्ण परियोजनायें

*588. श्री एन० डेनिस : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उन पर पुलों को पूरा नहीं किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य महोदय का आशय राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिसिंग रोड लिंकों और मिसिंग पुलों से है। स्थिति का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। इन त्रुटियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के अंग के रूप में धन की उपलब्धता के अनुसार दूर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। जहां मिसिंग लिंक है, वहां राज्य सड़कों को वैकल्पिक अस्थायी राजमार्ग रूट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिसिंग रोड लिंकों और मिसिंग पुलों की मौजूदा स्थिति *

विवरण

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	राज्य	खंड	लम्बाई (कि० मी०(
1.	23	बिहार	गोला-ओरमानजी	35
2.	23	बिहार	कोलेबिश-सेहारिऔरे (उड़ीसा में वीर मित्र पुर के निकट)	35
3.	23	उड़ीसा	तालचर (मित्री जंक्शन)-कमर	40
4.	17	महाराष्ट्र	जरप-गोवा सीमा	24
5.	4 क	कर्नाटक	खानापुर-अनमोड	35
			कुल	169
		मिसिंग मेजर पुलों का ब्यौरा		
1.	17	गोवा	कोलवेल पुल	काम चल रहा है
2.	49	तमिलनाडु	पम्बन पुल	काम चल रहा है
3.	23	उड़ीसा	ब्राह्मणी पुल	
4.	31	पश्चिमी बंगाल	टोरसा पुल	

*टिप्पणी : ऊपर मिसिंग रोड लिंकों और मिसिंग पुलों को जो मौजूदा स्थिति बताई गई है, वह 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के संबंध में है। इसमें छठी योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में जोड़े गए 2375 कि० मी० शामिल नहीं हैं। इसके लिए त्रुटियों की वस्तु सूची तैयार की जा रही है।

पारिवारिक समस्याओं के कारण सामाजिक और नैतिक विपदाओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए अल्प कालिक वासगृह

*589. श्री अर्जुन सेठी : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारिवारिक समस्याओं के कारण सामाजिक और नैतिक विपदाओं का सामना करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए अल्प कालिक वासगृह संबंधी योजना के अन्तर्गत कुछ केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे केन्दों के नामों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लिए इन केन्द्रों से संबद्ध स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान क्या काम किये हैं और उन पर कितना व्यय किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में अल्पकालिक वासगृह की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा फरवरी, 1984 में "सहेली" को 8000 रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(घ) "सहेली" की स्थापना वर्ष 1981 के प्रारम्भ में हुई थी और इसे 6 अप्रैल, 1983 को पंजीकृत कराया गया। इस संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में संकट ग्रस्त महिलाओं को रोजगार, कानूनी सलाह, आश्रम, परामर्श, चिकित्सीय सलाह इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है।

देहरी-पिपराडीह लाइन का बदला जाना

*590. **श्री राम स्वरूप राम**
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास पौर पलामू जिलों में चूना पत्थर के बड़े भंडार हैं जिनसे कई लाख टन क्षमता के कई सीमेंट संयंत्र चल सकते हैं;

(ख) क्या परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण चूना पत्थर भंडारों का उपयोग सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देहरी और पिपराडीह के बीच वर्तमान नेरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उसे बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के निकट जराडाग तक बढ़ाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान गरवा-भवनाथपुर लाइन को भवनाथपुर के 8 कि.मी. पूर्व तक बढ़ाने का है जिससे भवनाथपुर और जदुनाथपुर में संपर्क बन सके और वहां सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) इस क्षेत्र में चूना पत्थर के भण्डार हैं और मौजूदा छोटी लाइन से सीमेंट संयंत्रों को चूना पत्थर की ढुलाई की जा रही है, हालांकि यातायात की मात्रा-घटबढ़ रही है। डेहरी-आन-सोन से अमजोरा/बनगोड़ी से पिपराडीह तक बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के दौरान की गयी जांच से पता चला था की ढुलाई में गिरावट मुख्यत: बिजली की कमी, श्रमिक अशान्ति, सीमेंट संयंत्र में ब्रेक डाउन आदि के कारण आई थी। 1976 में की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट का हाल ही में (1983 में) पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच पूरी हो जाने पर एक बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के प्रश्न के बारे में यथा समय विनिश्चय किया जायेगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग अपनी स्वीकृति दे दे।

(घ) जी, नहीं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में घाटों के निर्माण पर हुआ व्यय

*591. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान एण्ड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स की स्थापना से इसने अब तक कितने घाटों का निर्माण किया है और प्रत्येक घाट पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या येरेवा, ओंगे, सेन्टीनेल और चावरा अन्तरद्वीपीय जहाज डिगलीपुर, माया बन्दर रंगट, "हट बे", कटचाल, कामोत्रा और केम्पलवेल बे से हो कर जा सकते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े किस्म के जहाजों की आवागमन की सुविधा देने के लिए इन क्षेत्रों के घाटों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघीय क्षेत्र में उसके प्रारम्भ से अब तक निम्नलिखित घाटों का निर्माण अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह कार्य द्वारा किया गया है —

क्रम सं०	घाट का स्थान	कुल व्यय (लाख रुपये में)
1.	**मुख्य भूमि जलयानों के लिए**	
	पोर्ट ब्लेयर	
	1. हद्दो प्वायंट	238.51
	2. चथम	150.58
2.	**अंतरद्वीपीय जलयानों के लिए**	
	पोर्ट ब्लेयर	
	1. चोलूंगा	18.79
	2. फोनीक्स खाड़ी (मत्स्य पालन घाट)	67.18
	उत्तरी अण्डमान	
	3. दिगलीपुर	9.58
	मध्य अण्डमान	
	4. मेबन्दर	15.90
	5. रंगत	13.00
	6. हेवलाक	6.30
	लिट्ल अण्डमान	
	7. हट बे	34.80
	ग्रेट निकोबार	
	8. कैम्पवेल बे	31.50
	9. कमोर्ता	14.91
	10. कच्छल	22.82

क्रम सं	घाट का स्थान	कुल व्यय (लाख रुपए में)
3.	स्थानीय फेरी घाटों के लिए	
	पोर्ट ब्लेयर	
	1. मैरिन डाकयार्ड	9.07
	2. पानीघाट	2.54
	3. बम्बू फ्लेट	2.86
	4. दुन्दास प्वांयट	2.73
	5. हद्दो	4.98
	6. जंगलीघाट	6.29
	7. गांधीघाट	9.89
	8. मिथखारी	3.24
	9. नील	4.83
	10. लांग द्वीपसमूह	9.95
	मध्य अण्डमान	
	11. बजोता	2.12
	12. पारांगरा	1.48
	13. कालीघाट	1.60
	14. येरेत्ता	3.27
	15. स्ट्रेट	4.86
	16. निलाम्बुर	16.36
	17. उत्तारा	9.62
	लिट्ल अंडमान	
	18. डुगोंग क्रीक	4.32
	कार निकोबार	
	19. मलक्का	5.00
	20. टीटोप	4.98
4.	गाड़ी घाट के लिए	
	मध्य अंडमान	
	(1) कदमत्ताला	9.62

(ख) अन्तरद्वीपीय जलयान येरेवा और ओंगे सभी सातों स्थानों अर्थात दिगल मेबन्दर, रंगत, हट बे, कच्छल कागोर्ता और केम्पबे में जायेंगे जबकि सेंटीनल और कोवरा दिगलीपुर, रंगत, और कच्छल को छोड़कर सभी स्थानों में जायेंगे।

सेंटीनल और कोवरा को स्थान देने के लिए दिगलीपुर, रंगत और कच्छल में तीन घाटों को विस्तार/मजबूत करने का काम चल रहा है और उसे दिसम्बर 1984 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) सेंटीनल और कोवरा से बड़े आकार के जलयानों को स्थान देने के लिए मेबन्दर और कागोर्ता घाटों को विस्तार/मजबूत करने का काम चल रहा है और दिसम्बर 1984 तक तैयार हो जाने की संभावना है। अन्य घाटों में बड़े जलयानों को स्थान देना अभी आवश्यक नहीं समझा जा रहा है।

देहरादून तथा जनता एक्सप्रेस को मलारना स्टेसन पर रोकने की व्यवस्था करना

*529. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री राम कुमार मीना } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देहरादून एक्सप्रेस तथा जनता एक्सप्रेस को मलारना रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, तथा जनता की भी इस बारे में काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर सरकार द्वारा इस बीच विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गंगापुर सिटी तथा सवाई माधोपुर के बीच इन गाड़ियों के रुकने की कोई व्यवस्था न होने के कारण इन दोनों गाड़ियों को मलारना रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए कब तक व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) (क) मलारना पर 19/20 देहरादून एक्सप्रेस और 23/24 जनता एक्सप्रेस के ठहराव के लिए राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) फिर भी, इसकी जांच की गयी है लेकिन मलारना स्टेशन से कम मात्रा में लम्बी दूरी का यातायात प्राप्त होने के कारण इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बन्डेल और कटवा रेल लाइन को दुहरा किया जाना तथा उसका विद्युती करण

*593. **प्रो. रूपचन्द पाल**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा डिवीजन में बन्डेल और कटवा के बीच रेल लाइन को दुहरा करने तथा उसका विद्युतीकरण करने के लिए वर्षों से लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) लम्बे समय से चली आ रही उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) (क) बंडेल-कटवा खंड (बा०ला०) में दोहरी लाइन बिछाने तथा विद्युतीकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इस खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण 1984-85 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच के बाद ही इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

यातायात की बढ़ी हुई मात्रा और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही, इस खंड के विद्युतीकरण के बारे में यथा-समय विचार किया जायेगा।

मानसरोवर और कैलाश के आसपास के मंदिरों की मरम्मत

*594 श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या विदेश मन्त्री मानसरोवर झील के चारों और जीर्णावस्था में पड़े मन्दिरों के बारे में 1 दिसम्बर, 1983 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के मानसरोवर और कैलाश क्षेत्रों के मन्दिर अब जीर्णावस्था में हैं;

(ख) क्या इन धार्मिक स्मारकों की मरम्मत के बारे में चीन से बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में चीन से प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या बौद्ध धार्मिक स्मारकों के बारे में भी बातचीत की गई थी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) और (ग) चीन सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है और उनके जवाब की प्रतिक्षा की जा रही है ।

(घ) अनुरोध पर आमतौर से कैलाश और मानसरोवर क्षेत्र के धार्मिक महत्व के स्थान आते हैं ।

भारतीय जहाजरानी निगम का तेल टैंकर खरीदने का प्रस्ताव

*595 **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम का विचार अगले मार्च तक 11 तेल टैंकर खरीदने का है;

(ख) खरीदे जाने वाले प्रत्येक टैंकर की क्षमता कितनी होगी और ये टैंकर किस देश से खरीदे जा रहे हैं;

(ग) क्या उनकी खरीद के लिए कोई निविदायें आमन्त्रित की गई हैं या इस उद्देश्य के लिए ठेका दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी हां । इन टैंकरों की सप्लाई करने के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं ।

(ख) 52,500 डी डब्ल्यू टी । इन टैंकरो का निर्माण हुण्डाई हेवी इंडस्ट्रीज, दक्षिण कोरिया कर रहा है ।

(ग) और (घ) भारतीय नौवहन निगम ने यूरोप, कोरिया, जापान आदि में इन जहाजों के निर्माण के लिए 53 प्रमुख शिपयार्डों को अपनी विशिष्टियां भेजी थीं । प्राप्त प्रस्तावों और इन यार्डों के साथ तकनीकी विचार विमर्श के आधार पर 6 शिपयार्डों की एक सूची तैयार की गई थी । इन यार्डों ने अन्तिम रूप से जो प्रस्ताव पेश किया, उस पर भारतीय नौवहन निगम की जहाज क्रय समिति ने विचार किया और सबसे कम लागत वाले प्रस्ताव का चयन किया गया ।

शिमला से आलू और सेब की ढुलाई

*596. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान शिमला से विभिन्न राज्यों को राज्यवार रेल द्वारा कितनी मात्रा में आलू और सेबों की ढुलाई की गई; और

(ख) रेलवे ने माल भाड़े के रूप में कितना राजस्व अर्जित किया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के० जाफर शरीफ) : (क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान, शिमला से राज्य-वार बुक किये गये आलू के माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

राज्य	वर्ष	
	1982-83	1983-84
1. आध्र प्रदेश	4	8
2. असम	16	कोई नहीं
3. बिहार	88	8
4. हरियाणा	200	150
5. गुजरात	76	226
6. कर्नाटक	844	1050
7 उड़ीसा	6	कोई नहीं
8. मध्य प्रदेश	218	260
9. महाराष्ट्र	276	678
10. पंजाब	4	38
11. पश्चिम बंगाल	32	4
जोड़	1764	2422

इन वर्षों के दौरान शिमला से सेब की कोई ढुलाई नहीं हुई थी ।

(ख) 1982-83 और 1983-84 के दौरान शिमला से आलू की ढुलाई से अर्जित भाड़े की राशि क्रमशः 38.16 लाख तथा 57.23 लाख रुपये थी ।

उड़ीसा में अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व ऋण योजना के अंतर्गत स्वीकृत और अनुमोदित पुल

6531. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा पांचवी और छठी योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व ऋण योजना में सम्मिलित करने के लिए किन पुलों का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि वर्ष 1983-84 के दौरान किन्हीं पुलों को स्वीकृत और अनुमोदित किया गया है, तो उनके नाम क्या हैं और उनकी अनुमोदित लागत निर्माण के आरम्भ और पूरे होने का वर्ष क्या है और उक्त पुलों के लिए उस राज्य को ऋण सहायता के रूप में उनका मंत्रालय कितनी धनराशि देने को सहमत हो गया है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) आर्थिक महत्व या अंतर्राज्यीय सड़कों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम में शामिल किये जाने के बारे में उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और 5 वीं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । आनन्द-पुर-भद्रक सड़क पर वैतरणी पुल का निर्माण कार्य 5 वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और राज्य सरकार के अनुसार इस पर 35 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था । आर्थिक महत्व या अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम से बंसधारा पुल के लिए 108.00 लाख रुपये और ब्राह्मणी पुल के लिए 150.00 लाख रुपये की सहायता के लिए संस्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । इस पर शेष धन राशि की व्यवस्था राज्य सरकार अपने ही साधनों से करेगी ।

विवरण

क्र० सं०	ऋण सहायता के लिए उड़ीसा सरकार से प्रस्तावित कार्य	5 वीं/6 वीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य
	पांचवी योजना	**पांचवीं योजना**
1.	ब्राह्मणी नदी पर पुल (धनकानला जिला) कामगढ़ के समीप धन कानल-कामख्यानगर मार्ग	पारलामई गुणपुर बिसम-कटक मार्ग पर वंशधारा पुल का निर्माण (एस. एच० 4) अनुमानित व्यय 257.31 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा 108.00 लाख रुपए के ऋण की सहमति शेष राज्य सरकार अपने ही साधनों से पूरा करेगी।
2.	आनन्दपुर-भदक-मार्ग (क्यींझर जिला) वैतरणी पुल	
3.	राउर केला-बोनी मार्ग (सन्दरगढ़) जिला पर ब्राह्मणी पुल	
4.	गुणपुर-रामगढ़ मार्ग पर (कोरापुट जिला) बसंधारा पुल	
5.	कामगढ़ के समीपधोनकालन-कामख्यानगर सड़क (धोनकालन जिला) पर रायाला पुल	आनन्दपुर-भद्रक मार्ग पर वैतरणी पुल का निर्माण भारत सरकार द्वारा 45.00 लाख रुपए की ऋण सहायता
6.	(मध्यप्रदेश में रायपुर) उड़ीसा में पदमपुर मार्ग पर ओग पुल	
7.	बसाना पर चिरोड़ (रायपुर, मध्यप्रदेश) पदमपुर (उड़ीसा सड़क) पर पुल	
8.	मध्यप्रदेश में खरियार उन्नार्के से सियापल्ली गोपालपाद दयोभोग-करनाल और उड़ीसा में मोहाना ओर अरीया पुल	
9.	मध्य प्रदेश में खरियार-उम्बार्के वारास्ता-सिन्हापल्ली-गोपालपद-देयोभाग-करनाल और उड़ीसा में मोहाना और झरंया पुल	
	छठी योजना	**छठी योजना**
10.	बालासोर से जलेश्वर तक के मार्ग का सुधार (बालासोर-खरगपुर मार्ग का एक हिस्सा) पश्चिम बंगाल सीमा तक जिसमें पुल और क्रौम ड्रेवेज का निर्माण कार्य शामिल है।	घनकालन कामख्यानगर सड़क पर ब्राह्मणी नदी पर पुल का निर्माण जिसमें दोनों दिशा में पहुंच मार्ग शामिल है। अनुमानित लागत 652.55 लाख भारत सरकार द्वारा ऋण सहयता 150.00 लाख रुपए। शेष राज्य सरकार अपने ही साधनों से पूरा किया जायेगा।
11.	ब्राह्मणी नदी पर घनकालन-कामारूवा नगर सड़क का सुधार जिसमें ब्राह्मणी नदी पर पुल का निर्माण शामिल है।	
12.	बोध- कियकाना मार्ग पर पुल का निर्माण	
13.	जगदलपुरी-इन्द्रमापुरी सड़क पर जगदलपुर के समीप आंग नदी पर पुल का निर्माण	

रेलवे बोर्ड कार्यालय में अनुसूचित जनजातियों को कोटा

6532. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अनुसूचित जन जातियों के कोटे के आधार पर वर्ष 1974 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में भर्ती किये गये व्यक्तियों को अभी तक स्थायी न करने के क्या कारण हैं;

(ख) बोर्ड के कार्यालय में वर्ष 1974 में अनुसूचित जनजातियों के कोटे के आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के रूप में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं;

(ग) बोर्ड के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के कितने रिक्त पद अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं और मौजूदा रिक्त पदों पर कितने लोगों को स्थायी किया गया है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पदोन्नत स्थायी अवर श्रेणी लिपिकों की उच्चतर पदों पर पुष्टि हो जाने पर अवर ग्रेड में, इस प्रकार उपलब्ध हुई स्थायी रिक्तियों पर इनका पुष्टीकरण किया जायेगा।

(ख) 1974 में अनुसूचित जन जाति के तीन अभ्यार्थियों को अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था। 1974 में अनुसूचित जनजाति के अशयथियों की सहायक और अनुभाग अधिकारी की भर्ती के लिए कोई आरक्षण देय नहीं था। उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में सीधी भर्ती नहीं की जाती।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समस्त रिक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है, न कि केवल स्थायी रिक्तियों के संदर्भ में।

(घ) समय-समय पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती किये गये अनुसूचीत जनजाति के उम्मीदावारों का पुष्टिकरण तत्संबंधी वर्तमान नियमों के अनुसार स्थायी रिक्तियों पर किया जाता है।

भारतीय नाविकों में बेरोजगारी

6533. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय बड़ी संख्या के भारतीय नाविक बेरोजगार हैं,

(ख) यदि हां, तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में ऐसे कितने नाविकों के नाम नौकरी के लिए पंजीकृत किये गये हैं;

(ग) देश में नाविकों में भारी बेरोजगारी के क्या कारण है; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या उपाय कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियोउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) उपलब्ध रोजगार में कमी के कारण बहुत सारे भारतीय नाविक अभी बेरोजगार हैं। 1.1.1984 के अनुसार बम्बई में कुल रजिस्टर्ड नाविकों की संख्या 23,132 और कलकत्ता में 9,737 थी। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, वहां पर कोई नियमित नाविक रोजगार कार्यालय नहीं है। विदेशी नौवहन लाइन्स द्वारा अनेक विदेशी जलयानों के वापस लिये जाने के कारण बेरोजगारी की

स्थिति में और वृद्धि हो गयी है। मूलतः यही विदेशी कम्पनिया भारतीय नाविकों को रोजगार उपलब्ध कराती थी। अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन उद्योग में मौजूदा मदी के कारण, भी बहुत सी नौवहन कम्पनियों को, जिसमें प्रमुख भारतीय नौवहन कम्पनियां भी शामिल हैं, भयानक कैश फलों के संकट का सामना करना पड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि कम खर्चे पर वे अपने जलयानों का परिचालन नहीं कर सके। परिणामतः भारतीय नौवहन व्यापार में सम्भावित विस्तार नहीं हो सका।

(घ) भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एडमायरल एस० एम० नन्दा (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग सरकार को प्रस्तुत कर दी है। जिसमें 18 सिफारिशें शामिल हैं। इन सिफारिशों में भारतीय नाविकों को प्रभावित करने वाली बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं। इन सिफारिशों पर कार्यान्वियन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।

मथुरा -अलवर रेल परियोजना का निर्माण

6534. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा-अलवर रेल परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसे पूरा करने के लिये कितना समय लगेगा;

(ग) क्या इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना तक ले जाये जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा और इस सेक्शन को आवागमन के लिये कब तक खोल दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) मथुरा-अलवर नयी लाइन परियोजना को नवम्बर, 1983 में अनुमोदित कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है। निर्माण कार्य सातवीं योजना तक चलेगा। इस परियोजना के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है। बहरहाल, इसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

समस्तीपुर जंक्शन और जयनगर के बीच चलने वाली गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना

6535. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि समस्तीपुर जंक्शन (उत्तर पूर्व रेलवे) से जयनगर के बीच चलने वाली गाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ होती है। और इसके परिणामस्वरूप वृद्ध और महिला यात्री आमतौर पर डिब्बों में नहीं चढ़ पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डिब्बों की संख्या कम से कम 5 से 10 तक बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डिब्बों में सफाई नहीं होती है और गंदे पड़े रहते हैं तथा रात में बत्तियां भी काम नहीं करती हैं।

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि बिजली की अनियमित पूर्ति के कारण प्लेटफार्मों पर अंधेरा रहता है और ऐसे अवसरों पर वहां प्रकाश के लिए "पेट्रोमेक्स" लैम्प भी नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो "पेट्रोमेक्स" लैम्प की पूर्ति के किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) समस्तीपुर और जय नगर के बीच चलने वाली 6 गाड़ियों (3 अप और 3 डाउन) में से यात्री-गणना के अनुसार केवल 3 गाड़ियों में यात्रियों की संख्या बैठने की क्षमता से कुछ अधिक पायी गयी।

(ख) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दो जोड़ी गाड़ियां 10 डिब्बे लेकर चलती हैं जिनमें से 5 डिब्बे जयनगर को और 5 निर्मली को जाते हैं। तीसरी गाड़ी, जानकी एक्सप्रेस 14 डिब्बों की चलती है जिसमें से 7 जयनगर को और 7 निर्मली को जाते हैं। सवारी डिब्बों की भारी तंगी के कारण डिब्बों की संख्या में फिलहाल वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) समस्तीपुर दरभंगा और जयनगर में सवारी एवं माल डिब्बा कर्मचारी तथा गाड़ी बिजली कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं कि यात्रा आरम्भ होने से पूर्व तथा मार्ग में डिब्बों में सफाई रहे और बत्तियां चालू हालत में हों। रेलों को निदेश दिये गये हैं कि इन पहलुओं पर और अधिक ध्यान दिया जाये।

(ङ) और (च) यह सही है कि बिजली की त्रुटिपूर्ण सप्लाई के कारण स्टेशनों पर कई बार बिजली नहीं रहती है। समस्तीपुर, दरभंगा और लहेरिया सराय पर सहायक व्यवस्था की गयी है। धन उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था और भी स्टेशनों पर की जायेगी।

रेल ड्राइवरों के कार्य घटों को कम किया जाना

6536. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री के० ए० राजन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि रेल ड्राइवरों की सतर्कता में सुधार की दृष्टि से उनके काम के घंटे कम किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव किस तारीख से कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 21.2.1984 को क्षेत्रीय रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि ड्राइवरों और रनिंग कर्मचारियों की लम्बे समय तक की ड्यूटी के मामले की समीक्षा की जाये तथा आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि ड्राइवरों को नियमित घंटों से अधिक समय तक हमेशा कार्य न करना पड़े और रनिंग रूप में की गयी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था संतोषप्रद बनायी जाये।

प्रौढ़ शिक्षा योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या

6537. **श्री नवीन रावणी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौढ़ शिक्षा योजना से वर्ष 1982-83 और 1983-84 में कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा; और

(ख) शिक्षा देने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग में 1982-83 तथा 1983-84 (3 दिसम्बर 1983 तक) के दौरान प्रौढ़ों का दाखिला क्रमशः 43.57 लाख तथा 46.16 लाख था।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 के दौरान दाखिले के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग, के 70 लाख प्रौढों को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हाल ही में 70 अतिरिक्त परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। आशा है कि राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतपरियोजनाओं की इतनी ही तदनुरूपी संख्या हो जाएगी।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुदान देकर स्वैच्छिक संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों को शामिल करने को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सहित महिलाओं तथा ससाज के कमजोर वर्गों को शामिल करने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है।

(v) महिलाओं को शामिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार की एक योजना लागू की गई है ताकि महिलाओं में निरपक्षता उन्मूलन में तेजी लाई जा सके।

(vi) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए रेडियों दूरदर्शन तथा लोक नृत्यों सहित जन संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

1983-84 के दौरान प्रस्तावित परन्तु आरम्भ न की गई रेल-यात्री सेवाए

6538. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वे रेल यात्री-सेवाएं कौन सी हैं जिन्हें देश में वर्ष 198,-84 के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव था परन्तु उन्हें आरम्भ नहीं किया जा सका ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1983-84 के दौरान नयी गाड़ियां चलाने के लिए औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाये गये सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

खड़गपुर डिवीजन में अन्दुल के हावड़ा सिरे पर पैदल उपरिपुल

6539. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैदल उपरिपुल के न होने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे को खड़गपुर डिवीजन में अन्दुल के हावड़ा सिरे पर गनघुट के पास सैकड़ों लोगों को रेल लाइनों को पार करना पड़ता है;

(ख) क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उक्त स्थान पर पैदल उपरिपुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में अन्दुल स्टेशन के हवड़ा छोर पर गैंगहट के निकट कुछ लोग अधिकृत रूप से रेल लाइनें पार करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जनता के उपयोग के लिए पास ही में एक समपार उपलब्ध है। इसके अलावा, किसी रेलवे लाइन के चालू हो जाने के 10 वर्ष बाद जनता के उपयोग के लिए समपार/ऊपरी पैदल पुल जैसे किसी अतिरिक्त कार्य सुविधा की लागत इस प्रकार की सुविधाओं की मांग करने वाली राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण को वहन करनी होती है। राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

सिगनल प्रणाली में सौर-सैलों का उपयोग

6540. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिगनल प्रणाली में सौर-सैलों का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि सिगलन विभाग द्वारा लखनऊ-प्रतापगढ़ सेक्शन पर सिगनलों में कम बोल्ट के बल्ब उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सिगनल प्रणाली में सौर-सेलों का उपयोग आरम्भ करके स्थिति को सुधारने के संबंध में रेल मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। लखनऊ-प्रतापगढ़ खंड पर सभी सिगनल मिट्टी के तेल से जलने वाली सिगनल बत्तियों वाले हैं सिवाय लखनऊ यार्ड के कुछ सिगनलों के जिनमें बिजली रोशनी की व्यवस्था है। वे 6 वोल्ट से चलते हैं जो कि ऐसे लैम्पों के लिये मानक वोल्टता है।

(ग) सिगनलों में सौर-सेलों की व्यवस्था परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है।

भारतीय रेलें दूरस्थ सिगनलों पर सौर-सेलों की मदद से बिजली की रोशनी करने का काम बड़े पैमाने पर कर रही हैं। इस व्यवस्था को अन्य सिगनल उपस्करों में किये जाने के प्रश्न पर पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाने पर विचार किया जायेगा।

नौवहन कम्पनियों द्वारा विदेशी बैंकों से लिए गए ऋण की वापसी

6541. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने विदेशी बैंकों से ब्याज की रियायती दर पर ऋण लिए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1983 को प्रत्येक नौवहन कम्पनी पर कितनी धनराशि बकाया थी;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने 31 मार्च, 1983 को ऋण वापस नहीं किया था और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) उन कम्पनियों को अपने ऋण वापस करने के यदि सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सिर्फ उन्ही कम्पनियों की सूचना उपलब्ध है जिसने नौवहन विकास निधि समिति की गारंटी/काउंटर गारंटी के तहत विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त किया है। नौवहन कंपनियों ने 31.3.1983 तक ऐसा ऋण प्राप्त किया, उनके पास बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) अनेक नौवहन कम्पनियों ने धन की कमी के कारण ऋण की राशि के भुगतान के लिए पुन: समय निर्धारण करने या विदेशी बैंकों से ऋण की मांग की। कुछ कंपनियों ने भी नए ऋण की मांग की है जिससे वे उसी कारण से विदेशी बैंकों से प्राप्त ऋण की अदायगी कर सकें। उन इन कम्पनियों के नाम विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा विदेशी बैंकों से जुटाए गए ऋण की अदायगी करने के लिए कंपनियों को नए ऋण जुटाने के अनुरोध जो मान लिया है। नौवहन विकास निधि समिति अपनी गारंटी/काउंटर गारंटी को संशोधित करने और कुछ मामलों में कंपनियों द्वारा विदेशी बैंकों से प्राप्त किए गए ऋण के भुगतान की पुन: निर्धारित अवधि तक गारंटी/काउंटर गारंटी देने पर सहमत हो गई है।

विवरण-1

31-3-1983 को गारंटी/काउंटर गारंटी के संबंध में रुपए के समतुल्य बकाया राशि का वितरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	31-3-1983 को बकाया (सिर्फ मूलधन)		
		गारंटी	काउंटर गारंटी	कुल
1	2	3	4	5
				(करोड़ रु०)
1. सार्वजनिक क्षेत्र				
1.	भारतीय नौवहन निगम लि०	21.01	22.79	43.80
2.	मुगल लाइन्स लि०	—	6.74	6.74
	कुल	21.01	29.53	50.54
2. प्राइवेट एवं संयुक्त क्षेत्र				
1.	चौगुले स्टीम शिप लि०	—	2.40	2.40
2.	दामोदर बल्क कैरियरर्स लि०	—	1.08	1.08
3.	डेम्पो स्टीमशिप लि०	—	—	—
4.	इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी लि०	—	—	—
5.	नीलहट शिपिंग क० लि०	—	—	—
6.	रत्नाकर शिपिंग क० लि०	9.81	12.00	21.81
7.	आर० ए० जे० लाइन्स लि०	—	—	—
8.	सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि०	—	2.65	2.65
9.	सिंधिया स्टीम नेवी क० लि०	19.64	0.36	20.00
10.	ईशर बल्क कैरियरर्स लि०	—	36.60	36.60
11.	ग्रेट इस्टर्न शिपिंग क० लि०	0.56	—	0.56
12.	साउथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन लि०	5.30	—	5.30

(जारी...)

13. सागर शिपिंग क० लि०	—	—	—
14. केरल शिपिंग कार-लि०	—	—	—
15. कर्नाटक शिपिंग कार-लि०	—	—	—
16. ठाकुर शिपिंग क० लि०	—	0.25	0·25
17. स्टीमलाइन शिपिंग क० लि०	—	0.69	0·69
18. हेडे नेवीगेशन क० लि०	—	1.77	1.77
19. इन्डोसीनिक शिपिंग क० लि०	—	7.22	7.22
20. पंचशीज शिपिंग क० लि०	—	4.04	4.04
कुल-2	35·31	69·06	104·37
सकल योग-1+2	56·32	98.59	154.91

विवरण-2

उन नौवहन कंपनियों के नाम जिन्होंने विदेशी मुद्रण ऋण के भुगतान के पुन: समय निर्धारण की मांग की है

1. मैसर्स साउथ इण्डिया शिपिंग कार० लि०, मद्रास
2. मैसर्स रत्नाकर शिपिंग क० लि०, कलकत्ता
3. मैसर्स सेवन सीज ट्रासपोंटेशन लि० बम्बई
4. मैसर्स सिंधिया स्टीम नेवी० क० लि०, बम्बई
5. मैसर्स स्टीम लाइन शिपिंग क० लि०, बम्बई
6. मैसर्स निर्वाण शिपिंग क० लि०, बम्बई

निम्नलिखित कंपनियों ने विदेशी मुद्रा ऋण की अदायगी के लिए नए ऋण की मांग की है:—

1. मैसर्स इंडोसीनिक शिपिंग कं० लि०, बम्बई
2. मैसर्स चोगुले स्टीमशिप लि०, बम्बई

पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या

6542. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहे पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान प्रत्येक कार्यालय को नए पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितने नए पासपोर्ट जारी किए गए;

(घ) 31 दिसम्बर, 1983 को प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के पास कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े थे; और

(ङ) क्या देश में कुछ और पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) ब्योरे वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी हां, सरकार वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में एक पासपोर्ट कार्यालय और त्रिवेन्द्रम (केरल) में एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय खोलने पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय का स्थान	1982-1983 के दौरान प्राप्त नए आवेदनों की संख्या		1982-1983 के दौरान जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या		31-12-1983 तक लम्बित आवेदनों की संख्या
	1982	1983	1982	1983	
1. अहमदाबाद	79168	86768	74915	82247	12920
2. बंगलौर	63177	71457	64559	69901	6003
3. बरेली	—	31071	—	40502	8539
4. भोपाल	17047	18690	15826	19564	1243
5. भुवनेश्वर	6756	4419	6299	4234	449
6. बम्बई	279868	266432	271211	261341	26499
7. कलकत्ता	36058	40149	31549	38393	3810
8. चंडीगढ़	88785	94122	86286	102087	6875
9. कोचीन	147165	145232	149043	149789	3661
10. दिल्ली	92420	122817	93484	118193	10707
11. गोहाटी	2295	2632	2237	2416	556
12. हैदराबाद	106911	117809	111755	119907	10016
13. जयपुर	70744	75202	78018	75496	7736
14. जालंधर	108575	105217	117006	103613	8914
15. कोजीकोड़	84588	74246	96754	91829	3661
16. लखनऊ	82927	71610	77761	62916	7619
17. मद्रास	235519	151130	238730	150295	3605
18. पटना	23897	25705	25057	23232	2417
19. श्रीनगर	8624	10542	8641	9961	2526
20. त्रिपुरा पल्ली	—	94818	—	100731	8257

रतनगढ़ से 1 आर० एम० पेसेंजर रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय को बदलना

6543. श्री आर० एन० राकेश : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में रतनगढ़ और मेड़ता रोड़ के बीच चलने वाली 1 आर० एम० और 2 आर० एम० पेसेंजर रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस रेलगाड़ी का रतनगढ़ में आगमन और प्रस्थान का समय क्या है;

(घ) क्या यह रेलगाड़ी 1 बी० डी० पेसेंसर रेलगाड़ी के वहां पर पहुंचने के बाद रतनगढ़ से चलती है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय को 1 आर० एम० रेलगाड़ी के वर्तमान प्रस्थान समय को 18.00 बजे करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1 आर० एम० रतनगढ़ से 17 बजकर 10 मिनट पर छूटती है और 2 आर० एम० 10 बजकर 10 मिनट पर रतनगढ़ पहुंचती है।

(घ) से (च) 1 आर० एम० का समय परिवर्तन करके 18.00 बजे करने लिए कोई मांग है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। 1-11-83 से 25-1-84 तक 1 बी० डी०/2 बी० डी० दिल्ली सराय रोहिल्ला और बीकानेर के बीच तथा 1 सी० आर०/2 सी० आर० रिवाड़ी और चुरू के बीच चलती थी।

1 बी० डी०/2 बी० डी० के समय यात्रियों को पसन्द नहीं आये क्योंकि सूरतगढ़ और मेड़ता रोड़ को जाने/से आने वाली गाड़ियां इस गाड़ी से बीकानेर पर तथा सरदार शहर को जाने वाली/से आने वाली गाड़ियां भी इस गाड़ी से रतनगढ़ पर मेल नहीं खाती थीं, इसलिए रेलों ने। बी० आर०/2 बी० आर० गाड़ी को रिवाड़ी और बीकानेर के बीच तथा 1 बी० डी० एस०/2 बी० डी० एस० गाड़ी को दिल्ली सराय रोहिल्ला और सादुलपुर के बीच 1-11-1983 से पहले वाले समय के अनुसार फिर से चलाना शुरू कर दिया। ऐसा 1 बी० डी०/2 बी० डी० तथा 1 सी० आर०/2 सी० आर० गाड़ियों को 26-1-84 से बन्द कर दिए जाने को ध्यान में रख कर किया गया। इस संशोधित पैटर्न के अनुसार, अब 1 बी० आर० रतनगढ़ 13 बजकर 10 मिनट पर पहुंचती है और 17 बजकर 10 मिनट पर रतनगढ़ से मेड़ता रोड को जाने वाली 1 आर० एम० गाड़ी से मेल खाती है।

गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता

6544, **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से सरकार का राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) 1983 में इस संबंध में राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों के साथ कितनी बैठकें की गई ;

(ग) उनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या सरकार का 6 से 10 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति या कपड़े, पुस्तकें और भोजन सहायता देने की इच्छुक राज्य सरकारों को सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) स्कूल-शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है तथा इसका अधिकांशत: प्रबन्ध उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए, अनु० जा०/अ० ज० जा०;

विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए परिकल्पित तथा उठाए गए कदम

(1) प्रारंभिक शिक्षा को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) तथा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है और छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(2) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(3) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(4) एकल शिक्षक स्कूलों को दो-शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(5) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(6) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(7) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना।

(8) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना।

(9) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना।

(10) नि: शुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री, नि:शुल्क वर्दियां, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थिति छात्रवृत्तियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजना की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(11) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपर्युक्त बनाना।

(12) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सकें तथा तब तक

उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा-8 पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए।

(13) प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु-बिन्दु प्रयोग की व्यवस्था करना।

(14) शैक्षिक रूप से पिछले 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयास, इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया जाना।

(15) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण।

(16) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना।

(17) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना।

(18) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग।

(19) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से सम्बन्धित समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्य बली की स्थापना करना।

(20) प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायना।

(21) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा उनकी पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में गहन प्रयासों के लिए, राष्ट्रीय अभियान तैयार करना।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों, शहरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों आदि सहित समुदायों के कमजोर वर्गों के बच्चों को दाखिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए गए है तथा उनकी परिकल्पना की गई है। संलग्न विवरण में उनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों की गैर-औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50:50 बराबर के हिस्से के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू

और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। लड़कियों के दाखिले में वृद्धि करने के लिए, जो गैर दाखिल बच्चों का महत्वपूर्ण भाग है, विशिष्ट रूप से लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए इन राज्यों को 1983-84 से 90:10 के अनुपात से केन्द्र-राज्यों की भागीदारी के आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 1983-84 से 80:20 के अनुपात से केन्द्र-राज्यों की भागीदारी के आधार पर, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राइमरी स्कूलों के लिए अध्यापिकाओं की भर्ती के लिए भी सहायता दी जा रही है।

(ख) और (ग) शिक्षा मंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों ने, जून, 1983 में हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 39 वे अधिवेशन में भाग लिया। बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ-साथ कठिन लक्षित वर्गों और/अथवा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करने सम्बन्धी संकल्प पारित किए।

(घ) वृत्तिका-सहायता अथवा वस्त्र, पुस्तकें तथा भोजन जैसे प्रोत्साहन राज्य सेक्टरों में संचालित किए जा रहे हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की, विभिन्न प्रेरक योजनाओं के अन्तर्गत इनका विस्तार करने की सलाह दी गई है।"

रेलवे के संचलन कर्मचारियों (रनिंग स्टाफ) के लिए सेवा निवृत्ति संबंधी लाभ

6545. श्री अजित कुमार साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के संचलन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 31 जनवरी, 1983 के बाद सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों (रनिंग स्टाफ) के सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों की संगणना वेतन तथा माईलेज के रूप में वेतन का 55 प्रतिशत जोड़कर उसके आधार पर की जा रही है जबकि 31 जनवरी 1982 से पहले सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों को सेवा निवृत्ति लाभ देते हुए इस संगणना से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या 31 जनवरी, 1982 से पहले सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों के प्रति इस कथित भेद-भाव के संबंध में अखिल भारतीय सेवा निवृत्ति रेल कर्मचारी संघ से दिनांक 7 जनवरी, 1984 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ)। सेवा-निवृत्ति लाभों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन, उपदान और भविष्य निधि शामिल हैं, को शासित करने वाले सामान्य नियम और आदेश रनिंग स्टाफ के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों सहित सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। रनिंग कर्मचारी किलोमीटर भत्ता भी पाने के पात्र हैं जिसका कुछ भाग सेवानिवृत्ति के बाद रनिंग कर्मचारियों की पात्रता के संगणन के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप से माना जाता है। रनिंग कर्मचारियों के मामले में सेवा

निवृत्ति लाभों के संगणन के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण जारी किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप मंहगाई भत्ते के 320 सूचकांक तक मंहगाई वेतन माना जाता है। ज्ञात हुआ है कि ये स्पष्टीकरण रेलों पर विभिन्न तिथियों से लागू किये गये हैं। यह प्रश्न, कि इन आदेशों को उस पहले की तिथि से प्रभावी होना चाहिए जब किलोमीटर भत्ते को सेवा निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए "वेतन" के रूप में मान का संशोधित फार्मूला लागू किया गया था, रेल मन्त्रालय के विचाराधीन है। जब इस मुद्दे की जांच की जा रही थी, इस विषय पर विभिन्न अभ्यावेदन मिले थे, आल इण्डिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन से प्राप्त एक अभ्यावेदन सहित सभी पर विचार किया जा रहा है।

जोनल रेलवेज में खाद्य पदार्थों की दरें

6546. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न जोनल रेलवेज में एक जैसी और एक ही खाद्य पदार्थों की बिक्री दरें अलग-अलग हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में चाय का एक थर्मसग्लास 1.10 रुपये में बेचा जाता है जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे में इसे 0.70 रुपये में बेचा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मानक थाली भोजन/तैयार भोजन, पश्चिमी ढंग के अल्पाहार, लंच, डिनर (निरामिष और सामिष दोनों), जनता खाना पैकेट, कप और पाट (थर्मस सहित) में चाय और काफी की बिक्री की दरें मन्त्रालय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से निर्धारित की जाती हैं और सभी भारतीय रेलों (विभागीय ठेकेदार-प्रबन्धित यूनिटों दोनों) पर ये दरें समान रूप से लागू की जाती हैं। सभी रेलों पर गाड़ियों में पाट (28 मि० ल०) में दी जाने वाली चाय की 1.1.1984 से यथा संशोधित दर फिलहाल 1.25 रु० +10 पैसे है, इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा जहां कहीं बिक्री कर लगाया गया है वहां बिक्री कर भी लिया जाता है। "वस्तु के अनुसार मूल्य" के लिए दरें, अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं और ये दरें रेल दर रेल भिन्न-भिन्न होती हैं।

मोरिण्डा-चंडीगढ़ रेल सम्पर्क

6547. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण के फलस्वरूप मोरिण्डा-चण्डीगढ़ सम्पर्क लाइन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है, ताकि भीड़-भाड़ वाले अम्बाला-जालन्धर सैक्शन को गुजरते हुए अम्बाला से आये मुकरिया तक उत्तर पश्चिम भारत को एक वैकल्पिक लाइन उपलब्ध कराई जा सके;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत क्या है तथा इस लाइन का किस अवधि तक निर्माण कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्पर्क लाइन (मोरिण्डा-चण्डीगढ़) को स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा यथाशक्ति इसका निर्माण प्रारंभ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की भारी तंगी के कारण, फिलहाल प्रस्तावित लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, मुरादाबाद की मांगें

6548. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इंडियन रेलवेज लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, मुरादाबाद की ओर से दिनांक 6 मार्च, 1984 का एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगे हैं;

(ग) क्या उन्होंने 19 अप्रैल, 1984 से मन्त्री महोदय के आवास के सामने भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों की सुनवायी करने और प्रस्तावित भूख हड़ताल को रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) कथित ज्ञापन में अन्तर्विष्ट मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) उत्पीड़न समाप्त करना।

(2) लोको यांत्रिक कर्मचारियों के संवर्ग की पुनर्संरचना।

(3) वर्तमान रिक्त पदों को भरना।

(4) डीजल और भाप लोको शेडों के कर्मचारियों को सख्त ड्यूटी भत्ते का भुगतान।

(5) मानक स्तर की सामग्री की सप्लाई।

(6) वर्दी की सप्लाई।

(7) डीजल और बिजली शेडों में प्राथमिकता के आधार पर भाप लोको कर्मचारियों को लगाना।

(ग) जी हां।

(घ) कर्मचारियों के सभी वर्गों से प्राप्त ऐसी सभी मांगों की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों, जो सभी कोटियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, के साथ परामर्श करके, सरकार की समग्र नीतियों तथा प्रशासनिक और वित्तीय सीमाओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

ईरान-ईराक युद्ध क्षेत्र से भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा करना

6549. श्री रेणु पद दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इण्डिया, कलकत्ता की ओर से भारतीय जहाजों और उनके कर्मी दल की ईरान-ईराक युद्ध क्षेत्र में भेजने के विरुद्ध कोई विरोध ज्ञापन/तार आदि मिला है;

(ख) क्या सरकार ने ईरान-ईराक युद्ध क्षेत्र में भारतीय नाविकों और भारतीय जहाजों की प्रक्षेपणास्त्रों द्वारा नुकसान पहुंचाये जाने से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) ईरान-ईराक युद्ध क्षेत्र में प्रक्षेपणास्त्रों द्वारा भारतीय जहाजों पर मार किए जाने की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं में कितने नाविक मरे अथवा घायल हुए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) ईरान/इराक ने जिन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र वर्जित क्षेत्र घोषित कर रखा है उनसे बचने के लिए नौवहन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर सभी भारतीय नौवहन कंपनियों को नौचालन संबंधी चेतावनी जारी की जाती है।

(ग) ईरान-इराक युद्ध क्षेत्र में प्रक्षेपणास्त्रों द्वारा चार जहाज क्षतिग्रस्त हुए और तीन अन्य जहाज युद्ध पत्तनों पर रुके हुए हैं।

(घ) किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तथा तीन नाविकों के लापता होने और एक नाविक के घायल होने की सूचना है।

पोलियो के लिए हाई पोटेंसी इनएक्टिवेटिड इन्जेक्टिबल वैक्सीन का प्रयोग

6550. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पहली बार पोलियो के लिये हाई पोटेंसी इन एक्टिवेटिड इन्जेक्टिबल वैक्सीन 'का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में" यूनिसेफ "द्वारा प्रायोजित फील्ड स्टडी को कार्यरूप दिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश मन्त्रालय में नैमित्तिक श्रमिकों का नियमित किया जाना

6551. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में कुछ निश्चित दिनों के लिए काम करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों को स्वत: नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय में ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं जो गत एक वर्ष के दौरान नियमित कर दिये गये हैं;

(घ) ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है जो दो वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और नियमित नहीं किये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ड़) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई क्रिया-विधि नहीं है जिसके अनुसार ये सहज रूप में नियमित हो जाते हों।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अनियमित श्रमिकों के नियमित किए जाने के मानक निर्धारित किये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) 20-3-79 के बाद अनियत श्रमिकों को केवल रोजगार दफ्तरों के जरिये ही भर्ती किया गया होना चाहिए।

(2) उन्होंने दो क्रमिक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 240 दिन काम किया हो।

(3) उनके पास आयु, शिक्षा, आदि संबंधी अन्य निर्धारित योग्यताएं हों।

(ग) 26

(घ) 26 इन अनियत श्रमिकों को, 20 मार्च, 1979 के बाद नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति रोजगार कार्यालय के जरिये नहीं की गई थी।

(ङ) जी, नहीं। चूंकि मानकों से छूट नहीं दी जा सकती, इसलिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है।

ईरान-इराक युद्ध क्षेत्र पर भारतीय नाविकों के जीवन की सुरक्षा

6552. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के आयल टैंकर "छत्रपति शिवाजी" के सेवारत नाविकों को उनके जोरदार विरोध के बावजूद ईरान-इराक युद्ध क्षेत्र में जाने को बाध्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जहाज ए० पी० जे० अम्बिका को हाल ही में प्रक्षेपास्त्रों द्वारा निशाना बनाया गया और उसके 44 चालकों में से 18 अभी तक लापता हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नहीं।

(ख) नौवहन महानिदेशक, बम्बई द्वारा सभी भारतीय जहाजों को घोषित निषिद्ध क्षेत्र या युद्धक्षेत्र से बचने के लिए समय-समय पर नौचालन चेतावनी जारी करते हुए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। ए० पी० जे० अम्बिका के सभी 44 कर्मियों और अधिकारियों का पता लगा लिया गया है और वे बगैर घायल हुए या अपनी जान गंवाए भारत लौट आए हैं।

मध्य रेलवे ई० एम० यू० रैकों की पूर्ति

6553. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या रेल मंत्री वी० टी० कसारा मार्ग के यात्रियों के लिए अधिक गाड़ियों, डिब्बों और ऊपरी पुलों के बारे में 17 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 533 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे को ई० एम० यू० रैकों की पूर्ति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मध्य रेलवे ने 1982 के दौरान, बिजली गाड़ी के 4 रेक और 1983 के दौरान 6 रेक प्राप्त किये। चालू वर्ष में, अर्थात् मार्च, 1984 तक मध्य रेलवे ने एक रेक प्राप्त किया। इस प्रकार, 1982 से 1984 तक (मार्च तक) मध्य रेलवे ने 11 रेक प्राप्त किये।

झांसी रेलवे डिवीजन में कथित जाली नियुक्तियां

6554. **श्री निहाल सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1984 के दैनिक जागरण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि झांसी रेलवे डिवीजन के बीना, भोपाल, आगरा, मथुरा कैंट और ग्वालियर स्टेशनों में तृतीय श्रेणी में 35 जाली नियुक्तियां की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच तथा उन नियुक्तियों के संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जुलाई, 1983 में झांसी रेलवे मंडल में 35 खलासियों की जाली नियुक्तियों का पता चला था । विभागीय छानबीन के बाद, 5.3. 84 को स्थानीय पुलिस, झांसी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी । एक रेल कर्मचारी, जिसे निलंबित किया गया है, के विरुद्ध नियमित मामला दर्ज किया गया है ।

मयूर विहार को होज खास से जोड़ने के लिए एक नया बस रूट शुरू करना

6555. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय भाण्डागार नियम और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में कार्यरत और मयूर बिहार में रहने वाले कर्मचारियों को होजखास में अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए सीधी बस उपलब्ध न होने के कारण बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मयूर बिहार से होजखास तक एक नया बस रूट शुरू करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) विभिन्न परिचालनात्मक और अन्य कठिनाइयों के कारण दिल्ली परिवहन निगम के लिए यह व्यवहारिक नहीं है कि वह सीधी बस सेवा द्वारा शहर के सभी स्थानों को सभी प्रमुख स्थानों के साथ जोड़ सके । प्रयास यह किया जाता है कि यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थान पर रास्ते में एक बस बदलकर पहुंचने में सुविधा हो । मयूर विहार के यात्री आई० टी० ओ० पर रूट नं०— 501, 502, 503 और 515 को लेकर या केन्द्रीय सचिवालय पर रूट नं० 510 और 530 लेकर आसानी से होजखास पहुंच सकते हैं ।

फ्रांस के साथ सांस्कृतिक सहयोग

6556. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में वर्ष 1983-84 में किए गए उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 1984-85 में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) भारत और फ्रांस के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में घनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित एक करार पर 7 जून, 1966 को हस्ताक्षर किए गए थे।

इस करार के अनुपालन में, शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सात विनिमय कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और कार्यान्वित किए गए हैं। पंचांग वर्ष 1982 और 1983 के पिछले कार्यक्रम की समाप्ति पर पंचांग वर्ष 1984 और 1985 के लिए वर्तमान कार्यक्रम को, जो इस श्रृंखला का 8 वां कार्यक्रम है, जनवरी, 1984 में अंतिम रूप दे दिया गया था।

भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के 1982-1983 के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग किया गया

(क) कलाकारों, नृत्य और संगीत मंडलियों के पारस्परिक दौरों तथा कला प्रदर्शनियों सहित कला और संस्कृति; साहित्य और प्रकाशन; फ्रांस में भारतीय रूपक और वृत्तचित्रों के प्रदर्शन सहित रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म, संग्रहालय, विज्ञान, पुरातत्व और अभिलेखागार।

(ख) एक दूसरे की भाषा के अध्ययन और शिक्षण के विकास, भाषा शिक्षकों की व्यवस्था सहित स्कूल और उच्च शिक्षा, एक दूसरे के छात्रों को अध्ययन/अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान करना, स्वास्थ्य और खेल, शारीरिक और इंजीनियरी विज्ञान, पशुपालन और ग्रामीण आयोजना के क्षेत्र में सहयोग।

(ग) सार्वजनिक प्रशासन सहित सामाजिक विज्ञान और मानविकी।

जनवरी, 1984 में अंतिम रूप से तैयार किए गए 1984—1985 के कार्यक्रम की मुख्य बात यह है कि भारत उत्सव के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान फ्रांस में भारतीय कला और संस्कृति के मुख्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गये हैं। साहित्य और प्रकाशन के क्षेत्र में, दोनों पक्ष एक दूसरे के पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने सहित एक दूसरे की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा एक दूसरे के देश में प्रकाशकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के विकास के लिए सहमत हो गये हैं। दोनों पक्ष फ्रेंच-हिंदी और हिन्दी-फ्रेंच शब्दकोशों तथा फ्रेंच उर्दू और उर्दू फ्रेंच शब्दकोशों के संकलन में सहायता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी सहमत हैं।

रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के सामान्य विनिमयों के अतिरिक्त, रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में भारतीय निर्माताओं/निर्देशकों और तकनीकी कार्मिकों को, फिल्म समाचार, सजीवता, निर्माण आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

भारत और फ्रांस के बीच, भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के लिए फ्रेंच भाषा शिक्षक और फ्रेंच विश्वविद्यालयों में शिक्षण के लिए हिन्दी भाषा शिक्षक प्रदान करके उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, पुरातत्व तथा खेलों के क्षेत्रों में घनिष्टतर सहयोग इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सतत् सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं।

एक दूसरे के छात्रों और अध्येताओं को दूसरे देश में अध्ययन/अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान करना जारी रखा जाएगा।

दिल्ली और नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

6557. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है, तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का मानदण्ड क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली संघ शासित प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर 22 केन्द्रीय विद्यालय स्थित हैं ।

1. लारेंस रोड
2. शालीमार बाग
3. एंड्रूस गंज
4. सदर बाजार मार्ग, दिल्ली छावनी
5. कन्डर लाइन्स, दिल्ली छावनी
6. गोल मार्किट
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हौजखास
8. आई० एन० ए० कालोनी
9. जनक पुरी
10. सी० आर० पी० एफ० केम्पस, झाड़ोदा कलां
11. सेक्टर-II आर०के० पुरम
12. सेक्टर-IV आर० के० पुरम
13. सेक्टर-VIII आर० के० पुरम
14. टैगोर गार्डन
15. मस्जिद मोठ
16. ए० जी० सी० आर० कालोनी
17. तुगलकाबाद
18. अर्जन गढ़
19. प्रगति विहार, लोदी रोड
20 पुष्प विहार, एम० बी० रोड़
21. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन, बदरपुर
22. विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी

(ख) प्रवेश परीक्षा में बच्चों को उत्तीर्ण होना, अभिभावकों का स्थानान्तरण ही केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के मानदण्ड हैं । बदरपुर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के मामले में बदरपुर थर्मल पावर

कारपोरेशन के कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में प्रथम प्राथमिकता मिलती है। जनकपुरी स्थित विशेष केंद्रीय विद्यालय, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाले बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल है।

(ग) जी हां।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों का वेतनमान

6558. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों का वेतनमान कितना है;

(ख) क्या सभी रजिस्ट्रारों को निर्धारित वेतनमान में नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित वेतनमान न देने के क्या कारण हैं और सेवा की अन्य शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के पद का वेतनमान रु० 1500-60-1800-100-2000 है।

(ख) और (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों की नियुक्ति निर्धारित वेतनमान में की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के लिए उनकी अपनी पिछली नियुक्ति पर प्राप्त कुल परिलब्धियों के संरक्षण के उद्देश्य से वर्तमान कार्मिक के लिए वैयक्तिक रूप 2000-125/2-2250 रु० का वेतनमान अनुमोदित किया गया था।

पूर्वोत्तर रेलवे में सेवानिवृत्त नियुक्त किये गये कर्मचारी

6559. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981, 1982 और 1983 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में श्रेणीवार कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए और कितने नियुक्त किए गए और संख्या सहित नियुक्ति और चयन के लिए क्या तरीका अपनाया गया; और

(ख) रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर द्वारा चुने गये कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया है और कितने व्यक्तियों को बाहर से नियुक्त किया गया है और उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

समाज कल्याण संगठनों द्वारा अन्य देशों से प्राप्त वित्तीय सहायता

6560. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले समाज कल्याण संगठनों के नाम क्या हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन संगठनों ने ऐसी सहायता प्राप्त की उनके नाम तथा संख्या कितनी है;

(ख) हमारे देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं और देश-वार कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध ऐसे, धन के दुरुपयोग के बारे में जांच की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ड़) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी और कब ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) देश में व्यक्ति विशेष और संगठनों को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के प्रबोधन के कार्य की जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय की है, जिसके द्वारा जानकारी कम्प्यूटर द्वारा परिकलित की जा रही है।

(घ) और (ड़) राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध विदेशी अंशदानों के प्रयोग के बारे में गृह मंत्रालय के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

सागर रेलवे स्टेशन पर शायिकाओं का आरक्षण

6561. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें समाज सेवी समितियों और संगठनों से सागर रेलवे स्टेशन पर 166 साबरमती एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी की कम से कम दस शायिकाओं का आरक्षर उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सुझाव की जांच गयी है। यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए सागर स्टेशन के लिए 166 अप साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी में अलग से कोटे के आबंटन का, औचित्य नहीं बनता है। बहरहाल, 11-5-1984 से इस स्टेशन के लिए 166 अप साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी में परीक्षण के तौर पर दूसरे दर्जे में दो शायिकाओं का आरक्षित कोटा आबंटित किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को खाड़ी के देशों में भेजना

6562. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कितने चिकित्सकों को खाड़ी के देशों में भेजा गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस उद्देश्य के लिए वहां भेजा गया था; और

(ख) इन चिकित्सकों के विदेशों में बार-बार जाने पर रोक लगाने तथा सारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1981 से 1983 के दौरान इस संस्थान के 38 डाक्टर खाड़ी के देशों में गये। इनमें से आठ डाक्टर एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये गये तथा 30 अतिथि-प्रोफेसरों के रूप में अथवा इन देशों में परीक्षायें आयोजित करने के लिये थोड़े-थोड़े समय के लिये गए थे। इस संस्थान द्वारा बनाये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही डाक्टर दौरों पर जाते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों द्वारा रोगियों का अनुसंधान कार्य में उपयोग

6563. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में विभाग अध्यक्षों द्वारा अधिकतर अस्पताल के रोगियों को अपने अनुसंधान कार्य में उपयोग किया जाता है और उन्हें उन परीक्षणों के लिए कहा जाता है, जो कि उनके इलाज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं रोगियों को अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि चिकित्सकों द्वारा उन पर अनुसंधान कार्य करने के लिए तथा उनके अपने लाभ के लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों के इस प्रकार दुरुपयोग तथा उन्हें होने वाली परेशानी को रोकने तथा दोषी चिकित्सकों से कठोरता के साथ निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह कहना सही नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभागाध्यक्ष रोगियों का अपने अनुसंधानिक कार्य के लिए उपयोग करते हैं या उनकी अनावश्यक जांच करते हैं अथवा बार-बार अस्पताल आने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

6564. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों और दलों को वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान विदेशों का दौरा करने की अनुमति दी गयी थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे दौरों पर लागू होने वाली सरकार की नीति संबधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खास देशों में इस प्रकार का दौरा करने पर प्रतिबंध अथवा रोक लगाई गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का प्रतिबंध/रोक लगाने के कारण/औचित्य क्या है; और

(ड़) इस प्रकार के दौरों के लिए उन आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1981, 1982 और 1983 वर्षों के दौरान नामंजूर किया गया था और प्रत्येक मामले में नामंजूर करने के क्या कारण थे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ड़) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन का मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली/नई दिल्ली से छपरा/सिवान के लिये एक सीधी गाड़ी का चलाया जाना

6565. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा/सिवान के लिए दिल्ली/नई दिल्ली से कोई सीधी गाड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छपरा/सिवान के लोगों की सुविधा के लिए एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो किस अवधि तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) सप्ताह में 4 दिन चलने वाली 153 अप/154 डाउन नई दिल्ली-बरौनी जयन्ती जनता एक्सप्रेस।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

छबरा रेल स्टेशन से लकड़ियों का फर्नीचर के रूप में बुक किया जाना

6566. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छबरा रेल स्टेशन से (कोटा-बीना मार्ग) कोटा के लिए लकड़ियों का फर्नीचर के रूप में बुकिंग किया जाने लगा है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1983 से 15 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान किन-किन तारीखों को बुकिंग किया गया था और किन-किन लोगों के नाम लकड़ियों को बुक किया गया था और कोटा जंक्शन के माल की डिलीवरी लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या रेल पुलिस ने फरवरी, 1984 में जब्त की गई वन विभाग की लकड़ी की छबरा रेल स्टेशन की गोदाम के नीलामी कर दी है जिनका जाली व्यक्तियों के नाम बुक किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो वन विभाग की चोरी की सारी लकड़ियों को बुक करने के लिए जिम्मेदार यदि कोई दोषी अधिकारी हैं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 10-2-1983 को छबरा गुगर से कोटा के लिए बुक किये गये लकड़ी के फ्रेमों के दो परेषण राजकीय रेलवे पुलिस, बारां द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अन्तर्गत जब्त कर लिए थे क्योंकि इनके चोरी हो जाने का सन्देह था और अभी भी उनकी अभिरक्षा में हैं।

(घ) चूंकि राज्य सरकार द्वारा लकड़ी के सामान की बुकिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और बुकिंग कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बुकिंग के लिए दिया गया माल चोरी का माल है, इसलिए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी को लोकप्रिय बनाना

6567. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग, सरलीकरण तथा लोकप्रियता के किसी कार्यक्रम की अनुपस्थिति में, शिक्षा का विस्तार, ज्ञान तथा राष्ट्रीय एकता के संवर्धन की गति धीमी और असंतोषजनक है; और

(ख) क्या गैर-हिन्दी वाले क्षेत्रों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं पढ़ाने के लिए कोई विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के प्रगामी प्रयोग तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय कई योजनाएं चला रहा है। नई दिल्ली स्थित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग 3,87,500 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों को हिन्दी में तैयार किया है। मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तक उत्पादन एजेंसियों द्वारा विज्ञान तथा मानविकी से सम्बंधित विभिन्न विषयों में लगभग 7730 पुस्तकें हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित की गई।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भी चुनी हुई साहित्यिक कृतियों का एक प्रमुख भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी "आदान-प्रदान" नामक क्रम माला के अंतर्गत 551 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अलावा, साहित्य अकादमी की अपनी "भारतीय साहित्य के निर्माता" नामक क्रम माला के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें हैं, जिनका उनके द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से सम्बन्धित एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाता है।

इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा साहित्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, सरलीकरण तथा प्रसार के लिए पर्याप्त किये गये हैं।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण को सुकर बनाने के लिए यह मंत्रालय अहिन्दी भाषी राज्यों में उनके स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति; स्वैच्छिक संगठनों को सहायता ताकि वे हिंदी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सके; पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष का रख रखाव कर सके; हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता; अहिन्दी भाषी राज्यों में मैट्रिक स्तर से ऊपर हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने; हिन्दी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठयक्रमों का आयोजन तथा विस्तार कार्यक्रमों को आयोजित करने; विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें देने तथा केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल; आगरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण में प्राविधि विज्ञान में आयोजित अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस मंत्रालय का मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान नामक अधीनस्थ कार्यालय भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समस्या सुलझाने तथा राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा के प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करता है। संस्थान भारतीय भाषाओं के बिकास का समन्वय करता है तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सामग्री उत्पादन में कार्यरत है।

विश्व हिन्दी सम्मेलन

6568. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था; और

(ख) सम्मेलन में ऐसे क्या निर्णय लिए गए जिन्हें सरकार का विचार कार्यान्वित करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति,

वर्धा, जो एक स्वैच्छिक संगठन है, के तत्वावधान में 28-30 अक्तूबर, 1983 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन में लिये गए व्यापक निष्कर्ष और उस पर अभी तक की गई कार्रवाई का संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

विवरण

आयोजकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार सम्मेलन ने प्रथम और द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलनों के दौरान पारित निम्नलिखित संकल्पों की पुष्टि की—

नागपुर में दिनांक 10-1-1975 को आयोजित प्रथम सम्मेलन के दौरान पारित संकल्प

(i) संयुक्त राष्ट्र में राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए वर्धा में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना।

मारीशस में दिनांक 28 अगस्त 1976 को आयोजित द्वितीय हिन्दी सम्मेलन के दौरान पारित संकल्प

(i) मारीशस में विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना

(ii) मारीशस से अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन ने 30 अक्तूबर, 1983 को अपने समापन अधिवेशन में सिफारिश की कि "सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक स्थाई समिति भी गठित की जाए। सम्मेलन की संगठन समिति को प्रधान मंत्री के परामर्श से इसे स्थायी समिति गठित करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। इस समिति में भारत और विदेश से 25 व्यक्ति होंगे। इस समिति और इसके सचिवालय के लिये प्रारूप विधान और इसके कार्यकरण को तैयार करने और संगठन समिति को तीन महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उप-समिति भी गठित की जानी चाहिये।

जहां तक वर्धा में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय द्वार इन प्रस्तावों के ब्यौरों की जांच करने के लिये एक उपसमिति गठित की गई है। उप समिति ने दिनांक 30 दिसम्बर 1983 को हुई अपनी एक बैठक में यह सुझाव दिया था कि प्रारूपण समिति को अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के लिये ब्लूप्रिंट का एक प्रारूप तैयार करना चाहिए।

जहां तक मारीशस में विश्व हिन्दी केन्द्र की स्थापना और मारीशस से अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशित करने का सम्बन्ध है इस मंत्रालय को अभी तक कहीं से भी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्मेलन के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजकों को स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक स्थायी समिति स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

दूध और दूध के उत्पादों में मिलावट

6569. **श्री हरिकेश बहादुर**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान जांच करने पर पता चला कि दूध के काफी प्रतिशत उत्पाद मिलावटी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अभियोग की तुलना में दोषसिद्धि की प्रतिशतता बहुत कम है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए औसतन कितना समय लिया गया था; और

(घ) क्या सरकार पी० एफ० ए०, सी० सी० एफ० एस० और खाद्य नियंत्रण तंत्र को अधिक सतर्क करेगी और केन्द्र इस संबंध में कारगर निगरानी रखेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान मिलावटी पाए गए दूध से बने पदार्थों की औसत प्रतिशतता इस प्रकार है—

वर्ष	दुध की बनी मिलावटी पाई गई वस्तुओं की प्रतिशतता
1980	13.52
1981	15.4
1982	15.10

वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान जांचे गए और मिलावटी पाए गए दूध से बने पदार्थों के नमूनों की राज्यवार कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान चलाए गए मुकदमों में से 28.4% मामलों में दोषसिद्ध हुआ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण के मामलों में दोषसिद्धि विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जैसे न्यायालयों में कार्यभार, प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं, आदि। इसलिए यह मालूम करना व्यावहारिक नहीं है कि प्रत्येक दोषसिद्धि में औसतन कितना समय लगा।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अलग से खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय स्थापित करें, प्रवर्तन तन्त्र को मजबूत बनाएं, निगरानी के लिए सलाहकार समितियां गठित करें; न्यायालयों में इन मामलों की पैरवी के लिए अलग से अभियोजक नियुक्त करें और प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाए तथा इस अधिनियम के उपबन्धों को ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में लागू करें।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दूध से बने पदार्थों के नमूने विश्लेषित किए गए/मिलावटी पाए गए		
	1980	1981	1982
1. आंध्र प्रदेश	208/27	283/70	341/91
2. असम	52/8	81/35	56/16
3. बिहार	*	26/11	40/19
4. गुजरात	710/63	391/59	586/12
5. जम्मू और कश्मीर	287/45	265/51	32/4
6. हरियाणा	58/4	81/24	299/73
7. हिमाचल प्रदेश	78/31	45/5	80/8
8. कर्नाटक	95/40	107/19	95/34
9. केरल	228/55	209/46	165/35
10. मध्य प्रदेश	376/103	446/135	508/131
11. महाराष्ट्र	509/51	641/113	700/85

12. मणिपुर	—	*	—
13. मेघालय	—	7/3	
14. नागालैण्ड	—	*	—
15. उड़ीसा	•	9/6	16/10
16. पंजाब	409/55	385/72	501/82
17. राजस्थान	72/33	79/28	60/19
18. सिक्किम	**	**	—
19. तमिलनाडु	191/52	241/66	223/98
20. त्रिपुरा	8/4	10/2	10/3
21. उत्तर प्रदेश	2446/187	2884/212	2385/193
22. पश्चिम बंगाल	141/40	123/35	109/38
23. अ० तथा नि० द्वीप समूह	—	—	—
24. अरूणाचल प्रदेश	**	**	**
25. चण्डीगढ़	29/3	5/-	7/1
26. दादरा और नागर हवेली	—	—	—
27. दिल्ली	163/16	319/29	119/8
28. गोवा, दमन व दीव	7/3	2/2	—
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	—	—	—
31. पाण्डिचेरी	3/1	*	*

"—" दर्शाता है कि आंकड़े "शून्य" हैं।

"•" दर्शाता है कि "आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए।

"**" दर्शाता है कि "अधिनियम लागू नहीं" है।

राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों के माध्यम से 40% माल भेजना सुनिश्चित करने के लिए पृथक संस्थागत व्यवस्था

6570. श्री पी० एम० सईद
श्री बी० वी० देसाई } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों के माध्यम से 40% माल भेजने संबंधी प्रारूप विधान के कार्यान्वयन के लिए पृथक संस्थागत प्रबन्ध का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े पत्तनों पर माल के आयात और निर्यात पर निगरानी रखने, और यह सुनिश्चित करने कि चालीस प्रतिशत माल का नौवहन कानूनी रूप से भारतीय पोतों द्वारा किया जाए, एक संगठन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो निगरानी संगठन के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) भारत ने 1978 में यू० एन० कन्वेंशन आन कोड आफ कंडक्ट फार लाइनर कंफ्रेंस की अभिपुष्टि की थी। इस संहिता में अन्य बातों के लिए साथ-साथ राष्ट्रीय जहाजी कम्पनियों द्वारा जो कन्फ्रेंस की सदस्य हैं, कम से कम 40% कार्गो ढोने का प्रावधान है। संहिता की अभि-

पुष्टि करने के बाद संहिता के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए एक विधान पास करना पड़ेगा जिसमें विभिन्न जहाजों द्वारा ढोए गए कार्गो की मात्रा और मूल्य पर निगरानी रखने के लिए एक संठगन की व्यवस्था शामिल है। इस का ब्यौरा तैयार होते ही निगरानी संगठन की स्थापना की जाएगी।

इस्लामाबाद में भारत-पाक वार्ता

6571. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री बी० वी देसाई } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और भारत ने, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने हेतु आगे बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद में पुन: बैठक की थी;

(ख) क्या यह बैठक विदेश सचिवों के स्तर पर थी;

(ग) क्या इस वार्ता में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की स्थाई समिति की बैठक के सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश सचिव की भारत यात्रा का लाभ उठाकर हमारे विदेश सचिव ने भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सम्बन्धों के विभिन्न पहलुओं की शान्त वातावरण में गहराई के साथ समीक्षा करने के लिए उन्हें उदयपुर आमंत्रित किया। 1 मार्च से 3 मार्च तक उदयपुर और नई दिल्ली में अपनी-बातचीत के दौरान उन्होंने उन अन्य उपायों पर विचार विमर्श किया जो दोनों देशों के बीच विश्वास का निर्माण करने, भड़काने वाली कार्रवाइयों को रोकने और परस्पर लाभकारी मैत्री और सहयोग को मजबूत करने के लिए उठाए जा सकते हैं। बातचीत का यह सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे विदेश सचिव 12 मई, 1984 को तीन दिन के लिए इस्लामाबाद जायेंगे। द्विपक्षीय सम्बन्धों के अन्य पहलुओं के अलावा, वे शान्ति, मैत्री और सहयोग-सन्धि और अनाक्रमण संधि के दो प्रारूपों पर विचार विमर्श करेंगे।

भारतीय संविधान में उल्लिखित सरकारी नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा देना

6572. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, संविधान में दिए गए राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों में इस प्रकार शिक्षा दी जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है जहां सरकारी-नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा नहीं दी जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सभी बच्चों को, जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों में निगमित संवैधानिक लक्ष्य विभिन्न कारणवश प्राप्त नहीं किए जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति-ढांचे के अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की वर्तमान लक्षित तारीख 1990 है। सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य के लिए परिकल्पित तथा उठाए गए विभिन्न उपायों का संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

[अतारांकित प्रश्न संख्या 6544 के साथ संलग्न विवरण देखिए।] केन्द्र तथा राज्य सरकारें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नैमित्तिक और ठेके पर कार्य करने वाले मजदूर

6573. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल विभाग में बारहमासी चलने वाली निर्माण-कार्यों पर लगे नैमित्तिक और ठेका-श्रमिकों की संख्या कितनी हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिये छोटे उद्यमियों को एस० डी० एफ० सी० से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां

6574. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य नौकाएं खरीदने के लिए एस० डी० एफ० सी० से ऋण के लिए आवेदन करने वाले छोटे उद्यमियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) एस० डी० एफ० सी० द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों में बार-बार परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस० डी० एफ० सी० द्वारा ब्याज की अदायगी के लिए भी गारन्टी मांगी जाती है जो कि समुद्री जहाज खरीदने वालों से नहीं मांगी जाती;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि एस० डी० एफ० सी० द्वारा मत्स्य नौकाएं खरीदने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर कायवाही तर्क संगत रही है; और

(ड़) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एस० डी० एफ० सी० द्वारा बार-बार ऐसी शर्तें रखी जाती है जिनको पूरा करने में मत्स्य उद्योग समर्थ नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) हां।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति ऋण देने के लिए शर्त निर्धारित करती है, वह सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जब तक ऋण प्राप्त करने वाले कम्पनियों द्वारा छूट की मांग नहीं की जाती और उसका अनुमोदन सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाता, तब तक नौवहन विकास निधि समिति सामान्यत: शर्त में कोई परिवर्तन नहीं करती।

(ग) फिशिंग कंपनियां निर्माण के दौरान ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी की मांग करती है क्योंकि ट्रालर की डिलिवरी से पहले शिपयार्ड को ऋण की 100% राशि का भुगतान किया जाता है जबकि जहाजों के मामलों में डिलिवरी से पहले ऐसी गारन्टी की मांग नहीं की जाती क्योंकि बहुधा शिपयार्ड को ऋण की 10 से 20 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया जाता है।

(घ) सरकार ने प्रस्तावों के निपटान और क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रलेखन और नौवहन विकास निधि समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

(ड़) नौवहन विकास निधि समिति सामान्यत: कोई शर्त नहीं लगाती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंतरद्वीप नौवहन परिवहन सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण और सुधार

6575. **श्री चित्त बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह में अन्तर द्वीप नौवहन परिवहन सुविधाओं के राष्ट्रीयकरण और सुधार के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अन्तर-द्वीपीय नौवहन परिवहन सुविधाओं के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अन्तर द्वीपीय नौवहन सेवाओं में सुधार का प्रश्न है, उसकी लगातार समीक्षा की जाती है और उसमें सुधार के उपाय किये जाते हैं। कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आदान-प्रदान के आधार पर कैदियों की स्वदेश वापसी

6576. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जेलों में कुल कितने पाकिस्तानी हैं और उन्हें कैद में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) पाकिस्तानी जेलों में कितने भारतीय हैं और उन्हें कैद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दोनों देशों के आदान-प्रदान के आधार पर कैदियों को स्वदेश वापसी का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि 31.12.83 को लगभग 200 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में और 400 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में नजरबंद थे।

ये नजरबंद व्यक्ति संबद्ध देश में विभिन्न अपराधों जैसे अवैध प्रवेश, निर्धारित अवधि के बाद भी उस देश में रुके रहना आदि कारणों से गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) हम पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को उनकी सजा की मियाद पूरी होते ही भारतीय जेलों से रिहा कर देते हैं। हमने पाकिस्तान से भी यही तरीका अपनाने के लिए कहा है।

बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर हुई घातक दुर्घटनाएं और मरने वालों को क्षतिपूर्ति

6577. **श्री बनवारी लाल बेरवा**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर डा० राम मनोहर लोहिया, अस्पताल, नई दिल्ली और गोल डाकखाना के बीच बहुत सी घातक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें से कितनी घातक थीं और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कितने व्यक्ति जख्मी हुए हैं, और

(ग) कितने मामलों में मुआवजा दिया गया है और यदि किसी भी मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी नहीं। सड़क दुर्घटना की दर असामान्य नहीं है। पिछले तीन वर्षों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल और गोल डाकखाना के बीच बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर हुई दुर्घटना का आंकड़ा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	साधारण दुर्घटना	घातक दुर्घटना	मृत व्यक्तियों की संख्या
1981	11	5	6
1982	5	1	1
1983	10	4	4

(ग) चूंकि सड़क दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा सड़कवार नहीं रखा जाता है, इसलिए यह सूचना मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण के पास सामान्यत: उपलब्ध नहीं होती है।

टेलीकम्यूनिकेशन इंसपेक्टरों के पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु परीक्षा

6578. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न रेलवे सिगनल एण्ड टेलीकाम डिपार्टमेंट ने टेलीकम्यूनिकेशन इंसपेक्टर, ग्रेड—I के पद पर पदोन्नति करने के लिए 11 सितम्बर, 1982 को एक परीक्षा ली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई पाठ्य क्रम निर्धारित किया गया था और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को चयन पूर्व प्रशिक्षण दिया गया था;

(ग) निचले ग्रेड में कम से कम दो वर्ष का सेवाकाल पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को किस आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी;

(घ) क्या इस संबंध में रेलवे सतर्कता निदेशालय को उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर की गयी जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी पाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पश्चिम रेलवे ने इसी प्रकार के मामले और परिस्थितियों में इसी पद के चयन हेतु विभागीय परीक्षा दुबारा ली थी; और

(च) यदि हां, तो उत्तर रेलवे द्वारा उपरोक्त संदर्भ में परीक्षाओं का आयोजन दुबारा करने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि इस संबंध में रेल मंत्रालय के आदेश उत्तर रेलवे में चयन की समाप्ति के बाद प्राप्त हुए, अत: उम्मीदवारों को चयन के लिए बुलाते समय मौजूद पात्रता शर्तों के आधार पर यह चयन किया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अगस्त, 1982 में पश्चिम रेलवे द्वारा दूर संचार निरीक्षक ग्रेड I के पद के लिए किया गया चयन रेलवे द्वारा रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इसे फिर से करने का निर्णय लिया था लेकिन उस मामले की परीस्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी कि उत्तर रेलवे में चयन के मामले में थी।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नरकटियागंज जंक्शन (पूर्व रेलवे) पर उपरिपुल

6579. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के नरकटियागंज जंक्शन से तीन रेल लाइन मुजफ्फरपुर, दरभंगा और ढोरी के लिए जाती है और जंक्शन से पूर्व की ओर एक सड़क उत्तर से दक्षिण, तीनों लाइनों को पार करती है, जिससे रेल यात्रियों के साथ-साथ अन्य यात्रियों को भी उपरोक्त गुमटी पार करने के लिए प्रति दिन घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या को हल करने के लिए इस क्रासिंग पर उपरिपुल बनाने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) नरकटियागंज जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे पर है और इसके पूर्वी छोर पर समपार संख्या 22 (स्पेशल) से 3 रेल पथ गुजरते हैं जो दरभंगा मुजफ्फरपुर बरास्ता संगोली और भिखना थोरी को जाते हैं। इस समपार पर बहुत देर तक यातायात रुके रहने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मौजूदा समपार के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाने अपेक्षित हैं जिसके साथ उन्हें अपने हिस्से की लागत वहन करने का वचन देना होता है। नरकटियागंज जंक्शन के नजदीक मौजूदा समपार के बदले उपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

केरल और कर्नाटक में प्रारम्भ किए जाने वाला समेकित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

6580. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित विकास संगठनों से कुछ ऋण लेकर केरल और कर्नाटक में समेकित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) कर्नाटक और केरल के चुनिंदा जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक क्षेत्रीय परियोजना शुरू की गई है। जिन जिलों को चुना गया है वे हैं कर्नाटक में बेलगांव, बिदर, बीजापुर, धारवार, गुलबर्ग और रायचूर तथा केरल में वियानाड, पालघाट, मालापुरम और इदुक्की। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 120.43 करोड़ रुपये (1235 लाख अमरिकी डालर) है।

केन्द्रीय विद्यालय, चक्रधरपुर, बिहार में अध्यापकों की नियुक्ति

6581. **श्री जार्ज फर्नांडीज**
श्री बाबूराव परांजपे } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :,

(क) केन्द्रीय विद्यालय चक्रधरपुर बिहार में, 1981-83 के दौरान कितने अध्यापकों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ख) उक्त नियुक्ति के लिए कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार थे;

(ग) रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था और यदि नहीं, तो, इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों को बुलाया गया था, यदि हां, तो रोजगार कार्यालय से बुलाये गये लोगों की संख्या एवं नाम क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो रोजगार कार्यालय से साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को न बुलाने के लिए कौन जिम्मेवार था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांविधिक और गैर-सांविधिक कैंटीनों में नैमित्तिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी

6582. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या रेलवे की सांविधिक और गैर-सांविधिक दोनों प्रकार की कैंटीनों में नैमित्तिक कर्मचारी कार्य करते हैं और उनके पास वहां 5 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर कार्य करने का रिकार्ड उपलब्ध हैं;

(ख) क्या रेल प्रशासन तथा कुछ मामलों में प्रबन्धक समिति इन कर्मचारियों को राज्यों के न्यूनतम मजदूरी अधिनियमों के अंतर्गत देय न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं; और

(ग) क्या 10/15 वर्षों से निरन्तर कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों को वेतन के रूप में अब भी 4 रुपये और 5 रुपये मिल रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उप-कुलपतियों को आई० ए० एस० संवर्ग से लिया जाना

6583. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं;

(ख) उप-कुलपतियों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने उप-कुलपति आई० ए० एस० संवर्ग से हैं;

(घ) इनमें से कितने उपकुलपति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित हैं; और

(ङ) उप-कुलपतियों के पदों पर आई० ए० एस० अधिकारियों की नियुक्ति के मापदण्ड क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) फरवरी 1984, में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 124 है उनमें से प्रत्येक में एक कुलपति है। इनमें से सात विश्वविद्यालय केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत और शेष राज्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय का कुलपति भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से सम्बंधित है और एक अन्य विश्वविद्यालय का कुलपति भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवा निवृत्त अधिकारी है। इस समय केन्दीय विश्वविद्यालयों में कोई भी कुलपति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित नहीं है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति विजिटर द्वारा कुल मिलाकर इस प्रयोजन के लिये गठित प्रवरण समितियों की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। अत: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चयन समिति द्वारा विचार के लिये प्रतिबाधित नहीं होते हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि अथवा उनकी जाति या किस समुदाय से वे संबंधित है, के बारे में कोई सूचना एकत्र नहीं करती तथा रखती है। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति या तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगे स्वयंसेवी संगठन

6584. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कुछ स्वयंसेरी संगठन परिवार नियोजन से संबंधी कार्यक्रमों में लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगे उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलायें गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे स्वैच्छिक संगठनों की एक सूची विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 8107/84**]

(ग) स्वैच्छिक संगठन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री प्रदान करने, प्रशिक्षण कार्यकलापों आदि की जानकारी और प्रेरणा देने के कार्यों में लगे हुये हैं।

कांसा—भिलड़ी रेलवे लाइन का निर्माण

6586. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को राजस्थान के साथ जोड़ने हेतु कांसा बिलड़ी रेल लाइन के लिए स्वतंत्रता के बाद से कितने वर्षों से मांग की जा रही है;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में 1973-74 में एक समिति का गठन किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) यद्यपि कोसा-रोड़-भिलड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, लेकिन इस लाइन के

लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया था। बहरहाल, 1972 में जिस सर्वेक्षण दल ने दिल्ली-अहमदाबाद आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण किया था उसने मीटर लाइन की अविच्छिनता बनाये रखने के लिए कोसा रोड के निकट बगदाद (काकोशी—पाटन खंडपर) और भिलड़ी (देवरा—गांधीधाम खण्ड पर) को जोड़ने के लिए लाइन के निर्माण की संभाव्यता की जांच की थी और उसने इसकी सिफारिश नहीं की थी। इस मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार की कोई समिति गठित की गयी है।

तंजानिया को डीजल रेल इंजनों की सप्लाई

6587. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी ने दो वर्ष पूर्व तंजानिया सरकार को 15 डीजल रेल इंजन सप्लाई किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन इंजनों का निर्माण कब किया गया और उनका सामान्य कार्यकाल कितना है और उनकी लागत और बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ इंजन तंजानिया में बेकार पड़े हैं, और यदि हां, तो उनके इतनी जल्दी खराब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई, तो कार्यवाही क्या की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। 1976 और 1977 में तंजानिया रेलवे निगम को 15 (पन्द्रह) डीजल रेल इंजन सप्लाई किए गए थे।

(ख) इन रेल इंजनों का निर्माण 1975, 1976 और 1977 में किया गया था। भारतीय रेल संहिताओं के अनुसार डीजल रेल इंजन का सामान्य जीवन-काल 36 वर्ष है और उसमें लगे इंजन का जीवन काल 18 वर्ष है। इन रेल इंजनों की न्यूनतम निर्माण लागत, जिसमें प्रोफार्मा लागत, वारंटी खर्च और मुनाफा शामिल नहीं है, 31.2 लाख रुपये थी और बिक्री मूल्य 40.92 लाख रुपये प्रति रेल इंजन थी।

(ग) जी, हां। परिचालनिक और अनुरक्षण की परिस्थितियों के कारण तथा फालतू पुर्जों के न मिलने के कारण कुछ रेल इंजन खराब पड़े हुए हैं।

(घ) भारतीय रेलवे के किसी कर्मचारी ने गलती नहीं की। इसलिए कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश प्रचार विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या

6588. **श्री दौलत सिंह जी जवेजा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रचार विभाग ने वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितने प्रकाशन प्रकाशित किये हैं;

(ख) विदेशों में स्थित कितने भारतीय मिशनों में इस समय प्रचार स्कंध कार्यरत हैं;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान और अधिक विदेशों में भी और अधिक प्रचार स्कंध खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो चुने गये स्थानों में ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) विदेश प्रचार प्रभाग तीन प्रकाशन नियमित रूप से निकालता है जिनमें से दो पाक्षिक हैं और एक मासिक। वह प्रभाग समय-समय पर पैम्फलेट और पुस्तिकाएं भी छापता है जिनमें महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं अथवा

सामान्य प्रचार सामग्री होती है। इस तरह के प्रासंगिक प्रकाशनों की संख्या 1981-82 में 50 और 1982-83 में 36 थी।

(ख) विदेश स्थित 47 भारतीय मिशनों में पूर्ण विकसित प्रचार सम्बन्ध हैं। उम्मीद की जाती है कि शेष मिशन भी प्रचार कार्य शुरू करेंगे।

(ग) और (घ) अगले तीन वर्षों में विदेशस्थ मिशनों में 25 नए प्रचार संबन्ध खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शुरू में ये प्रचार संबन्ध लेटिन अमरीका, पश्चिम एशिया के कतिपय देशों में खोलने का विचार है।

बाड़मेर नगर में केन्द्रीय विद्यालय

6589. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल, डाक और तार, टेलीफोन, रेलवे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय आसूचना, लोकस्ट आदि सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय राजस्थान के सीमावर्ती जिला मुख्यालय बाड़मेर शहर में स्थित हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाड़मेर शहर में उपर्युक्त कार्यालयों के होते हुए भी वहां पर कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार बाड़मेर शहर में कब तक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर तब विचार किया जाता है जब उन्हें निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसरण में एक उपयुक्त प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाता है। बाड़मेर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तरी बंगाल में रेल लाइन

6590. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल के दूर-दराज के क्षेत्रों को रेल सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) संसाधनों की वर्तमान तंगी के कारण पहले से ही अनुमोदित इकलाखी-बालूरघाट नयी बड़ी लाइन के अलावा, नयी परियोजनाओं को शुरू करना सम्भव नहीं है।

रेलवे सहकारी समितियों के वेतन तथा राज सहायता

6591. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा रेलवे सहकारी समितियों को वेतन तथा अन्य कार्यकारी खर्चों के लिए राज सहायता दी जा रही है :

(ख) यदि नहीं, तो क्या रेलवे स्टाफ कैन्टीनों को राज सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या सरकार का समितियों को भी उसी प्रतिशत से राज सहायता देने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। फिलहाल नहीं। बहरहाल, उचित दर की दुकानें चलाने वाली रेलवे उपभोक्ता सहकारी सोसायटी को पहले तीन वर्षों के लिए 30-6-80 तक प्रशासनिक और स्थापना प्रभारों की 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुमेय थी।

(ख) सभी मान्यता प्राप्त गैर सांविधिक कैंटीनों के सम्बन्ध में कर्मचारी लागत के लिए 70 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निजामुद्दीन-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेंद्रम तक चलाया जाना

6592. **श्री स्कारिया थामस**
श्री पी०जे० कुरियन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजामुद्दीन-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाये जाने के बारे में कोई अनुरोध मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को त्रिवेन्द्रम तक चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं, सवारी डिब्बों और रेल इंजनों और उपयुक्त रेल मार्ग जैसे संसाधनों की कमी के कारण, 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस को तिरुवनन्तपुरम तक और बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

विकलांगों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध

6593. **डा० प्रताप बाघु : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांगों के लिए उपयोगी वस्तुओं की एक सूची तैयार की है;

(ख) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विकलांगों के लिए उपयोगी वस्तुओं के निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) विकलांग व्यक्तियों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) विकलांगों हेतु उपयोगी वस्तुओं के निर्माताओं की कोई सूची सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों (रियायती मूल्यों) पर उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, मन्त्रालय सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने की एक योजना चलाता है जिसके अन्तर्गत 25 रुपए से 1500

रुपए तक के मूल्य के सहायक यंत्र/उपकरण विकलांग व्यक्तियों को (1) मासिक आय 750 रुपए प्रति माह से कम होने की अवस्था में नि:शुल्क और (2) मासिक आय 751 रुपए से 1500 रुपए होने की अवस्था में आधे मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

अक्षम और विकलांग व्यक्तियों को उचित मूल्यों पर तिपहिया साइकिलें, साइकिलें आदि उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करना

6594. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में पृथक-पृथक कितनी फर्में विकलांग, अपग और अक्षम व्यक्तियों के लिए तिपहिया साइकिलें, साईकिले, और अन्य-उपकरणों का निर्माण करने के कार्य में लगी हुई हैं;

(ख) विकलांग व्यक्तियों के काम आने वाली इन वस्तुओं को उचित अथवा रियायती मूल्य पर बेचने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी उत्पादों के उत्पादन और उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए कोई मानीटरिंग एजेंसी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार द्वारा ऐसी फर्मों की कोई सूची नहीं रखी जाती।

(ख) इन वस्तुओं के उचित या रियायती मूल्यों पर विक्रय के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय विकलांगों के लिए 25 रुपए से 1500 रुपये तक के मूल्य के सहायक उपकरण देने की योजना चलाता है जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को यंत्र/उपकरण (1) मासिक आय 750 रुपए से कम होने की अवस्था में नि:शुल्क और (2) मासिक आय 750 रुपए से 1500 रुपए तक होने की अवस्था में आधे मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाहर भेजे गये सांस्कृतिक दल

6595. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में सरकार द्वारा प्रायोजित कितने सांस्कृतिक दलों को विदेशों में भेजा गया तथा प्रत्येक वर्ष का व्यय कितना है;

(ख) राज्य वार चयनकर्त्ता दलों का ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा चयन की गई मंडलियों के नाम क्या हैं; और

(ग) केरल से कितनी मंडलियों द्वारा आवेदन किया गया था तथा कितनों का चयन किया गया था तथा विदेश भेजा गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

छठी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनियों का पोत अर्जन कार्यक्रम

6596. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनियों की छठी योजना के दौरान नये पोतों को अर्जन करने का क्या लक्ष्य है;

(ख) चालू योजना अवधि में अब तक सरकारी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनियों द्वारा कितने नये पोतों का अर्जन किया गया है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारतीय नौवहन निगम की छठी योजना में 31 मार्च, 1984 तक खरीद कार्यक्रम के चरण I में कुल 1.387 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० टनेज के 43 जहाजों की खरीद/आर्डर की व्यवस्था है। भारतीय नौवहन निगम के जहाज खरीद/आर्डर कार्यक्रम के चरण II में छठी योजना की शेष अवधि में एक फ्लोटिंग ड्राई डाक के अलावा .538 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के 22 जहाजों की खरीद/आर्डर की व्यवस्था है।

छठी योजना में मुगल लाइन लिमिटेड लगभग 278.46 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य पर 477500 डी० डब्ल्यू० टी० के 20 जहाज खरीदना चाहता है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने कुल .86 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के 25 जहाजों के लिए आर्डर दिया है और .195 मिलियन डी० डब्ल्यू० टी० के 3 जहाजों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। मुगल लाइन लिमिटेड ने कुल 46.800 जी० आर० टी० के 5 बल्क कैरियरों के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड को आर्डर दिया है इसने कुल 24940 जी० आर० टी० के दो पुराने बल्क कैरियर खरीदे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय नौवहन निगम ने 12 बल्क कैरियरों और सेनुलर कंटेनर जहाजों सहित और अधिक जहाजों की खरीद के लिए प्रस्ताव पेश किया है। भारतीय नौवहन निगम ने अपने चरण ii कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है इसने चार बल्क कैरियरों के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को आशय पत्र जारी किया है। मुगल लाइन लिमिटेड के खरीद कार्यक्रम को इसके भारतीय नौवहन निगम के साथ प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें

6597. **श्री के० आबुल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोई नई रेल लाइनों का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस समय उनकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या 30 रायलसीमा एक्सप्रेस की गति तेज कराने का कोई प्रस्ताव है जिससे 1830 बजे से पहले यात्री हैदराबाद पहुंचा सके; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित प्रस्तावों का सर्वेक्षण चल रहा है जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्रम० सं०	मार्ग	सर्वेक्षण की समग्रप्रगति (प्रतिशत)	
		इंजीनियरी सर्वेक्षण	यातायात सर्वेक्षण
1.	निजामाबाद-रामागुंडम बरास्ता जगतियाल (155 कि०मी०)	100	92
2.	नाडिकुडे-गुडूर/श्री कालहस्ती (350 कि० मी०)	45.5	—
3.	नांदियाल-येरगुंटला (125 कि० मी०)	100	85
4.	कृष्णा-विकाराबाद (130 कि० मी०)	80	—
5.	निदेबरेलु निजामपटनम् (25 कि० मी०)	34	—
6.	माचेर्ला-रायचूर बरास्ता गढ़वाल (260 कि०मी०)	60	—

सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने तथा उनकी जांच हो जाने के बाद लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित निर्णय लिया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति मिल जाए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विश्व विद्यालय द्वारा बी० ए० के छात्रों के परिणाम का पुनर्मूल्यांकन

6598. श्री पी० एम० सुब्बा : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में बी० ए० के छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आगामी परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व परिणामों को घोषित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो इस प्रकार के परिणामों को घोषित करने की संचालित तिथियां क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे छात्रों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर परीक्षा पास करने पर भी उनको आगामी परीक्षा देनी पड़ेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1983 की अवर स्नातक वार्षिक परीक्षाओं से सम्बन्धित कोई भी मामला पुनः मूल्यांकन के लिये अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है । तथापि, 1983 में आयोजित अवर स्नातक की पूरक परीक्षाओं से संबंधित पुनः मूल्यांकन के कुछ मामलों पर अभी कार्रवाई चल रही है, जिनके परिणाम फरवरी, 1984 में घोषित किए गये थे ।

(ख) और (ग) जो छात्र पुन: मूल्यांकन कराना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के एक महीने के अन्दर आवेदन करना होता है। विश्वविद्यालय पुन: मूल्यांकन के परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिये आवश्यक कदम उठा रहा है जिसमें किसी भी हालत में आवेदनपत्र प्राप्त होने पर कुछ समय लगेगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बेकार पड़े इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा डायलेसिस मशीनें

6599. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केंद्र में लाखों रुपए की लागत के इलैक्ट्रानिक उपकरण बेकार पड़े हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कुछ डायलेसिस मशीनें खराब पड़ी हैं जैसाकि 17 मार्च, 1984 की करैंट पत्रिका में "ऐस हास्पीटल आर डैथ ट्रैप" शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा नेत्र केंद्र में बेकार पड़े उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा उनको प्रयोग न करने तथा उनके खराब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एसप्रिन विटामिन एन्टी बायोटिक्स आदि जैसी सामान्य दवाइयां मरीजों को आम नहीं दी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केंद्र को वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केन्द्र में लाखों रुपये की लागत के इलैक्ट्रानिक उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डायलेसिस मशीनें खराब पड़ी हैं। इस संस्थान ने सूचित किया है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्र के केवल दो उपकरण नामत: अर्गन लेसर और मिगोग्राफ (800), जिन्हें क्रमश: 1979-80 और 1974 में आयात किया गया था, पिछले लगभग तीन महीनों से खराब पड़े हैं। इन उपकरणों को कार्य योग्य बनाने के लिए इनके पुर्जों को बदलने के बारे में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जनरल वार्डों में भर्ती किये गये सभी रोगियों को एसप्रिन, विटामिन और एन्टी-बायोटिक्स आदि जैसी दवाइयां सप्लाई की जाती हैं।

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केंद्र को भारत सरकार द्वारा प्लान और नान-प्लान के अन्तर्गत सहायता अनुदान के रूप में 1273.32 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

श्रीलंका के मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप

6600. **श्री कृपा सिंघ भोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्री लंका के मामलों में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो अपने देश के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार को श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच के संबंधों की जानकारी है। यह संबंध श्रीलंका में अमरीकी शांति दल के कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति के बारे में 20 नवम्बर, 1983 को संपन्न एक करार में तथा 9 दिसंबर, 1983 के करार में स्पष्ट हुए हैं जिसमें बॉयस ऑफ अमरीका को एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है। अमरीका के रक्षामन्त्री ने पिछले वर्ष बिना किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कोलम्बो की यात्रा की। इस वर्ष जून में राष्ट्रपति जयवर्धन के अमरीका जाने का कार्यक्रम है।

(ख) अमरीका-श्रीलंका संबंधों का स्वरूप मूलत: इन दोनों देशों का आपसी मामला है तथापि भारत सरकार यह उम्मीद करती है कि श्रीलंका सरकार जो भी काम करेंगी वह गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों और नियमों को ध्यान में रखते हुए करेगी जिसकी वह सदस्य है।

भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा बनाई गई सड़क विकास योजना

6601. श्री के० टी० कोसलराम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस ने 1981-2001 के दौरान सड़कों के विकास के लिए एक 20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा स्थापित राजपथ अनुसंधान बोर्ड की अब तक की उपलब्धि क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) :(क) जी, नहीं। योजना अभी भी तैयार की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) अक्टूबर 1973 में स्थापित भारतीय सड़क कांग्रेस ने एक राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड का गठन किया है जिसने प्रारम्भ में देश में प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने के लिए 57 स्कीमों का पता लगाया है। इनमें से कुछ पर काम पूरा कर दिया गया है और शेष पर काम पूरा होने वाला है। भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नयी स्कीमों की सूची बनाने का काम भी बोर्ड ने शुरू कर दिया है।

महानगरों में अपर्याप्त सी० जी० एच० एस० सुविधाएं

6602. श्री अमल दत्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न महानगरों में सी० जी० एच० एस० के कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ख) प्रत्येक महानगर में लाभार्थी के स्वास्थ्य का किस प्रकार ध्यान रखा जा रहा है तथा गत तीन वर्षों में श्रेणियों के कितने चिकित्सा कर्मचारी के अस्पतालों में कितने बिस्तर, क्या औषधालय सेवाएं, दवायें तथा अन्य चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई; और

(ग) वर्ष 1983-84 में सी० जी० एच० एस० के अधीन स्वास्थ्य देखभाल में क्या कमियां रहने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) महानगरों में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:—

1· दिल्ली	14,65,981
2· बम्बई	2,5,70,66
3. कलकत्ता	2,040,78 (मार्च, 1983 तक)
4. मद्रास	4.31, 530

(ख) और (ग) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इस समय 15 शहरों में लागू हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों, पोलीक्लीनिकों और इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राज्य सरकारों के अस्पतालों/स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अस्पतालों/गैर सरकारी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन शहरों में इस समय 1493 चिकित्सा अधिकारी और विभिन्न विशिष्टियों के 120 विशेषज्ञ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 11 पोलीक्लीनिक भी कार्य कर रहें हैं जो इन शहरों में जांच करने संबंधी और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 151 अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं जहां पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी भरती होकर इलाज की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

किताबों के ऊंचे मूल्य

6603. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किताबों के मूल्य वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पुस्तकों पर जाने वाला मूल्य उत्पादन की वास्तविक लागत पर आधारित नहीं होता; और

(ग) क्या उस प्रश्न पर विचार करने की शिक्षा मंत्रालय की कोई योजना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। कागज, मुद्रण सामग्री की लागत और श्रम प्रभारों में बढ़ोत्तरी के कारण पुस्तकों की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ख) जहां तक सरकारी विभागों का संबंध है, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री की कीमत निर्माण की वास्तविक लागत पर आधारित है। निजी प्रकाशकों के मामले में प्रकाशन का मूल्य, अनेक पहलुओं अर्थात निर्माण लागत, वितरण लागत सहित उसके ऊपरी व्यय, प्रचार, पुस्तक विक्रेताओं को अनुमत्य छूट आदि पर विचार करने के बाद तय किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

नेपाल में देवीघाट पन बिजली परियोजना के लिए भारतीय सहायता

6604. **श्री के० प्रधानी**
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नेपाल में तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन की एजेंसी के माध्यम से भारत ने नेपाल की देवीघाट पन बिजली परियोजना के लिए संयंत्र, उपकरण, तकनीकी जानकारी और श्रम शक्ति की सप्लाई के रूप में लगभग कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या उस देश में ऐसी ही कोई परियोजना इस समय चल रही है अथवा आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) देवीघाट परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अद्यतन संकेतों के अनुसार इस परियोजना पर अनुमानत: 48.77 करोड़ रुपये की लागत आएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 14.1 मैगावाट ।

31-12-1983 तक अन्धेपन के मामले और कार्यदल की रिपोर्ट

6605. **श्री चिंतामणि जैना**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दिन प्रतिदिन अन्धेपन के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 31 दिसम्बर, 1983 तक अन्धेपन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) इस रोग के निदान हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो इस रोग के निदान हेतु दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी; और

(ड़) उन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि देश में अन्धेपन की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है । इस बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा देश के विभिन्न भागों में 1973-75 के दौरान किए गये नमूना सर्वेक्षणों से देश में लगभग 90 लाख अन्धे व्यक्ति होने का अनुमान हुआ था ।

(ग) सरकार ने अन्धेपन को रोकने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य नेत्र परिचर्या की विस्तृत सेवाएं प्रदान करना है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार इस कार्यक्रम को देश भर में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में चला रही है ।

इसके अतिरिक्त, बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण हो जाने वाले अन्धेपन के निवारण हेतु बच्चों को विटामिन "ए" की बड़ी खुराक पिलाने की योजना भी चल रही है । यह योजना अधिकतर समस्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है ।

इसके अलावा स्तनपान, दूध छुड़ाने के समुचित आहारों, हरी पत्तियों वाली सब्जियों तथा विटामिन "ए" की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग को लोक प्रिय बनाने के लिए लोगों को जानकारी देने के प्रयासों को जब प्रचार के सभी साधनों तथा परस्पर मेलमिलाप के माध्यम से तेज किया जा रहा है।

दृष्टिहीनता को रोकने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना तथा समाज कल्याण की अन्य योजनाओं से भी मदद मिल रही है ।

(घ) और (ड़) इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1982 को दे दी थी। दृष्टिहीनता नियंत्रण संबंधी इस कार्यदल की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण 26 अगस्त, 1983 को लोकसभा के पटल पर रखा जा चुका है।

रेल गाड़ियों में शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया जाना

6606. **श्री दिगम्बर सिंह**
श्री के० प्रधानी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें चलती गाड़ियों में खुले आम शराब पीने और उससे अन्य यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या चलती गड़ियों में शराब पीने की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो गाड़ियों में शराब पीने पर रोक लगाने के लिए उसका क्या कदम उठाने का विचार है और क्या सभी, विशेषकर लम्बी दूरी वाले ट्रंक रूटों पर गाड़ियों में रेल डिब्बों की भीतरी दीवारों पर चेतावनी के पोस्टर लगाए अथवा चित्रित किए गए है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस प्रकार के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं।

(ख) और (ग) वातानुकूलित शयनयान, वातानुकूलित कुर्सीयान, पहले दर्जे के कुर्सीयान और दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में मद्यपान निषेध है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी सवारी डिब्बे में या रेलवे के किसी क्षेत्र में नशे की हालत में पाया जाता है तो भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 120 के तहत उसे दण्ड दिया जा सकता है। सवारी डिब्बे की भीतरी दीवालों पर निम्नलिखित सूचनायें भी लगायी गई हैं—

"कृपया साथी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मद्यपान न करें।" गाड़ी कंडक्टर, गार्ड, टिकट परीक्षक, सवारी डिब्बा परिचर, टिकट चैकिंग कर्मचारियों आदि को अनुदेश दिये गये है कि इन नियमों को कड़ाई के साथ लागू करें।

425-640 रुपये तक वेतनमान को गैर-शलैक्शन वेतनमान बनाना

6607. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 425-640 रुपये के वेतनमान की गैर सलैक्शन वेतनमान बनाने की कोई नीति रेल प्रशासन के विचाराधीन है क्योंकि यह वेतनमान रेलवे को वाणिज्यिक श्रेणियों में भी सलैक्शन ग्रेड नहीं है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : कुछ कोटियों में 425-640 रु० के वेतनमान वाले पद प्रवरण पद और अन्य कोटियों में गैर प्रवरण पद होते हैं। विभिन्न कोटियों में अलग-अलग वेतनमानों के पद प्रवरण या गैर-प्रवरण के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं, जो सेवाओं की आवश्यकताओं पर निर्भर होते हैं। जहां आवश्यक पाया जाता है, प्रवरण से गैर-प्रवरण तथा गैर-प्रवरण से प्रवरण पदों के वर्गीकरण में परिवर्तन भी किया जाता है जो सेवा की अनिवार्यता पर निर्भर करता है।

330-560 रुपये के ग्रेड से 425-640 रुपये के ग्रेड में बिनाबारी के पदोन्नति

6608. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्वोत्तर रेलवे में बेहतर धन अर्जन के आधार पर टिकट निरीक्षण कर्मचारियों को 330-560 रुपये के ग्रेड से 425-640 रु० के ग्रेड में बिनाबारी के पदोन्नति देने की नीति लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो पदोन्नति कितने प्रतिशत होगी और निकट भविष्य में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों का क्या होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

12 डाउन और 14 डाउन रेलगाड़ियों में जमनिया और चौसा के बीच खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं

6609. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय कालेज छात्र 12 डाउन और 14 डाउन रेलगाड़ियों में जमनिया और चौसा के बीच प्रतिदिन खतरे की जंजीर खींचते हैं और रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस कार्मिक मूक दर्शक बने रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के मामले में उचित कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेल प्रशासन को, जमनिया और चौसा खण्ड के बीच विद्यार्थियों, फेरी वालों और अन्य लोगों द्वारा 12 डाउन और 14 डाउन गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की कुछ घटनाओं का पता चला है । किन्तु, रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधियों का पता लगाने में उदासीनता दिखाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत रेल प्रशासन के ध्यान में नहीं लायी गयी है । अपराधियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए खतरे की जंजीर खींचने की बुराई के विरुद्ध टिकट जांच कर्मचारियों और रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सहायता से इस खण्ड पर आकस्मिक जांच की जा रही है ।

चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रेल पास

6610. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों को चतुर्थ श्रेणी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों को एक वर्ष को छोड़कर प्रति दूसरे वर्ष रेल पास दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह उनकी पत्नियों के अतिरिक्त उनके बच्चों के लिए भी पासों के दो सैट देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गठित किये गये चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर लिये गये निर्णयों पर यह निर्भर करेगा ।

समेकित स्वास्थ्य देख-भाल हेतु ब्रिटिश सहयोग से आरम्भ की गई परियोजनाएं

6611. **श्री अनन्त रामलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन समेकित स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं के लिए अपना सहयोग दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां पर ब्रिटिश सहयोग से समेकित स्वास्थ्य देखभाल परियोजनायें शुरू की गई हैं और इस योजना के अधीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवायें उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने जिलों को चुना गया है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में भी कुछ कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) उड़ीसा के पुरी, कटक, गंजम, फूलबनी और कालाहांडी जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यू० के० की आंशिक सहायता से एक क्षेत्रीय विकास परियोजना चलाई जा रही है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से इसी प्रकार की एक परियोजना आंध्र प्रदेश के तीन जिलों, नामत: अनन्तपुर, चित्तूर और कुड्डपा में शुरू की गई है।

यूनाइटिड कमेटी आफ रेलवेजमैन बोंगईगांव से ज्ञापन

6612. **श्री अजित बागा**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनाइटेड कमिटी आफ रेलवे मैन, उत्तर सीमांत रेलवे, बोंगई गांव (असम) से 29 दिसम्बर, 1983 का ज्ञापन संख्या यू० सी० आर०/एन० बी० ओ० एम०/131/83 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या-क्या बातें हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उक्त ज्ञापन में उठाये गये मुख्य मुद्दे बिजलीघर के कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर बनाने और समयोपरि के भुगतान, कर्मचारियों से गलत काम लेने श्रेणी-4 के बिजली कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन करने और कर्मचारियों आदि को तंग करने आदि के बारे में थे। ये सभी मुद्दे बोगाईगांव में कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में थे और ये स्थानीय प्रकृति के हैं।

रेलों पर, एक सुस्थापित और पूर्ण रूप से कारगर शिकायत निराकरण तंत्र कार्य कर रहा है। स्थाई वार्तातंत्र योजना के अधीन सभी वर्गों के रेल कर्मचारियों की समस्याओं/शिकायतों पर पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन द्वारा दो मान्यता-प्राप्त श्रमिक यूनियनों अर्थात एन० एफ० रेलवे मजदूर यूनियन और एन० एफ० रेलवे एम्पलाईज यूनियन, के साथ समय समय पर मण्डल और क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। इन बैठकों में जो निर्णय किये जाते हैं, उन पर कार्यवाई की जाती है। इसलिए, सभी कोटियों के कर्मचारियों की शिकायतें इस स्थाई वार्ता तंत्र के माध्यम से भेजना उपयुक्त रहता है। बहरहाल, उक्त ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों की जांच की गयी है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

शराब/नशीली गोलियों और इंजेक्शन की लत में पड़ी महिलायें/छात्राएं

6613. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हमारे देश की महिलाएं, छात्राओं में हीरोइन, शराब, नशीली गोलियों और इंजेक्शनों की लत बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हमारे देश की महिलाओं/छात्राओं में हीरोइन, शराब, नशीली गोलियां और इंजेक्शन की बढ़ती लत के बारे में सुझाव हेतु कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार लोगों को शिक्षित करने का निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि शराब की बुराइयों के बारे में जन संचार के माध्यमों द्वारा प्रचार किया जा सके और शैक्षिणक प्रचार के लिए अनुदान देकर, स्वयं सेवी, संगठनों को प्रोत्साहित किया जा सके। शराब/मादक औषधियों के प्रभावों के बारे में लोगों को विशेषकर छात्रों को शिक्षित करने के प्रयासों को पूरकता प्रदान करने के लिए समाज कल्याण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के मध्य निबन्ध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं प्रायोजित की हैं जिसके लिए समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायक अनुदान दिया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का साहित्य

6614. **श्री अमर सिंह राठवा**: क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत थोड़ा साहित्य प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं; और

(ग) नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद आदि द्वारा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास केवल किसी विशिष्ट समुदाय के लिए साहित्य प्रकाशित नहीं करता, बल्कि सभी समुदाय के पाठकों के लिए प्रकाशित करता है। तथापि, न्यास ने कुछ ऐसे प्रकाशन प्रकाशित किये हैं जो अनुसूचित जन जातियों की विशेष रूचि के हैं।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का बच्चों के लिए प्रकाशन कार्यक्रम जनजातीय बच्चों सहित सभी समुदायों के बच्चों के लिए है। राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने जन जातीय बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें और पूरक रीडरों की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रकार की ग्यारह पुस्तकें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं और चार पुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

धनबाद में रेल कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना

6615. **श्री ए० के० राय**: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर सभी संघों और एसोसिएशनों (मान्यता प्राप्त संघों के अलावा) ने सामान्य मांगों और पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के रेल कर्मचारियों की ज्वलन्त स्थानीय समस्याओं के बारे में डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक/पूर्व रेलवे धनबाद को विशाल प्रदर्शन के पश्चात दो ज्ञापन दिए; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें और समस्यायें क्या हैं और स्थानीय रेलवे अधिकारियों और मंत्रालय द्वारा उनकी उचित शिकायतों को दूर करने और मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विभागीय कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा रेल पटरियों की गहन जांच

6616. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक पूर्वी रेलवे के सियालदह दापड़ा, आसनसोल, धनबाद और दानापुर डिवीजनों में रेल पटरियों की विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई गहन जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपरोक्त डिवीजनों में ठेकेदारों द्वारा कराई गई रेल पटरियों की गहन जांच और ठेकेदारों द्वारा किए गए इन कार्यों पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1979 के उपबन्धों के विरुद्ध गैंगमैनों द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के लिए गैर-सरकारी ठेका प्रणाली आरम्भ करने के क्या कारण और औचित्य हैं; और

(घ) पूर्व-रेलवे में इस समय गहन जांच कार्यों में लगे मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा कितनी दैनिक मजदूरी दी जाती है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जनवरी 82 से दिसंबर 83 की अवधि के दौरान हावड़ा मंडल में 10 कि० मी० और आसनसोल मंडल में 2 कि० मी० रेलपथ की विभागीय तौर पर गहन जांच की गयी थी। धनबाद, दानापुर और सियालदह मंडलों में विभागीय तौर पर ऐसा कार्य कोई नहीं किया गया है :

(ख) इसी अवधि के दौरान ठेकेदारों की एजेंसी के माध्यम से हावड़ा मंडल में केवल 48 कि० मी० और धनबाद मंडल में 65 कि० मी० की गहन जांच की गयी जिन पर क्रमश: 10 लाख और 12 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) ठेकेदारों के माध्यम से गहन जांच करवाना ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है। इस तरीके से गहन जांच का कुछ कार्य करवाना आवश्यक है क्योंकि यह कार्य निरन्तर चलने वाला नहीं है और मौसमीय प्रकृति का है तथा कार्य-स्थल वर्षानुवर्ष बदलता रहता है।

(घ) सूचना इकट्टी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विकलांग लोगों की संख्या तथा उनको रोजगार प्रदान करना

6617. **श्री सी० के० मालन्ना :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना के आंकड़े के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन में से कितने व्यक्ति, स्व:रोजगार सहित नियमित रोजगार प्राप्त हैं और कितने व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार अथवा स्व:रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1981 की जनगणना के सम्बन्ध में किए गए गृह सूचीबद्ध आप्रेशन के समय विकलांग व्यक्तियों की संख्या की जानकारी एकत्रित की गई थी। इस जानकारी के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की संख्या है :—

(1) पूर्णतया दृष्टिहीन	—	4,78,657
(2) पूर्णतया अपंग	—	3,63,600
(3) पूर्णतया गूंगे	—	2,76,691

1981 की जनगणना में रोजगार में लगे हुए विकलांग व्यक्तियों और अन्यों पर आश्रित विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी एकत्रित नहीं की गई है।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्रों तथा निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि रोजगार कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	रोजगार प्राप्तकर्ताओं की सं०
1981	12,470
1982	9,381
1983 (जनवरी से जून तक)	3,155

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया उनकी संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	रोजगार प्राप्तकर्ता विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1981	3,914
1982	3,510
1983	3,916

हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग किया जाना

6618. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया गोदी कम्पलैक्स को एक पृथक पत्तन बनाने या इसे कलकत्ता पत्तन के एक भाग के रूप में ही जारी रखने के सम्भावित प्रभावों और निहित बातों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी हां। इन मुद्दों की जांच करने के लिए 1981 में विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने हल्दिया डाक कम्पलैक्स के प्रशासनिक और परिचालन कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है जिससे यह स्वतः पूर्त प्रशासनिक और परिचालन यूनिट के रूप में कार्य कर सके। अब इन उपायों पर कारंवाई शुरू कर दी गई है।

हावडा और बर्दवान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का सुधार

6619. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हावड़ा और बर्दवान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (ग्रांड ट्रंक रोड) की खराब हालत, विशेषकर हावड़ा के निकट, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस सबसे व्यस्त और सबसे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत सुधारने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या उनका यह सुनिश्चित करने का विचार है कि मानसून आरम्भ होने से पहले हावड़ा सीमा वाले तथा हावड़ा से होकर जाने वाले हिस्से की हालत में कुछ सुधार किया जाए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी हां। हावड़ा और बर्दवान के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 (जी० टी० रोड) के कुछ वीरान खण्डों की दशा खराब थी, खासकर 1983 में वर्षा के बाद। 30.42 लाख रुपए के मरम्मत अनुमानों और वीरान खण्डों में मौजूदा कमजोर दोहरी लेन वाले कैरेजवे को पुष्ट करने के लिए 43.42 लाख रुपए के मूल अनुमानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। धन राज्यवार आवंटित किए जाते हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। पश्चिम बंगाल के मामले में 1983-84 में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) निर्माण कार्य के लिए 600 लाख रुपए और राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 283.50 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

हावड़ा में मदर डेरी की स्थापना के लिए रेलवे की जमीन का आबंटित किया जाना

6620. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अध्यक्ष, नगरपालिका, हावड़ा से रेलवे की खाली पड़ी भूमि का एक टुकड़ा लोक हित में मदर डेरी की स्थापना के लिए नगरपालिका को आबंटित करने के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 1983 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि नकारात्मक निर्णय लिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मदर डेरी बूथ स्थापित करने के लिए रेलवे भूमि देने के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

प्लांट अटेंडेन्टों का वर्गीकरण

6621. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को रेलवेज लोको मेकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन, मुरादाबाद का 3 मार्च, 1984 का ज्ञापन मिला है जिसमें उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के विद्युत विभाग के प्लांट ऐटेन्डैन्ट्स का वर्गीकरण 'इसेंसियल इन्टरमिटेन्ट' के स्थान पर 'कन्टीन्यूअस' करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, क्या उस श्रेणी के कर्मचारियों को, उनके काम की प्रकृति-जिसमें लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है, को ध्यान में रखते हुए, 'कन्टीन्यूअस' बनाए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) उत्तर रेलवे मुरादाबाद के बिजली विभाग के प्लान्ट एटेन्डैन्ट्स के कार्य घंटे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नियोजन-काल विनियमों के अधीन उन्हें "अनिवार्य सविरामी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रति सप्ताह 60/72 घंटे और प्रारम्भिक/मानार्थ समय, यदि हो, कार्य करना होता है ।

आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर० डी० एस० ओ० के आउट हाउसों का आबंटन

6622. श्री अजित कुमार साहा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आर० डी० एस० ओ० लखनऊ के अधिकारियों के क्वाटरों से सम्बन्द्ध आउट हाउसों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आबंटित किए जाने के लिए आदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इन आउट हाउसों में रह रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी आर० डी० एस० ओ० के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउट हाउसों से जबरदस्ती बाहर निकालते रहे हैं;

(घ) क्या चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर आबन्टित करने अथवा उनका आउट हाउसों में रहने की अनुमति देने के लिए कार्यवाही की गयी है; और

(ड़) क्या आर० डी० एस० ओ० के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आउट हाउसों से जबरन बाहर निकालने के लिए रेलवे पुलिस बल के सिपाहियों द्वारा की गई मारपीट की शिकायतों के बारे में जांच की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं । किन्तु इस सम्बंध में अनुदेश मौजूद हैं कि ऐसे फालतू आउट हाउस, जिन्हें अपेक्षित सुविधाओं सहित स्वतन्त्र इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है और किया गया है, श्रेणी-4 के कर्मचारियों को आबंटित किये जा सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जो आउट हाउस आबंटित किये जाने योग्य हैं, उन्हें पात्र कर्मचारियों में आबंटित किया जा रहा है ।

(ड़) रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने से सम्बन्धित एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्तु इसकी जांच-पड़ताल करने पर इसे तथ्यों पर आधारित नहीं पाया गया ।

दिल्ली में एम्बुलेन्स का उपलब्ध न होना

6623. श्री एन० ई० होरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में सामान्य नागरिकों को ऐम्बुलेन्स सेवाऐं नहीं मिलती है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए प्राथमिक उपचार सुविधाओं से लैस केन्द्रीकृत ऐम्बुलेन्स सेवा स्थापित करने के बारे में कोई फैसला किया है; और

(ग) दिल्ली में इस समय सेवा योग्य और उपचार सुविधाओं से सज्जित वाहनों का ब्यौरा क्या है और ये वाहन, इस प्रकार के कुल वाहनों की तुलना में कितने प्रतिशत हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) (क) : से (ग) दिल्ली में एम्बुलेन्स सेवाओं के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष (टेलीफोन नं० 102) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यरत है जहां से अनुरोध पर एम्बुलेन्स सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछेक उपलब्ध एम्बुलेन्स गाडियों में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी सुलभ हैं। केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष के यहां उपलब्ध एम्बुलेन्स गाड़ियों के अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीमती सुचेता कृपालानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल तथा दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगर पालिका के आधीन आने वाले अस्पतालों में भी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस गाड़ियों को सही और सड़क पर चलने योग्य स्थिति में रखने हेतु भरसक प्रयास किए जाते हैं।

पाली भाषा के विद्वानों को सम्मानित करना

6624. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री संस्कृत, फारसी, अरबी और पाली भाषाओं के विद्वानों को सम्मानित करने के बारे में 17 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस योजना को शुरू करने के बाद से आज तक पाली भाषा के किसी विद्वान को भी सम्मानित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका नाम क्या है और उन्हें किस काम के लिए सम्मानित किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो देश के पांच राज्यों और संघ क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाली अध्ययन और शोध का एक विषय होने के बावजूद पाली के एक विद्वान को भी पुरस्कार के लिए न चुने जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) पाली के विद्वान स्व० पडित सत्कारी मुखर्जी को सम्मानाथ प्रमाणपत्र, प्रदान किया गया है। सम्मानार्थ प्रमाणपत्र, प्रदान करना किसी भाषा विशेष के प्रसार में विद्वान द्वारा दिए गए सम्पूर्ण योगदान और शास्त्रों अर्थात् जीव-मीमांसा आदि में उसकी गहरी जानकारी पर निर्भर करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की तरह यह पुरस्कार किसी विशेष कृति के लिए नहीं दिया जाता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण हेतु आबंटित की गयी धनराशि

6625. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उड़ीसा में कौन से मुख्यसंरक्षण कार्य किये गये, और हाल में इस समय शुरू किये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा के संस्मारकों के परिरक्षण के लिए आबंटित कुल धनराशि इस प्रकार है :—

1981-82	3,63,500/=रुपये
1982-83	3,63,000/=रुपये
1983-84	4,38,379/=रुपये

(ख) तथा (ग) पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, कटक, जोगमारा, बानपुर, गोपीनाथपुर आदि स्थानों पर स्थित संस्मारकों में संरचनात्मक मरम्मतें यथा, क्षतिग्रस्त पत्थरों के स्थान पर नये लगाने, अन्डरपिनिंग, दरारों की ग्राउटिंग से भराई, छतों को जलरोधी बनाने, सफाई के बाद उनका रासायनिक परिरक्षण और उद्यान कृषि सम्बंधी प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं।

दूरदराज के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुविधा सम्बंधी कार्यक्रम

6626. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार स्थापित किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : वार्षिक योजना पर राज्यों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर राज्यवार स्थापित किए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के प्रस्तावित अस्थायी लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	उप-केन्द्रों के लक्ष्य 1984-85	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लक्ष्य 1984-85
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	500	50
2.	असम	360	7
3.	बिहार	600	20
4.	गुजरात	1169	3
5.	हरियाणा	343	2
6.	हिमाचल प्रदेश	4	11
7.	जम्मू और कश्मीर	70	07
8.	कर्नाटक	600	—
9.	केरल	150	8
10.	मध्य प्रदेश	250	5
11.	महाराष्ट्र	650	834
12.	मणिपुर	61	2
13.	मेघालय	30	2
14.	नागालैंड	30	4
15.	उड़ीसा	340	7

1 2	3	4
16. पंजाब	167	—
17. राजस्थान	500	8
18. सिक्किम	10	1
19. तमिलनाडु	430	15
20. त्रिपुरा	50	8
21 उत्तर प्रदेश	—	—
22. पश्चिम बंगाल	1700	—
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	30	1
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—
25. चण्डीगढ़	2	—
26. दादर और नगर हवेली	8	—
27. दिल्ली	1	—
28. गोआ दमन और द्वीव	—	—
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	—	2
31. पांडिचेरी	—	1
योग :	8055	998

विदेश मन्त्रालय के किराये के भवनों में स्थित कार्यालय

6627. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय कब से दिल्ली में किराये के भवनों में हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और ये कार्यालय प्रत्येक भवन के लिए कितना मासिक किराया देते हैं ;

(ग) किराये पर लिए जाने के दिन से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन को किराये पर लेने के लिए कुल कितने किराये का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालय को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में स्थानान्तरित नहीं करना चाहती; और

(ड़) यदि नहीं, तो राजकोष पर व्यय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरित करने के लिए प्रभावी उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) दिल्ली में विदेश मंत्रालय का कोई भी कार्यालय किराये की इमारत में नहीं है।

(ख) से (ड़) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिणी केनरा में वाइरल मंकी फीवर

6628. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ डाक्टरों के एक दल को दक्षिणी केनरा में बेल्थागदी ताल्लुक को तुरन्त भेजा गया है जहां गत दो महीने में वाइरल मंकी फीवर से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता देने के साथ-साथ उक्त दल बुखार से निपटने के लिए एहतियात के उपाय करेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में स्थिति में मदद करने के लिए केन्द्र से भी कोई विशेषज्ञ बंगलौर भेजे गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तन्त्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, बंगलौर से डाक्टरों के एक विशेषज्ञ दल ने उपचार-अनुसूची की समीक्षा करने के लिए बैल्थागदी का दौरा किया।

(ख) हाँ। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) केन्द्र से बंगलौर में विशेषज्ञों को भेजने के बारे में कर्नाटक राज्य से कोई अनुरोध इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय वाइरस-विज्ञान संस्थान. पुणे से वाइरस-विज्ञानियों के एक दल ने इस बीमारी का पता लगाने के लिए दक्षिण कनारा के बेल्थागदी ताल्लुक का दौरा किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव

6629. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस योजना से कौन-कौन से राज्य लाभन्वित होंगे; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए चालू बजट में कितनी धन राशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ((श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलस वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए 1984-85 के बजट में 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययनरत विशेषज्ञों द्वारा सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए की गई सिफारिश के लिए द्रुत कार्यक्रम

6630. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रारम्भ किये गये सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन में लगे हुए विशेषज्ञ दल ने सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए एक द्रुत

कार्यक्रम की सिफारिश की है जिसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और पांच वर्षों तक चलेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का है जिसके परिणाम स्वरूप समय की बचत और दुर्घटनाओं में कमी सहित अन्य अतिरिक्त लाभों के अलावा 500 करोड़ रुपए तक के ईंधन अथवा सड़क परिवहन के क्षेत्र में वर्तमान ईंधन बिल में 20% की बचत होगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहरान अंसारी) : (क) से (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित रोड युशर कास्ट स्टडी का उल्लेख कर रहे हैं। इस अध्ययन ने यह प्रमाणित किया है कि ईंधन की खपत, टायर और स्पेयर पार्ट्स की लागत निश्चित होती है और गाड़ियों, दुर्घटना दरों और लागत और यात्रियों के यात्रा समय में कमी और भारत में सड़क की स्थिति से बड़े पैमाने पर वस्तुएं प्रभावित होती हैं। इस अध्ययन ने किसी प्रकार के क्रेश रोड सुधार कार्य की सिफारिश नहीं की है। तथापि राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम बनाते समय ईंधन से होने वाली बचत, यात्रा समय और दुर्घटना, लागत आदि को ध्यान में रखा जायेगा।

अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

6631. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा शिक्षा मंत्रालय को भेजे गये कितने प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मंत्रालय में समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। प्रस्तावों की जांच तथा उनका निपटान एक सतत् प्रक्रिया है तथा ऐसे प्रस्ताव जिनमें अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करना अपेक्षित है, पर विचार करने में कुछ समय लगेगा। तथापि, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह द्वारा भेजा गया कोई भी मुख्य मामला इस मंत्रालय में काफी समय से अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अस्पतालों में चिकित्सकों आदि की कमी

6632. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के अस्पतालों में चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की काफी लम्बे अर्से से कमी है तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन में उन पदों को भरने के लिए मंत्रालय की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजे;

(ख) यदि हां, तो उन पदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भरने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय द्वारा अण्डमान और निकोबार प्रशासन को उनके अनुमोदन करने पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों के पदों को चिकित्सकों का अन्य स्थानों से स्थानान्तरण करके नहीं भरा जाता है जिसके कारण अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों को विशेषज्ञ की सेवा से वंचित रहना पड़ता है; और

(घ) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न अस्पतालों/औषधालयों में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लम्बी अवधि से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) विशेषज्ञ ग्रेड-2 (वेतनमान 1100-1800 रुपये) के 9 स्वीकृत पदों में से चार पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से तीन पदों के भरने के लिए उम्मीदवार पहले ही चुने जा चुके हैं। जहां तक शेष एक पद का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (वेतनमान 1100-1600 रुपये) के वर्ग में स्वीकृत 25 पदों में से 18 पद भरे हुए हैं और शेष 7 पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है। जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल चिकित्सा अधिकारियों (वेतमान 700-1300 रुपये) के 36 पदों का सम्बन्ध है, इनमें से 14 पद नियमित आधार पर भरे गए हैं और 22 पद तदर्थ आधार पर भरे हुए हैं। इस वर्ग में 11 पद ऐसे हैं जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल नहीं हैं। ये पद भी तदर्थ आधार पर ही भरे हुए हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने चिकित्सा अधिकारी के पद को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से बाहर कर लेने तथा उनके लिए अलग भर्ती नियम बनाने का प्रस्ताव किया है जिससे इस वर्ग में नियमित आधार पर और अधिक डाक्टरों का उपलब्ध होना सुनिश्चित हो सके।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त धन

6633. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सामान्य औसत स्तर के नीचे है;

(ख) क्या इस स्थिति का मुख्य कारण भारी यातायात हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी स्थिति में बनाये रखने के लिये महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त धन के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्री में राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्यत: यातायात की स्थिति में है। तथापि बरसात के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ आदि के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनकी मरम्मत तत्काल कर दी जाती है और राजमार्ग शीघ्र ही यातायात के लायक बना दिये जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के भाग के रूप में सड़कों की लगातार मरम्मत की जाती रहती है जो धन के उपलब्ध होने पर निर्भर होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विखरोली में रेलवे टर्मिनल

6633. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या रेल मन्त्री घाट कोपर और कल्याण के बीच टर्मिनल सुविधाओं के बारे में 18 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4162 के भाग (घ) और (ड़) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में विखरोली में रेलवे टर्मिनल के सम्बन्ध में मामले को अंतिम रूप देने में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके लिए कितना वार्षिक व्यय उपलब्ध कराया गया है और 1981-82 के उपरांत वास्तव में कितना व्यय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विखरोली के निकट बम्बई क्षेत्र में चौथे पैसेंजर टर्मिनल की व्यवस्था करने के लिए एक सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की तकनीकी संवीक्षा की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा पूरी होने के बाद ही इसके निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। बहरहाल, विखरोली में, 5.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव 1983-84 के बजट में शामिल किया गया है जिसके लिए 5.0 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

विशेष एकक की निगरानी प्रणाली के अन्तर्गत अधिक गाड़ियों को शामिल किया जाना

6635. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मंत्री महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की समय की पाबन्दी पर निगरानी रखने के सम्बन्ध में अपने हाल के प्रकाशन 'न्यू विस्ताज' के पृष्ठ चार में दी गई सूचना के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में स्थापित विशेष एकक द्वारा जिन रेलगाड़ियों की समय की पाबन्दी पर निगरानी रखी जा रही है उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उपर्युक्त एकक की निगरानी प्रणाली के अन्तर्गत अधिक से अधिक रेलगाड़ियों को शामिल करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समय-पालन सेल द्वारा जिन गाड़ियों की निगरानी की जाती है, उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 10 फरवरी, 1984 तक इस सैल द्वारा 214 मेल (एक्सप्रेस) गाड़ियों की निगरानी की गयी थी। 10 फरवरी, 1984 के पश्चात् इसमें 6 और गाड़ियों को सम्मिलित किया गया है अब यह सैल 220 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन की निगरानी कर रहा है।

विवरण

क्र० सं०	गाड़ी नम्बर और नाम	
1	2	3
1.	33 अप/34 डाउन	जम्मू मेल
2.	157 अप/158 डाउन	काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
3.	177 डाउन/178 अप	झेलम एक्सप्रेस
4.	29 अप/30 डाउन	लखनऊ मेल
5.	119 अप/120 डाउन	गोमती एक्सप्रेस
6.	191 अप/192 डाउन	मगध एक्सप्रेस
7.	93 अप/94 डाउन	जोधपुर मेल
8.	47 अप/48 डाउन	फ्लाइंग मेल
9.	197 अप/198 डाउन	शाने पंजाब
10.	45 अप/46 डाउन	जनता एक्सप्रेस

1	2	3
11.	503 अप/504 डाउन	मरूधर एक्सप्रेस
12.	509 अप/510 डाउन	मंदौर एक्सप्रेस
13.	35 डाउन/36 अप	शिमला मेल
14.	185 अप/186 डाउन	भिवानी एक्सप्रस
15.	41 अप/42 डाउन	मसूरी एक्सप्रेस
16.	21 डाउन/22 अप	हैदराबाद एक्सप्रेस
17.	15 डाउन/16 अप	जी० टी० एक्सप्रेस
18.	125 डाउन/125 अप	केरल एक्सप्रेस
19.	121 डाउन/122 अप	तमिलनाडु एक्सप्रेस
20.	123 डाउन/124 अप	ए० पी० एक्सप्रेस
21.	127 डाउन/127 अप	कर्नाटक एक्सप्रेस
22.	151 डाउन/152 अप	राजधानी एक्सप्रेस
23.	181 डाउन/182 अप	सर्वोदय एक्सप्रेस
24.	25 डाउन/26 अप	पश्चिम एक्सप्रेस
25.	3 डाउन/31 अप	फ्रन्टियर मेल
25.	ए. 32 डाउन/4 अप	—वही—
26.	2/202 डाउन	अहमदाबाद-दिल्ली मेल
26.	ए. 201/1 अप	दिल्ली अहमदाबाद मेल
27.	32/232 डाउन	जयन्ती जनता एक्सप्रेस
27.	ए. 231 अप/31 अप	—वही—
28.	5 डाउन/37 अप	पंजाब मेल
28.	ए. 38 डाउन/6 अप	—वही—
29.	502 डाउन/501 अप	पिक सिटी एक्सप्रेस
30.	77 डाउन/78 अप	उत्कल एक्सप्रेस
31.	508 डाउन/507 अप	अहमदाबाद-जोधपुर मेल
32.	505 अप/506 डाउन	अहमदाबाद-दिल्ली मेल
33.	79 डाउन/80 अप	ताज एक्सप्रेस
34.	5 अप/6 डाउन	हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल
35.	101 अप/102 डाउन	राजधानी एक्सप्रेस
36.	103 अप/104 डाउन	ए० सी० एक्सप्रेस
37.	153 अप/154 डाउन	जयन्ती जनता एक्सप्रेस
38.	155 अप/156 डाउन	तिनसुकिया मेल
39.	85 अप/86 डाउन	आसाम मेल
40.	1 अप/2 डाउन	कालका मेल

(जारी...)

1	2	3
41.	81 अप/82 डाउन	ए० सी० नीलांचल एक्सप्रेस
42.	175 अप/176 डाउन	नीलांचल एक्सप्रेस
43.	171 डाउन/172 अप	बम्बई-जम्मूतवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
44.	1 डाउन/2 अप	गुजरात मेल
45.	7 डाउन/8 अप	जनता एक्सप्रेस
46.	11 डाउन/12 अप	गुजरात एक्सप्रेस
47.	37 अप/38 डाउन	विरुवल एक्सप्रेस
48.	27 डाउन/28 अप	बडोदरा एक्सप्रेस
49.	21 डाउन/22 अप	फ्लाइंग रानी
50.	35 अप/36 डाउन	कीर्ति एक्सप्रेस
51.	39 अप/40 डाउन	द्वारका मेल
52.	9 डाउन/10 अप	गुजरात क्वीन
53.	15 डाउन/16 अप	सौराष्ट्र एक्सप्रेस
54.	17 डाउन/18 अप	सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस
55.	21 अप/22 डाउन	जयपुर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस
56.	43 अप/44 डाउन	दार्जिलिंग मेल
57.	53 अप/54 डाउन	गौड़ एक्सप्रेस
58.	307 अप/308 डाउन	ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस
59.	305 अप/306 डाउन	आसनसोल-हावड़ा एक्सप्रेस
60.	309 अप/310 डाउन	कोल फील्ड एक्सप्रेस
61.	901/902	तिरूवनन्तपुरम-न्यू बोंगाईगांव एक्सप्रेस
62.	903/904	तिरूवनन्तपुरम अहमदाबाद एक्सप्रेस
63.	5 अप/6 डाउन	झारसगुदा-हावड़ा एक्सप्रेस
64.	15 अप/16 डाउन	हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस
65.	3 अप/4 डाउन	हावड़ा-मद्रास मेल
66.	1 डाउन/2 अप	बम्बई-हावड़ा मेल
67.	13 अप/14 डाउन	स्टील एक्सप्रेस
68.	59 डाउन/60 अप	गीतांजली एक्सप्रेस
69.	141 डाउन/142 अप	कोरोमंडल एक्सप्रेस
70.	9 अप/10 डाउन	श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस
71.	11 अप/12 डाउन	इस्पात एक्सप्रेस
72.	7 अप/8 डाउन	पुरी एक्सप्रेस
73.	9 अप/10 डाउन	बम्बई-मद्रास मेल
74.	19 डाउन/20 अप	मद्रास-तिरूवनन्तपुरम मेल
75	129 अप/130 डाउन	उदयन एक्सप्रेस

1	2	3
76.	39 डाउन/40 अप	वृन्दावन एक्सप्रेस
77.	105 डाउन/106 अप	काल्लम-मद्रास मेल
78.	135 डाउन/136 अप	बैंघई एक्सप्रेस
79.	117 डाउन/118 अप	पांड्यन एक्सप्रेस
80.	177 डाउन/178 अप	राक फोर्ट एक्सप्रेस
81.	204 डाउन/203 अप	महालक्ष्मी एक्सप्रेस
82.	5 डाउन/6 अप	नीलगिरी एक्सप्रेस
83.	57 डाउन/58 अप	सप्तगिरी एक्सप्रेस
84.	153 डाउन/154 अप	चोलन एक्सप्रेस
85.	302 डाउन/301 अप	मेनाड एक्सप्रेस
86.	213 अप/214 डाउन	बंगलुरू–मैसूर एक्सप्रेस
87.	221 अप/222 डाउन	कावेरी एक्सप्रेस
88.	205 अप/206 डाउन	टिपु एक्सप्रेस
89.	189 डाउन/190 अप	मदास-जोलारपेट्टै एक्सप्रेस
90.	185 डाउन/186 अप	अेकौनम–जोलार पेट्टै एक्सप्रेस
91.	69 डाउन/70 अप	येरकाड एक्सप्रेस
92.	47 डाउन/48 अप	तिरूवनन्तपुर-कन्नूर एक्सप्रेस
93.	103 डाउन/104 अप	मद्रास-टयूटी कोरीन जनता एक्सप्रेस
94.	75 डाउन/76 अप	कोवै एक्सप्रेस
95.	215 डाउन/216 अप	चामुन्डी एक्सप्रेस
96.	209 अप/210 डाउन	बेंगलुरू-मैसूर मेल
97.	211 अप/212 डाउन	नन्दी एक्सप्रेस
98.	303 डाउन/304 अप	महालक्ष्मी एक्सप्रेस
99.	101 डाउन/102 अप	मीनारा एक्सप्रेस
100.	25 डाउन/26 अप	कक्ट्या एक्सप्रेस
101.	29 डाउन/30 अप	रोयालसीमा एक्सप्रेस
102.	39 डाउन/40 अप	राजामुन्द्री वाल्टेरू एक्सप्रेस
103.	87 डाउन/88 अप	तिरूमला एक्सप्रेस
104.	205 डाउन/206 अप	गोमातक एक्सप्रेस
105.	237 अप/238 डाउन	मिरज-हुबली एक्सप्रेस
106.	297 डाउन/298 अप	मांडवी एक्सप्रेस
107.	5 डाउन/6 अप	कृष्णा एक्सप्रेस
108.	55 डाउन/56 अप	सिकन्दराबाद-बरसापुर एक्सप्रेस
109.	301 डाउन/302 अप	डक्कन क्वीन एक्सप्रेस
110.	201 डाउन/202 अप	पंचवटी एक्सप्रेस

फल पकाने की कृत्रिम विधि

6636. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री फल पकाने की कृत्रिम विधि 18 के बारे में अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4196 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फल पकाने की कृत्रिम विधि के दुष्प्रभावों के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 44-कक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा के बारे में दिल्ली की जनता को शिक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने ताजे फलों का व्यापार करने वाले संघों को यह समझाने के लिए बुलाया था कि वे फलों को पकाने की कृत्रिम विधि का प्रयोग न करें। फल पकाने की कृत्रिम विधि के दुष्प्रभावों से उन्हें अवगत कराने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन फल व्यापार संघों की एक बैठक दोबारा बुलाने का विचार कर रहा है।

केरल एक्सप्रेस में अधिक डिब्बे जोड़ा जाना

6637. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से त्रिवेंद्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस गाड़ी में इस समय कितने डिब्बे जाते हैं;

(ख) क्या इसमें और अधिक डिब्बे जोड़े जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ):(क) से (ग) 125/126 केरल एक्सप्रेस, 21 सवारी डिब्बों के साथ चल रही है। जिनमें से 16 नयी दिल्ली और तिरुवनन्तपुरम और अन्य 5 मंगलूर और तिरुवनन्तपुरम के बीच चलते हैं।

125/126 एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की गुंजाइश नहीं है।

केरल में और अधिक रेल लाइनों का निर्माण

6638. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सरकार से अनुरोध किया है कि केरल में और अधिक रेल लाइनों का निर्माण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो वे रेल लाइनें कौनसी हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां,।

(ख) निम्नलिखित नयी लाइनों के निर्माण के लिए कहा गया है :—

1. एल्लेफी-कायमकुलम
2. कोचीन-मदुरै
3. कोट्टयम-बोदिनायक्कनूर
4. चगानूर-तिरूवन्नतपुरम
5. कट्टीपुरम-गुरूवयूर-त्रिचुर
6. तेलीचेरी-मैसूर

(ग) (1) एल्लपी-कायमकुलम नयी रेल लाइन पहले ही एक अनुमोदित परियोजना है।

(2 और 3) मदुरै-बोदिनायक्कनूर- कोचीन के बड़ी लाइन का आमान परिवर्तन निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण का काफी काम पूरा हो गया है। कोचीन से कोट्टयम पहले ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं।

(4) चेंगानूर-कायमकुलम से तिरुअनंतपुरम के बीच बड़ी लाइन को दोहरा करने से संबंधित इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1984-85 के बजट में शामिल कर लिया गया है, पंडालम, अदूर, कोट्टारकरा, अदूर, किलिमनूर, बाबांयम और नेडुमंगडू के रास्ते में चेंगानूर और तिरुअन्नतपुरम के बीच लाइन का निर्माण करने के अनुरोध को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(5) कट्टीपुरम-गुरुवयूर-त्रिचुर नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम हाल ही में पूरा किया गया है। तथापि, धन की तंगी के कारण इस लाईन का काम शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(6) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण, इस समय इस लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिवेन्द्रम में "साइंस एंड टैक्नोलाजी म्यूजियम"

6639. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेंद्रम में "साइंस एण्ड टेक्नोलाजी म्यूजियम" के लिये केंद्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार से मार्च, 1983 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त सरकार को सूचित किया गया था कि इस प्रकार के संग्रहालय की स्थापना के लिए किसी राज्य उद्यम को सहायता प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

केरल में पोलिटेक्निक के लिये केंद्रीय सहायता में वृद्धि

6640. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलीटेक्निक के लिये केंद्रीय सहायत में वृद्धि के लिये केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो किये गये अनुरोध का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) इंजीनियरी कालेजों और पोलिटेक्निकों की सामान्य विकास योजनाओं के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था संबधित राज्यों की योजनाओं में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत की जाती हैं। केरल सरकार ने वर्ष 1984-85 की अपनी वार्षिक योजना के मसौदे में तकनीकी शिक्षा के लिए 284

लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, योजना आयोग ने 1983-84 के 215 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय /पूर्वानुमानित व्यय की तुलना में 234 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया था।

तथापि, केंद्रीय कोटि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत केंद्रीय सहायता उन निर्धारित क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों की चुनी हुई संस्थाओं को दी जाती है, जो संबंधित योजनाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों और मार्गदर्शी रूपरेखाओं को पूरा करते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान केरल राज्य में इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों को 12 योजनाओं के लिए केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 75.40 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी गई है।

केरल सहित देश के विभिन्न राज्यों की संस्थाओं के वर्ष 1984-85 के प्रस्तावों पर, वर्ष के दौरान उनके प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

डीजल लोको मोटिव वर्कस, वाराणसी के श्रेणी-III के कर्मचारियों की पदोन्नति की पद्धति

6641. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी के श्रेणी-III के कर्मचारियों की श्रेणी-ii में पदोन्नति अन्य जोनल रेलों की तरह की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पदोन्नति की पद्धति क्या है और क्या पदोन्नतियां 25 प्रतिशत कोटे के लिए चयन के आधार पर की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी के यांत्रिकी विभाग में 20 जुलाई, 30 जुलाई और 30 नवम्बर, 1983 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों हेतु चयन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो पदोन्नति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) जी, हां।

(ख) रेलों पर सिविल इंजीनियरी, बिजली इंजीनियरी, यांत्रिक इंजिनियरी, सिगनल दूर संचार, लेखा, भंडार और यातायात (परिवहन) और वाणिज्यिक विभागों के वर्ग "ख" (श्रेणी-ii सेवा) में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां चयन और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जाती हैं। किसी एक चयन अवधि के लिए आंकलित कुल रिक्तियों में से 75 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता के अनुसार तथा विचारणीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों में से भरी जाती हैं और 25 प्रतिशत रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जाती हैं। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरी जाती हैं सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों चाहे उसकी वरिष्ठता कुछ भी हो।

(ग) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पद के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 1983 में ली गई थी तथा मौखिक परीक्षा नवम्बर 1983 में हुई थी। इस रिक्त पद को आरक्षित रिक्त पद के रूप में मान लिया गया था। हालांकि वह आरक्षित पद नहीं था।

(घ) पात्र कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने यह अभ्यावेदन दिया है कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन से सम्बन्धित सूचना उसे प्राप्त नहीं, हुई थी इसलिए उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय। चूंकि भरे जाने वाला रिक्त पद अनारक्षित पद है इसलिए

उन सभी पात्र कर्मचारियों, जो परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं तथा अभ्यावेदन करने वाले कर्मचारी को परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जा रहा है परीक्षा के परिणाम को अन्तिम रूप दे दिए जाने पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

भारत-पाक उप-आयोग

6642. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 फरवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित यह रिपोर्ट सही है कि भारत-पाक उप-आयोग की बैठक में दोनों देशों के बीच सूचना के अदान प्रदान, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने, कैद की अवधि पूरी कर लेने वाले नागरिकों की वापिसी का तरीका सरल बनाने तथा दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय संग्राहलयों, राष्ट्रीय पुस्तकालयों और राष्ट्रीय अभिलेखाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) भारत-पाकिस्तान के संयुक्त आयोग के सूचना, शिक्षा, समाज विज्ञान, संस्कृति व खेल कूद से सम्बद्ध उप-आयोग 3 तथा यात्रा पर्यटन और कांसुली मामलों से सम्बद्ध उप-आयोग 4 की दूसरी बैठक 19 से 21 जनवरी, 1984 तक नई दिल्ली में हुई।

दोनों देशों में इस बात पर सहमति हुई कि एक-दूसरे देश से होकर गुजरने वाले एक-दूसरे देश के यात्रियों दुहरे प्रवेश वीजा देने से सम्बद्ध द्विपक्षीय वीजा करार में वे संशोधन करेंगे। सामूहिक पर्यटन को प्रवर्धित करने से संबद्ध एक प्रोतोकोल के पाठ को भी अन्तिम रूप दिया गया और उम्मीद है कि उस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाएंगे।

सूचना, शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद, मंचीय कलाओं के क्षेत्रों में आदान-प्रदान करने, एक दूसरे के राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय अभिलेखागारों और राष्ट्रीय संग्रहालयों के बीच सहयोग तथा सांस्कृतिक संपत्ति के परिरक्षण और प्राचीन मूर्तियों आदि के अवैध निर्यात को रोकने के बारे में विभिन्न अन्य प्रस्तावों पर भी बातचीत हुई। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के यात्रियों के लिए यात्रा किये जाने वाले धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाए। दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति हुई कि एक दूसरे के देश की हिरासत में जिन असैनिक कैदियों ने अपनी सजा की मियाद पूरी कर ली है, उनकी वापसी को सुचारू रूप देने के लिए वे अपने-अपने यहां नजरबन्द असैनिक नागरिकों की सूचियां समय -समय पर देंगे।

अन्य देशों के साथ हुए करारों/सन्धियों का अनुवाद

6643. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में ऐसा कोई प्रभाग है जो अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर की जाने वाली संधियों और करारों का प्रारूप तैयार करता है और उनका हिन्दी में अनुवाद भी करता है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 और 1982-83 के दौरान कितने देशों के साथ संधिया और करार हुये और क्या उनका हिन्दी रूपान्तर तैयार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। लेकिन हिन्दी रूपान्तर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा ही तैयार किया जाता है।

(ख) 1980-81 वर्ष के दौरान 17 देशों और 1982-83 वर्ष के दौरान भी 17 देशों के साथ करार/संधियां सम्पन्न की गईं। इस मन्त्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1980-81 वर्ष के दौरान 21 करारों/संधियों तथा 1982-83 वर्ष के दौरान 18 करारों/संधियों का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया गया।

(ग) सार्वजनिक महत्व के मामलों से सम्बद्ध संधियों और करारों को, संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखा जाता है। अन्य संधियों/करारों, जिनमें टिप्पणियों/पत्रों के आदान-प्रदान के रूप में संधियां/करार भी शामिल हैं, को संबंधित मन्त्रालयों द्वारा संसद की जानकारी के लिए संप्रेषित किया जाता है और उनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

अरक्कोनम जंक्शन (दक्षिण पूर्वी रेलवे) पर बुकिंग सुपरवाइजर द्वारा कथित गबन

6644. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के अरक्कोनम जंक्शन पर बुकिंग सुपरवाइजर ने मार्च, 1982 और जुलाई 1983 के बीच 5.82 लाख रुपए की भारी राशि का गबन किया और क्या यह मामला जांच के लिये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के मामलों में दोषी को पकड़ने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और रेलवे सतर्कता विभाग का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां,। मार्च 1983 से जुलाई 1983 के बीच अरकोणम जंक्शन के बुकिंग पर्यवेक्षक द्वारा 5.83 लाख रुपये का गबन किये जाने की रिपोर्ट है। इसका पता रेलवे कर्मचारियों द्वारा लगाया गया। स्टेशन अधीक्षक, अरकोणम द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराये जाने पर सरकारी रेलवे पुलिस, अरकोणम द्वारा मामले की आगे छानबीन की जा रही है। रेलवे पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल हो ही रही है, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह उचित नहीं समझा कि समानान्तर जांच की जाये और ऐसा समझना प्रचलित कार्यविधि के अनुकूल है। सरकारी रेलवे पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच तौर तरीकों में और दृष्किोण में कोई अन्तर नहीं है।

बरेली और अलीगढ़ स्टेशनों के बीच रेल गाड़ियों के डीजल इंजिन और डिब्बे जोड़ना

6645. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बरेली और अलीगढ़ स्टेशनों के बीच वर्ष 1983-84 के दौरात कितनी मालगाड़ियां चलीं और इन रेलगाड़ियों की प्रति घंटा कितनी गति है;

(ख) बरेली और अलीगढ़ रेलवे में स्टेशनों के बीच कितनी रेलगाड़ियों में डीजल इंजन लगाये गये और प्रत्येक में कितने डिब्बे जोड़े गये; और

(ग) डीजल इंजिन से चलने वाली रेलगाड़ियों की गति सीमा कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान बरेली-चन्दौसी जं० और चन्दौसी जं०—अलीगढ़ के बीच चलने वाली माल गाड़ियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

बरेली—चन्दौसी जं०

	चलने वाली माल गाड़ियों की संख्या		अलग-अलग गति	
	अप दिशा में	डाउन दिशा में	अप दिशा में	डाउन दिशा में
सभी डीजल कर्षित माल गाड़ियां	1076	2793	24.0से 28.0	24.0से 30.9

चन्दौसी जं—अलीगढ़ जं०

भाप कर्षितमाल गाड़ियां	337	383	16. 9 से 18.3	15.5 से 18.5
डीजल कर्षित माल गाड़ियां	400	348	21. 8 से 23.2	21.0 से 24.0

(ख) डीजल इंजन चालित माल गाड़ियों की संख्या ऊपर भाग (क) में दी गई है। डीजल रेल इंजन से कोई गाड़ी नहीं चलाई जाती। डीजल इंजनों से भिन्न अन्य इंजनों से कर्षित की जाने वाली गाड़ियों में 7 से 10 तक सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं।

(ग) इस खंड पर डीजल रेल इंजनों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 50 कि० मी० प्रति घंटा है।

901/902 और 903/904 एक्सप्रेस गाड़ियों में मंगलौर के लिए स्लीपर कोच

6646. श्री पी० के० कोडियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्ताह में एक बार चलने वाली तथा हाल ही में शुरू की गई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों 901/902 त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल—न्यू बोगाई गांव और 903/904 अहमदाबाद—त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल से मंगलौर के लिए प्रत्येक रेलगाड़ी में दूसरे दर्जे का एक स्लीपर कोच न लगाने के क्या कारण हैं; और

(ख) यदि इसमें नई बोगियां नहीं जोड़ी जा सकतीं तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रेलगाड़ियों में पहले ही चल रहे स्लीपरों में एक मंगलौर के लिए नियत किया जाए और उसे मंगलौर तक की रेलगाड़ियों में जोड़ कर काम चलाया जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 903/904 एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ियों में अहमदाबाद और मंगलूर के बीच 2 सवारी डिब्बे लगाने का प्रस्ताव है।

उपयुक्त मेल लेने वाली गाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण, 901/902 एक्सप्रेस में मंगलूर और न्यू बोंगाईगांव के बीच सवारी डिब्बे लगाना व्यवहारिक नहीं है।

10+2+3 शिक्षाप्रणाली के अन्तर्गत +2 की व्यवस्था के व्यवसायकरण की योजना की पुनरीक्षा

6647. **श्री पी० के० कोडियन**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत +2 की अवस्था के व्यवसायीकरण की योजना के बारे में एक कार्यकारी दल द्वारा कोई पुनरीक्षा अथवा अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) यद्यपि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यवसायीकरण की योजना को विशिष्ट रूप से समीक्षा अथवा अध्ययन करने के लिए कोई कार्यदल गठित नहीं किया गया है फिर भी रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद ने व्यवसायीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए कई सेमिनार आयोजित किए हैं।

इन विचार विमर्शों के आधार पर रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सामग्री के विकास के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं प्रकाशित की गई हैं। रा० शै० अ० प्र० प० ने राज्यों को व्ययसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन के संबंध में पुर्निवेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता देना जारी रखा है।

रा० शै० अ०प्र०प० जिला व्यवसायिक सर्वेक्षण, अनुस्थापन कार्य/शालाएं तथा कुछ राज्यों संघ शासित प्रदेशों में इस समय कार्यान्वित किये जा रहे व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन भी आयोजित करती है।

जगन्नाथ एक्सप्रेस की साखी गोपाल में हावड़ा-मद्रास मेल की बालूगा में रुकने की व्यवस्था करना

6648. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी और हावड़ा के बीच चलने वाली जगन्नाथ एक्सप्रेस की साखी गोपाल में और हावड़ा-मद्रास मेल को बालूगा में रुकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को जनसुविधाओं के लिए गाड़ी रुकने के स्थान की इस व्यवस्था के बारे में जनता की लोकप्रिय मांग की जानकारी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन रेलगाड़ियों के स्टाप कम वाणिज्यिक व्यावहार्यता वाले स्थानों पर हैं; और

(घ) रेलगाड़ियों के रुकने के स्थानों की व्यवस्था करने हेतु क्या मानदण्ड हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जहां तक साखी गोपाल पर जगन्नाथ एक्सप्रेस के ठहराव का प्रश्न है कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन बालुगांव पर इसके ठहराव का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) ठहराव की व्यवस्था करते समय टिकटों की बिक्री के अलावा अन्य कारकों जैसे उपयोगकर्त्ताओं की सुविधायें, वैकल्पिक सेवाओं की अनुपलब्धता उपयुक्त समय और परिचालनिक कारणों आदि पर भी विचार किया जाता है ।

बम्बई (पश्चिम रेलवे) में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर ठेके पर दिए गए स्टाल

6649. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर कई स्टाल ठेके पर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में बोरी-बली-अन्धेरी बांद्रा-विलेपारले-कुर्ला और दादर स्टेशनों पर दिये गये स्टालों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या इन स्टालों के संबंध में कोई निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1983-84 में फरवरी तक अन्धेरी, बांद्रा और दादर प्रत्येक पर दो दो स्टाल और बोराबली, विले पार्ले तथा कुर्ला प्रत्येक पर एक एक स्टाल विभिन्न पार्टियों को आबंटित किये गये हैं ।

(ग) और (घ) संसद सदस्यों, विधायकों आदि द्वारा इस मंत्रालय के ध्यान में लाये गये प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर रेल मन्त्रालय द्वारा स्टालों का आबंटन किया गया था जबकि अंधेरी में केवल एक मामले में आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के बाद स्टाल आबंटित किया गया ।

आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में मादक द्रव्यों का उत्पादन

6650. **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ कम्पनियां आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर अत्यन्त मादक द्रव्यों का उत्पादन कर रही हैं जिन्हें लोग शराब के विकल्प के रूप में प्रयुक्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के मादक द्रव्यों के अधिक उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इनके सेवन से लोग क्षय रोग जैसी बीमारियों के शिकार न बनें; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जहां, इस प्रकार के उत्पादनों का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है, नमूने के तौर पर कोई अध्ययन दल भेज ने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिन किदवई) : (क) और (ख) कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में मद्य पाया जाता है । मुख्य रूप से इन औषधियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(1) इस वर्ग के अन्तर्गत स्वत: निर्मित मद्य युक्त औषधियां (सभी आसव और आरिष्ट आदि) आती हैं । सामान्यतया इस वर्ग की औषधियों में 6 से 10 प्रतिशत मद्य पाया जाता है ।

(2) वे औषधियां जिनमें अलग से मद्य मिलाया जाता है; जैसे मृत संजीवनी सुरा, जिस में आसवित मद्य मिलाया जाता है; में मद्य की मात्रा 20 प्रतिशत या इससे अधिक भी हो सकती है । अहिफेनासव आदि कुछ अन्य औषधियां भी हैं जो मद्य के आधार पर तैयार की जाती हैं ।

(3) प्रवाही क्वाथ जैसी औषधियों में परिरक्षक के रूप में 2 से 4 प्रतिशत तक मद्य मिलाया जाता है ।

उपयुक्त वर्ग (1) और (3) की औषधियों का दुरुपयोग सम्भव नहीं है, लेकिन उपर्युक्त वर्ग (2) की औषधियों, विशेष कर मृतसंजीविनी सुरा का मद्य के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है । तथापि, ऐसी अयुर्वेदिक औषधियों से क्षयरोग होने के मामले सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं ।

सरकार को स्प्रिट से तैयार की गयी औषधियों के, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, दुरुपयोग के बारे में पहले कुछ शिकायतें मिली थीं । मद्य युक्त औषधियों और टिंचर के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने फरवरी, 1978 में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को हिदायतें जारी की थीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खोई सम्पति हेतु क्षतिपूर्ति के दावे

6651. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे के विभिन्न जोनों में खोयी सम्पत्ति से सम्बद्ध कितने दावे विचराधीन हैं और उनमें क्षतिपूर्ति की कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) 1983-84 के दौरान कितने दावे निपटाये गये; और

(ग) इन दावों को शीघ्र निपटाने के लिये किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) रेलों द्वारा अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के दौरान दावों के 467,865 मामले निपटाए गए हैं । 1983-84 के पूरे वित्त वर्ष के लिए अभी आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) रेलों का बराबर यही प्रयास रहता है कि क्षतिपूर्ति के दावों के मामलों को उचित समय के अन्दर निपटा दिया जाए । दावे के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. चुनिंदा महत्वपूर्ण स्टेशनों के अधिकारियों, निरीक्षकों और स्टेशन मास्टरों की धन-संबंधी शक्तियां बढ़ाना ।

2. उन दावों की धन संबंधी सीमा बढ़ाना जिनमें वित्तीय सहमति की जरूरत हो ।

3. कुछ स्टेशनों पर मौके पर दावों को प्राप्त करने तथा उनके निपटाने के लिए चल दावा कार्यालयों की स्थापना ।

4. दावा कार्यालयों को गुम हुए माल की रिपोर्ट अग्रिम रूप से भेजना ।

5. क्षतिपूर्ति के दावों के निपटारे के लिए तंत्र की सुप्रवाही बनाना और पुनर्संगठित करना।

जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में खराब पड़े भाप इंजन

6652. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में फालतू पुर्जों की कमी के कारण बड़ी संख्या में भाप इंजन खराब पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने इंजन हैं और उनके कब तक ठीक कर दिये जाने की सम्भावना है और यदि उनके शीघ्र ठीक किये जाने की सम्भावना नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। जोधपुर मंडल में निष्क्रिय भाप रेल इंजनों का प्रतिशत 15 प्रतिशत के लक्ष्य की अपेक्षा 14.1 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमदाबाद के लिए दिल्ली-जोधपुर मेल में बरास्ता समदड़ी-भिलड़ी एक सवारी डिब्बा जोड़ना

6653. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अहमदाबाद के लिये दिल्ली-जोधपुर मेल में बरास्ता समदड़ी-भिलड़ी एक सवारी डिब्बा जोड़ने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और जोधपुर, दिल्ली और अहमदाबाद तथा जोधपुर और अहमदाबाद के बीच पहले से ही सीधी गाड़ी सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा जोधपुर मेल में अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है।

बाल विकास परियोजनाएं और उन पर राज्य-वार खर्च

6654. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुरू की गई समेकित बाल विकास परियोजनाओं का परिणाम क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें जनता से निरंतर मिलती रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन परियोजनाओं में उन गड़बड़ियों की सरकार ने जाँच की है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान इन परियोजनाओं पर राज्य वार खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार

1983-84 तक स्वीकृत की गई 820 समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं में से 672 परियोजनाओं की रिपार्टें मिलनी प्रारम्भ हो गई है और 511 परियोजनाएं पूर्ण रूप से परिचालित हैं। विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत सम्मिलित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को नीचे दर्शाया गया है :—

सेवा का प्रकार	लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या लाखों में
(क) पूरक पोषाहार	
(i) 0—3 वर्ष के बच्चे	13.59
(ii) 3—6 वर्ष के बच्चे	17.50
(iii) गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं	7.35
	38.44
(ख) अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा	
3—6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को	17.16

(ख) और (ग) केंद्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। अतः किसी समेकित बाल विकास सेवा परियोजना में भ्रष्टाचार अनियमितताओं के बारे में यदि कोई शिकायत है तो उस पर संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान विमुक्त किए गए अनुदानों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा योजना हेतु विमुक्त किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार अनुदान

क्र० सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	विमुक्त की गई धनराशि
1	2	3
		(रुपये लाख की राशियों में)
1.	आंध्र प्रदेश	104.11
2.	असम	48.76
3.	बिहार	127.51
4.	गुजरात	82.42

1	2	3
5.	हरियाणा	63.25
6.	हिमाचल प्रदेश	25.55
7.	जम्मू और कश्मीर	25.50
8.	कर्नाटक	85.39
9.	केरल	101.25
10.	मध्य प्रदेश	70.42
11.	महाराष्ट्र	125.13
12.	मणिपुर	25.58
13.	मेघालय	14.67
14.	नागालैंड	46.74
15.	उड़ीसा	68.56
16.	पंजाब	58.14
17.	राजस्थान	104.45
18.	सिक्किम	8.99
19.	तमिलनाडु	80.00
20.	त्रिपुरा	28.12
21.	उत्तर प्रदेश	225.55
22.	पश्चिम बंगाल	145.09
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4.67
24.	अरुणाचल प्रदेश	14.20
25.	चण्डीगढ़	8.07
26.	दादर और नगर हवेली	2.59
27.	दिल्ली	65.50
28.	गोआ, दमन और दीव	17.66
29.	लक्षद्वीप	1.94
30.	मिजोरम	18.39
31.	पाण्डिचेरी	10.34
	योग :	1808.51

वर्ली, बम्बई में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्लाट

6655. **डा० बसन्त पण्डित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के वर्ली बम्बई में प्लाट है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्लाटों का ब्यौरा क्या है और उनका प्रयोग किस कार्य में किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के पास वर्ली में दो भूखण्ड हैं। इसमें से एक भूखण्ड का क्षेत्रफल 19228.42

वर्गमीटर है और दूसरी तटवर्ती भूमि का क्षेत्रफल 70,365.08 वर्ग मीटर है। पहला भूखण्ड बंबई पोर्ट ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम के अधीन है। समुद्र के किनारे की भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ज्वारभाटा आने से भूमि में पानी भर जाता है।

नेता जी के बारे में अपमानजनक फिल्म

6656. **श्री चित्त बसु :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्रेनाडा दूरदर्शन द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में तैयार की गई नई विवादास्पद फिल्म, जो कि भारतीय विचार धारा के लिए अपमानजनक है, को ब्रिटिश दूरदर्शन अथवा ब्रिटेन के बाहर कहीं भी न दिखाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश सरकार ने हमें सूचित किया है कि ग्रेनाडा जैसी उनकी टेलिविजन कंपनियां स्वतन्त्र हैं और अपने अपने कार्यक्रमों की विषय वस्तु और उनके किए गए वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। उनकी सलाह यह है कि उक्त मामला ग्रेनाडा टी० वी० और स्वतन्त्र प्रसारण प्राधिकरण के साथ उठाया जाए।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6657. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जनवरी, फरवरी, 1984 में आमरण अनशन किया था;

(ख) क्या उनकी मांगों में से एक मांग तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में थी;

(ग) दिल्ली के० स० स्वा० से० यो० में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी हैं और उनमें तदर्थ कर्मचारी कितने हैं और यह कब से तदर्थ आधार पर कार्यरत है; और

(घ) उन तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कमुदबेन एम० जोशी) : (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछेक कर्मचारी अपनी मांगों के बारे में 16 से 25 जनवरी, 1984 तक अनिश्चित काल के लिए अनशन पर रहे।

(ख) हां।

(ग) सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(घ) बहुत से तदर्थ कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वर्गों के आरक्षित पदों पर कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें ऐसे पदों पर नियमित करना सम्भव नहीं है। वैसे जब भी कोई रिक्ति होती है तो आरक्षित रिक्तियों पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमों के अनुसार नियमित करने पर विचार किया जाता है। शेष पदों को तदर्थ आधार पर भर दिया गया है क्योंकि नियमित कर्मचारी या तो प्रतिनियुक्ति पर होते हैं अथवा वे तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति पर होते हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वा० योजना दिल्ली में तदर्थ आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों का वर्गवार विवरण तथा वे कब से काम कर रहे हैं ।

क्र० सं०	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	तदर्थ आधार पर कब से काम कर रहे हैं ।
1.	कार्यालय अधीक्षक	2	10.3.83
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	19.2.83 और 10.3.83
3.	आशुलिपिक ग्रेड तीन	1	5.6.82
4.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	12.2.82
5.	हैडक्लर्क	1	28.2.83
6.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1.7.76
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	13	18.9.80,19.6.80,21.6.80,29.4.82, 1.5.82,26.7.82,22.10.82,22.10.82, 1.3.83,2.3.83,5.3.83,2.11.83, और 16.1.84
8.	अवर श्रेणी लिपिक	6	2.1.78,2.1.81,12.1.81,26.11.80,
9.	फार्मासिस्ट (एलोपैथी)	6	1.12.80,1.12.80, 1.3.83,5.3.83,11.4.83,17.3.83, 28.5.84,24.6.83,
10.	फार्मासिस्ट (आयुर्वेद)	3	13.2.81,20.3.81,20.3.81,
11.	आशुलिपिक व क्लर्क (एच)	7	24.12.80, (छः व्यक्ति) 31.8.81, (एक व्यक्ति)
12.	दंत तकनीशियन	1	17.1.76
13.	ड्राईवर-ग्रेड-1	1	18.1.83
14.	नर्सिंग सिस्टर (सिस्टर) इन्चार्ज के रूप में रिडेजी गनेरिड	2	13.6.77
15.	प० नि० क्षेत्रीय कार्यकर्ता	6	4.3.77,7.7.77,7.9.81, 7.9.81,16.12.81,16.12.81
16.	पंचकर्म सहायक	1	10.5.76
17.	स्टाफ नर्स	1	14.4.83
18.	डार्क रूम सहायक	2	26.3.83
19.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	21.10.83
	योग=	58	

मल्हौर में टर्मिनल का खोला जाना

6658. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लखनऊ से चलने वाली गाड़ियों के लिये मल्हौर में एक टर्मिनल खोलने पर विचार कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मल्हौर में इस प्रयोजन के लिये प्रर्याप्त भूमि उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो लखनऊ के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुये सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० क० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० कलकत्ता द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोतों की मरम्मत

6659. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकार के स्वामित्व वाले जल पोतों की मरम्मत का काम कलकत्ता की सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० को सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह काम कब सौंपा गया तथा वन विभाग के पोतों सहित कितने पोतों की मरम्मत का काम उन्हें सौंपा गया है और उन्होंने कितने पोतों की मरम्मत पूरी कर ली है;

(ग) इन पोतों की मरम्मत के लिए सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० को कुल कितनी धनराशि दी गई, मरम्मत कब की गई थी, पोतों की वर्तमान स्थिति क्या है और सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० को पोत-वार कितना भुगतान किया गया है; और

(घ) क्या उप-राज्यपाल का यात्रा पोत मार्च, 1983 में मरम्मत के लिये सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी०, कलकत्ता को भेजा गया था और आज तक यह पोल वहीं खड़ा है और यदि हां, तो इसकी मरम्मत पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पोर्ट ब्लेयर में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की वर्कशाप मार्च 1972 ई० में स्थापित हुई थी । तब से अब तक इसे मरम्मत के लिए 27 जहाज दिये जा चुके हैं । इनमें से एस० एल० "सागर रत्न," एल० सी० टी० "सागर कन्या" और एम० वी० "सुभाष" को छोड़कर, जिनकी मरम्मत हो रही है सभी जहाज उनके मालिकों को दिये जा चुके हैं । इन 27 जहाजों के अलावा महासागर में चलने वाले कुछ जहाजों पर भी मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न विभागों ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को अब तक 107.46 लाख रुपए अदा किये हैं . इनमें अंडमान और नीकोबार प्रशासन से प्राप्त राशि भी शामिल है । इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अंडमान और निकोबार प्रशासन-जहाज	प्रदत्त धन राशि
(1) एल० सी० टी० सागरकन्या	41.46 लाख रु०
(2) एम० एल० सागरदुलाल	6.61 ,,
(3) एम० एल० बर्राकुडा	4.04 ,,
(4) एम० वी० यमुना	2·13 ,,
(5) एम० वी० तारमुगली	0·30 ,,
(6) एम० वी० जरावा	1·81 ,,
(7) एम० वी यमुना	5.75 ,, (अग्रिम)
(8) एम० वी० जलधर	3.00 (अग्रिम)
(9) एस० एल० सागर रत्न	23.31 (लेखागत)
(10) एल० सी० टी० सागरकन्या	7.04 (अग्रिम)

केंद्रीय सरकार के जलयान	प्रदत्त राशि
1. एम० वी० मीनाक्षी	0.19 लाख रु०
2. एम० एल० पद्मजा	0·66 ,,
3. एम० ओ० टी० सर्वेलांच-6	0.59 ,,
4. एम० ओ० टी० सर्वेलांच-5	0·46 ,,
5. एस० वी० निरोज	1·18 ,,
6. एम० वी० मीनाखोजिरी	0.30 ,,
7. एम० वी० सरोज	0.67 ,,
8. स्टील लाइफ बोट	0.34 ,,
9. एम० टी० गिरीश	0·42 ,,
10. एम० टी० कुमार	0.39 ,,
11. एम० वी० निरोज	0.87 ,,
12. एम० वी मीनाखोजिरी	0.49 ,,
13. एम० पी० मीनाप्रयास	0·58 ,,
14. एम० वी० अशोक	2.15 ,,
15. एम० वी० अशोक	1.84 ,,

(ख) उपराज्यपाल का यात्रा पोत भारी मरम्मत के लिए 29-3-83 को कलकत्ता भेजा गया था। इस पोत की मरम्मत 29-3-84 को पूरी हो चुकी है और जलयान 3-4-84 को पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया है। इसकी मरम्मत का अनुमानित व्यय 50.00 लाख रु० है।

श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा

6660. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री राम विलास पासवान } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1984 के 'पेट्रियोट' में प्रकाशित उस समाचर की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि श्रीलंका में तमिललोगों का मारा जाना जारी है तथा वहां उन्हें असामाजिक तत्व और गद्दार समझा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने कुछ तमिल युवकों के मारे जाने के बारे में अखबारों में छपी खबरें देखी हैं। इन खबरों के अनुसार इन तमिल युवकों पर उनकी समाज-विरोधी गतिविधियों के कारण तमिल उग्रवादियों ने "मुकदमा चलाया और मृत्यु दंड दिया"।

(ग) भारत सरकार ने बराबर इस बात को दोहराया है कि वह सभी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन जिसकी अगली बैठक 9 मई को होगी, श्रीलंका की जातीय समस्या का स्थायी समाधान तलाश करने के लिए फिर प्रयास करेगी।

बन्डेल में उप-मार्ग पर पानी जमा हो जाना

6661. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानसून के दौरान बन्डेल में उप-मार्ग पर पानी जमा हो जाने से हजारों रेल-यात्रियों को भारी परेशानी होती है; और

(ख) इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) बन्डेल स्टेशन के नजदीक स्थित बजारपारा उपमार्ग पर कभी-कभी भारी वर्षा के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ से पहुंच मार्ग, उपमार्ग की ओर बहुत ढलवां है जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा पहुंचती है।

(ख) इस उपमार्ग से पानी को बाहर निकालने के लिए रेलवे ने दो बिजली पम्पों की व्यवस्था की है। रेलवे ने उपमार्ग के नीचे भूगत निकासी की मरम्मत करने का भी प्रस्ताव किया है।

बन्डेल पर उपरिपुल

6662. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बन्डेल में एक उपरिपुल के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार, रेलें ऊपरी सड़क पुलों की लागत भागीदारी के आधार पर वहन करती हैं, यदि वर्तमान समपारों के बदले उनकी व्यवस्था की जाती है। बंडेल में प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल बढ़े हुये सड़क यातायात को सेवित करने के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में होगा और किसी समपार के बदले में नहीं बनेगा। अत: राज्य सरकार को निक्षेप आधार पर प्रस्ताव प्रायोजित करना होगा। रेलवे को राज्य सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खुरीगाछी पर स्टेशन बनाए जाने की मांग

6663. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्या इस बात की जानकारी है कि पूर्व-रेलवे की हावड़ामेल लाइन में भद्रेश्वर और वैद्यपती के बीच खुरीगाछी पर काफी समय से एक नया रेलवे स्टेशन बनाये जाने की मांग की जा रही है; और

(ख) उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिये सरकार का विचार निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) भद्रेश्वर और वैद्यपती स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी है। प्रस्तावित स्थल मौजूदा स्टेशनों से केवल लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एक बहुत ही व्यस्त विद्युतीकृत मार्ग के नाजुक ब्लाक खंड पर है जहां एक और स्टेशन के खोलने से कुल मिलाकर गाड़ियों के चालन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत: इस स्थान पर नया हाल्ट खोलना हितकर वांछनीय नहीं होगा।

रेलवे स्टाफ कैंटीन (पूर्वी रेलवे) के प्रबन्धकों के लिए प्रिविलिज पास और पी० टी० ओ०

6664. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टाफ कैंटीन, पूर्वी रेलवे के प्रबन्धकों को रेलवे में श्रेणी-iii के अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह प्रिविलिज पास और पी० टी० ओ०, मिलते हैं, अर्थात् एक कैलेंडर वर्ष में पासों के तीन सेट और पी० टी० ओ० के छ: सेट;

(ख) यदि नहीं, तो सिब्बन्दी नियम पुस्तिका में दी गई सुविधाओं से उन्हें वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें वैध अधिकार से वंचित रखने के लिए सरकार का विचार किस प्रकार प्रतिपूर्ति करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) गैर सांविधिक कैंटीनों के प्रबन्धकों को पास तथा सुविधा टिकिट आदेश श्रेणी-iii के अन्य रेल कर्मचारियों के समान नहीं मिलते।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को, यथा संशोधित, भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली में दी गई सुविधाओं से वंचित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांविधिक और गैर-सांविधिक कैंटीन के कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन संरक्षण

6665. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधिक और गैर-सांविधिक कैंटीन के कर्मचारियों को मानकीकृत वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारित करते समय उनके व्यक्तिक वेतन को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीनस्थ उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्पष्ट निर्धारण नीति के बावजूद कर्मचारियों के मूल वेतन के लिये मूलभूत नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया था;

(ग) क्या ऐसे प्राधिकारियों ने रेल बोर्ड के दिनांक 13 मई, 1983 के आदेश का उल्लंघन किया जो ऐसा करने के सक्षम नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय पूर्व के आदेश को सम्मिलित करके नया परिपत्र जारी करने पर विचार कर रहा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) संक्षरण प्रदान नहीं किया गया था ।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों को, उनके द्वारा ली जा रही परिलब्धियों तथा उसके साथ सम्बद्ध अन्य कारकों को ध्यान में रखकर उपयुक्त संशोधित वेतनमान दिए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कुल परिलब्धियां पहले से ली जा रही परिलब्धयों से अधिक हो गई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे स्टाफ कैंटीनों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

6666. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांविधिक और गैर-सांविधिक रेलवे स्टाफ कैंटीनों, खण्ड-वार तथा क्षेत्र वार के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक कैंटीन में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं; और

(ख) उन कैंटीनों के नाम क्या हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 30 जनवरी, 1984 के अन्तरिम आदेश के बाद, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का 100% वेतन अभी दिया जाना शेष है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे स्टाफ कैंटीन कर्मचारी

6667. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 के आदेश के अनुसार रेलवे स्टाफ कैंटीन के कितने कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी माना गया है; और

(ख) कैंटीन डिवीजन तथा जोनवार उनकी नियुक्ति दर्शाने वाला एक संकलित विवरण प्रदान करें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1804 ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रेलवे	कैन्टीन का नाम	कर्मचारियों की संख्या
	सांविधिक कैंटीनें	
मध्य		
	1. लोको कारखाना, परेल	71
	2. निर्माण प्रबन्धक, मनमाड	12
	3. सवारी एवं माल डिब्बा, वाडीबंदर	9
	4. सवारी एवं माल डिब्बा, कारखाना माटुंगा	86
	5. कवर शेड, कुर्ला	19
	6. सिगनल एवं दूर-संचार कारखाना, भायखला	16

7. बिजली घर, ठाकुर्ली	08
8. सवारी एवं माल डिब्बा करखाना, झांसी	45
9. प्रिंटिंग प्रेस, भायखला	15
10. सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना, कुर्ड़ुवाडी	6
11. बिजली रेल इंजन कारखाना, भुसावल	9
12. लोको शेड, कल्याण	10
पूर्व	
1. कारखाना कैंटीन, लिलुआ	37
2. अनुरक्षण एवं मरम्मत कारखाना, अंडाल	4
3. सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना, कांचरापाड़ा	25
4. लोको कारखाना, कांवरापाड़ा	24
5. कारखाना, जमालपुर	60
6. संयंत्र डिपो, मुगलसराय	5
7. सिगनल कारखाना, हावड़ा	10
8. फेयरली प्लेस, कलकत्ता	49
9. प्रिंटिग प्रैस, हावड़ा	9
10. कारखाना कैंटीन, बगालिया	4
दक्षिण	
1. कारखाना, गोल्डन राक	27
2. लोको कारखाना, पेरम्बूर	30
3. प्रिंटिग प्रेस, रायापुरम	10
4. इंजीनियरी कारखाना, अरकोणम	16
5. सिगनल एवं दूर-संचार कारखाना सहकारिता, पोछन्नूर	15
6. कारखाना, मैसूर (दक्षिण)	22
7. सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर	34
दक्षिण मध्य	
1. कारखाना, हुबली	22
2. लोको कारखान, लालागुडा	41
3. सिगनल एवं दूर-संचार कारखाना, माटुगुटा	16
4. प्रिंटिग प्रेस, सिकन्दराबाद	6
5. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, गुंतुपल्ली	13
दक्षिण पूर्व	
1. खड़गपुर कारखाना, खड़गपुर	59
2. माल डिब्बा कारखाता, रायपुर	12
3. इंजीनियरी कारखाना, सिनी	9
4. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, आद्रा	7
5. मोतीबाग, नागपुर	8

पश्चिम	
1. प्रिंटिंग प्रेस, महालक्ष्मी	7
2. सवारी एवं माल डिब्बा	67
3. सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना, परेल	
4. कारखाना, प्रतापनगर	8
5. सिगनल कारखाना, साबरमती	4
6. इंजीनियरी कारखाना, साबरमती	1
7. लोको कारखाना, दाहोद	21
8. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा जंक्शन	17
9. बिजली कारखाना और भंडार, नागरा, अजमेर	6
10. लोको कारखाना, अजमेर	34
11. सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना, अजमेर	34
12. सिगनल रेलवे कारखाना, अजमेर	3
13. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, जयपुर	5
14. कारखाना, भावनगर	8
15. कारखाना, मोरवी	6
16. कारखाना, गोंडल	7
17. कारखाना, जूनागढ़	7
18. कारखाना, जामनगर	5
चि० रे० का० कारखाना कैंटीन	56
डी० रे० का० कारखाना कैंटीन	37
स० डि० का० 1. स० डि० का० कैंटीन/शेल	62
2. स० डि० का० सौध कैंटीन	46
गैर-सांविधिक कैंटीन	
उत्तर	
1. सामान्य भण्डार कार्यालय, शकूरबस्ती	5
2. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली	49
3. मं० रे० प्र० कार्यालय नई दिल्ली	26
4. उप मुख्य लेखा अधिकारी (या० ले०) दिल्ली किशनगंज, दिल्ली	10
5. घाम्पसन रोड लोको शेड, नई दिल्ली	5
6. निर्माण कार्यालय, उत्तर रेलवे दिल्ली	5
7. दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन	27
8. लोको शेड, दिल्ली मेन	13
9. डीजल शेड, तुगलकाबाद	18
रेलवे बोर्ड	
1. रेलवे बोर्ड स्टाफ कंटीन	61
जोड़	1804

बड़ी लाइन, भाप, डीजल और विद्युत इंजनों की रख-रखाव और संचालन लागत

6668. श्री सूरज भान
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 83 के दौरान बड़ी लाइन, भाँप, डीजल और विद्युत इंजनों के रख-रखाव और संचालन पर पृथक-पृथक कुल कितना/औसत खर्च हुआ;

(ख) उक्त तीनों प्रकार के इंजन प्रति दिन रेल लाइन पर औसत कितने घण्टे उपलब्ध होते हैं;

(ग) इन इंजनों का प्रति दिन औसत कितने घंटे उपयोग होता है;

(घ) डीजल और विद्युत इंजनों का प्रति दिन और अधिक उपयोग करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भाप इंजनों (जिनका योगदान अपेक्षाकृत बहुत कम है) पर होने वाले भारी खर्चे को कम किया जा सके; और

(ङ) डीजल और विद्युत इंजन के प्रति वर्ष उत्पादन की निर्धारित क्षमता कितनी है तथा चालू वर्ष में अब तक वास्तव में इनका कितना उत्पादन हुआ है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1982-83 के दौरान प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर बड़ी लाइन के भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण और परिचालन की औसत सीधी लागत नीचे दी गई है—

प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर (लागत रुपयों में)

	भाप	डीजल	बिजली
(1) मरम्मत एवं अनुरक्षण	17.49	3.47	2.78
(2) परिचालन व्यय	50.91	14.86	9.92

(ख) और (ग) उपयोग के लिए उपलब्ध प्रति दिन प्रति इंजन कार्यरत घंटे नीचे दिये गये हैं—

भाप रेल इंजन	10.2 घंटे
डीजल रेल इंजन	18.9 घंटे
बिजली रेल इंजन	19.3 घंटे

लाइन पर प्रति दिन प्रति इंजन की उपलब्धता/उसका उपयोग किये गये घंटों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) डीजल और बिजली रेल इंजनों के प्रति दिन उपयोग के घंटों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

(1) गाड़ियों का उपयुक्त अनुक्रम और माल गाड़ियों का समय निर्धारित करना;

(2) उसी रेल इंजन से माल गाड़ी के चालन का विस्तार करना;

(3) निष्क्रिय अवधियों और रेल इंजनों के अकेले चालन को कम करने के लिए डीजल और बिजली रेल इंजनों का प्रवाभी नियंत्रण;

(4) रुकावनी को न्यूनतम करने के लिए कर्मी दल बदलाव स्थलों पर कर्मीदल के परस्पर व्यापन की व्यवस्था;

(5) उच्चतर औसत गति के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का बाई पास करते हुए सीधी माल गाड़ियां चलाना;

(6) होम शेड के बजाय नजदीकी लोको शेड में रेल इंजनों की नेमी जांच के लिए नियमित फेरे और साप्ताहिक अनुरक्षण का समय निर्धारित करना;

(7) खराबियों आदि में कमी लाने के उद्देश्य से शेडों में रेल इंजनों के निवारक और आवधिक अनुरक्षण में गहनता लाना।

(ङ) चि० रे० का० और डी० रे० का० पर प्रति वर्ष डीजल और बिजली रेल इंजनों की उत्पादन की क्षमता की दर नीचे दी गई है—

डीजल रेल इंजन	175 (डी० रे० का० एवं चि० रे० का०)
बिजली रेल इंजन	60 (चि० रे० का०)

1983-84 (फरवरी 84 तक) के दौरान डीजल और बिजली रेल इंजनों के उत्पादन का वास्तविक प्रतिशत नीचे दिया गया है—

डीजल रेल इंजन	96%
बिजली रेल इंजन	65%

रायगढ़ा शहर में रेलवे की भूमि का अधिग्रहण

6669. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरोपुट जिले में रायगढ़ा शहर में रेलवे (दक्षिण पूर्व रेलवे) द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई;

(ख) रेलवे के लिए कितनी भूमि प्रयोग की गई और कितनी भूमि खाली पड़ी है,

(ग) किन-किन संगठनों, दुकानों, संस्थानों और राज्य सरकार के विभागों ने रेलवे प्राधिकारियों से पट्टे पर भूमि ली है तथा जारी करने की तारीख, पट्टे की अवधि तथा उसके लिए वसूल की जाने वाली किराए की दर क्या है;

(घ) क्या रायगढ़ा नगर, पालिका ने दक्षिण पूर्व रेलवे से शहर के विकास के लिए, सरकारी प्रयोजनों तथा गृह-हीन व्यक्तियों के लिए आवास हेतु भूमि देने के लिए कहा है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 438.34 एकड़।

(ख) 251.97 एकड़ भूमि का उपयोग रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जबकि 174 एकड़ भूमि खाली पड़ी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1976 में, रायगढ़ नगर पालिका ने विकासात्मक प्रयोजनों के लिए कीमत के भुगतान के आधार पर रेल प्रशासन से 36 एकड़ भूमि मुक्त करने के लिए बात-चीत की थी।

(ड़) रेल प्रशासन द्वारा 36 एकड़ भूमि निर्मुक्त करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गयी थी और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों से इस की कीमत के बारे में पूछ-ताछ की थी। किन्तु बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उक्त प्राधिकारियों ने 1980 तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसी बीच एक नई परियोजना अर्थात् रायगढ़ा से कोरापुट तक रेल सम्पर्क बनाने का अनुमोदन कर दिया गया। रायगढ़ा की उक्त भूमि उपर्युक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है और इसलिए, इसे निर्मुक्त नहीं किया जा सकता।

विवरण

उन संगठनों/संस्थाओं/ राज्य सरकारों के नाम जिन्हें रेलवे की भूमि लाइसेंस पर दी दई है	भूमि का रकबा	लाइसेंस देने का वर्ष	वसूल किये गये लाइसेंस शुल्क की दर
1. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग	3.16 एकड़	1962	भूमि के बाजार मूल्य का 6% प्रति वर्ष
2. सेवा समाज	4.43 एकड़	1964	100/-रु० प्रति वर्ष की नाम मात्र लाइसेंस शुल्क
8. राज्य बिजली-बोर्ड	4.38 एकड़	1976	भूमि के बाजार मूल्य का 6% प्रति वर्ष।

रायगढ़ा में रेलवे उपरिपुल

6670. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को रायगढ़ा में रेलवे उपरिपुल के लिए उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र की विषय वस्तु क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपरिपुल की स्वीकृति के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त पुल की अनुमानित लागत क्या होगी और उड़ीसा सरकार द्वारा अपने शेयर के रूप में कितना धन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है और उपरिपुल के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा कितना धन खर्च किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार, रायगढ़ा में लागत की भागीदारी के आधार पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने और पुल बन जाने पर समपार को बन्द करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) रेलवे और राज्य सरकार द्वारा योजना और अनुमान अब संयुक्त रूप से तैयार किये जा रहे हैं। योजनाओं और अनुभानों को अन्तिम रूप देने के बाद ही इस प्रस्ताव को भावी रेलवे निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(घ) चूंकि योजनाओं और अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है इसलिए इस चरण पर प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल की अनुमानित लागत बताना संभव नहीं है।

भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

6671. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और उनमें से अब तक कितने को पूरा किया गया है;

(ख) अब तक इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाई गई आदिवासी भाषाओं के नाम क्या है और उन भाषाओं के नाम क्या हैं जिन्हें लिखित रूप में संरक्षित किया जाएगा;

(ग) संस्थान द्वारा अब तक आदिम जाति वार प्रकाशित पुस्तकों के नाम और सामग्री का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या आदिवासी भाषाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान और उनके विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय भाषा संस्थान की उप संस्थान अथवा शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विभिन्न जनजातियों भाषाओं के संरक्षण तथा विकास के लिए मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं तथा कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—

(1) व्याकरण, बहुभाषीय शब्दकोश तथा ध्वन्यात्मक पाठमाला तैयार करके जनजातियों भाषाओं को भाषाई वर्णन;

(2) बहुभाषीय शैक्षिक मॉडल के अन्तर्गत स्कूलों के लिए प्राइमर्स तैयार करना;

(3) प्रौढ़ साक्षरता सामग्री तैयार करना;

(4) लोक साहित्य का संग्रह करना, लिप्यान्तरण तथा अनुवाद करना;

(5) आदिवासी शिक्षकों को प्राइमर्स लिखने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कार्यशालाएं;

(6) भाषा शिक्षण में आदिवासी शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(7) भाषा, साहित्य तथा विकास से सम्बन्धित मामलों में आदिवासी युवकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम;

(8) राज्य सरकारों में आदिवासी विभागों में कार्यरत अधिकारियों की मूल भाषा विज्ञान में प्रशिक्षण;

(9) भाषा तथा बोलियों की विशिष्टता का पता लगाने तथा संचार की पद्धति तथा नीति निर्णय लेने के बारे में शिक्षा तथा प्रशासन में आदिवासी भाषा-भाषाओं का प्रयोग के लिए आदिवासी भाषाओं तथा बोलियों का संरक्षण।

(10) नागा पिडगिन, देसियों, सदरी तथा पारस्परिक आदिवासी संचार पद्धति जैसी सम्पर्क भाषाओं का अध्ययन;

(ख) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर भाषाई वर्णन तथा सामग्री तैयार करने के लिए निम्नलिखित 52 आदिवासी तथा सीमावर्ती भाषाओं/बोलियों के क्षेत्र में कार्य करता रहा है।

कार नीकोबारी, आदि, अपतनी, मिष्मी, नोकते, मोंपा, निशि, तगिन, बोदो, मिकिर, मीरी (मिशिंग) कारबी, दीभासा, कुकुरुक्स, माल्टो, मुन्दारी, लहाखी, (बोधी), पूरकी, (वाल्टी), शीना, बोक्शकट, गोजरी जुनुकुरूबा, सोलिग, मणिपुरी, (मैथीं), थादोरू, थागुल, माओं हमर, पैंटे, अबुझ, भारियाडोरली, बिसोन, हार्व, मारिया (गोंधी बोलियां) खासी, गारो, मिजो, (लुशाई), आओ, अन्ग्रामी, सामा, लोथा, नागा, पिगिन, कोनयक, कुवी, कोया, गोंतोब, भुमीज (हो) बिली (बागदीयोली) सिक्किम, भुरिया, स्पिति, कोटा इरूला, कोक, बोरोक, (जिपुरी) संथाली।

(ग) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा 1.6.83 तक की यथा स्थिति के अनुसार प्रकाशित पुस्तकों तथा सामग्रियों के नाम निम्नलिखित हैं—

1. त्रिपुरी ध्वन्यात्मक रीडर
2. थादोउ ध्वन्यात्मक रीडर
3. ओओ-नागा ध्वन्यात्मक रीडर
4. कुरूख ध्वन्यात्मक रीडर
5. अन्गामी ध्वन्यात्मक रीडर
6. कूवी ध्वन्यात्मक रीडर
7. मणिपुरी ध्वन्यात्मक रीडर
8. मन्दरी ध्वन्यात्मक रीडर
9. लोथा ध्वन्यात्मक रीडर
10. सेता ध्वन्यात्मक रीडर
11. ब्रोकशक्त ध्वन्यात्मक रीडर
12. बालन्ती ध्वन्यात्मक रीडर
13. लद्धखी ध्वन्यात्मक रीडर
14. गोजरी ध्वन्यात्मक रीडर
15. तांगखुल ध्वन्यात्मक रीडर
16. नागा पिडगिन: नागालैंड में अन्तर भाषी संचार का एक सामाजिक भाषा विद अध्ययन ।
17. मुंड़ा अको में अध्ययन
18. माल्टो-एन इथनो सभा बधिक अध्ययन
19. कूवी प्राईमर ।
20. सोलिगा नूडी ।
21. जुनू नूडी ।
22. आओ व्याकरण
23. मुन्दरी व्याकरण
24. काकबोरोक व्याकरण
25. कूवी व्याकरण
26. पूरकी व्याकरण
27. अगामी व्याकरण
28. सेमा व्याकरण
29. ब्रोकशन व्याकरण
30. गोजरी व्याकरण
31. तंगखुल लोक साहित्य
32. आनुगी मणिपुरी मापी लैटिक (मणिपुरी में आदिवासी) प्रौढ़ साक्षरता कापी बुक सहित;
33. घगुनो अकीमी (सेमा में आदिवासी प्रौढ़ साक्षर रीडर)
34. प्रौढों के लिए अंग्रेजी—1
35. हिन्दी प्रौढ़ शिक्षा माला i (हिन्दी में प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर)

36. अपतनी प्रौढ़ साक्षरत प्राईमर तथा कापी बुक

37. नोकटो प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर तथा कापी बुक

38. मिष्मी प्रौढ़ साक्षरता प्राईमर तथा कापी बुक

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक क्षेत्र केन्द्र खोलने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा रहा है।

डी० वी० के० रेल लाइन पर औद्योगिक कच्चे माल की ढुलाई

6672. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने औद्योगिक परियोजनाओं को डी० वी० के० रेलवे लाइन पर कोरापुट और बस्तर जिलों के औद्योगिक कच्चे माल की ढुलाई की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की औद्योगिक परियोनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) (1) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

(2) पेंदुरती और टोकपाल में सीमेंट और खंगरीकरण संयंत्र

(3) दामन जोड़ी में अल्युमिना संयंत्र,

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटियां स्थापित करना

6673. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए 'कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटियां' स्थापित करने का आदेश पारित किया है;

(ख) क्या रेल विभाग ने इन कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटियों के कार्य निष्पादन के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक रेलवे-वार अधिग्रहण की गयी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए कर्मचारियों की आसान ब्याज दरों पर ऋण देने का भी फैसला किया है; और

(ड़) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भूमि का अधिग्रहण करके रेल कर्मचारियों की सहकारी समितियों को देने के सम्बन्ध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ड़) जी नहीं। रेल कर्मचारी भी उन्हीं नियमों से शासित होते हैं जिन नियमों से अन्य सिविलियन कर्मचारी शासित होते हैं।

इन्दौर-भोपाल नई दिल्ली एक्सप्रेस रेल गाड़ी में नए सवारी डिब्बे लगाना और इस रेल गाड़ी को प्रति दिन चलाया जाना

6674. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर और भोपाल तथा भोपाल और नई दिल्ली के बीच इन्दौर-भोपाल नई दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में दर्जे-वार कितने सवारी डिब्बे हैं और क्या इनमें पुराने सवारी डिब्बे हैं;

(ख) इस रेलगाड़ी में नये सवारी डिब्बे न लगाने के क्या कारण हैं तथा इस रेलगाड़ी में सवारी डिब्बे कब तक लगाये जायेंगे; और

(ग) इस रेलगाड़ी को कब से प्रति दिन चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 167/168 इन्दौर-भोपाल नई दिल्ली त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस इन्दौर ओर भोपाल के बीच 9 सवारी डिब्बे लेकर चल रही है जिनमें से एक डिब्बा पहले दर्जे का और 8 दूसरे दर्जे के होते हैं, जिनमें 2 दूसरे दर्जे के सामान एवं ब्रेक यान शामिल हैं। भोपाल और नई दिल्ली के बीच इन 9 डिब्बों के अतिरिक्त 8 डिब्बे और होते हैं जिनमें 6 डिब्बे दूसरे दर्जे के और दो डिब्बे पहले दर्जे के होते हैं। इन डिब्बों की हालत पूर्ण रूपेण संतोषजनक है।

(ग) सवारी डिब्बों और रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी के कारण गाड़ी के फेरे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, इस समय गाड़ी में स्थान ग्रहण की तो स्थिति है उसे देखते हुए फेरे बढ़ाने का औचित्य नहीं है।

वर्ष 1983-84 के दौरान यात्री सवारी डिब्बों का निर्माण और वितरण

6675. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के दौरान बनाए गए विभिन्न प्रकार के सवारी डिब्बों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उसी अवधि के दौरान जोनल रेलवे को उनका वितरण/आबंटन क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1983-84 के दौरान फरवरी, 84 तक 977 सवारी डिब्बों का निर्माण किया गया था जिनमें से 760 सवारी डिब्बे बदलाव लेखे में तथा 217 अतिरिक्त सवारी डिब्बों के रूप में, तैयार किए गए थे। प्रत्येक वर्ष निर्मित नये सवारी डिब्बों का विभिन्न रेलों के बीच वितरण, अन्य बातों के साथ-साथ निष्क्रियता के सम्बन्ध में कमी की स्थिति के वर्तमान प्रतिशत, गतायु सवारी डिब्बों की संख्या आदि पर आधारित है। इस आधार पर इन 977 सवारी डिब्बों का क्षेत्रीय रेलों के बीच वितरण इस प्रकार से किया गया था—

फरवरी, 1984 तक रेलवे वार सवारी डिब्बों का वितरण

रेलवे	वातानुकूलित पहला दर्जा	वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित दूसरा दर्जा	दूसरा दर्जा 3 टीयर स्लीपर	दूसरा दर्जा सामान एवं ब्रेकवान	दूसरा दर्जा सामान्य
मध्य	—	—	9	42	20	40
पूर्व	—	3	11	35	37	140
उत्तर	5	—	—	50	28	120
पूर्वोत्तर	—	—	1	—	12	23
प० सी०	—	—	1	15	8	10
दक्षिण	—	—	8	28	—	25
द० म०	—	—	—	10	12	50
द० पू०	—	—	4	40	13	75
पश्चिम	4	—	1	50	20	27
	9	3	35	270	150	510

निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन के लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन

6676. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हुए निर्गुट राष्ट्रों के पिछले सम्मेलन में तय की गई नीतियों/निर्णयों के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) नई दिल्ली गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के निर्णय/सिफारिशें अन्तिम घोषणा के पाठ में दी गई हैं और उन पर समुचित अनुवर्ती कारंदाई शुरू की गई है ।

शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख सिफारिश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों से यह अनुरोध था कि वे विश्व की प्रमुख समस्याओं का सामूहिक मूल्यांकन करने और उनमें से कुछ का शीघ्र और न्यायोचित समाधान तलाश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महा-सभा के 38वें अधिवेशन द्वारा प्रस्तुत सुअवसर का लाभ उठाएं । इस तरह की बातचीत शुरू करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप 27 और 29 सितम्बर, 1983 को न्यूयार्क में शिखर-स्तरीय अनौपचारिक विचार-विमर्श सम्पन्न हुआ । यह विचार-विमर्श प्रतिनिधियात्मक था और वैचारिक भौगोलिक और आर्थिक सीमाओं से ऊपर था । इसमें जिन मदों पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया, वे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित थे ।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने फिलिस्तीन के संबंध में एक आठ-सदस्यीय समिति का गठन किया था । इस समिति की दो बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं । इसके बाद विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय मंत्री-दल ने कुछ अरब राजधानियों की यात्रा की । इन प्रयासों के परिणाम लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 564 और 1422 के उत्तर में दिए गए हैं जिनका उत्तर क्रमश: 17 नवम्बर, 1983 और 1 दिसम्बर, 1983 को दिया गया था । ईरान-इराक संघर्ष के संबंध में शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस युद्ध को तत्काल समाप्त कराने की दिशा में समुचित उपाय करें । इस संबंध में प्रधानमंत्री के प्रयास लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4272 में दिए गए हैं जिसका उत्तर 22 मार्च, 1983 को दिया गया था ।

प्रमुख राजनीतिक समलों पर समुचित रूप से कार्रवाई करने के लिए न्यूयार्क स्थित गुट निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की भी समय-समय पर बैठकें बुलाई गई । इस ब्यूरो द्वारा इन अवसरों पर स्वीकृत विज्ञप्तियों में मध्य अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अरब अधिकृत प्रदेशों और ग्रेनेडा की स्थिति के संबंध में विज्ञप्तियां भी शामिल थी । गुट निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की 4 से 7 अक्तू-बर, 1983 तक न्यूयार्क में हुई बैठक में भी शिखर सम्मेलन के बाद की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की समीक्षा की गई और एक व्यापक विज्ञप्ति भी स्वीकार की गई ।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में मुद्रा और वित्त के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का अनुरोध किया था । प्रधानमंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक विशेषज्ञ-स्तरीय अध्ययन किए जाने के लिए अब पांच देशों के एक दल का गठन किया है । इस दल की नई दिल्ली में दो बैठकें हो चुकी हैं और इस संबंध में विचार-विमर्श जारी है ।

अन्तिम घोषणा के अनुसार प्रमुख विषयों पर गुट-निरपेक्ष देशों की कई बैठकें भी हो चुकी हैं। ये बैठकें सूचना, शिक्षा एवं संस्कृति, स्वास्थ्य, श्रम, आवास, मानकीकरण नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, द्वीपीय विकासशील देशों की समस्याओं आदि के क्षेत्र में हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया में भारतीय उच्चायोग के कार्यालयों में नेता जी का चित्र लगाना

6677. **श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेशिया में भारतीय उच्चायोग के कार्यालयों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का कोई चित्र नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नेताजी अनुसंधान केन्द्र, कुआलालम्पुर की यह प्रबल मांग थी कि उच्चायोग के कार्यालयों में नेताजी का चित्र लगाया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नेताजी अनुसंधान केन्द्र, कुआलालम्पुर ने हाई कमिश्नर के कार्यालय में नेताजी का चित्र लगाने की कोई जोरदार मांग नहीं की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कार्यालयों के लिए किराये पर लिए गये भवनों का ब्यौरा

6678. **श्री के० बी० एस० नणि : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न कार्यालय किराये के भवनों में कब से हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और इन कार्यालयों द्वारा लिए गए भवनों का मासिक किराया कितना है;

(ग) इन किराये के भवनों में से प्रत्येक को किराये पर लिए जाने की तिथि से 29 फरवरी 1984 तक कुल कितने किराये का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार इन कार्यालयों को किराये के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने की इच्छुक नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक है; तो सरकार द्वारा राजकोष के भार को कम करने के लिए इन कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरित करने के लिए अब तक प्रभावी कदम न उठाये जाने के कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) केवल 'केन्द्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन' महारानी बाग, नई दिल्ली में एक निजी इमारत में 25.1.1979 से 25,000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर ली गयी थी। 3 वर्ष के बाद किराया बढ़ाकर 37,600 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।

(ग) फरवरी, 1984 तक किराये के रूप में 18.46 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) और (ङ) यह संगठन स्थाई नहीं है। अतः केवल इसी के लिए नये कार्यालय के निर्माण की योजना नहीं बनायी गयी है। निर्माण एवं आवास मंत्रालय, सम्पदा निदेशालय से कहा

गया है कि केन्द्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन के लिए दिल्ली में कार्यालय के स्थान की व्यवस्था करें लेकिन अभी तक तो उन्होंने स्थान की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।

वर्ष 1984-85 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए धन

6679. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये, केन्द्रीय क्षेत्र में 1984-85 के लिये निधियों का प्रस्तावित आबंटन 40 करोड़ रुपए है। राज्य क्षेत्र में ऐसे ही राज्य वार आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगी

6680. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्री राम प्रसाद अहिरवार } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या देश के कुष्ठ रोगियों की संख्या से एक प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या 1.20 लाख है जबकि सम्पूर्ण भारत में इन रोगियों की संख्या अनुमानत: 40.00 लाख है।

चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका का सहयोग

6681. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जन स्वास्थ्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) क्या भारत में पोलियो की रोकथाम में कोई सफलता मिली है;

(ग) क्या अमेरिका सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना कदवई) : (क) से (घ) भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता दी है और वह प्राथमिक स्वास्थ्य

परिचर्या की सभी सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने तथा महिलाओं और बच्चों, खासकर आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को तेज करने के लिए वचनबद्ध है । अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पद्धति के सभी स्तरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का रोगों से और पोषण की कमी के कारण होने वाली अरक्तता से बचाव के लिए रोग प्रतिरक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोलियो से बचाव करने के लिए रोग प्रतिक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोलियों से बचाव करने के लिए वैक्सीन को भी रोगक्षमीकरण के विस्तारित कार्यक्रम का एक अंग बना दिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन आने वाली सेवाओं को तेज कर दिया गया है। भारत सरकार और अमरीकी अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच "स्वास्थ्य संबंधी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठन परियोजना" नामक एक परियोजना के लिए 200 लाख डालर के परियोजना अनुदान के एक करार पर 31-8-1981 को हस्ताक्षर किए गए थे । यह अनुदान प्राइवेट और स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों/समाज के गरीबों के लिए बुनियादी और निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए है ।

मंत्रालय और उसके सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

6682. **श्री भोखा भाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके सरकरी उपक्रमों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है; और

(ग) इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुबेदन एम० जोशी) : (क)

	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ
मंत्रालय	122	454	1022	243
उपक्रम				
(1) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	16	19	490	272
(2) इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहान, उत्तर प्रदेश	2	5	2	2
(3) अस्पताल सेवा परामर्शदायी निगम (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली-1	1	5	2	2

(ख) और (ग) नहीं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते ही उनके लिए आरक्षित खाली पदों को भरा जा रहा है ।

रेल मन्त्रालय में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

6683. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मत्रालय तथा उसके अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) स्थिति इस प्रकार है—

मंत्रालय सरकारी उपक्रम	कर्मचारियों की संख्या				
	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	जोड़
मंत्रालय	256	247	1724	527	2754
सरकारी उपक्रम	256	337	706	355	1654
जोड़	512	584	2430	882	4408

(ख) और (ग) जी नहीं, यह सही नहीं है। मंत्रालय में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित विभिन्न ग्रेडों के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति नियमों के अनुसार ही की जाती है वशर्ते कि उस समुदाय के उम्मीदवार उपलब्ध हों।

इन मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम में, सामान्यतया रेल मंत्रालय एवं क्षेत्रीय रेलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जाते हैं। वहरहाल, जब सीधी भर्ती द्वारा पद भरे जाते हैं तो वर्तमान नियमों के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था की जाती है।

अहमदाबाद तथा उदयपुर के बीच रेल भाड़े में कटौती

6684. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद तथा उदयपुर के बीच मालगाड़ियों तथा पार्सल गाड़ियों के रेल भाड़े में कटौती की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उदयपुर (राणा-प्रताप नगर) हिम्मतनगर खंड में माल यातायात और अन्य कोचिंग यातायात के लिए माल भाड़ा दरें 1966 में लाइन के चालू, होने के समय से ही वास्तविक दूरी में 50% स्फीति करके, लगायी जा रही हैं क्योंकि सामान्य भाड़ा दरों के आधार पर लाइन को लाभप्रद नहीं पाया गया था। खंड के संचालन के वित्तीय परिणामों की समय समय पर समीक्षा करके यह देखा जाता है कि क्या स्फीति का स्तर घटा दिया या खत्म कर दिया जाय। फिलहाल, राणाप्रताप नगर-हिम्मत नगर (मी० ला०) खंड पर माल और अन्य कोचिंग यातायात के प्रभार के लिए दूरी में स्फीति को कम करने या खत्म करने का कोई विचार नहीं है।

अहमदाबाद से चलने वाली रेल गाड़ियों में सीधे प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाना

6685. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद से चलने वाली और उदयपुर जाने वाली रेल गाड़ियों में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये सीधे दिल्ली जाने वाला प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाया जाता था; और

(ख) यदि हां, तो इस परम्परा को बन्द करने का क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) उदयपुर के रास्ते अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाले पहले एवं दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे की कम लोक प्रियता के कारण मई 1975 में बंद कर दिया गया था।

माल डिब्बों की मांग और प्राप्ति

6686. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग की वर्ष-वार अलग-अलग माल गाड़ी डिब्बों की मांग और वास्तविक प्राप्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान रेल विभाग को भाड़े से होने वाली सम्भावित आमदनी के आंकड़े क्या हैं, और माल डिब्बों की कमी के परिप्रेक्ष में उनकी योजना किस प्रकार लक्ष प्राप्त करने की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) अग्रिम योजना तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्याशित, यातायात को ध्यान में रखते हुए, पंचवर्षीय योजना के आधार पर माल डिब्बों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख माल डिब्बे (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) खरीदने की योजना बनाई गयी थी। उपलब्ध संसाधनों से, योजना अवधि के दौरान अब केवल लगभग 72, 000 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) प्राप्त करना सम्भव पाएगा, जो औसतन 14,400 माल डिब्बे प्रति वर्ष होगा। इसकी तुलना में पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तविक खरीद इस प्रकार है :—

वर्ष	(चौपहियों के हिसाब से)
	वास्तविक खरीद
1981-82	17,362
1982-83	14,000
1983-84	16,602*

*फरवरी 1984 तक 15, 339 माल डिब्बों के उत्पादन के आधार पर प्रत्याशित।

(ख) 1984-85 के लिए 241 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1984-85 में 12000 माल डिब्बों की खरीद करके तथा परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करके यातायात के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

गांव के स्वास्थ्य कर्मचारियों पर किया गया व्यय

6687. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांवों में इस समय स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रत्येक कर्मचारी पर कितनी धनराशि खर्च होती है और सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) सरकार ने उन पर वर्ग 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में कुल कितनी धनराशि, पृथक-पृथक खर्च की है और उक्त अवधि में वर्ष वार स्वास्थ्य कर्मचारियों को कितने मूल्य की औषधियां सप्लाई की गईं; और

(ग) क्या सरकार ने कभी इस योजना का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो सरकार का विचार इसमें क्या सुधार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर नहीं होते परन्तु प्रत्येक गांव/एक हजार ग्रामीण आबादी के लिए लोगों द्वारा चुना हुआ एक स्वास्थ्य गाइड होता है। 30.9.83 की स्थिति के अनुसार देश में 2,90,565 स्वास्थ्य गाइड कार्य कर रहे थे।

प्रत्येक स्वास्थ्य गाइड को 3 माह तक प्रशिक्षित किया जाता है इस दौरान उसे 600/- रुपये की छात्रवृति के रूप में प्रदान किए जाते हैं और प्रशिक्षण के पूरा होने पर उसे एक मैनुअल, एक किट और साधारण औषधियां दी जाती हैं। स्वास्थ्य गाइड को जेब खर्च के लिए प्रतिमाह 50 रुपये और 50 रुपये मूल्य की औषधियां दी जाती हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय नीचे दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य गाइडों को सप्लाई की गई औषधियों का खर्च भी शामिल है—

1980-81	1386.64 लाख रुपये (50 प्रतिशत)
1981-82	1868.89 लाख रुपये (30 नवम्बर, 81 तक 50 प्रतिशत और उसके बाद शत-प्रतिशत)
1982-83	3569.00 लाख रुपये (शत-प्रतिशत)

(ग) हां, इस योजना का पिछला मूल्यांकन 1979 में किया गया और उसके परिणामों के आधार पर इस योजना में संसोधन किया है योजना का दूसरा मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही इस योजना में कोई और सुधार करने पर विचार किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा के लिए छठी योजना में रखी गई धनराशि

6688. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) वर्ष 1980 से आज तक कितने अतिरिक्त बच्चे इसके अन्तर्गत लाये गये हैं और अब तक इस पर कितना खर्च हुआ है; 6-14 वर्ष की आयु सीमा वाले सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत कब तक लाया जाएगा; और

(ग) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह फैसला किया गया था कि 1980 के अन्त तक सभी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिल जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 905 करोड़ रु०।

(ख) गैर-औपचारिक प्रणाली के माध्यम से लगभग 26.50 लाख के दाखिले सहित वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का अनुमानित अतिरिक्त दाखिला लगभग 191 लाख है। वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के लिए अनुमानित खर्च 589.11 करोड़ रु० है। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति-ढ़ांचे के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की लक्षित तारीख 1990 है।

(ग) अत: 20 सूत्री कार्यक्रम में इसके लिए विशिष्ट समय-सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम में छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य पर बल दिया गया है।

रेल सेवा आयोग के चेयरमेन की नियुक्ति

6689. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय रेल सेवा आयोग का कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है;

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) चेयरमैन की नियुक्ति कब तक हो जाने की संभावना है तथा अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) विभिन्न रेलों पर अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती के लिए रेल मन्त्रालय के अधीन 16 रेल सेवा आयोग हैं।

रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिये भर्ती नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार सरकार को उपयुक्त व्यक्तियों के नाम का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होता है जो उस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसकी सिफारिश करता है।

ऊपर उल्लिखित 16 रेल सेवा आयोगों में से 6 आयोगों में नियमित अध्यक्ष हैं। 6 अन्य आयोगों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं जो उन पर विचार कर रहा है। शेष 4 आयोगों के लिये सरकार पैनल में रखने के लिए व्यक्तियों के नामों पर विचार कर रही है। अन्तिम रूप देने के बाद पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया जायेगा।

जब तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन नहीं होता तब तक 8 आयोगों के लिए उपयुक्त रेल अधिकारियों को तदर्थ व्यवस्था के रूप में तैनात कर दिया गया है और शेष 2 आयोगों के लिये तदर्थ व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कालका-शिमला रेल लाइन पर पट्टे पर दी गई रेलवे की जमीन

6690. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें कालका-शिमला रेल लाइन पर दुकानें बनाने के पट्टे पर जमीन दी गई है; और

(ख) किस-किस वर्ग के लोगों को पट्टे पर भूमि आबंटित की गई है और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ): (क) और (ख) कालका-शिमला लाइन के साथ दुकानों के निर्माण के लिए जिन व्यक्तियों को भूमि का लाइसेंस दिया गया उनके नाम और कोटियां संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ऐसे व्यक्तियों की सूची जिन्हें उत्तर रेलवे के कालका-शिमला खंड में विभिन्न स्टेशनों पर दुकानों के लिए भूमि का लाइसेंस दिया गया है:—

क्र० सं०	नाम	कोटि
I कालका		
1.	श्री सुरजीत सिंह	सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पुत्र
2.	श्री भारत भूषण	बाहरी व्यक्ति
II टेकसाल		
1.	श्री जेठू	सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी (अ०जा०)
2.	श्री राम कुमार	रेल कर्मचारी का पुत्र
3.	श्री गुरुचरण सिंह	रेल कर्मचारी का पुत्र
4.	श्री तारा सिंह	रेल कर्मचारी का पुत्र
5.	श्री माम चन्द	बाहरी व्यक्ति
6.	श्री रमेश कुमार	बाहरी व्यक्ति
7.	श्री रघुबीर प्रकाश	सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का पुत्र (अ० जा०)
8.	श्री जगदीश सिंह	रेल कर्मचारी का पुत्र (अ०जा०)
III धरमपुर		
1.	श्री जगदीश चन्द	बाहरी व्यक्ति
2.	श्री गुरबक्स सिंह	बाहरी व्यक्ति
3.	डा० विरेन्दर मोहन	बाहरी व्यक्ति
4.	श्री गोविन्दर नाथ	बाहरी व्यक्ति
5.	श्री टी० सी० जैन	बाहरी व्यक्ति
6.	श्री गुरनाम दास	बाहरी व्यक्ति
IV तारादेवी		
1.	श्री सुरेश चन्द	बाहरी व्यक्ति
2.	श्री प्रेम भारती	बाहरी व्यक्ति
V शिमला		
1.	श्री नरिन्दर कुमार मेहता	सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी का पुत्र
2.	श्री अनिल कुमार	सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी का पुत्र
3.	श्री बालकिशन सूद	बाहरी व्यक्ति

क्र० सं०	नाम	कोटि
4.	श्री तारणजिल सिंह	सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार दत्त	सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारी का पुत्र
6.	श्री परवीन कुमार सिंह	रेल कर्मचारी का पुत्र
VI जालोध		
1.	श्री चेत राम	बाहरी व्यक्ति
2.	श्री गुर बचन सिंह	बाहरी व्यक्ति

नालागढ़ (हिमचल प्रदेश) तक रेल लाइन को उखाड़ना

6691. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ शहर तक रेल गाड़ियां चला करती थीं और वे कितनी चौड़ी लाइन पर चलती थीं; और

(ख) किस वर्ष इस रेल लाइन को उखाड़ दिया गया था और उसके क्या कारण रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय में कोई ऐसा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिसमें नालागढ़ शहर तक गाड़ी सेवा परिचालन दर्शाया गया हो। 1912 अथवा 1952 के भारत सर्वेक्षण मानचित्र में भी नालागढ़ शहर से/तक की किसी रेल लाइन का कोई संकेत नहीं है।

जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारण

6692. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या में औसतन कितनी वार्षिक वृद्धि होती है; और

(ग) जनसंख्या की वृद्धि रोकने का कार्य जिस तंत्र को सौंपा गया है वह स्वयं कहां तक इसके लिए जिम्मेदार है और इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) यह आकलन किया गया है कि देश में 1971-81 के दशक के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कर 2.25 प्रतिशत हो गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के आरम्भ से पहली अप्रैल, 1983 तक लगभग 5.5 करोड़ जन्मों को रोका गया है।

जयपुर को बड़ी लाइन से जोड़ना

6693. **श्री वृद्धि चंद जैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर से सवाईमाधोपुर की छोटी लाइन (130 किलोमीटर) को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव रेल विभाग के विचाराधीन पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, दिल्ली-अहमदाबाद XXX आमान परिवर्तन के संदर्भ में इस खंड का आमान परिवर्तन

करने के लिए 1973 में एक सर्वेक्षण कराया गया था। इस प्रस्ताव पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि स्वयं दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी लाइन परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा नहीं दी गयी है।

"सिख काकटेल मीट एट यू० एस० कांग्रेस हाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6694. श्री दिगम्बर सिंह
श्री सुभाष चंद्र यादव } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में "सिख काकटेल मीट एट यू० एस० कांग्रेस हाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास से इस बीच कोई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमरीका में "सिख अमरीकन्स" के एक वर्ग द्वारा किए जा रहे पृथकतावादी द्वेषपूर्ण और झूठे प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को, इस समारोह के बारे में वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास से सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) इस समारोह से पहले, वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत ने कांग्रेस और सीनेट के सदस्यों से स्वयं बातचीत करके उन्हें यह बताया था कि प्रकट रूप से अमरीकी सिखों को सम्भावित करने के लिए यह जो समारोह किया जा रहा है, उसका उपयोग वस्तुत: भारत के खिलाफ राजनैतिक प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय राजदूत से इस समारोह में आमंत्रित अमरीकी विधायकों को भी पत्र लिखकर उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया था। प्रेस, जिसमें भारतीय समुदाय का प्रेस भी शामिल है, को इसकी उपयुक्त रूप से जानकारी दी जाती रही है। राजदूतावास, यथावश्यकता इस अलगाववादी प्रचार का प्रभावशाली तरीके से उत्तर देने के हरेक मौके का इस्तेमाल करता है।

नई जलपाईगुड़ी अलीपुर द्वारा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6695. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जंकशन के बीच बरास्ता माल (उत्तर सीमांत रेलवे) रेल लाइन की बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1984-85 में मलेरिया, कुष्ठ, क्षय, अंधेपन और कैंसर की रोकथाम के लिए उठाये गये कदम

6696. श्री चिंतामणि जेना
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलेरिया, कुष्ठ, क्षय, अन्धापन और कैंसर रोग प्रमुख रोग हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इन रोगों पर काबू पाने के लिए वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कदम उठाये गये है;

(ग) क्या यह सच है कि समाज के कमजोर वर्ग इन रोगों से अधिक पीड़ित हैं; और

(घ) यदि हां, तो 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में इन रोगों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) मलेरिया, कुष्ठरोग, क्षयरोग, दृष्टिहीनता और कैंसर जन स्वास्थ्य के प्रमुख रोग हैं । यह भी देखने में आया है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग इन रोगों, विशेषकर मलेरिया, कुष्ठ, तपेदिक और दृष्टिहीनता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि ऐसे लोगों में पोषण की कमी होती है और वे अति संकुलित हाल में रहते हैं जिनसे इन रोगों की प्रवणता पैदा हो जाती है। भारत सरकार ने इन रोगों पर काबू पाने उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वित किये हैं । इसके अलावा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दृष्टिहीनता नियत्रंण कार्यक्रमों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इन नियंत्रण कार्यक्रमों को चालू पंचवर्षीय योजनावधि में प्राथमिकता दी गई है । इन कार्यक्रमों को स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के जरिए प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कार्यक्रमों के लाभ दूर—दराज के क्षेत्रों तथा गांवों को भी मिल सकें ।

टर्मिनल प्वाइंटों पर डी० टी० सी० के यात्रियों को उनकी सीटों पर टिकट दिया जाना

6697. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० टी० सी० बसों के कंडक्टर टर्मिनल प्वाइंटों पर बस में बिना घूमे अपनी सीट पर बैठे ही यात्रियों को टिकट देते हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि कंडेक्टरों द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रथा के कारण बसों में चढ़ने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कंडक्टरों को बसों में घूमकर यात्रियों को उनकी सीटों पर टिकट देने के कड़े अनुदेश जारी करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बस के शुरू होने के स्थान पर कंडक्टर द्वारा यात्रियों को सीट पर जाकर टिकट नहीं देने के सम्बन्ध में शिकायत कभी कभी प्राप्त होती हैं । तथापि, कंडक्टरों को स्थायी आदेश दिया जा चुका है कि टर्मिनल स्थानों पर चलवाने के पहले प्रत्येक यात्री को उनकी सीट पर जाकर टिकट वितिरत करें । समय—समय पर इस आदेश को दोहराया जाता है । इसके अलावा, भीड़-भाड़ के समय प्रमुख टर्मिनलों और बीच के स्थानों पर यात्रियों को पहले ही से टिकट दिये जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम अग्रिम टिकट विक्रेता कंडक्टर भी तैनात करता है । इस सम्बन्ध में निगम

में जब कभी कोई विशेष शिकायत प्राप्त होती है दोषी कर्मचारी के खिलाफ सामान्यत: उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

विभिन्न क्षेत्रों से माल डिब्बों की मांग

6698. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों से वर्ष 1983-84 में माल भेजने के लिए कितने माल डिब्बों की मांग की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान रेल विभाग ने वास्तव में उन क्षेत्रों को कितने माल डिब्बे सप्लाई किए हैं;

(ग) क्या रेल विभाग को माल डिब्बों की मांग के सम्बन्ध में मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो मन्दी के क्या कारण हैं; और

(ङ) मन्दी की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान, 241 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात की ढुलाई की मांग होने की प्रत्याशा थी, लेकिन, महत्वपूर्ण क्षेत्रों से यातायात कम प्राप्त होने के कारण लदान अनुमान से कम हुआ। फरवरी, 1984 तक कुल 207.71 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात का लदान हुआ और 1983-84 में फरवरी, 1984 तक, चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से प्रारम्भिक माल यातायात का कुल लदान बड़ी लाइन पर 9,172, 957 माल डिब्बों और मीटर लाइन पर 1,614,245 माल डिब्बों का हुआ।

(ग) से (ङ) अप्रैल से नवम्बर, 1983 तक अनेक कारणों से, विशेषक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से, रेलों को कम यातायात प्राप्त हुआ। बहरहाल, दिसम्बर, 1983 के बाद इसमें तेजी आयी। रेलों को अधिकतम यातायात उपलब्ध कराने के लिए रेल परिवहन उपयोगकर्ताओं के साथ निकट संपर्क बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक यातायात प्राप्त करने के लिए भी उचित रियायतें भी दी गई हैं।

उड़ीसा में तुमकेलाघाट (बोनाय गढ़) के पास ब्राह्मणी नदी के पार पुल

6699. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तुमकेलाघाट (बोनायगढ़) के पास ब्राह्मणी नदी के पार राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 23 पर पुल बनाने की मंजूरी देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जिस का प्रस्ताव काफी समय से मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) उक्त कार्य कब शुरू किया जायेगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा में (बोनायगढ़) तुमकेलाघाट के समीप ब्राह्मणी नदी पर पुल के निर्माण के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति ने अनुमोदित कर दिया है। आवश्यक वित्तीय संस्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) अनुमान की संस्वीकृति जारी किये जाने और टेंडर्स को अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

वर्ष 1983 के दौरान पोतों की मरम्मत

6700. **श्री जेवियर**: क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान कितने पोतों की मरम्मत की गई तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इस प्रकार का मरम्मत कार्य कहां पर किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम मरम्मत कार्यों को भारतीय मरम्मत गोदियों को नहीं सौंपता है;

(घ) वर्ष 1983 के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा भारत तथा विदेश में कितने ड्राई डोक्स पोतों की मरम्मत कराई; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) (1) कलकत्ता पोर्ट (2) बम्बई पोर्ट (3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड ड्राई डाक (4) कोचीन शिपयार्ड ड्राईडाक (5) मझगांव डाक लि० ड्राई डाक (6) गोवा शिपयार्ड और राजावागान डाकयार्ड।

(ग) नहीं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 निर्माण में हुई प्रगति

6701. **श्री जेवियर अराकल**: क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और इस कार्य को पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 का कार्य केरल के एर्णाकुलम जिले में ठप्प पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 का लगभग 420 कि० मी० भाग (नगरपालिकी सीमा में पड़ने वाली 60 कि० मी० सड़क सहित) केरल में पड़ता है। इसके राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद सड़क/पुल और अन्वेषण आदि के मूल कार्य के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य के अनुमानों की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर प्रमुख निर्माण कार्यों (सड़क/पुल निर्माण कार्य) के लिए 1983-84 में 255.14 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था और सड़क तथा पुल के लिए 1984-85 में 217.84 लाख रुपए उपलब्ध होने की संभावना है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 पर चालू निर्माण कार्य पर प्रगति की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है। यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 का निर्माण कार्य कब पूरा होगा क्योंकि विकास कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाती है। मौजूदा मामले में केरल सरकार ने इर्नाकुलम-जिले में किसी निर्माण कार्य के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

विवरण

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर चालू कार्य की प्रगति

पुल निर्माण

क्र० सं०	पुल का नाम	स्वीकृत की तारीख	स्वीकृति खर्च संशोधित अनुमान (लाख रुपए)	मौजूदा स्थिति	पूरा होने की तारीख
1.	282/0 कि० मी० पर पनाम्पुथा पुल	5.5.82	17.30	सभी बुदियाद और सब स्ट्रक्चर पूरे हो गए हैं तथा सुपर स्ट्रक्चर पर काम चल रहा है।	जून, 1984
2.	342 कि०मी० पर पुडोपन्नी पुल	22.7.76	19.08/60.64	सभी सब स्ट्रक्चर पूरे हो गए हैं तथा सुपर स्ट्रक्चर पर काम चल रहा है	जून, 1984
3.	412/0 कि० मी० पर कोटापुरम पुल	20.12-79	262.78 496.48	सभी बुनियादें पूरी हो गई हैं सब स्ट्रक्चर का काम अन्तिम चरण में है और सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है।	दिसंबर 1984
4.	370/0 कि० मी० पर चुतुवई पुल	23.4.80	109.77 207.59	वेल फाउण्डेशन में काम चल रहा है।	दिसम्बर, 1985

सड़क निर्माण

क्र० सं०	संक्षेप में निर्माण कार्य का नाम	जाच स०	भौतिक प्रगति	पूरा होने की तारीख
1.	पुडोपोन्नई पुल के पहुंच मार्ग	320/केरल/17	65 प्रतिशत	जून, 1984
2.	चितुवई पुल के पहुंच मार्ग	360/केरल/17	30 प्रतिशत	जून, 1985
3.	कुट्टीपुरम पुल के पहुंच मार्गों के लिए भूमि खरीद·	363/केरल/17	शुरू किया गया है	मार्च, 1985
4.	कोट्टापुरम पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण	371/केरल/17	20%	मार्च, 1986
5.	सड़क और पुल निर्माण के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण	293/केरल/17	65%	दिसम्बर, 1984

आदिवासी भाषाओं का विकास

6702. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ आदिवासी भाषाओं और बोलियों के विकास के लिए कदम उठाए है;

(ख) क्या आदिवासी भाषाओं/लिपियों और बोलियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भी भेजे गए है;

(ग) यदि हां, तो छठी योजना अवधि में विभिन्न आदिवासी लिपियों बोलियों और भाषाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्यों ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) छठी योजना में फुंचिकी लिपि का विकास करने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां,

(ग) केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने भाषाई चित्रण और सामग्री तैयार करने के लिए निम्नलिखित 52 आदिवासी और सीमान्त भाषाओं/बोलियों को लिया है:—

कार निकोबारसी, आदि, अपातनी, मिषमी, नॉकटे, भोंपा, निशी, तगिन, बोडो, मिकिर, मिरी (मिसिंग) करबी, दिमासा, कुरूवश, माल्टो, मुंदारी, लद्दाखी, (बोद्धी) पुर्की (बाल्टी), शिना, ब्रोक्सक्त, गोजरी जेनू कुरुबा, सोलिगा, मणिपुरी (मैथेयी), थादो, थंगसुल, माओं, हमार, पैंटे अबुज मरियर, डोरली, बिसोन, हार्न मरिया (गोंडी बोलियां), खासी, गारो, मिजो, (लुशई) आओ, अंगामी, सेमा, लोथा, नागा पिडगिन, कोन्यक, कुवी, कोया, गुलाब, भूमिज (हो), भिली (वाग्दी बोली), सिक्किम भुटिया, स्पिति क्रोटा, इरुला, कोक बोरोक (त्रिपुरी), संथाली,

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने राज्य सरकारों के साथ सहयोगी कार्य आरम्भ किया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ भरिया गौंदी, वारली और कोल्काणी और कर्नाटक सरकार के साथ जानू कुरूबा और सौलिगा के संबंध में कार्य किया गया है।

(घ) ओलचिकी पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

मुहानों रेल के निकट डम्पों का निर्माण

6703. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रेल मुहानों के पास महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिये डम्प बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के लिये रेल मुहानों के पास डम्प बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) लगभग कितने डम्प निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उन डम्पों की लागत कितनी है और इसके लिये वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोयला उर्वरक, इस्पात और सीमेंट जैसी प्रमुख वस्तुओं के लिए अस्थायी गोदाम बनाने के सम्बन्ध

में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, रेल मंत्रालय ऐसे अस्थायी गोदामों को बनाने से सम्बधित प्रस्तावों को अपना समर्थन देता है।

(ग) ज्ञात नहीं है अथवा विनिश्चित नहीं किये गये हैं।

(घ) और (ड़) अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आठ पहियों वाले वैगनों की शुरूआत तथा बाक्स एन वैगनों को बदलना

6704. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का आठपहियों वाले एक नये वैगन की शुरूआत करने तथा-बाक्स-एन वैगनों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नई बोगी वैगन के डिजाइन के कब तक तैयार हो जाने की आशा है;

(ग) क्या सरकार ने पहले ही लगभग 1000 'बाक्स-एन' वैगनों को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा उन वैगनों को किस प्रकार उपयोग में लाने की योजना है; और

(ङ) उनके मन्त्रालय द्वारा पहले ही प्राप्त किये गये 'बाक्स-एन' वैगनों का मूल्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) माल-डिब्बों की नयी और बेहतर डिजाइन तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है और सीमेंट, कोयला, खाद्यान्न, आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष किस्म के आठ-पहिया माल डिब्बों का डिजाइन तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है। बी ओ एक्स एन माल डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) फरवरी 1984 के अन्त तक 4406 बी० ओ० एक्स० एन० माल डिब्बे प्राप्त किये गये हैं।

(घ) सी आई सी कोल फील्ड से पश्चिमी भारत तक कोयले को ढुलाई के लिए बी ओ एक्स एन गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं। चूंकि और अधिक बी ओ एक्स एन माल डिब्बों का उत्पादन किया जा रहा है। अतः, लौह अयस्क तथा कोयले की ढुलाई के लिए इन्हें अन्य क्षेत्रों में लगाया जायेगा।

(ङ) फरवरी, 1984 के अन्त तक प्राप्त बी ओ एक्स एन माल डिब्बों की अनुमानित लागत लगभग 198 करोड़ रुपये है।

मोजाम्बीक के साथ दक्षिण अफ्रीका की युद्ध न करने की संधि

6705. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रिका ने मोजाम्बीक के साथ युद्ध न करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या यह समझौता अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य अफ्रीकी देशों के अफ्रीकी लोगों के स्वाधीनता संग्राम को एक आघात सिद्ध होगा; और

(ग) इस संबंध में अफ्रीकी हितों का समर्थन कर रही भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) दो सरकारों के बीच के मामलों पर टिप्पणी करना हमारी नीति नहीं है, हालांकि इस मामले में दक्षिण अफ्रीका के जाति वादी प्रशासन के साथ हमारा कतई कोई संबंध नहीं है । मोजाम्बीक सरकार ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो दक्षिण अफ्रीका स्वाधीनता का एक मान्यता प्राप्त आंदोलन है, अपना समर्थन जारी रखा है ।

(ग) भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता संघर्ष को नैतिक, सामग्रीगत और राजनयिक समर्थन देने की नीति पर बराबर चल रही है ।

"नाटो" तथा वारसा समझौता के बीच वार्ता

6706. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप में सैन्य बल में कटौती करने के लिए 'नाटो" तथा वारसा समझौते पर हाल में पुनः बातचीत की गई थी;

(ख) क्या यह बातचीत 10 वर्षों के अन्तराल के पश्चात की गई थी;

(ग) गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष होने के नाते इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और वारसा संधि संगठन (डब्ल्यू टी ओ) राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच मध्य यूरोप में पारस्परिक रूप से सेना और हथियारों में कमी करने और अन्य उपाय करने के संबंध में, सैन्य बल में पारस्परिक और सन्तुलित कमी करने के संबंध में अथवा साधारण शब्दों में मध्य यूरोप में सैन्य बल में कमी करने के सम्बन्ध में वार्ता सबसे पहले वियना में 30 अक्तूबर, 1973 को शुरू हुई और तब से यह वार्ता तैयारी, परामर्श और विश्राम के लिए आवश्यक सहमत अन्तरालों को छोड़कर, दस वर्ष से कुछ अधिक समय से चल रही है ।

(ग) भारत सरकार ने हथियारों को सीमित करने और निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति के विचार से विभिन्न मंचों पर वार्ता शुरू करने, वार्ता जारी रखने अथवा पुनः वार्ता करने का हमेशा समर्थन किया है । अपने इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार मध्य यूरोप में सैन्य बल में कमी लाने के सम्बन्ध में वार्ता जारी रखने का स्वागत करती है । भारत का विश्वास है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्यों का भी बुनियादी तौर पर यही दृष्टिकोण है ।

इराक द्वारा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमरीका से साहायता मांगना

6707. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी प्रधान मंत्री द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से किए गए भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी ईरान और इराक के बीच संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या इराक अब युद्ध को समाप्त करने के लिए अमरीका से सहायता मांग रहा है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मान खतरे में है;

(ग) क्या इराक के विदेश मंत्री इस संबंध में अमरीका के असिस्टेंट सैक्रेट्री आफ स्टेट से मिले थे;

(घ) क्या अमरीका स्टेट विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में यह पुष्टि की थी कि अमरीका ने ईरान को पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए एक गुप्त राजनयिक अभियान शुरू किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षा होने के नाते प्रधान मंत्री निरन्तर इस बात की कोशिश कर रही है कि ईरान और इराक के बीच का दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष किसी तरह समाप्त हो जाय।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमरीका और इराक बीच के संपर्कों की सरकार को जानकारी है। राष्ट्रपति रीगन के विशेष दूत डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने दिसम्बर, 1983 में इराक की यात्रा की थी और संयुक्त राज्य अमरीका के सहायक विदेश मंत्री रिचार्ड मर्फी जनवरी, 1984 में बगदाद में थे। इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने इराकियों के किन विषयों के बारे में बातचीत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रतिष्ठा पर इन संपर्कों और बैठकों का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) और (ङ) सरकार के पास इन खबरों का कोई विस्तृत विवरण नहीं है कि अमरीका इस बात की कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी देश ईरान को हथियारों की सप्लाई बन्द कर दे।

(च) गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दो सदस्यों के बीच इस दुःखद युद्ध को समाप्त कराने के सभी प्रयासों का सरकार स्वागत करती है।

भोजन तथा खाद्य वस्तुओं की आवधिक जांच

6708. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई रेलवे प्राधिकरण रेल गाड़ियों और रेलवे खानपान कक्षों में दोनों में दिए जाने वाले भोजन और अन्य खाद्य बस्तुओं की आवधिक जांच कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"यू० एस० ऐड विद स्ट्रिंग्स पालिसी में हिट इंडिया" शीर्षक से छपा समाचार

6709. **श्री मनमोहन दत्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च 1984 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" (कलकत्ता संस्करण) के पृष्ठ एक के कालम एक पर "यू एस ऐड विद स्ट्रिंग्स पालिसी में हिट इंडिया" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया कि अमरीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों को अपने दृष्टिकोण का अनुसरण करने हेतु विवश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपने अंशदान को घटाने की अपनी वर्तमान नीति का परित्याग किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : जी हां ।

(ख) और (ग) अमरीकी कांग्रेस ने 1983 में दो संकल्प पारित किए थे, जिनमें विदेश मंत्री से यह अनुरोध किया गया था कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश की नीतियों के बारे में कांग्रेस को हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें । इनमें से एक संकल्प में यह विशेष उल्लेख किया गया था कि इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र में होने वाले मतदान से यथापरिलक्षित अमरीकी विदेश नीति के प्रति प्रत्येक दूसरे देश द्वारा दिये जाने वाले समर्थन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसमें राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया था कि वे उन देशों को विदेशी सहायता देने से इंकार कर सकते हैं, जिनकी नीतियां संयुक्त राज्य अमरीका का निरन्तर रूप से विरोध करती हुई पाई जाती हैं ।

यद्यपि किसी विशिष्ट विषय पर संयुक्त राज्य अमरीका कोई भी ऐसा नियम बना सकता है जिसे वह उपयुक्त समझता हो, तथापि भारत सरकार रिआयती वित्तीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र में मतदान पद्धति के बीच किसी परस्पर संबंध को स्वीकार नहीं कर सकती ।

भारत और अर्जेंटिना के बीच सीधी नौवहन

6710. श्री मनमोहन टुडु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेंटिना और भारत के बीच सीधी नौवहन सेवाएं प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच परिवहन सेवाएं शुरू करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारतीय बन्दरगाहों और अर्जेंटिना के बीच नौवहन सेवाएं कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) भारत और अर्जेंटिना के बीच जहाजी सेवा शुरू करने के लिए भारतीय नौवहन निगम और अर्जेंटिना की इल्मा लाइन्स ने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सिंगापुर में माल व यात्रियों को एक जहाज से दूसरे जहाज में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था की गई है । दोनों कंपनियां इस सेवा का ब्यौरा तैयार कर रही हैं । आशा है कि प्रक्रिया संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल कर दिये जाने के बाद यह सेवा जल्दी ही शुरू हो जाएगी ।

जैपोर (उड़ीसा) में रेलवे साइडिंग बनाना

6711. श्री मनमोहन टुडु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित सीमेंट कारखाने के लिए जैपोर (उड़ीसा) में एक रेलवे साइडिंग बनाई जाए;

(ख) क्या रेलवे ने जैपोर में रेलवे साइडिंग बनाने की स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे स्वीकृति कब दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा लिमिटेड ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के कोट्टवलासाकिरुंदुल खंड पर जायपुर के नज-

दीक स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र के लिए रेल यातायात सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु स्वीकृति देने का रेलवे से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) दक्षिणपूर्व रेलवे के कोट्टवलासा-किऊंदल खंड पर लाइन क्षमता की तंगियों के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी।

(घ) इस लाइन की क्षमता में वृद्धि के औचित्य की जांच-पड़ताल करने के लिए सर्वेक्षण का आदेश किया गया है। इसके औचित्य और लक्ष्य समय का सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी सभी पहलुओं से जांच करने के पश्चात् पता लगेगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बहिरंग विभाग/आपात सेवाओं में वरिष्ठ डाक्टरों का उपलब्ध न होना

6712. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बहिरंग विभाग और आपात सेवाओं को कनिष्ठ डाक्टर-स्नातकोत्तर छात्र अथवा रजिस्ट्रार चलाते हैं और वरिष्ठ डाक्टर बहिरंग विभाग/आपात सेवाओं में बहुत कम उपस्थित होते हैं;

(ख) क्या दिनांक 17 मार्च, 1984 के "करंट मैगजीन" से "एस होस्पिटल आर डैथ ट्रैप" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में आपात सेवाओं में रोगियों को देखने में की जा रही उपेक्षा के मामलों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि बहिरंग विभाग और आपात सेवाओं में रोगियों के लिये वरिष्ठ डाक्टर उपस्थित हों और बहिरंग विभाग उसके कार्य समय में हमेशा मिलते रहें और आपात सेवाओं में आवश्यकता के अनुसार विचार-विमर्श करने, सलाह देने और उपचार के लिये मिले और उनके लिये रोगियों की संख्या निर्धारित करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बहिरंग रोगी विभाग का सारा काम विभागों/एककों के अध्यक्षों और विशेषज्ञों के अधीन होता है जो स्वयं भी बहिरंग रोगी विभाग में काम करने हेतु जाते हैं। इसके अतिरिक्त काल ड्यूटी वाले संकाय सदस्य आवश्यकता पड़ने पर गम्भीर रूप से पीड़ित रोगियों को देखते हैं। आपातिक रोगियों की देख भाल करने में अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

"ओवर चार्जिंग आन डी० टी० सी० आउट स्टेशन रूट्स एलेज्ड"

6713. **डा० एम० यू० आजमी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ओवर चार्जिंग आन डी० टी० सी० आउट स्टेशन रूट्स एलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 15 मार्च को हरिद्वार तथा दिल्ली के बीच चल रही एक डी० टी० सी० बस (डी० एच० पी० 3903) के 50 यात्रियों से अधिक धन-

राशि वसूल की गई तथा यात्रियों द्वारा यातायात अधीक्षक से शिकायत की गई जो मेरठ से कुछ दूरी पर बस में चढ़ा था;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों से अधिक धन वसूल करने तथा यात्रियों की शिकायतों पर कोई ध्यान न देने के लिए यातायात अधीक्षक तथा कण्डक्टर के विरुद्ध क्रमशः क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(ग) कंडक्टरों को स्थायी आदेश दिये गये हैं कि वे टर्मिनल पहुंचने के पहले यह सुनिश्चित करें कि यात्रियों को किराये के आधार पर ठीक-ठीक दिये गये टिकट हैं और यात्रियों को शेष पैसे वापस किये जा चुके हैं। आकस्मिक चैकिंग भी की जाती है और दोषी कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर उसकी छानबीन भी की जाती है जिससे इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में दुबारा नहीं हों।

दिल्ली सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

6714. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और रोगियों को फर्श पर रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में से प्रत्येक में इस समय कितने रोगी फर्श पर रखे गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिस्तर दिये जाने में भेदभाव बरता जा रहा है और रोगियों को बिस्तर दिया जाता है अथवा फर्श पर लिटा दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार सभी रोगियों के लिये बिस्तर उपलब्ध करायेगी और इस संबंध में भेदभाव करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमुदबेन एम०जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में रोगी न केवल दिल्ली से बल्कि अनेक पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं। इसके परिणामस्वरूप, जितने पलंग उपलब्ध हैं मांग प्रायः उससे अधिक होती है चूंकि उन रोगियों को वापस भेजना संभव नहीं होता जिनकी ओर प्रायः तत्काल ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अंतरंग-रोगी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी अथवा काम-चलाऊ व्यवस्था करनी पड़ती है। रोगियों को पलंग देने में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता।

सरकार ने शाहदरा और हरिनगर में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पताल और मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर तथा जफ्फरपुर में 100-100 पलंगों वाले तीन अस्पताल खोलने का निर्णय किया है। जब ये अस्पताल खुल जाएंगे तो वर्तमान अस्पतालों पर दबाव काफी हद तक घट जाएगा और ये सरकारी अस्पताल रोगियों को समुचित सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

बिना रेल सेवा वाले क्षेत्रों के लिए रेल सेवा

6715. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं और उनकी कितनी-कितनी जनसंख्या है जहां अभी भी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इन क्षेत्रों को रेल सेवा प्रदान करने की वर्तमान और भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा कितने समय में रेल सेवा उपलब्ध हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के उन क्षेत्रों (जिलों), जहां पर फिलहाल कोई रेल लाइन नहीं है, के नाम नीचे दिये गये हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों (जिलों) को जोड़ने वाली निर्माणाधीन रेल लाइनें भी नीचे दी गयी हैं। रेल मंत्रालय जनसंख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों (जिलों) की जनसंख्या के आकड़े देना संभव नहीं है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम (जिलों के नाम सहित)

1. हिमाचल प्रदेश

बिलासपुरा, चम्बा, हमीरपुर, किनौर,कुल्लू, लाहौल स्पिति, सिरमौर, ऊना,

*(ऊना को जोड़ने के लिए नंगल डैम-तलवाड़ा रेल लाइन निर्माणाधीन है)

2. जम्मू और कश्मीर

अनन्तनाग, फुलवामा, श्रीनगर, बडगाम, बरामूला, कुपवाड़ा, करगिल, लेह, दोडा, ऊधमपुर, राजौरी, पुंच।

*(ऊधमपुर को जोड़ने के लिए जम्मू-ऊधमपुर लाइन निर्माणाधीन है)

3. कर्नाटक

कोदगू

4. केरल

अल्लपी, इदुक्की।

*(अल्लपी को जोड़ने के लिए एरणाकुलम-एल्लपी लाइन निर्माणाधीन है)

5. मध्य प्रदेश

छत्रपुर, धार, पन्ना, शिवपुरी।

6. महाराष्ट्र

(बीड) भीर, रतनगिरी।

7. मणिपुर

मणिपुर सेंट्रल : मणिपुर ईस्ट, मणिपुर नार्थ, मणिपुर साउथ, मणिपुर वेस्ट, तेंगनोउपल्ल।

*(मणिपुर सेंट्रल को जोड़ने के लिए सिलचर-जिरीबाम लाइन निर्माणाधीन है)

8. मेघालय

खासी और जयंतिया हिल्ज गारो हिल।

*(खासी और जयंतिया हिल्ज को जोड़ने के लिए गुवाघटी-बर्नीहाट लाइन निर्माणाधीन है)

9. नागालैंड

मोकीकचुंग, मोन, फेक, तुएनसंग, वोखा, जुन्हेबोटो ।

*(मोकीकचंग को जोड़ने के लिए आम गुड़ी-तुली लाइन निर्माणाधीन है)

10. उड़ीसा

पूलबनी

11. राजस्थान

बांसवाड़ा

12. सिक्किम

ईस्ट, नार्थ, साउथ, वेस्ट,

13. त्रिपुरा

साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा

14. उत्तर प्रदेश

अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी ।

15. अरुणाचल प्रदेश

वेस्ट कमेंग, ईस्ट कमेंग, लोअर सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, दिबेंग वैली, लोहित, तिरप ।

*(वेस्ट कमेंग को जोड़ने के लिए बालीपाड़ा-भालुकपौंग लाइन निर्माणाधीन है)

16. अंडमान निकोबार द्वीप समूह

अण्डमान, निकोबार

17. दादर और नगर हवेली

18. गोआ दमन द्वीव

दमन दीव

19. लक्ष द्वीप

20. मिज़ोरम

*(मिज़ोरम को जोड़ने के लिए लालबाजार-भेराबी लाइन निर्माणाधीन है)

21. पांडीचेरी

यणम

*जहां तक विभिन्न निर्माणाधीन और ऊपर उल्लिखित लाइनों के पूरा होने की लक्ष्य-तिथि का संबंध है, इनका पूरा होना, इन परियोजनाओं के लिए समय-समय पर संसाधनों की उपलब्धता तथा आवंटित धन की मात्रा पर निर्भर करेगा ।

चंडीगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में टी०जी०टी० ग्रेड में अध्यापक

6716. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री चण्डीगढ़ में केंद्रीय विद्यालयों में टी० जी० टी० ग्रेड में अध्यापकों के बारे में 7 अप्रैल, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 6297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अध्यापकों को अब स्थायी कर दिया गया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची से गायब नामों को सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उनको स्थायी करने की तारीखें क्या हैं तथा वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर उनकी क्रम० संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां।

(ग) वांछित सूचना निम्नलिखित है:—

अध्यापक का नाम	वरिष्ठता संख्या	स्थायी बनने की तारीख
श्रीमती एस भारद्वाज	929—क	1.10.1975
श्रीमती डी० जी० सिंह	1220—क	1.8. 1977

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए विदेशी सहायता

6717. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने विज्ञान संकायों में सुधार करने के लिए विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी सहायता मिलने की संभावना है और देश के किस संस्थान के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने जापान से उपस्कर आयात करने के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक जापानी सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। मोटे तौर पर यह उपस्कर विश्वविद्यालय के भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति तथा जीव-विज्ञान के प्रोन्नत अध्ययन केन्द्रों के लिए है। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उसे जापानी प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रालय के किराये पर किये गये भवनों में कार्यालय

6718. **श्री के० बो० एस० मणि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के उन विभिन्न कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों के नाम क्या हैं जो दिल्ली में किराये के भवनों में कार्यरत हैं और वे कब से कार्यरत हैं;

(ख) इन कार्यालयों द्वारा किराये पर लिए गए भवनों का मासिक किराया कितना है;

(ग) किराये पर लिए जाने के दिन से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन के लिए कुल कितना किराया दिया जा चुका है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करना नहीं चाहती है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि राजकोष पर व्यय भार कम करने के लिए सरकार ने अपने कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरित करने के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस मंत्रालय का दिल्ली स्थित कोई भी कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय किराए के मकान में नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गम्भीर रोगियों को दाखिल करने से इंकार करना

6719. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जिन रोगियों को ले जाया जाता है, उन्हें सामान्यतः चारपाई देने से इन्कार किया जाता है चाहे उनकी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गम्भीर हालत वाले रोगियों को दाखिल करने से इंकार न किया जाये, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रोगियों के बारे में सूचना देने के लिए प्रत्येक बार्ड में एक व्यक्ति को तैनात करने की व्यवस्था है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में आमतौर पर गम्भीर हालत वाले रोगियों को पंलग नहीं दिए जाते हैं। अस्पताल की कैज्युल्टी में आने वाले सभी आपाती रोगियों का तुरन्त इलाज शुरू कर दिया जाता है और सभी गम्भीर रोगियों को, जिन्हें अस्पताल में भरती करने की जरूरत होती है, भरती कर लिया जाता है और यदि उन्हें भरती करना आवश्यक नहीं समझा जाता अथवा पलंग उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें सुरक्षित हालत में लाने के लिए उनका प्रारम्भिक उपचार करने के बाद अथवा उसमें सुधार लाने के बाद यदि आवश्यक हो तो उनका पुनरूज्जीवक उपचार करके अन्य स्थानीय अस्पतालों में भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पाल में एक केन्द्रीय प्रवेश एवं पूछताछ कार्यालय है, जो दिन-रात खुला रहता है और विभिन्न विभागों में दाखिल रोगियों के बारे में आम जनता को सूचना प्रदान करता है।

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र अस्पताल में मिलने के समय के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ रेजीडेंट को उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक वार्ड का दौरा करने हेतु भेजा जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भीड़भाड़ समाप्त करना

6720. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की अपनी कितनी बसें हैं;

(ख) दिसम्बर, 1983 तथा फरवरी, 1984 के अन्त में उनमें से कितनी बसें चालू हालत में थी;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम में कितनी बस अनुबन्ध के अधीन चल रही हैं;

(घ) बसों में भीड़भाड़ की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत से मार्गों पर यात्री फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करते हैं और इस तरह अपने जीवन को खतरे में डालते हैं; और

(च) यदि हां, तो भीड़-भाड़ को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 31-3-1984 को दिल्ली परिवहन निगम के पास 4134 बसें थीं।

(ख) दिसम्बर, 1983=3,747 बसें

फरवरी, 1984=3,825 बसें

(ग) 29 फरवरी, 1984 को दिल्ली परिवहन निगम के अधीन विभिन्न स्कीमों के अधीन निजी चालकों की 1078 गाड़ियां थीं।

(घ) से (च) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अधिक सवारी चढ़ाने और भीड़-भाड़ की स्थिति के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। तथापि यह भीड़-भाड़ केवल पीक आवर्स में ही होती है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर दिल्ली परिवहन निगम भीड़ कम करने की कोशिश करता है। खराब बसों की संख्या को कम की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम 1032 पुरानी बसों को बदलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिया है। इससे सड़क पर चलने वाली बसों की संख्या में वृद्धि होगी और भीड़-भाड़ में कमी आयगी। दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली निजी चालकों की बसों की संख्या में भी निगम ने वृद्धि की है।

पटना में गंगा नदी पर पुल

6721. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके किस अवधि तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस पुल का तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है जो कुल मिलाकर 50% हो चुका है ब्यौरेवार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच कर लेने के बाद बिहार सरकार के परामर्श से इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाए।

हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग पालन

6722. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग पालन के बारे में 1 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन से कोई सूचना प्राप्त हुई है, यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में चीन जनवादी गणराज्य के साथ कोई सहयोग करने का प्रस्ताव किया गया है और उसे बढ़ावा दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

राष्ट्रमंडल देशों में जाति भेद

6723. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मंडल के अनेक देशों में जातिभेद है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर हाल ही में राष्ट्र मंडलीय देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी; और

(ग) क्या विश्व के जातिभेद के विरुद्ध सरकार कोई राजनयिक कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सभी राष्ट्र मंडल देशों की सरकारें किसी भी तरह के जातिवाद का विरोध करने के लिए वचनबद्ध हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने हमेशा ही विश्व के किसी भी भाग में जातीय भेदभाव की निंदा की है और भविष्य में भी इसकी निंदा करती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारी यही कोशिश रहेगी कि दक्षिण अफ्रीका में पृथग्वासन की कुप्रथा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष के समर्थन में आम राय कायम की जा सके।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन का सुझाव

6724. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महिला दक्षता समिति के स्वयं सेवकों के लिए नई दिल्ली में 19 जनवरी, 1984 को अर्ध कानूनी (पैरा लीगल) शिक्षा वर्कशाप में हुए विचार-विमर्श की ओर दिलाया गया है;

(ख) इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने और विशेषकर दहेज की परिभाषा और समय सीमा, जिसमें दुल्हन के माता पिता द्वारा शादी की तारीख से किये जाने वाला खर्च दहेज माना जाए, के बारें में क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यशाला की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के संशोधन करने से सम्बन्धित एक विधेयक विचाराधीन है और दिये गये सुझावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

लेबनान में अमरीकी फौजों की उपस्थिति

6725. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अमरीका की लेबनान में लगातार उपस्थिति और वहां पर अपनी फौजें रखने पर सरकार की नवीनतम प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : राष्ट्रपति रीगन ने 7 फरवरी को यह घोषणा की थी कि बहुराष्ट्रीय शान्ति सेना के एक अंग के रूप में जो अमरीकी

मैरीन लेबनान में है, उन्हें तटवर्ती अमरीकी युद्धपोतों पर "पुनर्नियोजित" किया जाएगा। तभी से लेबनान से अमरीकी मैरीन हटा ली गई है। हमारी सामान्य नीति यह है कि लेबनान से सभी विदेशी शक्तियों को हटाया जाना चाहिए और इसकी शुरूआत इस्राइल से होनी चाहिए।

राजस्थान में बलवाड़ा गांव के नजदीक 10 जनवरी, 1984 को लेवल क्रासिंग पर हुई दुर्घटना

6726. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलवार, 10 जनवरी, 1984 की राजस्थान में जालोर जिले में बलवाड़ा गांव के नजदीक चौकीदार वाले लेवल क्रासिंग पर एक रेल गाड़ी के बस से टकरा जाने से हुई दुर्घटना में कम से कम 10 व्यक्ति मारे गए और 11 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे और इस स्थान पर किसी प्रकार की लेवल क्रासिंग दुर्घटना न होने देने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 10-1-84 को उत्तर रेलवे के बलवाड़ा स्टेशन के निकट बिना चौकीदार वाले समपार पर हुई दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की जानें गयीं और 16 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) यह दुर्घटना बस ड्राइवर द्वारा बिना चौकीदार वाले समपार को पार करते समय बरती गई लापरवाही के कारण हुई।

इस समपार सहित बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं के मार्ग-निदेशन के लिए सड़क संकेतों की व्यवस्था की गयी है। समय-समय पर, सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार पार करते समय अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रचार और शैक्षणिक अभियान चलाये जाते हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन करवाने हेतु राज्य सरकारों का सहयोग लिया जाता है।

वाराणसी और मुगलसराय में मकानों का आबंटन

6727. **श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल सराय में उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे तथा वाराणसी में डीजल इंजन वर्कशाप के कर्मचारियों को मकानों के आबंटन में भेद-भाव की नीति अपनाई जा रही है;

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों ने अपने मकानों को अवैध रूप से किराए पर चढ़ाया हुआ है और उसका अत्यधिक किराया वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रेल मंत्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जिन 5 मामलों का पता लगाया गया है उनमें से 3 मामलों में क्वार्टरों का आबंटन रद्द कर दिया गया है और अनुशासन एवं अपील नियम के अधीन कार्यवाही की गयी है तथा शेष को मामलों के सम्बन्ध में, कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना

6728. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित इस प्रकार की कोई योजना शुरू की गई है;

(ग) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उन राज्यों को कितनी धन राशि दी गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा बुनियादी तौर पर राज्यों का उत्तर दायित्व है और उनका प्रबन्ध अधिकांशत: उनके द्वारा ही किया जाता है। लड़कियों का दाखिला बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की सतत् रूप से चलने वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजना को 1983-84 से उदार बना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत विशिष्ट रूप से लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्र चलाने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 90:10 के केंद्र राज्यों की भागीदारी के आधार पर सहायता दी जाती है। इसके अलावा एक अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1983-84 के दौरान आरम्भ की गई है जिस के अंतर्गत इन राज्यों को प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की भर्ती के लिये 80:20 के केंद्र राज्यों की भागीदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	विशिष्ट रूप से लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए मुक्त अनुदान 1983-84	महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मुक्त अनुदान 1983-84
1 आंध्र प्रदेश	6,52,360	1,12,000
2. असम	5,04,750	32,000
3. बिहार	—	1,12,000
4. जम्मू और काश्मीर	63,855	—
5. मध्य प्रदेश	24,28,945	1,68,000
6. उड़ीसा	3,60,990	1,07,200
7. राजस्थान	15,14,250	1,68,000
8. उत्तर प्रदेश	—	2,24,000
9. पश्चिम बंगाल	3,86,775	1,12,000
कुल :	59,11,925	10,35,200

स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संहिता अपनाने का प्रस्ताव

6729. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संहिता अपनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की राष्ट्रीय संहिता कब तक अपना लिये जाने का विचार है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 19 दिसम्बर, 1983 के संकल्प संख्या 18-11/81-एन० टी० द्वारा स्तन पान के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिये एक राष्ट्रीय संहिता अपनाया हुआ है।

कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से ऋण

6730. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए कितने धन की आवश्यकता होने का अनुमान किया है;

(ग) विश्व बैंक ऋण के रूप में कितना धन उपलब्ध होने की आशा है; और

(घ) रेलवे के प्रस्तावित कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली, जिसमें संगणक और संचार भी शामिल हैं की लागत का अनुमान 520 करोड़ रुपये लगाया गया है और इस कार्य को 1983-84 के बजट में सम्मिलित किया गया था।

(ग) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रणाली को अनिवार्य रूप से माल डिब्बों/गाड़ियों/और रेल लाइनों की स्थिति/स्थान की निगरानी करने; खाली स्टाक का अधिकतम वितरण करने के लिए अभिकल्पित किया गया है तथा इसमें यार्ड और टर्मिनल सम्बंधी कार्य निष्पादन, माल डिब्बों और रेल इंजनों की मरम्मत, रवन्ना बिल और राजस्व सम्बंधी लेखा-जोखा पर निगरानी रखना शामिल है।

जेल में बिहार के संस्कृत अध्यापक

6731. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कई सौ संस्कृत अध्यापक पिछले कई महीनों से पटना जेल में बंद हैं;

(ख) क्या बिहार प्रदेश संस्कृत शिक्षा महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 और 28 जनवरी, 1984 को संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा-मंत्री से भेंट की थी; और

(ग) यदि हां तो मामले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बिहार प्रदेश संस्कृत शिक्षक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल 28 जनवरी, 1984 को शिक्षा मंत्री से मिला और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित संस्कृत विद्यालयों की स्थिति सुधारने के सम्बंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

(ग) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से टिप्पणियां मांगी हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का निलम्बन

6732. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत बड़ी संख्या में निष्कासित और निलम्बित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में विशिष्ट ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नए कुलपति ने विश्वविद्यालय और होस्टल मैस में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या विश्वविद्यालय होस्टल मैस के लिए प्रवेश नियमों को पूर्ववत बनाने और विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आदेश रद्द करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न अवसरों पर गंभीर दुराचरण के आरोप में 1983 के दौरान 35 छात्रों को एक और तीन वर्षों की अवधि के लिए निष्काषित किया गया है। बाद में, उनमें से 13 छात्रों के विरुद्ध निष्कासन आदेश उनके द्वारा भविष्य में अच्छे आचरण के लिए दिए गए आश्वासन पर वापस ले लिए गए थे।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय द्वारा 1974 से लाग प्रवेश पद्धति की 1972 से समीक्षा की जा रही थी और उस वर्ष कुछ मामूली परिवर्तन किए गए थे। बाद में जुलाई, 1983 में दाखिलों के निलंबन के बाद शैक्षिक परिषद् ने प्रक्रिया की व्यापक रूप से समीक्षा की और कुछ प्रमुख परिवर्तन किए। संशोधित दाखिला प्रक्रियाओं में देशभर में 31 केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित समान अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से निर्धारित की जाने वाली योग्यता के आधार पर दाखिले की व्यवस्था है। मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। अनुसूचित जातियों के लिए 15% स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान आरक्षित किए जाने हैं। इसके अलावा शारीरिक रूप से अपग उम्मीदवारों के लिए 3% स्थान आरक्षित किए जाते हैं ?

निम्नलिखित उपबंधों को निगमित करने के लिए छात्रावास/मैस नियमों को संशोधित किया गया है—

1. लड़कों के छात्रवासों में छात्राओं के प्रवेश करने और लड़कों को लड़कियों के छात्रावास में प्रवेश करने पर रोक है।

2. लड़कियों के छात्रावासों के परिसर में सांय 9.30 बजे के बाद सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगी होती हैं; और

3. छात्रों के लिए बढ़ी हुई मैस प्रतिभूति राशि जमा कराना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रत्येक छात्र की निर्धारित तारीख तक प्रतिमाह औसत मैस प्रभार अग्रिम रूप से जमा कराना अनिवार्य होता है।

ये सभी संशोधन विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों अर्थात् शैक्षिक परिषद् और अधिकारी परिषद् द्वारा किए गए थे।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ये संशोधन विश्वविद्यालय समुदाय के सभी वर्गों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करने के बाद किए गए थे। अनु-

शासनिक कार्रवाई को रद्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि ये कार्रवाई उचित जांच करने के बाद ही आरम्भ की गयी थी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए परिवहन सचिव द्वारा सुझाई गई योजना

6733. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों विशेषकार राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए भारत सरकार के परिवहन सचिव ने जिस योजना का सुझाव दिया है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में राज्यों को क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) इस सम्बध में जारी किये गये निर्देश की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8108-84]

अमूल द्वारा दिल्ली बम्बई कलकत्ता को सप्लाई किये गये कच्चे दूध में हाईड्रोजन पैराक्साइड पाया जाना

6734. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमूल द्वारा दिल्ली-कलकत्ता-बम्बई सप्लाई किये गये कच्चे दुध में अनधिकृत और निषिद्ध हाइड्रोजन पैरोक्साइड पाई गई है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि अमूल द्वारा गुजरात से बाहर (विशेषकर दिल्ली-कलकत्ता) के महानगरों को सप्लाई किये जाने वाले दूध को उपभोक्ताओं को बेचने से पहले 3-4 बार उच्च ताप-मान पर पास्चुराइज किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि दूध को केवल एक-बार पास्चुराइज किया जाता है और अधिक बार गरम किया जाना खाद्य अपमिश्रण निवारण के नियमों के विरुद्ध है, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) अमूल द्वारा कच्चे दूध में हाइड्रोजन पर आक्साइड मिलाने का ऐसा कोई मामला बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के प्राधिकारियों के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) अमूल डेरी, आनन्द, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के उपबंधों के अनुसार कच्चे दूध को 63 कि० ग्रा० सेल्सियस पर 30 मिनट तक पास्चुराइज करती है। इसलिए कानूनी कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के धनबाद जिले में मुगमा और बाराकर के बीच जी० टी० रोड की मरम्मत

6735. **श्री ए० के० राय :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले में मुगमा और मार्ग-परिवर्तन के रूप में बाराकर नदी पर नये बनाए गए पुल के बीच ग्रांड ट्रंक रोड वर्षों से बुरी तरह टूटी-फूटी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नवनिर्मित मार्ग परिवर्तन सड़क के शीघ्र खराब हो जाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या अधिकारियों की ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ के कारण निर्माण में गंभीर अनियमितायें सामने आई हैं; जिनकी जांच किये जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) उसकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार में धनबाद जिले में मुगमा और नए बराकर पुल के बीच जी० टी० रोड के एक खण्ड को सितम्बर, 1981 में यातायात के लिए खोला गया था । भारी वर्षा के कारण पोटहोल सेटलमेंट, शोल्डर और साइड ट्रेनों आदि में कुछ क्षति और पहुंची । आवश्यक मरम्मत कार्य के लिए 14.843 लाख रुपए मूल्य के तीन मरम्मत अनुमानों की मंजूरी दी गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिभाषी फार्मूला

6736. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में त्रिभाषी फार्मूले के कार्यनिष्पादन का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन दल गठित किया गया था; और

(ख) लोगों को राष्ट्र भाषा हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देकर हिन्दी का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं 6-7 जून, 1983 को हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 39वें सत्र में त्रिभाषी सूत्र के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई थी जिसमें बोर्ड ने राज्य सरकारों से यह आग्रह करते हुए इस आशय का एक एक संकल्प पारित किया कि वे राष्ट्रीय नीति, 1968 में यथा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाएं ।

(ख) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, अहिन्दी भाषी राज्यों को उनके स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, हिन्दी कक्षाएं आयोजित करने, पुस्तकालयों और वाचनालयों का रख-रखाव करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, अहिंदी भाषी राज्यों से संबंधित छात्रों को मैट्रिक स्तर के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देकर, हिंदी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठयक्रम आयोजित करने के कार्यक्रमों का आयोजन और उनका विस्तार करके, विभिन्न संगठनों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करके और आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के माध्यम से हिन्दी शिक्षण के प्राविधि विज्ञान पर अनुसंधान आयोजित करके अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित केंद्रीय हिन्दी निदेशालय भी हिन्दी की प्रोन्नति और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है । शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली को भी कृषि, औषधि सम्बन्धी, इंजीनियरी और पशु चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें हिन्दी में प्रचार करने का उत्तरदायित्व सौंपा

गया है। "भारतीय भाषाओं में विश्व विद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने हेतु सहायता" की योजना के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तक प्रकाशन एजेंसियों के माध्यम से विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों से सम्बंधित पुस्तकों को भी हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है ।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का प्रसार

6737. **श्री हरिकेश बहादुर** :क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उनके मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप में पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का सम्भावित सघन प्रचार करने के किए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1984-85 तक उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में "न्यूनतम विस्तार" कार्यक्रम के लाभों को उपलब्ध करा दिया जायेगा; और

(घ) इस राज्य के सभी गांवों में इस कार्यक्रम के लाभों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) पिछड़े आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्रों, उप-केन्द्रों, दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ग्राम स्तर पर ये सुविधाएं अनेक ग्रामीण औषधालयों के अलावा प्रशिक्षित दाइयों और स्वास्थ्य गाइडों द्वारा उपलब्ध की जा रही हैं। इन सुविधाओं का चरण-बद्ध ढंग से विस्तार करने का विचार है ताकि 2000 ईसवी तक प्रत्येक 30,000 (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 20,000) आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रत्येक 5,000 (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 3,000) आबादी के लिए एक उप-केंद्र और प्रत्येक एक लाख की आबादी के पीछे दर्जा बढ़ाया गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) की व्यवस्था हो जाए। छठी योजना अवधि के अत तक प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई और एक स्वास्थ्य गाइड की व्यवस्था करने का भी विचार है।

(ग) गांवों में "न्यूनतम विस्तर" उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सम्मिलित स्वास्थ्य उपचार सेवाओं का न्यूनतम संवेष्ठन तथा उसका मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन

6738. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सम्मिलित की गई स्वास्थ्य उपचार सेवाओं का न्यूनतम संवेष्ठन क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य उपचार सेवाओं के इन न्यूनतम संवेष्ठनों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रोग निवारक स्वास्थ्य वर्धक और उपचारात्मक एकीकृत

सेवाओं की व्यवस्था करने की बात कही गई है । यह कार्य चरण-बद्ध ढंग से स्वास्थ्य संबंधी एक व्यापक आधार भूत ढांचा खड़ा करके किया जा रहा है ताकि सन 2000 ईसवी तक प्रत्येक 30,000 (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 20,000) आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रत्येक 5,000 (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 3,000) की आबादी के पीछे एक उप-केन्द्र तथा प्रत्येक एक लाख आबादी के पीछे दर्जा बढ़ाया गया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) की व्यवस्था हो जाए । छठी योजना अवधि के अंत तक ग्राम स्तर पर प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई और एक स्वास्थ्य गाइड उपलब्ध करने का भी विचार है । इस समय मध्य प्रदेश में ये सेवाएं 675 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 6367 उप-केन्द्रों, 30 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और दर्जा बढ़ाए गए 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं । ग्राम स्तर पर से सेवाएं अनेक ग्रामीण औषधालयों के अलावा 34669 प्रशिक्षित दाइयों और 26000 स्वास्थ्य गाइडों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं ।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यात्रा सुविधायें

6739. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रेल यात्रा सुविधाओं के लिए कोई उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जनवरी 1984 में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के उप-आयोग की बैठक में दोनों देश के रेलवे प्रतिनिधि कुछ नामित जोड़ी स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की थ्रू बुकिंग करने के लिए सहमत हो गये थे । इस योजना की पहली जुलाई, 1984 से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

रेलवे हाई स्कूल पालघाट में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं

6740. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट स्थित रेलवे हाई स्कूल में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने के सम्बंध में जुलाई, 1980 में लिये निर्णय को पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त निर्णय को कार्यान्वित न करने के कारण कर्मचारियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयां उनकी जानकारी में लाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जुलाई 1980 में लिए गये निर्णय के अनुसरण में रेलवे के मिले-जुले मिडिल स्कूल ओल्लव कोट में क्रमश: 1980-81 1981-82 और 1982-83 में कक्षा 1, 2 और 3, के अंग्रेजी माध्यम वाले सैक्शन शुरू किए गए थे, किन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण आने वाले वर्षों के दौरान ऊंची कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम के सैक्शन खोलने के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

(ग) अंग्रेजी माध्यम के सैक्शनों को बन्द करने के कारण रेल कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयां नोटिस में आई हैं ।

(घ) सेंट थामस कांवेंट इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, ओल्लव कोट में रेल कर्मचारियों के बच्चों को दाखिल कराने के लिए रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षित उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दी जा रही शास्त्री की डिग्री को स्वीकार करने में दिल्ली प्रशासन की अनिच्छा

6741. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा दी जा रही शास्त्री की डिग्री को योग प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए स्नातक उपाधि के बराबर मानने में अनिच्छुक रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में माध्यमिक उच्च माध्यमिक इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री के संदर्भ में क्या-क्या अर्हताएं विशिष्ट संस्कृत विश्वविद्यालयों के संस्कृत की पूर्व-मध्यमा उत्तर मध्यमा आचार्य के बराबर हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से अंग्रेजी सहित "शास्त्री" डिग्री धारी अभ्यार्थी दिल्ली प्रशासन में योग शिक्षक सहित शिक्षक के रूप में नियुक्ति, के पात्र हैं। अंग्रेजी रहित "शास्त्री" डिग्री धारी केवल संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति का पात्र होता है।

(ग) संस्कृत अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण निकायों के नाम, उनके द्वारा आयोजित संस्कृत परीक्षाओं और समकक्ष परीक्षाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के समतुल्य परीक्षाएं दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण 1

परीक्षा लेने वाले निकायों के नाम, उनके द्वारा संचालित संस्कृत परीक्षाओं के नाम तथा संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ समान्य शैक्षिक संरचना की परीक्षाओं के साथ संस्कृत परीक्षाओं की समकक्षता दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	परीक्षा निकाय का नाम	परीक्षा का नाम	सामान्य शैक्षिक संरचना में समतुल्य परीक्षा
1	2	3	4
1.	वाराणासिया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य शिक्षा (शास्त्री)	निम्न माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षा स्नातक या बी० टी०
2.	बिहार संस्कृत संघ,	प्रथमा	निम्न माध्यमिक

1	2	3	4
	पटना और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा	मध्यमा	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर
		शिक्षा (शास्त्री)	शिक्षा स्नातक या बी० टी०
3.	एम० एस० विश्वविद्यालय बड़ौदा	उपाध्याय	निम्न माध्यमिक
		विषारद	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातक स्नातकोत्तर
4.	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्ना मलाई	सिरोमणि (प्रारम्भिक)	स्नातक
		सिरोमणि (अन्तिम)	स्नातकोत्तर
5.	बृहत गुजरात संस्कृत परिषद, अहमदाबाद	मध्यमा	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर
6.	शिक्षा माध्यमिक बोर्ड, राजस्थान जयपुर	प्रवेशिका	निम्न माध्यमिक
		उपाध्याय	उच्चतर माध्यमिक
7.	असम सरकार संस्कृत समिति, गुहाटी	अदया	निम्न माध्यमिक
		द्वितीया	उच्चतर माध्यमिक
		उपाधी	स्नातक
8.	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर
9.	मैसूर सरकार मैसूर	काव्य	निम्न माध्यमिक
		साहित्य	उच्चतर माध्यमिक
		विद्वात	स्नातक
		मध्यमा विद्वात	
		उत्तमा	स्नातकोत्तर
10.	भारतीय विद्या भवन, बम्बई	प्रवेशिका	निम्न माध्यमिक
		पुर्वा	मैट्रिक
		मध्यमा	
		मध्यमा	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर

1	2	3	4
11.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना	कोविद	उच्चत्तर माध्यमिक
		विशारद	स्नातक
		पारंगत	स्नातकोत्तर
12.	वेदासास्टरोत्तेजका सभा, पूना	अयात्ता 1	उच्चतर माध्यमिक
		कोविदा	स्नातक
		चूड़ामनि	स्नातकोत्तर
13.	केरल सरकार	काव्य भूषण	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्र भूषण (प्रारम्भिक)	स्नातक
		शास्त्र भूषण (अन्तिम)	स्नातकोत्तर
14.	मद्रास सरकार, मद्रास	ओ. एस. एल. सी. या में प्रवेश	उच्चतर माध्यमिक
15.	आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	ओ. एस. एल. सी. या में प्रवेश	उच्चतर माध्यमिक
16.	पूना विश्वविद्यालय, पूना	प्रवेशिका	उच्चतर माध्यमिक
		उपाध्याय	स्नातक
17.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रवेशा	निम्न माध्यमिक
		मध्यमा	उच्चतर माध्यमिक
		शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर
18.	आन्ध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर	विद्या प्रवीन (प्रारम्भिक)	स्नातक
			स्नातकोत्तर
		विद्या प्रवीन (अन्तिम)	स्नातकोत्तर
19.	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	शास्त्री	स्नातक
		आचार्य	स्नातकोत्तर
20.	उस्मानियां विश्वविद्यालय हैदराबाद	भाग ii और iii के अन्तर्गत संस्कृत सहित प्राच्य अध्ययन में डिप्लोमा	स्नातक
21.		कला II और III के अन्तर्गत संस्कृत सहित बी० ओ० एल०	स्नातकोत्तर

1	2	3	4
21.	वनगिया संस्कृत शिक्षा परिषद कलकत्ता	मध्यमा तीर्थ	इन्टरमीडिएट स्नातकोत्तर
22.	पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब	शास्त्री (संस्कृत आनर्स) आचार्य	स्नातक स्नातकोत्तर
23.	गुरुकुल वृन्दावन	अधिकारी पंडित सिरोमणी आचार्य	निम्न माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर
24.	केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	शास्त्री (शिक्षा)	बी० टी० या बी० एड०
25.	उत्कल संस्कृत समिति	प्रथमा उत्तर मध्यमा आचार्य (पी० टी०) आचार्य (अन्तिम)	(निम्न माध्यमिक) एवं (उच्चतर माध्यमिक) स्नातक स्नातकोत्तर
26.	श्रीमद दयानन्द अर्ष विद्यापीठ, मार्फत गुरुकुल झज्जर	प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य	मिडिल या निम्न माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर

विवरण-2

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रोजगार के प्रयोजनार्थ वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) द्वारा आयोजित उन विभिन्न परीक्षाओं की मान्यता दर्शाने वाला विवरण जो शिक्षा के सामान्य ढांचे में प्रत्येक के सामने उल्लिखित विभिन्न शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य हैं।

परीक्षा का नाम	परीक्षा जिसके समतुल्य है
1. पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) अथवा पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) और अंग्रजी सहित अतिरिक्त विषय में विशेष परीक्षा	हाई स्कूल परीक्षा

2. उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित) अथवा पुरानी खंड मध्यमा (पूरा चार वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा और प्रत्येक मामले में अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा	इन्टरमीडिएट परीक्षा
3. शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा पुरानी, शास्त्री अथवा अतिरिक्त विषयों में सहित सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा	बी० ए० डिग्री अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, नियम 222 में मैंने एक नोटिस दिया है, मैंने नियम 377 में एक विषय पढ़ा था कि टारीवासी संघ को विमुक्त जातियों में शामिल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : और उसके उल्टे,

अध्यक्ष महोदय : वह करवा दिया है, आज हो जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : आप कहोगे तो होगा। मैं उनको थोड़े ही जानता हूं, आपको जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। वे इसके लिए आवश्यक शुद्धियां जारी करगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संवपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिसम्बर में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था जिसमें 1 करोड़ की चोरी का मामला था और उस पर बहस हुई थी डी० सी० एम० के सिलसिले में। अब **.....और **..... विदेश जा रहे हैं, करोड़ों रुपया जमा करने के लिये। फाइनेन्स मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, आपने कहा था कि इन्क्वायरी करबायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन्क्वायरी करवा ली है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उसका उत्तर नहीं मिला। ये लोग तब तक चले जायेंगे :

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि भारत बंगला देश.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

श्री अंसारी।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सड़क निर्माण निगम लि० नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 वें कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं कम्पनी

अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8086/84]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभापटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे और लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण आदि आदि।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित को सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8087/84]

(3) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8088/84]

(5) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8089/84]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8090/84]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल० टी० 8091/84]

चितरन्जन नेशनल कैंसर सेंटर कलकता, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और उक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सैन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) चितरन्जन नेशनल कैंसर रिसर्च सैन्टर, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखें गए । देखिए संख्या एल० टी० 8092/84]

12.02म०प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

की गई कार्यवाही के बारे में 82 वां तथा 84 वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड —लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में समिति के 76वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 82 वां प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड के संबंध में समिति के 61वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 84 वां प्रतिवेदन ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगुल) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सदन में पूर्वोदाहरण मौजूद है । यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है । हम इसे 193 चर्चा में बदल देते हैं । कल भी, मेरे मित्रों ने श्रीलंका के प्रश्न पर अनुरोध किया था ।

श्री के० मायातेवर : हम सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकते हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं । आप मेरी बात धैर्य से सुनिए । मैंने उसी विषय को उठाया है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि यदि सारा सदन इस बात पर सहमत है—हमारे पास पूर्वोदाहरण मौजूद हैं और हमने ऐसा किया है—लेकिन सदन की सहमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता । यह मेरी शक्ति से बाहर है । मैं अपने अनुरोध को स्वीकार करता हूं । मैं इस बारे में शान्ति से निर्णय करूंगा ।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री यहां मौजूद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी शक्ति के अन्दर नहीं है । यह उससे बाहर है ।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसदीय कार्य मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं आप क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं । धैर्य रखिए।

श्री के० मायातेवर : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री महोदय को अपनी सहमति देनी है ।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मन्त्री महोदय भी इससे सहमत हैं ।

श्री के० मायातेवर : महोदय, विपक्षी के सभी सदस्यों ने संसदीय कार्य मन्त्री महोदय से अपील की है ।.....

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने दिया है। मैं उस पर विचार करूंगा। इसे चर्चा करने से रोका नहीं गया है। मैं इस पर विचार करूंगा। श्री प्रधान, यदि यह नियमों के भीतर है मैं इसे स्वीकार करूंगा और ऐसी कोई समस्या नहीं है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में श्री मायातेवर तथा उनके मित्र मेरे पास आए थे। मैं उनकी चिन्ता से बिल्कुल सहमत हूं जो विपक्ष की ओर से तथा हमारी तरफ के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्वाभाविक रूप से मेरे मित्र यह महसूस करते हैं कि उनके नाम ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के लिए शामिल किये गए हैं। आप अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं और तमिलनाडु से आए माननीय सदस्य को भी इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दे सकते हैं।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तमिलयन, तमिलनाडु से कोई सदस्य नहीं।

डॉ० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : यह एक राष्ट्रीय मामला है। केवल तमिलयनों का मामला नहीं हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस समय कालिंग एटेन्शन नोटिस को चलाया जाए और बाद में इस पर डिस्कशन भी करलें।

श्री बूटा सिंह : यही बात मैंने कही है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : एक भारतीय के नाते मेरी इसमें रुचि है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत डिस्कशन कराना चाहते हैं, तो जिन सब माननीय सदस्यों के नाम इस कालिंग एटेन्शन नोटिस में हैं उनको पहले बोलने का मौका दिया जाए।

डॉ० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : यदि बोलने के लिए केवल तमिलनाडु के सदस्यों को ही अनुमति दी जाती है तो इससे एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। कई ध्यानार्षण नोटिसों में ऐसा हुआ है। विषय महत्वपूर्ण है लेकिन अधिक सम्बन्धित सदस्यों के नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने कहा है, यह समस्त सदन की सम्पूर्ण सहमति पर आधारित है। मैं भेदभाव नहीं रखता – मेरे लिए एक सदस्य एक सदस्य है। न कम न ज्यादा। यह कितनी साधारण सी बात है। मैं इस सदस्य और सदस्य में भेद नहीं कहता।

श्रीराम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय इस बारे में मेरा एक सुझाव है। इससे पहले समाचार भारती के मामले को नियम 193 के अन्तर्गत डिस्कशन में कनवर्ट किया जा चुका है। इस हाऊस को यह तय कर देना चाहिए। किस किस विषय पर कब डिस्कशन होगा, नहीं तो अगर यह मामला विजिनेस एडवाइजरी कमेटी में जाएगा, तो वहां यह मत प्रकट किया जा सकता है कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट ईस्यूं हैं। अगर आप इसको नियम 193 की डिस्कशन में कनवर्ट करना चाहते हैं, तो यह डेट तय कर दीजिए कि अमुक डेट पर इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगा और जिनके नाम इस कालिंग एटेन्सन नोटिस में हैं, उन्हें प्रापर्टी दी जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मगर इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। आज नहीं, तो कल इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि सारे हाउस की यह राय होनी चाहिए कि इस कालिंग एटेन्शन नोटिस के लिए जिन सदस्यों के नाम हैं, उन्हें डिस्कसन में पहले मौका दिया जाए और दूसरे सदस्यों को उसके बाद बुलाया जाए। दूसरे, हाउस को यह तय करना चाहिए कि फलां दिन डिस्कशन करना है।

श्री मनीराम बागडी : अभी करवा दीजिए।

विदेश मंत्री महोदय (श्री पी० वी० नरसिम्हा राव) : पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए केवल परसों ही राज्य मंत्री द्वारा स्वेच्छा से वक्तव्य दिया जा चुका है। माननीय सदस्य चाहते थे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

श्री के० मायातेवर : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने रुख को मत बदलिए। यह बड़ी खराब बात है। आप अपने दृष्टिकोण को क्यों बदलते हैं? कल आपने मुझसे पूछा था। यह मेरे विचाराधीन था। आप इसे चाहते थे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया गया था।

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव : मैं दिए गए नोटिस से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब बात यह है। मैं अब इस स्थिति में नहीं हूं कि जो कुछ मंत्री महोदय ने परसों कहा है उससे ज्यादा कुछ कह सकूं। स्थिति यह है। अब यदि इस पर चर्चा की मांग की जाती है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप आज चर्चा करवाते हैं तो वास्तव में चर्चा से भी कोई नई जानकारी सामने नहीं आएगी। लेकिन यदि आप कल अथवा परसों चर्चा करवाएंगे तो मैं उस समय तक नवीनतम तथ्य लाने में समर्थ हो जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कल शुक्रवार है।

डा० कर्णसिंह : मंडे की रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था, बनाये रखिए।

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव : हमें यह चर्चा कल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल छः बजे के बाद इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) महोदय 12 बजे के बाद इस पर चर्चा शुरू करवाएं 6 बजे के बाद नहीं। 6 बजे के बाद कुछ होता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो प्राइवेट मैम्बर्स का क्या करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : आप 12 बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक इसको कराएं। इतनी देर में खत्म करा दीजिए।

श्री मनीराम बागडी : कालिंग अटेंशन का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : दोनों नहीं हो सकता, लड्डू खा भी लें और हाथ में भी रख लें, यह नहीं हो सकता।

फिर इसके बारे में सोमवार को ही चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, वापस लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम पहले ही एक दिन खो चुके हैं। कल या तो छः बजे के बाद या गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बाद इसके बारे में चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं होगा तो मैं कालिंग अटेंशन के साथ चल रहा हूं।

श्री रशीद मसूद : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसे कल नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री के० माया तेवर : महोदय, कल इसके बारे मे वाद-विवाद किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : शुरू करने से पहले, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सत्र के दौरान कृषि और सिंचाई मंत्रालयों की मांग···

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पहले ही बात कर चुका हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं जो इस सभा को भी स्वीकार्य होगा। (व्यवधान) महोदय, मेरे प्रस्ताव पर आप जरा विचार करिएगा। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : महोदय संयुक्त नदी जल आयोग की बैठक का आज अंतिम दिन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे अभी तुरन्त अपने हाथ में ले लेने के लिए मैं कोई जादू न हीं जानता हूं।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, गंगा के पानी में साझेदारी सम्बंधी बंगलादेश और भारत के बीच संयुक्त नदी जल आयोग में आज समझौता हो जाएगा। हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय के बारे में नोटिस दिया था एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया था। आप को इसके लिए अनुमति देनी ही चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसके बारे में आज ही वाद-विवाद के लिए अनुमति क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : कल कुछ भी हो सकता है। ये तो सर्वशक्तिमान के वंश में ही है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय मेरा प्रस्ताव शायद सभी को मंजूर होगा कि कल 12 बजे से 3.30 बजे तक इसके बारे में चर्चा के लिए अनुमति दी जाए जबकि गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए मैं पहले ही अनुमती दे चुका हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि ऐसी ही बात है तो उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद इस पर 3.30 बजे तक चर्चा की जाए और फिर 6 बजे के बाद इसे फिर से जारी किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : वे 6 बजे के बाद नहीं चाहते हैं। नहीं तो, मैं तो 6 बजे के बाद के लिए अनुमति दे ही सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद मैं इसके लिए अनुमति दे दूंगा और इसे 6 बजे के बाद भी जारी रखा जा सकेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, बहुत अच्छा।

श्री राम विलास पासवान : कल 6 बजे की गाड़ी से हम लोगों को जाना है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरी तो इच्छा नहीं है। महोदय, आप चाहें तो इसे 12 बजे के बाद अर्थात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : महोदय, हम इसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे।

श्री सो० टी० दंडपाणि : महोदय, आप इसके बारे में सोमवार का दिन नियत कर लें।

श्री के० मायातेवर : महोदय आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तमिलनाडु के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। इससे वाद-विवाद में दम नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये क्या है ? कुछ भी रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी उचित मांगें मानली हैं फिर भी आप तर्क कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कल 12 बजे के बाद ले लीजिए, इसमें क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको ही आपत्ति है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० मायातेवर : आप लोगों की दिक्कतों को नहीं समझ सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में जहां उपाध्यक्ष भी मौजूद थे, हमने यही निर्णय किया था कि 193 के अन्तर्गत अगले सप्ताह श्रीलंका के बारे में चर्चा की जाएगी। निर्णय तो यही किया गया था। कल मैं यहीं था। अब आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी है। आप एक काम कर ही सकते हैं— मेरा खयाल है मेरे मित्र भी राजी होंगे कि इसके बारे में हम कल चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें कीजिए मैं जो कर सकता था वह मैंने किया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : फिर भी मैं आपको अपनी बात का कायल करना चाहता हूं, आपको अपनी बात मनवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अपने मित्रों को राजी कीजिए। मंत्री महोदय और मुझमें कोई मतभेद नहीं है। हम दोनों ही सहमत हो जाएंगे। आप ही अपने लोगों को राजी करें और फिर समाधान पेश करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद आप इसके लिए 3.30 बजे तक के लिए इजाजत दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 6 बजे के बाद भी जारी रखने के लिए इजाजत दे सकते हैं।

श्री के० मायातेवर : हम कल के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव तो मेरा ही था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद मैं इसके लिए अनुमति दूंगा और चर्चा पूरी न होने पर 6 बजे के बाद फिर से इसके लिए इजाजत दी जाएगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बिल्कुल ठीक है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वही एक मात्र तरीका है, हम इसे दोनों तरीके से नहीं पा सकते। सही तरीका यही होगा कि पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाए अर्थात् श्री मनीराम बागड़ो और अन्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाये वह समाप्त हो ही जाएगा अर्थात् एक दो घंटे ही तो लगेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में वाद-विवाद कर सकते हैं। यदि यह 3.30 बजे के बाद भी समाप्त न हो तो इसे 6 बजे के बाद फिर से जारी रखा जा सकता है। जहां तक श्री पासवान का सम्बन्ध है हम एडजस्ट कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, हम उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): इसका मतलब यह है कि इसके बारे में किस्तों में चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप तो खाली होंगे, मायातेवर जी गलत बात तो नहीं कहिए।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा किये गए सहयोग को उन्हें समझने का मौका दीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : हम इसकी तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि हमारे सहयोग को भी आप महत्त्व दें।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा की जाएगी श्री हरीश रावत/उपस्थित नहीं—**श्री अमरसिंह राठवा**।

12.19 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) छोटा उदयपुर तथा भारत के अन्य भागों में वनरोपण के नवीन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता

श्री अमर सिंह राठवा (छोटा उदयपुर) : अध्यक्ष जी, छोटा उदयपुर इलाके में आदिवासी व पछात वर्ग की जाति अपनी संस्कृति के मुताबिक रहती है। वे आदिवासी जातियां जंगल की जमीन पर खेती करती हैं। अत: जंगल के कर्मचारी उनसे गैर कानूनी जमीन में महसूल लेते हैं और वे आदिवासियों को जंगल की जमीन जोतने का दण्ड और वसूली दोनों आदिवासियों से लेते हैं। अत: यह जंगल की जमीन जो आदिवासी जोतते हैं, उनकी जमीन उन्हीं आदिवासियों को

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्लांटेशन के लिए दी जाए और उसी प्लांटेशन करने की मजदूरी और जबतक पेड़ बड़ा न हो जाए तबतक उसी आदिवासी को हर रोज मजदूरी कुटुम्ब के हिसाब से दी जाए। इससे आदिवासियों को रोजी-रोटी भी मिलेगी और जंगल में पेड़ भी फिर से जंगल के रूप में सरकार को मिल जायेंगे।

मेरे विस्तार में आया नर्मदा डैम में जो जो जमीन किसान को मिलती है उसे भी प्लांटेशन के लिए जंगल की बिना पेड़ की जमीन दी जाए और ग्राम पंचायत परिषद् को भी इसी तरह प्लांटेशन के लिए जमीन दी जाए। इस प्रोग्राम से मेरे विस्तार में ही नहीं बल्कि सारे भारत वर्ष में फिर से जंगल बन जायेगा और बंजर जमीन उपजाऊ हो जायेगी। इससे वर्षा ऋतु भी नियमित आयेगी और खेत पैदाइश बढ़ेगी। प्रोग्राम के लिए जो जमीन दी जाए उस पर जो पेड़ बड़े होंगे उस पेड़ पर पूरा अधिकार उसी किसान का होना चाहिए जिसने अपने बंजर या जंगल की जमीन पर खुद मेहनत करके पेड़ बड़े किए हैं। इस प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक की सहायता ली जानी चाहिए।

(दो) वाराणसी स्थित डीजल इंजन कारखाने के कार्यकरण की जांच करना

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अब तक तीस प्रस्ताव नियम 377 के अधीन इस हाउस में दिए हैं, लेकिन किसी पर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। क्या नियम 377 सिर्फ पढ़ देना ही काफी होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, जिसको मैं नियम 377 के अधीन उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी आदेश दें और तत्काल जवाब दें और इसकी छानबीन करें। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसे नोट करे। नियम 377 के अन्तर्गत आपने ऐसे 30 प्रस्तावों को पढ़ा है और इन सभी 30 प्रस्तावों के बारे में आपको जवाब नहीं दिया गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मुझे 4 या 5 के जवाब मिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्य प्रस्तावों के बारे में भी जवाब चाहते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं तुरन्त जवाब चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्तजार कीजिए। उत्तर भेजे जाएंगे। नियमानुसार आपको अविलम्ब उत्तर मिलना ही चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वाराणसी में गत 30 वर्षों से कार्यरत डीजल रेल इन्जन कारखाने के कार्य कलापों की ओर रेल मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह कारखाना देश में डीजल रेल इंजनों के निर्माण का एक मात्र कारखाना है। कारखाना निर्माण के समय तत्कालीन रेल मंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इस कारखाने में एक इन्जन प्रतिदिन बनेगा और यह सारी दुनिया को इंजन सप्लाई करेगा किन्तु कुछ वर्ष पहले निर्णय लिया गया कि एक वर्ष में 200 इंजन बनेंगे। इस वर्ष यहां का लक्ष्य घटा कर 125 कर दिया गया है।

अभी कुछ दिन पहले इस कारखाने में कलकत्ता से तांबे और पीतल के कुछ पुर्जे लगभग 15 लाख रु० के मंगाए गए थे। पार्सल जब खोला गया तो उसमें बालू और पत्थर मिला। इसके बावजूद भी इसका पूरा भुगतान फर्म को कर दिया गया। जब हल्ला मचा तो एक हरिजन अत्यन्त नीचे के कर्मचारी को जबर्दस्ती मुअत्तल कर मामला रफा दफा कर दिया गया है। स्पोर्ट कोटे की नियुक्ति में भी धांधली बरती जाती है। स्थानीय किसानों, गरीबों और वास्तविक कामगारों एवं जिनकी जमीनें ली गई है उनको नौकरी नहीं मिलती है। और न वास्तविक खिलाड़ियों की ही नियुक्ति की जाती है। साथ ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की पदोन्नति नहीं की जाती है। अस्पताल में छोटे कर्मचारियों को दवा भी नहीं मिलती है।

अतः मैं चाहूंगा कि तुरन्त इन सारे मामलों की एक संसदीय समिति से जांच की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयंती पटनायक नहीं हैं; श्री भीखाभाई—नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 377 के अंतर्गत नोटिस देने जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं। उनके स्थान पर अन्य सदस्यों को इजाजत दी जानी चाहिए। अन्यथा नियम 377 के अंतर्गत नोटिस देने वालों का कोटा फिक्स करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें 2 बजे फिर मौका दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ध्यानाकर्षक प्रस्ताव स्थागित कर दिया जाएगा। जो भी सदस्य इस समय सभा में उपस्थित नही हैं उन्हें 2 बजे के बाद इजाजत दी जायेगी। श्रीमती गीता मुखर्जी !

में इस समय उन्हीं के नाम बोलूंगा जो अभी उपस्थित हैं। बाकी लोगों को 2 बजे के बाद इजाजत दी जाएगी;

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : कल मैंने एक नोटिस दिया था। मुझे मालूम नहीं कि वह नामंजूर हुआ था या मंजूर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक नया ही मुद्दा उठा रहे हैं। आप नोटिस दीजिए, आप अध्यक्ष महोदय को लिखें। आप ऐसी सभी बातें यहां मत कीजिए क्योंकि इसका जबाब नहीं मिलेगा। यदि मंजूर नहीं होता तो अध्यक्ष से उनके कक्ष में मिलें और उनसे विचार विमर्श करें। श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पढ़िये। केवल आपका वक्तव्य ही कार्रवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(तीन) मिदनापुर में जल की भारी कमी

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भी कुछ क्षेत्र सहित मिदनापुर जिले के काफी बड़े क्षेत्र में पानी की कमी हो गई है—जैसे डेनरा, पिंगला, साबंग, केशपुर, पंसपुरा दासपुर, खड़गपुर ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वहां बारिश नही हुई है।

कम गहरे नल कूपों का जल स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। व्यंग रुणाती जल भंडार का पानी भी लगभग खत्म हो रहा है। बोरो धान की फसल सूख रही है और सबसे गंभीर बात तो यह है कि पीने के पानी की भी कमी हो गई है वस्तुतः सूखे की भयानक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और यदि कुछ दिनों में वर्षा नहीं हुई तो स्थिति और खराब हो जाएगी।

मैं कृषि मंत्री और ग्रामीण सिंचाई मंत्री का ध्यान सूखे की इस स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और अनुरोध करती हूं कि पश्चिम बंगाल को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि वे स्थिति का मुकाबला कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० के० शेजवलकर।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : अपना वक्तव्य पढ़ने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो उपस्थित नहीं है उनके नाम फिर बोले जाएंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : उनके उपस्थित न होने का एक कारण है और वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्थगित किया जाना।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके नाम फिर से बोलूंगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं इसी पर तो आपत्ति कर रहा हूं। आप पूर्वोदाहरण मत निर्धारित करें। बाद में जिसका भी नाम बुलाया जाएगा और वह उपस्थित नहीं होगा तो वह दुबारा बुलाए जाने की अपेक्षा करेगा। इसलिए इस मामले में कोई पूर्व दृष्टांत नहीं निर्धारित होने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में परिवर्तन के कारण ही आज मैं उनके लिए समय निश्चित कर रहा हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर : यही तो मैं कह रहा हूं। उसे पूर्व दृष्टांत नहीं बनाइए न !

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने 2 बजे का समय निश्चित किया है किंतु इसे पूर्व दृष्टांत नहीं माना जाए।

(चार) दिल्ली से कुछ कार्यालयों को दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिये उपयुक्त स्थानों पर विचार करने हेतु गठित किये जाने वाले बोर्ड में मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 4-5 वर्ष पूर्व दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह विचार किया गया कि कुछ कार्यालय ऐसे स्थान पर ले जाए जांय जहां कि विदेशी हमलों का खतरा कम हो, साथ ही दिल्ली से ठीक प्रकार से सम्पर्क बना रहे, स्थान भी ऐसा हो कि जहां जमीन का मूल्य कम हो, एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हों। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए उस समय ग्वालियर ही पूर्ण रूप से उपयुक्त स्थान समझा गया था, उस की दूरी दिल्ली से केवल 300 किलोमीटर है, रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। टेलीफोन आदि की सीधी लाइन है और साथ ही उपयुक्त आवश्यक सुविधायें वहां प्राप्त हैं। सीमा से भी पर्याप्त दूरी है और इसी बात की पूरी जांच करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने विशेष धनराशि स्वीकृत कर के जांच कराई और प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सम्भवत: इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन को अपना प्रतिवेदन भी दिया। ग्वालियर के संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व आवास, निर्माण और संसदीय कार्य मंत्री से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी बातों पर विचार होगा। परन्तु पता चला है कि इस सम्बन्ध में जो अब विचार हो रहा है उस में ग्वालियर का विचार नहीं किया जा रहा है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यदि कोई बोर्ड बनाया जा रहा है तो उस में मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधि सम्मिलत हो, यह मेरा निवेदन है। मेरा शासन से आग्रह है कि कोई भी निर्णय मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाय और समस्त संबन्धितों को इस सम्बन्ध में अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। उपस्थित नहीं हैं। डा० कर्णसिंह।

(पांच) अयोध्या स्थित राम जन्म स्थान-स्थल को हिन्दू समाज को सौंपना

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : भगवान राम भारतीय इतिहास में महानतम व्यक्तियों में से एक हैं और विश्व भर में करोड़ों हिन्दुओं द्वारा उनकी भगवान के अवतार के रूप में पूजा की जाती

है, अयोध्या में उनकी मातृभूमि काफी शोचनीय और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। किसी स्थानीय विवाद के कारण वहां कोई पूजा वगैरह नहीं होती। इस प्रकार हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को, जिनकी संख्या भारतीय नागरिकों की कुल संख्या का 80% है, काफी आघात पहुंचा है। मैं दृढ़ता से यह आग्रह करता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि वह पवित्र श्री राम जन्मस्थान को तत्काल तथा प्रभावकारी कदम उठाकर हिन्दू समुदाय को सौंप दें। ताकि वहां उपयुक्त मन्दिर का निर्माण किया जा सके तथा सुप्रतिष्ठित परम्पराओं के अनुसार वहां पर नियमित पूजा की जा सके। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही के निदेश दिये जाने चाहिए।

(छः) मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिस एसोसिएशन की फेडरेशन के विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : दी फेडरेशन ऑव मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव एसोसिएशन ऑव इण्डिया ने सेवा शर्तों में संशोधन हेतु जून 1983 में प्रबन्धकों को एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। जुलाई, 1983 में, देश भर में कार्यरत, 280 में से 260 चिकित्सा प्रतिनिधियों ने अपनी मांग पत्र के समर्थन में प्रबन्धकों को एक ज्ञापन दिया। प्रबन्धकों ने कुछ समय चाहा तथा चिकित्सा प्रतिनिधियों की मांगों पर एफ० एम० आर० ए० आई० के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया था किन्तु फेडरेशन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि फैडरेशन के साथ विचार-विमर्श करने के स्थान पर प्रबन्धकों ने एक कागजी संगठन की स्थापना करके चिकित्सा प्रतिनिधियों को एफ० एम० आर० ए० आई० से अलग हो जाने हेतु उन पर दबाव डाला। केवल यही नहीं। प्रबन्धकों ने उक्त फर्जी यूनियन के साथ समझौता किया तथा वित्तीय लाभ के रूप में चिकित्सा प्रतिनिधियों को 500 रु० की वृद्धि देने का प्रस्ताव करते हुये उन्हें बरगलाने का प्रयास किया। किन्तु फैडरेशन के अत्यधिक जागरूक सदस्यों ने प्रबन्धकों के दबाव में आने से इन्कार कर दिया तथा एफ० एम० आर० ए० आई० को मान्यता दिये जाने के लिए दबाव डाला। इस हठी विरोध से क्रोधोन्मत्त होकर प्रबन्धकों ने 26 प्रतिनिधियों की सेवाएं समाप्त कर दीं जिनमें 5 ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता और बिहार के 3 चिकित्सा प्रतिनिधि शामिल हैं। 27 चिकित्सा प्रतिनिधियों को दूरस्थ स्थानों पर स्थानांरित कर दिया। जनवरी 1984 तक 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों का वेतन रोका हुआ है। एफ० एम० आर० ए० आई० के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं। यह उचित समय है कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे तथा एफ० एम० आर० ए० आई० को मान्यता दे तथा एफ० एम० आर० ए० आई० के माध्यम से मांगों को निपटान करें।

(सात) शीशे की चिमनियों का निर्माण करने वाले उद्योग कारखानों को उत्पादन शुल्क से छूट देना

श्री के लकप्पा (टुमकुर) : हाल ही में वित्त मन्त्री ने बजट में कुछ उत्पाद शुल्क में रियायतों की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत काफी मदें आती हैं किन्तु लालटेनों और रात्रि लैम्पों के लिए चिमनियां बनाने वाली लघु इकाइयों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। जबकि टेलीविजनों, रेडियो, मोटर वाहनों के कल-पुर्जों, 60 वाट के बिजली के बल्बों आदि पर पूर्ण छूट दे दी गई है जिन्हें कि मुख्यतः समृद्ध वर्ग के लोग प्रयोग करते हैं किन्तु लालटेनों आदि के लिए चिमनियां बनाने वाली लघु इकाइयों को केवल 50% की छूट दी गई है।

ये लालटेनें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रयोग की जाती हैं और इन्हें बनाने वाली इकाइयों को शुल्क से पूर्ण छूट देकर प्रोत्साहित करने जी जरूरत है।

चिमनियां बनाने वाली इन इकाइयों को लघु क्षेत्र को शीशे का सामान बनाने वाली अन्य इकाइयों से भी बदतर सलूक किया जाता है। उन्हें वे शुल्क लाभ भी नहीं दिए जाते जो शीशे का सामान बनाने वाली अन्य इकाइयों को भी दिये जाते हैं। क्योंकि ऐसा लाभ उनकी वार्षिक आय के आधार पर दिया जाता है। चिमनियां बनाने वाली इकाइयां श्रम-प्रधान हैं। उनमें से कुछ महाराष्ट्र में हैं जो कि उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त इकाइयों से प्रतियोगिता नहीं कर सकती और पहले ही बंद हो गई हैं और कुछ इसी प्रकार बंद हो जायेंगी और उनके श्रमिकों की छंटनी हो जायेगी।

शीशे की चिमनियां बनाने वाली इकाइयां शुल्क से पूर्ण छूट पाने का औचित्य रखती हैं। इससे ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को जो कि गरीब लोग होते हैं, भी राहत मिलेगी। कुछ राज्यों में इन यूनिटों को बिक्री कर से भी छूट मिली हुई है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शीशे की चिमनियां बनाने वाली इकाइयों का उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट की हकदार हैं

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी पीठासीन व्यक्ति द्वारा सदस्यों का नाम पुकारा जाता है तो उनके उपस्थित रहने की आशा की जाती है। जो सदस्य नाम पुकारे जाने के समय उपस्थित नहीं होते हैं उनके नाम केवल आज के लिए, विशेष मामले के रूप में 2 बजे फिर से पुकारे जायेंगे। किन्तु इसे भविष्य के लिए एक पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाये। मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि वे हर रोज दिन भर सदन में उपस्थित रहा करें ताकि जब भी उनका नाम पुकारा जाये वे हाजिर रहें।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

ऊर्जा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 28 से 31 पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा, जिसके लिए 7 घण्टे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिपत्रित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो वे 15 मिनट के भीतर स्लिपें, सभापटल पर भेज दें जिसमें पुनः स्थापित किए जाने वाले कटौती प्रस्ताव के क्रमांक भी बतायें। केवल उन्ही कटौती प्रस्तावों को पुरःस्थापित हुआ समझा जायेगा। पुरःस्थापित समझे गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांकों की एक सूची थोड़ी देर बाद ही सूचना पट्ट पर लगायी जायेगी। यदि कोई कमी पाता है तो वह इस की सूचना अविलम्ब सभा पटल अधिकारी को दे दे।

प्रस्ताव किया गया—

"कि कार्य सूची स्तम्भ-2 में दिखाई गई ऊर्जा मंत्रालय से, सम्बन्धित मांग संख्या 28 से 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत
ऊर्जा मन्त्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	ऊर्जा मन्त्रालय				
28	पेट्रोलियम विभाग	43,09,000	63,71,53,000	2,19,82,000	318,57,67,000
29	विद्युत विभाग	35,59,90,000	215,18,04,000	157,03,50,000	1075,90,22,000
30	कोयला विभाग	24,05,26,000	200,92,36,000	120,26,31,000	1004,61,79,000
31	गैर-परिम्परिक ऊर्जा स्रोत	13,97,18,000	1,000	23,91,94,000	2,000

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) :—उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, अत: ऊर्जा पर चर्चा करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। अब इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए केवल 7 घण्टे ही नियत किए गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं हम भली भांति यह जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में देश के विकास के लिए ऊर्जा एक मुख्य संघटक है। हमारे लोगों की रहन-सहन की स्थिति और ऊर्जा उपभोग के बीच सीधा सम्बन्ध है। अविकसित देशों की मुख्य विशेषता प्रति-व्यक्ति कम आय है। प्रथानुसार हमारे देश को एक विकासशील देश कहा गया है। हमारे देश के आधे से भी ज्यादा लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, 10% लोगों की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच है और शेष 40% लोगों की लगभग 15% वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम विश्व में नीचे से छठे नम्बर पर आते हैं। तिस पर भी, हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारा देश विश्व में दसवां औद्योगिक रूप में विकिसित देश है। एक यौक्तिक ऊर्जा नीति तभी सम्भव होगी जबकि यौक्तिक आर्थिक नीति, आवास नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, और शैक्षिक नीति हों व उनका उद्देश्य उपरोक्त हो। अत: केवल उचित आर्थिक नीति से ही एक उचित ऊर्जा नीति बनायी जा सकती है। हम इन दोनों ही क्षेत्रों में असफल रहे हैं। स्वतंत्रताप्राप्ति के समय, भारत अन्य देशों की तुलना में काफी निम्न स्तर पर था। किन्तु हम केवल चीन से ही इस प्रकार की तुलना कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों देशों का ऊर्जा आधार एक समान है। 1952 में, चीन में कुल ऊर्जा उपभोग औसत कैलरी आधार पर लगभग 560 लाख टन था जबकि हमारा 410 लाख टन। चीन कोयले से 95% ऊर्जा ले रहा था और भारत 90% चूंकि चीन की जनसंख्या हमारी जन-संख्या में 50% अधिक थी तथा प्रति-व्यक्ति आधार पर वाणिज्यक ऊर्जा का कुल उपभोग दोनों ही देशों में लगभग समान ही था। अब चीन ऊर्जा के मामले में भारत में 10 गुणा आगे बढ़ गया

है । जबकि चीन उर्जा का एक बड़ा निर्यातक बन गया है, और भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा आयातक । चीन ने अपना विकास अपने प्राकृतिक स्रोतों के सुदृढ़ आधार पर किया जबकि दूसरी ओर हमारे देश ने अपना विकास आयातित तेल के कमजोर आधार पर किया है । हम अपनी निर्यात आप का बहुत बड़ा भाग पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय करते हैं । हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई तेल उत्पादक देश अपने तेल का निर्यात बंद कर दे तो हमारे देश का क्या होगा । इसके अतिरिक्त, हम अभी भी अपने प्राकृतिक स्त्रोतों का प्रयोग करने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं, यह ऐसी नीति है जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए कतई हित कर नहीं हैं । यह सूचित किया गया है । कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके तथा मशीनों के द्वारा उत्पादन करके हम कोयले को तेल में परिवर्तित करना सम्भव होगा ।

उर्वरक, सीमेंट और कई प्रकार की अलौह धातुओं का उत्पादन करने हेतु बिजली और कोयले का प्रभावकारी उपयोग किया जाना चाहिए । किन्तु अब हम अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन सभी आधारभूत वस्तुओं का आयात करते हैं और उन पर करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं ।

पिछले 36 वर्षों में आत्म-निर्भरता की दिशा में काफी कम कार्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हमारी प्रौद्योगिकी अभी लड़कपन में ही है । शासक दल की कमियों को छिपाने के लिए पूंजी की कमी की दलील दी जाती है। वह 1917 में सोवियत संघ के मामले में तो सही था । तथापि, महान लेनिन ने कहा था कि समाजवाद और बिजली दोनों मिलकर साम्यवाद के बराबर हैं साम्यवाद का अर्थ सभी से उनकी क्षमतानुसार लेकर उसे उसकी जरूरत के अनुसार सभी को दिया जाये । इस नीति के कारण, वह पिछड़ा हुआ देश, सोवियत रूस, श्रमिक वर्ग के लोगों का स्थान, आज बिना किसी बेरोजगारी के अथवा आदमी द्वारा आदमी का उत्पीड़न किये बिना ही प्रौद्योगिकी विकास में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है । हमें गर्व है कि एक भारतीय स्क्वेड्रन लीडर राकेश शर्मा, सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोवियत संघ द्वारा निर्मित सोयूज टी-11 में पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और पृथ्वी के विभिन्न चित्र ले रहे हैं । यह सब कैसे संभव हुआ ? इसके पीछे क्या गुप्त-रहस्य है ? यदि सोवियत संघ अंतरिक्ष विमान सेल्युत-7 तथा 3 से सोयूज टी के साथ जोड़ने की तकनीकी का विकास करने के लिए एक औद्योगिक आधार न निर्मित करता तो यह सब कार्य संभव न होता ।

विद्युत की कमी की वजह से विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन कम होता है । रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है । साथ ही उसमें इस कमी के लिए कामगारों को दोषी ठहराया गया है । यहां मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौता नामक एक समझौता है जिसे क्रियान्वित नहीं किया गया है । इस समझौते के उपबंधों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है । इसलिए हाल ही में कोयला क्षेत्रों के कामगारों ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय पंचाट जिस पर पहले ही समझौता किया जा चुका था, के उपबंधों को क्रियान्वयन हेतु आंदोलन करने का निर्णय किया ।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी०शिवशंकर) : वे कौन सी शर्तें हैं जिन्हें लागू नहीं किया गया है ? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी जानकारी इससे भिन्न है ।

श्री एम० एम०लारेंस : राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौते में मानकीकरण, पदोन्नति नीति, प्रोत्साहन योजना, समान स्थायी आदेशों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, के लिए उप-समितियों के गठन

का प्रावधान किया गया था जिनका कार्य समझौते पर हस्ताक्षर होने के 6 माह के भीतर पूरा होना था। पर ये समितियां चार माह बीत जाने के बावजूद कोई विशेष काम नहीं कर सकी। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रबंधकों ने अपना दायित्व पूरा करने के लिए कोई काम शुरू नहीं किया है।

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है कि आपकी सूचना सही प्रतीत नहीं होती है।

श्री एम० एम० लारेन्स : मकानों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था, आर्थिक सुविधाओं में सुधार जैसे कई खंड क्रियान्वित नहीं किये गए हैं। इसी तरह शिक्षा सेवाओं संबंधी उपबंध समुचित ढंग से लागू नहीं किए गए हैं और कंपनी स्तर पर एक संयुक्त बर्ड का गठन नहीं किया गया है। मैं इन सब बातों का विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता परन्तु मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन सब बातों पर गौर करें तथा संपन्न समझौते के सभी प्रावधानों को लागू कर कोयला कामगारों की दशा सुधारने में सहायता करें।

पूर्वी कोयला क्षेत्रों में उत्पदान 3.4 प्रतिशत गिर गया था। भारत कोकिंग रोल में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई। कोल इंडिया लिमिटेड में वृद्धि 7.9 प्रतिशत से गिरकर 5.4% रह गई। सिंगरैणी कोयला खानों में भी इसमें भारी कमी हुई जो 1981-82 के 19.8 की तुलना में 1982-83 में 1.7 प्रतिशत रह गई। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा मुख्यत: हड़ताल की वजह से हुआ। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इन कामगारों ने हड़ताल क्यों की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वयं समझौते द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि कामगारों की दशा को न सुधारने की प्रबंधकों की मंशा के कारण वे हड़ताल पर चले गए थे। सरकार ने कोयले उत्पादों के लिए परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया था। 1983-84 के लिए परिव्यय 1086.2 करोड़ रुपये है तथा 1984-85 के लिए कोयला प्राप्ति का लक्ष्य 1540 लाख टन था। 1982-83 में प्राप्ति, लक्ष्य से 24 लाख टन कम अर्थात 1360 लाख टन के स्थान पर 1306 लाख टन थी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमागारों का सहयोग जरूरी है। परन्तु राष्ट्रीय कोयला मजूरी समझौते की वर्तमान डराने-धमकाने वाली तथा गैर-क्रियान्वयन की नीति से कामगारों में असन्तोष पैदा हो रहा है।

विद्युत-शक्ति हमारे देश के बहुमुखी विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना हम न तो उद्योग के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं और न कृषि के क्षेत्र में। 1980-84 में विद्युत-उत्पादन का मूल लक्ष्य 19,666 मैगावाट था। परन्तु केवल 11,500 मैगा वाट का उत्पादन किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्य का केवल 58 प्रतिशत प्राप्त किया गया है। इस का अर्थ है कि आगामी वर्ष में मांग तथा पूर्ति के मध्म भारी अंतर जारी रहेगा। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने पिछले अगस्त में यह कहा था कि विद्युत के अभाव के कारण प्रति वर्ष सात हजार करोड़ के औद्योगिक उत्पादन की हानि हो रही है। कृषि के क्षेत्र में विद्युत की कमी आपूर्ति के कारण नलकूपों तथा अन्य पंप सेटों के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणाम-स्वरूप यह हानि और भी अधिक होगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से जनवरी 1983-84 की अवधि के दौरान मांग की तुलना में कमी 11.5 प्रतिशत अनुमानित की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण में आगे बताया गया है कि विद्युत की कम आपूर्ति से 1982-83 के दौरान कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यह

स्थिति 1983-84 में भी जारी रही। 1982-83 में विद्युत की कमी का प्रतिशत महाराष्ट्र (गोआ सहित), तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा राजस्थान में अखिल भारतीय औसत से अधिक था, केरल में 1982-83 के दौरान विद्युत आपूर्ति में कमी 5.3 प्रतिशत थी। यह असामान्य था। पिछले वर्ष में राज्य के पास विद्युत सप्लाई 9.2 प्रतिशत फालतू था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1983 84 में पूर्वी क्षेत्रों में यह कमी बढ़ती रही तथा दक्षिणी क्षेत्रों में, पन-विद्युत उत्पादन में कमी के कारण यह कमी 1982-83 की तुलना में अधिक अनुभव की गई।

महोदय, केरल ऐसा राज्य है जो कि केवल पन- विद्युत पर निर्भर है। वहां 1982-83 को अनुभव भयावह है। विद्युत की कम आपूर्ति के कारण करोड़ों रुपयों के मूल्य के औद्योगिक उत्पादन की हानि हुई है। यह स्थिति केरल राज्य में एक उच्च क्षमता वाले ताप-विद्युत संयंत्र की भारी जरूरत को इंगित करती है। साथ ही हमें इस राज्य की व्यापक पन विद्युत क्षमता का भी इस्तेमाल करना है। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा केरल में उन पन-विद्युत परियोजनाओं को मंजूर करने में असाधारण विलंब किया गया है, जिनके लिए उससे अनुरोध किया गया था। इससे राज्य को बड़ी कठिनाई पदा हो रही है। केरल राज्य से केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ बहुत सी परियोजनाएं भेजी गई थीं। ये परियोजनाएं हैं—मदुपट्टी लघु पन-विद्युत योजना, मलम्पुजा सिंचाई परियोजना के अधीन विद्युत उत्पादन योजना, मुवाथुपुजा घाटी पन-विद्युत परियोजना, पुयांकुटी—यह केरल राज्य की ही नहीं संभवत: देश की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है—यह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में है, पल्लिवासल प्रतिस्थापन योजना, करयारा कुरियारकुट्टी बहुउद्देश्यीय परियोजना, मनांधावादी बहुउद्देश्यीय परियोजना, कुट्टियाडी विस्तार योजना, पंडियार पुन्नापुजा टेल रेस, चालाकुड़ी चरण-दो तथा चिमोनी बांध।

ये सब योजनाएं पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई हैं। सरकार अगर अधिक विद्युत उत्पादन करना चाहती थी तो वह इन योजनाओं को पहले ही स्वीकृति देती। पिछले पत्रों में जब हमने इस संबंध में पूछा तो बार-बार यही जबाब मिला।

पन-विद्युत उत्पादन की हमारे देश में भारी क्षमता है। माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 27.3.1984 को दिए गए उत्तर में यह बताया गया था कि :—

> "देश में पन-विद्युत क्षमता 60% के भार गुणक पर 75,000 मैगावाट आंकी गई है जिसमें से 20% या तो विकसित है या क्रियान्वित की जा रही है।"

अत: 80 प्रतिशत से अधिक का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार के पास कई विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास पड़ी हुई हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के विद्युत घर विशेषकर सी० ई० एस० सी० के टीटागढ़ ताप विद्युत घर जो कि राख की कम मात्रा से कोयला जलाने के लिए अभिकल्पित हैं—उसे 45 प्रतिशत से और इससे अधिक की राख की मात्रा वाला कोयला सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरह पश्चिम बंगाल से बेहतर किस्म का कोयला टूटीकोरिन को सप्लाई किया जा रहा है। टीटागढ़ को निम्न स्तर का कोयले की सप्लाई से केवल विद्युत घर में उत्पादन पर ही फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि इससे नगर के आस-पास के इलाकों के नागरिकों के लिए प्रदूषण की गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं।

राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम अब फरक्का में सुपर तापविद्युत संयंत्र घर आरम्भ कर रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रथम सुपर ताप विद्युत घर स्थापित किया जा रहा है तथा कलकत्ता में सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, यह महसूस किया जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया जाना चाहिए ।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग के पन-विद्युत स्त्रोत या क्षमता का उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास जरूरी है ।

मेघालय, उत्तर कछार, मिहिर की पहाड़ियों तथा उप-हिमालय क्षेत्र में पन-विद्युत क्षमता वाले भारी जलाशय हैं जिनका किफायत से इस्तेमाल करके लगभग 260,00 मैगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है ।

दामोदर घाटी निगम के भेजिया ताप विद्युत घर को तकनीक आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिरण द्वारा अप्रैल, 1982 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी परन्तु भारत सरकार ने अभी तक कोयले की बंधता तथा धनराशि की उपलब्धता के संबंध में निर्णय नहीं लिए हैं । मुझे आशा है कि सरकार इस परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ।

इसी तरह सागरधिगी सुपर ताप विद्युत घर तथा बकरेश्वर ताप विद्युत घर आदि केन्द्रीय सरकार के समक्ष मंजूरी प्रदान करने हेतु विचारार्थ पड़े हैं ।

हाल ही में कोचीन तेल रिफाइनरी में भीषण आग लगी थी । मैं वहां गया था और मैंने इस आग से हुए भारी नुकसान को देखा था । संभवत: यह हमारे देश के भीतर लगी भीषण आग की सबसे बड़ी दुर्घटना है । इस आग से कितने करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, सरकार अभी तक यह अनुमान नहीं लगा पाई है । उच्च ज्वलनशील पेट्रोल, नेप्था, मिट्टी तेल आदि को एकत्र किया जा रहा है तथा आग से बचने के लिए वहां कोई सुरक्षा उपाय नहीं किये गए हैं ।

1.00 म०प०

कम्पनी में अग्निशमन दस्ता नहीं था । नजदीक की उर्वरक कम्पनी में उनके पास अग्निशमन दस्ता है । ऐसा ही कोचीन पत्तन में भी है । यहां तक कि गैर-सरकारी टाटा कम्पनियों जैसे टाटा आयल मिल्स के पास भी अग्निशमन दस्ता है । परन्तु कोचीन तेल शोधक कारखाने में कोई अग्निशमन दस्ता नहीं है । वहां केवल दो अग्निशमन इंजन लगाए गए हैं परन्तु इन दो इंजनों अथवा वाहनों में से केवल एक काम करता है । कोचीन तेल शोधक कारखाने द्वारा जिस प्रकार की लापरवाही दिखाई गई उसका अन्दाजा उस तरीके से लगाया जा सकता है उस कम्पनी में पर्याप्त आग बुझाने के उपकरण, वाहन और व्यक्ति नहीं रखे गए । इस संबंध में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए । जो भीषण आग लगी और जिसके कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा उसके लिए वे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं ।

इसलिए मेरा सरकार से एक और अनुरोध भी है । इसी तरह की आग मथुरा तेल शोधक कारखाने, बम्बई तेल शोधक कारखाने तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी लगी । कोचीन में ही, कई बार आग लग चुकी है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसके कारणों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करे । यह केवल ऐसी समिति नहीं जो केवल कोचीन तेल शोधक कारखाने में आग की दुर्घटना की जांच करेगी बल्कि यह देश सभी तेल शोधक कारखानों के कार्य तथा प्रबंधकों के कार्यचालन की भी जांच करेगी (व्यवधान) महोदय, जब यह दुर्घटना हुई उस समय श्रमिकों ने

बहुत अच्छा काम किया । प्रबंधक तो नहीं रहे थे । वे अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे ।

मेरा माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि इस प्रयाग की दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा दें । आस पास के मकान भी आग से क्षतिग्रस्त हुए हैं । इस मानसून से जिसका आगमन मई के प्रथम सप्ताह में होना है, इस आग से क्षतिग्रस्त हुए सैंकड़ों मकान तथा पक्के भवन गिर जाएंगे । इसलिए सरकार को उन क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा देने तथा उन्हें फिर से बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए । मैं पुन: मन्त्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को न होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में कोयले पर आधारित एक मैथालोन संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता, जिस के लिए आयल इण्डिया लिमिटेड तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था ।] (1)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बरौनी तेल शोधक कारखाने के उत्पादों पर आधारित पेट्रोरसायन उद्योग समूह की बरौनी में स्थापना करने की आवश्यकता ।] (2)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बेनजीन, आर्थोआक्सिलीन पैराक्सिलीन, साइक्लोहैसीन, केप्रोलेक्टम, नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक ,इथाईल, बेनजीन, तथा आर्थोएक्स्लीन का उत्पादन करने के लिए बरौनी के आस पास पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता ।] (3)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार के कोयला क्षेत्र में उपोत्पाद तथा रिकवरी कोक भट्ठी संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (9)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में पटना में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले से कार्बन गैस बनाने वाला (सोफ्ट कोक तथा टाऊन गैस) संयंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।] (10)

"कि कोयला विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार के उद्योग बिहीन जिल में ट्रांसफार्मर तेल के उत्पादन के लिए दो कारखानों का तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकरण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता ।] (11)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में कोयले की डम्प सप्लाई प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता।] (12)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोयला खानों से उद्योगों को सीधी सप्लाई पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता।] (13)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जायें।"

[कोयली के ढंग पर बेंनजीन तथा एक्सलीन का उत्पादन करने के लिए बरौनी में सरकारी क्षेत्र में एक एटोमिटक संयंत्र की स्थापना करने में असफलता।] (40)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में विद्युत उत्पादन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की आवश्यकता।] (5)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उत्तर बिहार की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को कम से कम शेष बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली की वार्षिक खपत के कम से कम आधा कर देने की आवश्यकता।] (6)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[3300 मैगावाट पन विद्युत का उत्पादन करने के लिए बड़ा क्षेत्र में कोसी नदी पर बहुद्देशीय बांध का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता।] (7)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सस्ती जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए नौथर में एक बहुद्देश्य बांध का निर्माण करने की आवश्यकता।] (8)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार के राजमहल क्षेत्र में ऐसे चार कोयला क्षेत्रों में जहां कोयला नहीं निकाला गया है, कोयला निकालने और खानों के मुहाने के पास सुपर ताप बिजलीघर बनाने की आवश्यकता।] (14)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दक्षिणी बिहार में कोयले के साथ निकलने वायी अग्निसह मिट्टी से रिफ्रेक्टरी संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।] (15)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार की उत्तरी कर्णपुरा पट्टी के रांची, पालन, लोहारडगा और हजारीबाग जिलों में कोयला निकालने और खान के मुहाने पर 4000 मेगावाट का सुपर ताप बिजलीघर बनाने की आवश्यकता ।] (16)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कोयले की रायल्टी वर्तमान टन भार के बजाय यथामूल्य के आधार पर निश्चित करने की आवश्यकता ।] (17)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[टनभार के आधार पर रायल्टी देने के कारण बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य कोयला उत्पादक राज्यों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता ।] (18)

"कि गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[बिहार के मधुबनी, दरभंगा तथा अन्य जिलों के प्रत्येक गांवों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (19)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में व्याप्त कदाचारों की जांच करवाने की आवश्यकता ।] (31)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को प्रस्तुत की गई याचिका पर कार्यवाही करने की आवश्यकता ।] (32)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग मे 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कोयला खान क्षेत्रों, विशेषकर भूली नगर, धनबाद में सफाई तथा जल-आपूर्ति जैसी मौलिक सुविधाओं में सुधार तथा विकास करने की आवश्यकता ।] (33)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पेट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करने की आवश्यकता ।] (20)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भारत को तेल में आत्म-निर्भर बनाने की आवश्यकता ।] (21)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की नियमित रूप से सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (22)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सौर ऊर्जा तथा ज्वार ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नये स्रोतों का विकास करने तथा उनके उपयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता।] (23)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[वर्तमान विद्युत् संकट का सामना करने के लिए कर्नाटक को अपेक्षित सहायता देने की आवश्यकता।] (24)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गुलबर्गा तथा बंगलौर में स्थित ताप बिजली घरों को अविलम्ब पूरा करने की आवश्यकता।] (25)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[काली नदी विद्युत् परियोजना, कर्नाटक को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता।] (26)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[महात्मा गांधी विद्युत् परियोजना (कर्नाटक) में दोषों को दूर करने की आवश्यकता।] (27)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिजली की सप्लाई जल्दी-जल्दी बंद होने, बिजली की अनियमित सप्लाई तथा वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को रोकने की आवश्यकता।] (28)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोयले के कठिनाइयों को कम करने के लिए उत्पादन, परिवहन तथा वितरण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता।] (29)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोयले के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के कुप्रभाव को रोकने की आवश्यकता।] (30)

श्री निर्मल सिन्हा (मथुरापुर) : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पैट्रो-रासायनिक समूह की स्थापना करने की आवश्यकता।] (41)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[तेल की खोज हेतु खुदाई कार्य के लिए किसानों से अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता।] (42)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सिंचाई करने के लिए पम्पों को चलाने तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूरस्थ ग्रामों को मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (43)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उन व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता, जो गांवों में मिट्टी के तेल का कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं।] (44)

"कि पेट्रोलियय विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मिट्टी के तेल, पैट्रोल और कोयले के मूल्यों को कम करने की आवश्यकता।] (45)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पन विद्युत का उत्पादन करने के लिए सुन्दरबन की तीव्र जल धारा का उपयोग करने हेतु गहन अनुसंधान की आवश्यकता।] (46)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल को प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई करने की आवश्यकता।] (47)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[ग्रामीण विद्युत कार्यक्रमों को निश्चित समय में पूरा करने की आवश्यकता।] (48)

"कि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[निदर्शन एवं आर्थिक सहायता द्वारा जैव-गैस को लोक प्रिय बनाने की आवश्यकता।] (49)

"कि गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[दूरस्थ और अविकसित गांवों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना क्षेत्र सुन्दरबन में, जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिक धन आबंटित करने की आवश्यकता।] (50)

श्री ए० के० राय (धनबाद) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में मशीनों के प्रयोग को रोकने में असफलता जिसके कारण वहां रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं।] (116)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[समझौता वार्ता के जारी रहते हुए भी एक दिन की हड़ताल के बदले आठ दिन की मजदूरी की कटौती को रोकने में असफलता।] (117)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारत कोकिंग कोल लि० में ठेका प्रणाली को समाप्त करने में असफलता जिसके कारण वहां असन्तोषजनक स्थिति पैदा हो गई है।] (118)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरते जाने तथा उन्हें तंग किये जाने को रोकने में आसफलता।] (119)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लि० तथा सी० सी० एल० में अधिकरण पंचाटों को विशेषत: भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र I, तथा सी० सी० एल० के कथरा क्षेत्र में क्रियाविन्वत किया जाना।] (120)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र 6 में ठेकेदारों को अधिक अदायगी किये जाने को रोकने की आवश्कयता।] (121)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[एक ही काम के लिये दो बार भुगतान लेने को रोकने में असफलता जैसा कि भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र II के मोहुलबाड़ी क्वार्टरों की सफेदी के प्राक्कलन से किया गया है, जबकि उन क्वार्टरों की सफेदी पहले ही की जा चुकी है।] (122)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लि० के दोषपूर्ण यंत्रीकरण की प्रक्रिया में "बैक हयू एटिचमैंट" की गलत खरीद तथा उनके उपयोग को रोकने में असफलता।] (123)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लि० की भाटदेव कोयला खान की मिट्टी तथा पत्थरों को इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले के रूप में भेजने को रोकने में असफलता ।] (124)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लि० में योगता अग्निकांड को रोकने में असफलता ।] (125)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को काम और प्रतिकर देने के लिए एक समान मापदण्ड तैयार करने में असफलता ।] (126)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[ठेकान्तर्गत कर्मकारों को विभाग के कर्मकार मानने तथा उन्हें कोयला खानों में स्थायी तौर पर नौकरियां देने में असफलता ।] (127)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में की जाने वाली नई सम्पूर्ण भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता बनाये रखने में असफलता ।] (128)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[धनबाद कोयला खानों में दादागिरी समाप्त करने में असफलता ।] (129)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कर्मकारों के लिए निर्धारित संख्या में क्वार्टरों का निर्माण करने में असफलता ।] (130)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[खनन क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने में असफलता ।] (131)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोयला पट्टी में आग के कारण केन्डुआडीह ग्राम के विस्थापित व्यक्तियों को नौकरियां और प्रतिकर देने की आवश्यकता ।] (132)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोयला-खानों में रोजगार से हरिजनों और आदिवासियों को धीरे धीरे हटाये जाने को रोकने की आवश्यकता ।] (133)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन खर खेड़ी कोयला खान में नीचे धस गई भूमि को अपने नियंत्रण में लेने में असफलता ।] (134)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[धनबाद में लहबेरा ग्राम के जनजातीय लोगों से ली गई भूमि के लिए प्रतिकर देने में विलम्ब] (135)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा अनुपस्थिति को रोकने के नाम पर जनजतीय लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता ।] (136)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[नूनीडीह तथा सुदामडीह परियोजनाओं (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) में स्लेटी पत्थर उठाने वाली महिलाओं की अनुपस्थिति, जिसके कारण कोयले में पत्थर रह जाते हैं ।] (137)

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी के लिये उपयोग हेतु रियायती दरों पर मिट्टी के तेल की सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (201)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता ।] (202)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केरल में सम्पूर्ण विद्युतीकरण की आवश्यकता ।] (203)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कन्नानोर खिला और विशेषकर कासरगोड तल्लुक में तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।] (204)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[सामान्य रूप से केरल में और विशेष रूप से कासरगोड तल्लुक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता ।] (205)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[अनाज की खेती के लिये छोटे किसानों को मुफ्त और मझौले किसानों को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (222)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[लघु और घरेलू उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (223)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लयालदीह और गोपालीचक के कोयलाखानों को बर्खास्त हुए कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता ।] (206)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।

[कोयले के गारे को एकत्र करने और ग्रामीण जनता के लिये घरेलू ईंधन हेतु गोला बनाने के लिये सहायक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।] (207)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के आठ दिन के वेतन की कटौती न करने की आवश्यकता ।] (208)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[सी० सी० एल० बी० सी० सी० एल०, ई० सी० एल० तथा डब्ल्यू० सी० एल० की प्रत्येक कोयला परियोजना के 8 किलोमीटर के अन्दर सामुदायिक विकास योजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता ।] (209)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[बिहार में प्रत्येक पंचायत में कोयला डिपो को खोलकर कोयले के वितरण में सुधार लाने की आवश्यकता ।] (210)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[कोल इंडिया लिमिटेड में धन के दुरुपयोग की जांच करने की आवश्यकता ।] (211)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[खाना पकाने की गैस के वितरण और उसके कनैक्शन देने के कार्य को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता ।] (212)

कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

[बेरोजगार युवकों को खाना पकाने की गैस की एजेन्सी देने की आवश्यकता।] (213)

"कि पेट्रोलिम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आवश्यकता के आधार पर पैट्रोल पम्पों की स्वीकृति देने की आवश्यकता।] (214)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[गैस सिलेण्डरों से गैस निकाले जाने को रोकने की आवश्यकता।] (215)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पैट्रोल पम्पों पर पैट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट रोकने की आवश्यकता।] (216)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सभी ताप बिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता।] (217)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[तेनूघाट ताप बिजली परियोजना को सुपर ताप बिजली परियोजना में बदलने की आवश्यकता।] (218)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बिजली की दरों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता।] (219)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सभी बिजली प्राधिकरणों को पूर्णतः केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में लाने की आवश्यकता।] (220)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[विद्युत परियोजनाओं में कदाचार को रोकने की आवश्यकता।] (221)

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने की आवश्यकता।] (224)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की आवश्यकता।] (225)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल, डीजल तथा पैट्रोल सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (226)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रियायती दरों पर मिट्टी का तेल सप्लाई करने की आवश्यकता ।] (227)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[हल्दिया में पेट्रो-रसायनिक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता ।] (228)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[हल्दिया पेट्रो-रसायनिक कारखाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता ।] (229)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के तमलुक नगर में रसोई गैस सेवा की शीघ्र आवश्यकता ।] (230)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के घटाल नगर में रसोई गैस सेवा की आवश्यकता ।] (231)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के झारग्राम नगर में रसोई गैस सेवा की आवश्यकता ।] (232)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के कण्टाई नगर में रसोई गैस सेवा की आवश्यकता ।] (233)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में महिसादल में रसोई गैस सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (234)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में कोलाघाट में रसोई गैस सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।] (235)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल में मिजिया, बंकुरा में एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता।] (236)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद में सागरदीघी में एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता।] (237)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एच० एफ० सी० यूनिट में निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।] (238)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।] (239)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता।] (240)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[उत्तर बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों में पन-बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की आवश्यकता।] (241)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पैट्रोलियम और पैट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में विफलता।] (242)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[खनिज तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में विफलता।] (243)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[रसोई गैस सिलेण्डरों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असफलता।] (244)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[बेगूसराय में पैट्रो-कैमिकल्स कारखाने लगाने में असफलता।] (245)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[पैट्रोलियम विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में निश्चित नीति बनाने एवं उसकी क्रियान्विति में असफलता ।] (246)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[स्थानान्तरण के मामलों में भेदभाव रोकने में असफलता ।] (247)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[पैट्रोलियम विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में विफलता ।] (248)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[रसोई गैस के कनेक्शन देने में कदाचार रोकने में असफलता] (249)

'कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[पैट्रोल, मिट्टी के तेल, रसोई गैस के कनेक्शन और डीजल की बिक्री के लिए लाइसेन्स देने में कदाचार में असफलता ।] (250)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पैट्रोल, मिटटी के तेल, डीजल, रसोई गैस के लाइसेन्स विहित कोटा के अनुसार देने में असफलता ।] (251)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[पैट्रोलियम विभाग में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों को पूर्णत: लागू करने में असफलता ।] (252)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[पैट्रोलियम विभाग द्वारा हिन्दी की उपेक्षा को समाप्त करने में असफलता ।] (253)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पैट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, रसोई गैस के लाइसेन्स स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निर्धारित कोटा के अनुसार देने की आवश्यकता ।] (254)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पैट्रोलियम विभाग में अधिकारियों को पांच से दस वर्ष तक एक ही स्थान पर न रखने की आवश्यकता ।] (255)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[पैट्रोलियम विभाग के दिल्ली वासी अधिकारियों को दिल्ली में स्थित विभिन्न कार्यालयों में स्थानान्तरित करने के मामलों पर विचार करने की आवश्यकता ।] (256)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[तेल शोधक कारखाने में श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने की आवश्यकता ।] (257)

"कि पैट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के कार्यों में और तेजी लाने की आवश्कयता ।] (258)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जायें ।"

[देश में बिजली की कमी को दूर करने में असफलता ।] (259)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।

[औद्योगिक एवं कृषि उत्पादनों में कमी को रोकने में बिजली की नियमित सप्लाई बनाये रखने में असफलता ।] (260)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[बिजली के उत्पादन एवं वितरण के लिए एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाने में असफलता ।] (261)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[किसानों को कम से कम आठ घंटे प्रतिदिन बिजली की सप्लाई करने में असफलता ।] (262)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[बिहार में बिजली के रेट में अत्याधिक वृद्धि को रोकने में असफलता ।] (263)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[विभिन्न विद्युत बोर्डों में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता ।] (264)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[बिजली की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी को रोकने में असफलता ।] (265)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाय ।"

[बिहार में और खासकर उत्तर बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को बढ़ाने में असफलता ।] (266)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[कोयलाकारी विद्युत योजना को शीघ्र पूरा करने में असफलता।](267)

श्री नूरुल इस्लाम (डुबरी) : महोदय भारत जैसे देश के राष्ट्रीय जीवन में ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक स्थान है। यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि मुझे ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला है।

आरम्भ में, मैं अपने नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा माननीय ऊर्जा मंत्री को एक भारतीय अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्ष में भेजने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह वास्तव में बहुत बड़ी सफलता है तथा इससे हमारे देश का सम्मान बढ़ा है।

देश में बिजली की प्रगति के संबंध में, मैं ऊर्जा मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने थोड़े से समय में देश में विद्युत का बहुत अधिक विकास के लक्षय को प्राप्त किया। छठी योजना के प्रारम्भ में देश की विद्युत क्षमता 28,000 मैगावाट थी और छटी योजना अन्त तक हम 42,000 से 43,000 मैगावाट तक का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धिया हैं। पांच वर्ष के थोड़े से समय में हम देश की विद्युत क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत, अर्थात 14,000 मैगावाट की वृद्धि कर लेंगे, तीन दशकों में 28,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का सृजन किया गया जबकि पांच साल की इस थोड़ी सी अवधि में 14,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन किया गया। भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

1979 में भारत में 10 मिलियन टन तेल निकाला जाता था और अब यह लगभग 26 मिलियन टन है और अब मेरा विश्वास है कि छठी योजना के अंत तक यह 29 मिलियन टन हो जायेगा। यह वास्तव में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है, सरकार ने लगभग 3,36,878 गांवों में, जो कि देश में गांवों की कुल संख्या का लगभग 58 प्रतिशत हैं, बिजली पहुंचा दी गई है। यह भी एक महानउपलब्धि है जिसके लिये सरकार हमारी ओर से बधाई की पात्र है।

जहां तक देश की सिंचाई क्षमता के विद्युती कर का सम्बन्ध है, सरकार ने देश की कुल सिंचाई क्षमता, जी कि 120 लाख पम्पसेटों अथवा नलकूपों की है, की तुलना में 51 लाख पम्पसेटों अथवा ट्यूवेलों, जो कि देश की कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 42.5 प्रतिशत है, का विद्युतीकरण कर दिया है। यह भी देश के लिये वास्तव में एक महान उपलब्धि है।

निसन्देह सभा में विपक्ष में बैठने वाले मेरे माननीय मित्रों की सदा से यह कहने की आदत रही है कि सरकार जो भी अच्छे कार्य करे, उनके लिए वह बधाई की पात्र नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि केवल सभा में विपक्ष में बैठने के कारण इन भद्रजनों में सरकार द्वारा किये जाने वाले अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने की भावना भी समाप्त हो जाती है। इस सम्बन्ध में मुझे एक बहुत दिलचस्प कहानी याद आरही है। एक बार एक सुप्रतिष्ठित बैरिस्टर माननीय न्यायाधीश के समक्ष एक मामले पर बहस कर रहे थे, कि अचानक माननीय न्यायाधीश ने बैरिस्टर से कहा कि ? "आप जो कह रहे है, उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं।" इस पर बैरिस्टर ने तपाक से यह उत्तर दिया कि" माइ लार्ड मैं आपको प्रेम करना सिखा सकता हूं, आपके मस्तिष्क में कोई नया तन्तु स्थापित नहीं कर सकता।"

सामने बैठे हुये मेरे माननीय मित्र का मामला भी इसी प्रकार का है।

हांलाकि हमारे देश में बिजली के उत्पादन में काफी प्रगती हुई है, किन्तु सारे देश में यह एक समान नहीं है, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हम असमान प्रगति के कारण राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन जैसी बहुत सी असमानतायें पैदा हो गई हैं जिसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में लोगों में बहुत अधिक असन्तोष की भावना पैदा हो गई है ।

सारे देश में बिजली एक समान उत्पादन होना चाहिये था ।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पहलू पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करेंगे क्योंकि केवल बिजली पर ही सारे देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है । हमें बिजली उत्पादन के मामले में देश के किसी भी भाग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

बिजली उत्पादन के प्रयोजनार्थ देश को उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है ।

वित्तीय अड़चनों और अन्य कठिनाइयों के कारण अनेक राज्य बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं । और केन्द्रीय सरकार सदा ही उन राज्यों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित बिजली परियोजनाओं की स्थापना करके ऐसे राज्यों की सहायता करती रही है ।

विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित बिजली उत्पादन परियोजनाओं का अनुपात इस प्रकार है :

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता
	मैगावाट
उत्तरी	420
दक्षिणी	435
पश्चिमी	420
उत्तर पूर्वी	105

किन्तु इन मामलों में मंत्री महोदय की सूचानार्थ मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आश्वासित क्षमता संस्थापित क्षमता की तुलना में बहुत कम है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास की बात करना ही काफी नहीं है । जनता अब अधिक जागरूक हो गई है और वह केवल जुबानी हमदर्दी से सन्तुष्ट नहीं है । सहानुभुति अवश्य ही वास्तविक होनी चाहिये । मुझे यह समझ नहीं आता कि सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिजली के उत्पादन के लिए भारी पैमाने पर कार्य क्यों नहीं कर रही है ।

मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे यह देखने के लिए हर प्रकार का प्रयास करें कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बिजली का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है । केवल यही बात नहीं है । आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है ।

देश में पन बिजली के उत्पादन की क्षमता के बारे में मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं । हमारे देश में बिजली तापबिजली, और जलबिजली परमाणु बिजली परियोजनाओं से तैयार की है । यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि पन बिजली परियोजानयें समान्यत: कम लागत की होती हैं । पता नहीं क्यों..... .....

श्री पी० शिव शंकर : जल बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने में अधिक लागत आती है, किन्तु बाद में इनसे जो लिजली पैदा होती है, वह सस्ती पड़ती है ।

श्री नूरुल इस्लाम : औसतन पन बिजली परियोजना पर कम लागत आती है।

यदि हम देश में पन बिजली परियोजनायें स्थापित करें, जिनके लिए देश में बहुत अधिक क्षमता विद्यमान है, तो इनसे हमें दो और फायदे होंगे, एक तो बाढ़ों को रोका जा सकेगा, दूसरे सूखे से बचा जा सकेगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि इन तीन पहलुओं पर विचार क्यों नहीं किया गया है और सरकार पनबिजली परियोजनाओं के लिये भारी पैमाने पर कार्य क्यों नहीं कर पा रही है। इस समय हमारे देश में बिजली उत्पादन का अनुपात इस प्रकार है : तापीयबिजली परियोजनाओं से 62 प्रतिशत, पनबिजली परियोजनाओं से 35 प्रतिशत, अर्थात् तापबिजली परियोजनाओं की आधी ; और परमाणु बिजली परियोजनाओं से तीन प्रतिशत बिजली तैयार की जा रही है। मेरा मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि सरकार को पनबिजली-उत्पादन के लिए भारी पैमाने पर कार्य करना चाहिये क्योंकि पनबिजली क्षमता का उपयोग करने से हमारी अर्थव्यवस्था पर तिहारा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, अर्थात् बाढ़ों की रोकथाम होगी, सूखे से बचाव होगा और बिजली का उत्पादन होगा। आजकल हमारी अर्थव्यवस्था में से तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह महत्वपूर्ण क्षेत्र को बाढ़ एवं सूखे के कारण बहुत हानि हो रही है। इसलिये यदि ऊर्जा विभाग देश में पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारी-पैमाने पर कार्य करेगा, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर निश्चितरूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि पूर्वी क्षेत्र, खासकर असम में दो विशाल नदियां हैं और उनकी अनेकानेक सहायक नदियाँ है, सभी न्यूनाधिक रूप से काफी-अधिक मात्रा में जलबिजली उत्पादन की क्षमता विद्यमान है। पता नहीं सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पनबिजली की इस क्षमता का उपयोग करने के लिए भारी पैमाने पर कार्य क्यों नहीं कर रही है, यदि केवल ब्रह्मपुत्र,नदी, जो कि दुनियां की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, की बिजली उत्पादन क्षमता का ही सही और दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाये तो, मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इससे देश की बिजली की सम्पूर्ण जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। मुझे आशा है कि इस पहलू को ध्यान में रखते हुये मन्त्री महोदय निश्चय ही ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों की पनबिजली क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करेंगे।

मुझे यह पता चला है कि बाढ़-नियंत्रण के एक समुदाय के रूप में असम में डिहिंग और सुवनसिरि नदियों पर दो बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यदि इनका निर्माण कर लिया गया, तो इनसे सारे देश की जरूरतें पूरी हो जायेंगी। मुझे आशा है कि ऊर्जामन्त्री इस ओर ध्यान देंगे ताकि बाढ़ नियंत्रण विभाग इन बांधों का निर्माण करे जिनके सम्बन्ध में योजनायें और लागत अनुमान पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं; जिनका निर्माण किसी न किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिये क्योंकि असम राज्य पहले ही से जल रहा है; केवल मौखिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा; लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे। वहां कुछ रचनात्मक कार्य अवश्य करना होगा। बिलली ही वह प्रमुख अवसंरचना है जिस पर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास पूर्ण रूप से निर्भर करता है।

इसके बाद मैं जिस मुद्दे पर कहना चाहूंगा, वह है तेल का स्वत्व शुल्क। देश में तेल उत्पादन के क्षेत्र में असम और गुजरात राजा और रानी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के हितों की परवाह न करके सौदे का उपयोग किया जा रहा है। इस विषम होते जा रहे वाता-

वरण को देखते हुये इन राज्यों के स्वत्व शुल्क में वृद्धि करने के दावों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में 1981 में, 1.4.1981 को समझौता किया गया था और स्वत्वशुल्क की दर 61 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी। 1.7.1981 को कच्चे तेल का मूल्य 305 रुपये बढ़कर लगभग 1181 रुपये हो गया। एक कल्याणकारी राज्य को इस बात की वाजिब समझ होनी चाहिये कि स्वत्व शुल्क की दर सम्बन्धी इस समझौते को तत्काल संशोधित किया जाये। बजाय ऐसा करने के केन्द्रीय सरकार इस समझौते में संशोधन करने के लिये सहमत नहीं हुई और इस गरीब राज्य के हितों के विरुद्ध तीन वर्ष तक अनुचित लाभ कमाती रही। इसका कोई कारण नहीं है। यह शेक्सपियर के पात्र शायलाक और ऐण्टोनी के बीच हुये करार की भांति कोई ऐसा समझौता नहीं है जिसमें संशोधन किया जा सके, अथवा जिसकी पुनरीक्षा न की जा सके। यह समझौता एक कल्याणकारी सरकार और इसके संघटकों के बीच हुआ था। ऐसा बहुत पहले कर लिया जाना चाहिये था। मैं सरकार को इस बात के लिये अवश्य बधाई देता हूं कि अन्ततः वे लोग क्षोभ से जलने लगे, तो तब सरकार का सद्विचार बना कि समझौते की अवधि को चार वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाना चाहिये। आजकल जबकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्यों न इस अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया जाये। हमने जनता, राज्यों और देश के हित के लिए कानून बनाये हैं। देश, राज्यों और जनता के लिए अत्यन्त आवश्यक हो जाने पर क्या हम इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते ? यदि आज हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो दो साल पहले हम इसमें परिवर्तन क्यों नही कर सके ? केवल राज्य के हितों के विरुद्ध फायदे उठाने के लिए। राज्य वित्तीय सम्बन्धों को सुधारने के लिए दावा नहीं करेंगे। यही कारण है कि ये बातें हो रही, इसीलिए मन्त्री महोदय से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे कच्चे तेल के स्वत्व शुल्क की दरों की इस परिशोधन अवधि को 3 वर्ष से कम करने के लिए एक वर्ष करने के लिए तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम, 1984 में कुछ और संशोधन प्रस्तुत करें।

और फिर श्रीमान स्वत्व शुल्क का यह अनुपात जो 1969 में 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, क्या आर्थिक विकास के इन दिनों में सदियों तक जारी रहना चाहिये ? मुझे आशा है कि सरकार को इस संबंध में सद्भावना पूर्वक निर्णय लेगी और राज्य को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इस 20 प्रतिशत का बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। आखिर केन्द्रीय सरकार है क्या ? राज्य केन्द्रीय सरकार के संघटक हैं हम यह किसके कल्याण के लिए हैं ? जनता के कल्याण के लिये, राज्यों के कल्याण के लिए, और कुल मिलाकर देश के कल्याण के लिये। तो, हम यह क्यों नहीं कर सकते ? मुझे यह समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या तर्क है।

अन्ततः, नहीं अपनी अन्तिम बात से पहले मैं एक बात मंत्री महोदय के ध्यान में अवश्य लाना चाहूंगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं असम तेल क्षेत्र में राजा है और अब भी है। असम प्रतिवर्ष 60 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहा है और 60 लाख टन तेल के पष्किरण के लिए 3 तेल शोधक हैं जिनकी क्षमता 50 लाख मीट्रिक टन की है। सरकार 10 लाख टन तेल को परिष्करण के लिए राज्य से बाहर रखने का प्रयास कर रही है।

मैं समझता हूं कि यह अधिक कीमती होगा। सरकार असम राज्य में एक और अर्थात चौथी रिफायनरी स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत क्यों नहीं करती।

महोदय, सरकार हर मामले में देरी कर रही हैं। जब भी सरकार कोई ठोस प्रस्ताव रखती है, तभी वह एक मामला बन जाता है। इस विचारधारा को समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरा उनसे निवेदन है कि जब राज्य सरकार भी राज्य में चौथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए दबाव डाल रही हैं, तो मुझे आशा है वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और राज्य के लोगों के लिए आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ असम में चौथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करेंगे। दूसरा मुद्दा, जिस पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं वह यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इस्लाम, आप बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी बातें कह रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

श्री नूरुल इस्लाम : प्रशंसा के लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह कार्य किसी को भी आघात पहुंचाए बिना किया है।

श्री नूरुल इस्लाम : मेरे विचार में हमारे देश में प्राकृतिक गैस वास्तव में एक दुर्लभ सम्पदा है। महोदय, क्या आप जानते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप से असम में क्या प्राकृतिक गैस का क्या किया जाता है? असम के तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है। धन के रूप में, मेरा विश्वास है,—असम के सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार—यह प्रतिदिन 10 लाख रुपए बैठती है। प्रतिवर्ष असम में कुल जितनी गैस जलाई जा रही है उसकी लागत लगभग 79 करोड़ रुपए बैठती है। इस तथ्य को नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे यह कहना है कि इस प्रकार के दुर्लभ प्राकृतिक धन को बर्बाद होने देना एक दांडिक कार्य है। मैं इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच करने तथा एक उर्वरक परियोजना, विद्युत जनिजण परियोजना अथवा कुछ अन्य परियोजनाओं की स्थापना करके गैस की इस लाभ प्रदता को उपयोग करने का प्रयास करें ताकि इस गैस का उपयोग किया जा सके, माननीय मन्त्री महोदय सकें लिए आग्रह करता हूं। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार भी इसके लिए दबाव डाल रही है। धन की अड़चनों के कारण, राज्य सरकार इस गैस का सही ढग से उपयोग नहीं कर सकी। मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान यह देखने के लिए आकर्षित किया है कि इस दुर्लभ राष्ट्रीय धन का उपयोग विद्युत जनिजण परियोजनाएं अथवा उर्वरक परियोजनाएं अथवा जो भी परियोजनाएं हों की स्थापना करके लाभप्रद उपयोग किया जाता है।

अंत में मेरा निवेदन है कि हम जब कभी भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गतग्रामीण बिजली निगम की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य में जाते हैं तो निगम का चेयरमैन हमेशा हमें यह आश्वासन देता है कि धन की कोई कमी नहीं है। और हम कुछ गौरवान्वित अनुभव करते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार कई परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजती है तो इसके रास्ते में केवल धन की अड़चन का प्रश्न सामने आता है। इसलिए मैंने इस मामले की जांच करने के लिए ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा देश के किसी भाग के बारे में हो सकता है।

इन कुछ शब्दों के साथ ऊर्जा के बारे में कुछ निवेदन करने के लिए मुझे अवसर देने पर मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी शासक दल के हमारे एक मित्र ने सरकार की उर्जा नीति और उसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए गए विकास-कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हो सकता। आज ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ संकट देश की प्रगति के प्रवाह को अवरुद्ध किए हुए हैं और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है—और वह आने वाले दिनों में भी पड़ेगा, इसकी अभिव्यक्तियां विभिन्न

क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं। जैसे लोड शेडिंग, पावर कट, बिजली की अनियमित और अनिश्चित आपूर्ति। इसके परिणामस्वरूप खेती में गृहस्थी में और कृषि की पैदावार में काफी गिरावट आई है।

हम बिहार की बात आपको बता सकते हैं। छोटे और कुटीर उद्योग बिजली की अराजक आपूर्ति की वजह से बन्द होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप लाखों मजदूर जो कल तक इन कारखानों में काम करते थे आज वह भटक रहे हैं काम के अभाव में। कारखाने बन्द पड़े बिजली की कमी की वजह से। आप जानते हैं बिहार में ऊर्जा के प्रचुर संसाधन मौजूद हैं। अगर उसका इस्तेमाल किया जाता तो शायद बिहार का स्थान ऊर्जा के क्षेत्र में पहला होता। लेकिन अभी बिहार की क्या स्थिति है ? स्थापित क्षमता बिजली की लगभग 900 मेगावाट हैं और पैदावार लगभग 300 मेगावाट है। ट्रांसमिशन में 30 से 40% तक लास होता है। यह स्थिति वहां पर है। बिहार में इतने संसाधन रहने के बावजूद ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार का इतना पिछड़ापन है। सबसे हैरत में डालने वाली बात यह है कि जो भी परियोजनाएं पिछले दिनों चालू की गई बिजली के विकास और विस्तार के लिए वह अधूरी पड़ी हैं। आप को सुनकर आश्चर्य होगा कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में नं० 6 और 7 यूनिट का निर्माण किया जा रहा था। 45 करोड़ की परियोजना थी। नम्बर 6 की यूनिट का कमीशनिंग होना था 1977 दिसम्बर तक और वह कमीशन हुआ 1983 जनवरी तक। 7 नम्बर के यूनिट की कमीशनिंग में भी लगभग चार पांच वर्ष की देर लगी और खर्चा अगर आप देखें तो 45 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ या हो सकता है कि 100 करोड़ तक पहुंच गया हो। यही स्थिति प्रतापू की रही और यही स्थिति मुजफ्फरपुर कांटी की भी रही। कितनी उपेक्षा की गई ऊर्जा के विकास में वह इससे पता चलेगा कि पानी का प्रचुर भण्डार, कोयले का प्रचुर भंडार और सिंह भूमि जिले में यूरेनियम का भण्डार मौजूद है लेकिन बिजली के क्षेत्र में यह राज्य इतना पिछड़ा हुआ है। बिहार का स्थान पांचवें दशक में ऊपर से सातवां था वहां ऊर्जा के विकास की गति इतनी तेज हुई और इतना विकास हुआ कि बिहार का स्थान नीचे से तीसरा हो गया। यह है प्रगति बिहार की ऊर्जा के क्षेत्र में जिसके लिए हमारे मित्र अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंकते हैं।

जैसा मैं ने पहले कहा कि पानी का इतना प्रचुर भण्डार वहां है, उसको देखते हुए कोयलकारों स्कीम सरकार ने मंजूर की। लेकिन उसका प्रोजेक्ट नियति के ऊपर अधर में लटका हुआ है। पता नहीं कब तक बनने वाला है। उसी तरह कहलगांव थर्मल पावर की स्वीकृति हुई लेकिन अभी तक उसका काम शुरू भी नहीं हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा बिजली का कन्जम्पशन बिहार में सबसे कम है, उसकी उपलब्धता बिहार में सबसे कम है।

आप जानते हैं हमारे यहां 63-64 में राजकीय क्षेत्र में रिफाइनरी का पहला कारखाना बना। उस समय हमारे देश पर विदेशी हमला बढ़ गया था और इस बात की आवश्यकता थी कि अगर डेफेंस को मजबूत करना है तो उस हालत में रिफाइनरी का कारखाना बरौनी में बनाना आवश्यक है। उसी दृष्टिकोण से बरौनी में रिफाइनरी का कारखाना बना था। तब से लेकर आजतक लगातार यह मांग रही है कि वहां पर पेट्रो रसायन समूह की स्थापना की जाए। आपको शायद मालूम होगा कि 1963-64 में, इसका निर्माण हो जाने के बाद, जब यह मांग जोर पकड़ने लगी कि पेट्रो रसायन समूह की स्थापना होनी चाहिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में एक कार्य दल गठित किया गया जिसने इस बात की जांच की कि पेट्रो रसायन समूह की स्थापना हो सकती है या नहीं और उसने अनुशंसा की कि बरौनी में एक पेट्रो रसायन समूह की स्थापना की जा सकती

हैं। उसके बाद 1968 में सरकार ने इस बात की घोषणा की कि बरौनी में पेट्रो रसायन समूह की स्थापना की जायेगी। 1969 में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को खबर दी कि एक पेट्रो रसायन एरोमेटिक कांप्लेक्स की स्थापना बरौनी में की जायेगी। 1976 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक समिति गठित की गई, फीजबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और उसने भी अनुशंसा दी कि बरौनी में पेट्रो रसायन समूह की स्थापना की जा सकती है। 1980 में आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने भी एक कमेटी गठित की, स्थल का चयन करने के लिए, जिसने बरौनी में जाकर स्थल का निरीक्षण किया, बिहार सरकार के अधिकारियों से बातचीत की और उसने भी अपनी अनुशंसा की कि बरौनी में पेट्रो रसायन समूह की स्थापना की जा सकती है। 1981 में पश्चिमी जर्मनी की एक मल्टी नेशनल कम्पनी, पी० ए० एस० एफ० ने कैप्रोलेक्टम कारखाने की स्थापना के लिए बरौनी के क्षेत्र का भ्रमण किया, स्थल की जांच की और वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि बरौनी में कैप्रोलेक्टम कारखाना बनाया जा सकता है।

1982 में जब पेट्रोलियम डिमाण्ड्स पर इस सदन में बहस चल रही थी और मैंने इस सवाल को यहां पर उठाया था तो उस समय तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर, श्री पी० सी० सेठी ने यहां पर घोषणा की थी कि बिहार में एक बड़ा पेट्रो रसायन समूह बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मंत्रियों द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं उनकी कोई अहमियत या कीमत नहीं होती है। जब उनके आश्वासन में विलम्ब होने लगा तो बिहार के एम पीज का एक डेलिगेशन जाकर प्रधान मन्त्री से मिला और प्रधान मन्त्री ने उनसे कहा कि बिहार में कोई पेट्रो रसायन समूह नहीं बनेगा। क्या इसी प्रकार से आप बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं ? आप आश्वासन देकर भी मुकर जाते हैं। क्या इसी तरह से आप बिहार का विकास करना चाहते हैं ?

यही स्थिति कोयले के क्षेत्र में भी है। आज सारे देश में जितना कोयला पैदा होता है उसका लगभग आधा अकेले बिहार में होता है। लेकिन इसके विकास की स्थिति यह है कि छोटा नागपुर में चार जिलों में जो कोलरीज फैली हुई हैं, जहां पर 15 हजार मिलियन टन कोयले का अपार भण्डार धरती के गर्भ में छिपा है, वहां अभी तक मात्र पांच प्रोजेक्ट ही चलाए जा रहे हैं और बाकी इलाके खाली पड़े हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यदि सही मायनों में इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता तो बिहार की स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता था। आर्थिक विकास के क्षेत्र में बिहार छलांग लगाकर आगे बढ़ सकता था। आप जानते हैं उस पिछड़े इलाके में अधिकतर हरिजन आदिवासी ही रहते हैं, वहां पर बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है और यदि वहां पर कोयले का इस्तेमाल होता तो लाखों लोगों को रोजी मिल सकती थी।

बिजली के क्षेत्र में भी हम रोना-रोते हैं कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। लेकिन चार हजार मेगावाट का एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वहां पर बन सकता है जिससे बिहार में औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में बहुत काफी प्रगति हो सकती है। उसी तरह से राजमहल का जो पहाड़ी इलाका है उसमें 4121 मिलियन टन कोयले का भण्डार है। लेकिन वह भी इलाका पिछड़ा हुआ है। अगर उस क्षेत्र का विकास होता तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन और फरक्का थर्मल पावर स्टेशन को काफी कोयला आसानी से सप्लाई हो सकता था। इससे बहुत लोगों को काम भी मिल सकता था। लेकिन इस के बारे में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। सरकार चुपचाप बैठी हुई है।

इसी प्रकार इस सदन में कुछ दिन पहले शास्त्री जी ने यूरेनियम से संबंधित सवाल उठाया था। सिंहभूम में यूरेनियम के काफी भंडार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन सकता है या नहीं ? मगर सरकार के यह भी विचाराधीन नहीं है। इस तरह से बिहार की उपेक्षा करने का क्या अर्थ है। एक तरफ स्केयरसिटी और दूसरी तरफ स्थिति और भी भयानक है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हजारी बाग जिले में गिद्दी वाशरी के लिए पांच लाख टन कोयले की ठेकेदारी मै० रोंगटा एण्ड ब्रादर्स को दी गई और उसने हार्ड कौक का कारखाना रांची रोड पर बना रखा है। जब वहां पुलिस ने छापा मारा तो 42 हजार टन कोयला उस कारखाने में मिला, जब कि उसको 3200 टन कोयला रखना था। इस तरह से ठेकेदारी की लूट की वजह से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है। जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं लगा सकता है, यदि कोई शिकायत करता है तो जान पर आ जाती है।

मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि कोयले के लदान और ढलाई के लिए हरिजन लोग काम करते थे। लेकिन अब पे-लोडर का इस्तेमाल किया जा रहा है नतीजा यह है कि लाखों की संख्या में हरिजन और आदिवासी मजदूर जो काम में लगे हुए थे, वे बेरोजगार हो गए हैं। काम के अभाव में वे भूख से मर रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसको काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करे। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बिहार की आर्थिक स्थिति के विकास में रुकावट पैदा हो रही है। यदि उसका विकास करना है तो वहां पानी का अपार भंडार है और यूरेनियम का अपार भंडार है, जिसका इस्तेमाल करके ऊर्जा के विकास की संभावना है; जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तभी बिहार का विकास हो सकता है और तभी वह संकट की स्थिति से मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार लाखों लोगों को काम भी मिल सकता है। आज जो लोग बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार हम लोगों के निवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और अविलम्ब ठोस कदम उठाएगी। ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार का विकास हो सके।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एनर्जी मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ष 1983-84 में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि की है और इस वर्ष के 1,24,812 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन हुआ है, जब कि गत वर्ष में यह उत्पादन 1,16,229 मिलियन यूनिट्स था। इस के साथ-साथ पावर जैरेशन की इंस्टल्ड कैपेसिटी में भी प्रगति की है—3933 मैगावटस की कैपेसिटी आप ने इस में जोड़ी है—जनवरी से नवम्बर, 1983 तक। एक और विशेष बात जिस के लिए हमारे माननीय मन्त्री जी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं—वह है ग्रामीण विद्युतीकरण। जनवरी से नवम्बर 1983 तक आप ने 30143 गांवों का विद्युतीकरण किया है जिस के कारण 2 लाख 37 हजार 925 पम्प-सेट्स को इनलार्ज्ड किया जा सका है।

लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विद्युत उत्पादन और विद्युत की अवश्यकता, उस की मांग-पूर्ति के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की स्थिति विभिन्न प्रकार की है। उन में कोई अनुरूपता नहीं है समानता नहीं है। उन की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है—इस सम्बन्ध में भी अभी तक

केन्द्रीय स्तर पर सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के माध्यम से या आप के मंत्रालय के माध्यम से निश्चित रूप से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। जहां पर जितनी विद्युत की मांग हो, कम से कम उस की मिनिमम रिक्वायरमेन्ट को आप पूरा कर सकें, इस सम्बन्ध में बहुत सी दिक्कतें इस वर्ष में आई हैं। मैं मानता हूं – ओवरप्लांट में आग लग जाने के कारण बहुत अंश तक विद्युत उत्पादन में कमी आई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सतपुड़ा थर्मल पावर प्राजेक्ट में जो ब्लास्ट, हुआ जिस की क्षमता 210 मैगावाट यूनिट्स जैनरेट करने की है—उस से भी बहुत नुकसान हुआ है। प्रश्न यह है कि इस तरह की क्यों घटनायें हो रही हैं—क्या आप अपने मन्त्रालय के स्तर पर विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश का यूनिट तो बिलकुल नया यूनिट था, जो कमीशन होने के बाद एकदम से ब्लास्ट हुआ। क्या उस में कोई गलत इक्विपमेन्ट लग गया था या कोई और कमी रह गई थी—इस के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं ऐसा इसलिये कहा रहा हूं—आप जानते हैं विद्युत उत्पादन राष्ट्र के लिए कितना कीमती है, जो पैसा हम इन पर खर्च कर रहे हैं, उस के एवज में हमें कितनी बिजली मिलती है—यह देखने की बात है। इस के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा—इस वर्ष आप ने 20 हजार करोड़ रुपये लगा कर जो कैपेसिटी इंस्टाल की है, जो प्राजेक्ट कमीशन किया है, उस कमीशनिंग से केवल 14 हजार मैगावाट एडीशनल कैपेसिटी पावर जेनरेशन की सम्भव हो सकी है। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि विद्युत उत्पादन कितना कीमती है, कितने इन्वेस्टमेन्ट के बाद हमें कितना लाभ उन से मिल सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—आप के सामने आज जो सब से बड़ा कन्स्ट्रेंट है वह धन का है और यह कन्स्ट्रेंट केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी है, राज्य बिजली बोर्डों के सामने भी यही समस्या है। इस सम्बन्ध में आप को एक बात नीति के तौर पर तय करनी होगी—क्या आप विद्युत बोर्डों को कामर्शियल पैटर्न पर चलाना चाहते हैं या सोशल तथा इकानामिक आउट-लुक के आधार पर चलाना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत उत्पादन पर जो खर्च आता है क्या पुराने टैरिफ में उस के आधार पर संशोधन करना चाहते हैं या नहीं। कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट हमारे सामने हैं कि कुछ बिजली बोर्डों में वहां मैनजेमेंट और उत्पादन पर जो खर्चा हो रहा है, उस के मुकाबले उन की अमदनी बहुत कम है और एक तरह से वे बैंकक्रापट होते जा रहे हैं, जिस का आगे चल कर देश के आर्थिक विकास और आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो आगे चल कर हालात और ज्यादा खराब होंगे। बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश के बिजली बोर्डों में पैसे के अभाव में या तो वहां स्ट्राइक्स होती हैं या उन के एम्पलाइज का पूरा कोआपरेशन नहीं मिलता है और इस तरह से जो कार्यक्षमता उन से अपेक्षित है, वह उस से नहीं मिल पा रही है।

आपको राष्ट्र स्तर पर यह सोचना होगा कि जिन राज्यों में सरप्लस पावर है, उस पावर का बटवारा हो। एक निश्चित रेट पर उस स्टेट्स को बिजली देने की व्यवस्था करनी चाहिए जहां इसका अभाव है। मिसाल के तौर पर बंगाल में आपके पास समस्या है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करें। दूसरी ओर राजस्थान जो कि इकानामिकली बेकवर्ड है और जेनरेशन भी कम है, वह भी रेट पर बिजली लेने को तैयार है। फिर भी उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट के अनुसार बिजली नहीं मिल पाती इसलिए इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। जहां सरप्लस उत्पादन है उसको कमी वाले स्थानों को दिया जा सके। इस सम्बन्ध में नेशनल काउंसिल

आफ पावर यूटिलिटीज ने रिकमण्ड किया है कि सेंटर या स्टेट जहां पावर उत्पन्न हैं और वहां जो सरप्लस है उसको भी इशू करने के लिए कोई यूनिफार्म प्राइस तय करना चाहिए। इससे आप डेफिसिट स्टेटस को एश्योर कर सकते हैं। इससे वहां की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है।

मन्त्री महोदय स्वयं जानते हैं कि छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जो प्लान के आब्जेक्टिव थे जो टारगेट था वह 191 मिलियन यूनिट था। उसके मुकाबले में इस वर्ष आपने टारगेट रखा था वह 144.3 मिलियन यूनिट का था। उस की एक्चुअल जेनरेशन आपके मुताबिक है 126 मिलियन यूनिट। इसमें अगर 8 प्रतिशत इन्टरनल रिक्वायरमेंट और 10 प्रतिशत लासेस आफट्रांसमीशन एण्ड पावर को निकाल दें तो आपका टारगेट और भी कम हो जाता है।

1.54 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

श्री पी० शिवशंकर : यह 138 है, लेकिन 144.3 मिलियन यूनिट नहीं है।

श्री राम सिंह यादव : आपकी किताब विद्युत विभाग की 1984-85 की रिपोर्ट के अनुसार :—

"फरवरी, 1984 के अंत तक यह उपलब्धि केन्द्रों तापीय के लिए 77.6 बिलियन यूनिटें हैं न्यूक्लीयर के लिए 3.2 बिलियन यूनिटें तथा हाइड्रो-स्टेशनों 2 के लिए 45.8 बिलियन यूनिटें हैं।"

"1983-84 के लिए विद्युत जनित्रण के लिए 144.3 बिलियन यूनिट के लक्ष्य का कार्यक्रम बनाया गया था....."कोई बात नहीं यह एक अच्छी बात है ; यह एक अच्छा तथा खुशी देने वाला लक्षण है।

इसलिए सोचना यह है कि इस वर्ग छोटी पंचवर्षीय योजना की जो रिक्वायरमेंट थी 191 यूनिट की उसमें 16 प्रतिशत का शार्टफाल है। अब सोचने की आवश्यकता है कि इसको किस तरीके से पूरा किया जा सके।

मान्यवर यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान स्टेट में एटामिक पावर प्रोजेक्ट रावलभाटा में लगाया हुआ है। दोनों यूनिट्स/1982 से लेकर आज तक एक भी यूनिट जेनरेट नहीं कर पाए।

उसकी केपेसिटी 220 मैगावाट है। क्या अभी केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है कि राजस्थान जैसे बैकवर्ड स्टेट में इसने कम यूनिट से जो कि जनरेशन में ही न हो, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। 9 जनवरी 1984 में 95 परसेंट कट किया गया। इतना कट होने से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर इन्डस्ट्रीज में कितनी पैदावार हो सकती है। ऐसी महत्वपूर्ण बात की ओर अपाका ध्यान जाना आवश्यक है। इण्डियन एक्सप्रैस में लिखा है कि राजस्थान में जनवरी के महीने में 95 परसेंट कट रहा है। इसका प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसानों पर भी पड़ा है। राजस्थान में प्रति दिन 220 मिलियन यूनिट की न्यूनतम आवश्यकता है जबकि 115 ही मिलती है। सिंगरौली, सतपुड़ा और भाखड़ा से जितना हिस्सा राजस्थान को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला और न मिलता है। इस सदन में गत तीन वर्ष से राजस्थान के संसद् सदस्य मांग कर रहे हैं कि इन्टर-स्टेट प्रोजेक्टस की हालत बहुत गम्भीर है। राजस्थान में एटामिक पावर प्रोजेक्ट नहीं है। सतपुड़ा-मध्य प्रदेश में, सिंगरौली-मध्य प्रदेश और उ० प्र० के बार्डर पर तथा चम्बल का यूनिट इस प्रकार से मध्य प्रदेश में लोकेट करता है - वे स्टेट हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए, वह नहीं देते। सतपुड़ा प्लांट से आज तक राजस्थान को पांच परसेन्ट भी बिजली नहीं दी गई। कई बार लिखकर भी दिया है लेकिन

संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट हमारा होने बाद भी हमें पांच परसेन्ट बिजली न मिले तो इसका क्या कारण है ? सिंगरौली से भी हमारा हिस्सा कम मिलता है इसी प्रकार चम्बल की स्थिति भी मध्य प्रदेश सरकार ने बता दी है कि कैचमेंट एरिया में छोटे-छोटे बांध बना दिए हैं और जितना पानी आना चाहिए था उतना नहीं आया जिसकी वजह से बिजली का जनरेशन कम हुआ और इसीलिए राजस्थान को उसका हिस्सा नहीं मिल पाया। राजस्थान में बिजली का अभाव हमेशा रहेगा राज्य और केन्द्र स्तर से ऐसा कोई उत्तर नहीं मिलता कि इसके अभाव को कैसे दूर किया जायेगा ? छठी पंचवर्षीय योजना में भी इसका आप के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसकी पूर्ति कर सकेंगे ? एटोमिक पावर प्रोजेक्ट वहां लगाने जा रहे हैं उसमें काफी पैसा लग चुका है इन्जीनियर्स को वेतन भी दे रहे हैं और उस पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काफी खर्च कर रहा है। लेकिन अभी तक एक भी यूनिट का जनरेशन नहीं हुआ।

2.00 म०प०

आपसे हमने पहले भी लिखित में निवेदन किया है, प्रधान मंत्री जी को भी लिखकर दिया है, काटी कमेटी की रिपोर्ट भी है, एटामिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने भी इसको कहा है कि जहां पर पहले ही अणु शक्ति के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वहीं पर दूसरे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वहीं पर दूसरा प्रोजेक्ट लगना चाहिए। क्या आप सदन में इस बात का आश्वासन देंगे कि राजस्थान में रावतभाटा में जो एटामिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जिसका एक यूनिट बिल्कुल बेकार हो चुका है, उससे दोबारा जेनरेशन को रिज्यूम करने की अभी तक उम्मीद नहीं है, क्यों आप दूसरा एटामिक प्लान्ट राजस्थान में लगायेंगे जिससे इस बात की पूर्ति हो सके कि वहां पर जो मौजूदा प्लांट नकारा हो चुका है,---

श्री पी० शिवशंकर : साइंस और टेक्नोलाजी।

श्री राम सिंह यादव : उसके बारे में राज्य साइंस और टेक्नोलाजी ने भी दी है। कोटा में थर्मल प्लांट की जो दो योजनाएं और चालू करना चाहते थे, उसमें पैसे के अभाव में गति नहीं आ रही है, उसके लिये पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। जब तक धन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक अणु यूनिट में इस तरह से पूर्ति नहीं हो सकेगी।

जहां तक प्लांट लोड फैक्टर की बात है, वह भी गिरता जा रहा है। इसका टारगेट जहां 50 परसेंट था, इस साल केवल 47.2 परसेंट है। गत वर्ष यह 48.8 परसेंट था। इसमें क्या मैनेजमेंट की कोई कमी है या किन्हीं स्पेयर्स की कमी है या कोई और रीजन्स है जिसकी वजह से प्लांट लोड फैक्टर में गिरावट आ रही है और इसका असर राजस्थान पर भी है। साथ ही कोटा का थर्मल प्लान्ट या दूसरे जो प्लान्ट्स हैं उनमें प्लान्ट लोड फैक्टर का एडवर्स इफैक्ट हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ट्रांसमिशन लासेज बहुत अधिक है और कुछ स्टेट्स में तो 30—35 प्रतिशत तक हैं, शायद राजस्थान में भी 30 प्रतिशत है। क्या आप इन लासेज को कम करने के लिये कोई इक्विपमेंट डैवलप करेंगे या ऐसा कोई कारण ढूंढेंगे जिससे लासेज कम-से कम हों ?

श्री पी० शिवशंकर : आप चोरी को कम करवाइये।

श्री राम सिंह यादव : चोरी कम करने के लिये आप कारगर कदम उठायें।

आप राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और उन बोर्डों को कमर्शियल ओरियेन्टेड बनाइये। इनमें कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिये। सोश्यो इकनामिक प्वाइन्ट आफ व्यू से जो आप छूट

देते हैं, एक निश्चित टैरिफ देने लगे हैं 400, 500 का एक फ्लैट रेट ले रहे हैं, इससे भी नुक्सान पैदा हो रहा है। इसके बारे में आपको नीति निर्धारित करनी होगी। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कभी सही काम नहीं कर सकते हैं।

आज स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितना जेनरेशन होता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। किस प्लांट से कितना जैनरेशन होता है, वहां मालूम नहीं पड़ता है। जब तक स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप सही स्तर पर नहीं लायेंगे, तब तक जिन स्टेट्स में विद्युत का अभाव है, वहां प्रगति नहीं हो सकती है।

प्लाना लिग्नाइट के बारे में सर्वे भी हो चुका है और जर्मनी की एक फर्म को कांट्रेक्ट भी दिया हुआ है। इसमें प्रगति की आशा थी, किन्तु इसमें कुछ नहीं हो सका है। जैसलमेर और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में गैस मिली है जब तक वहां पर आप इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं लगायेंगे जिससे विद्युत के अभाव की पूर्ति हो सके तब तक वहां कमी रहेगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनमें जमीन से पानी निकाल कर किसान खेत में पहुंचाता है। उसके पास साधन केवल एक बिजली है। पिछले 3 साल से वहां लगातार बिजली की कमी हो रही है, इसलिये कृषि का उत्पादन गिर चुका है और बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है। आप पूरे राजस्थान का सर्वे करायें और देखें कि किसान की पैदावार में कितनी गिरावट आई है और औद्योगिक क्षेत्र में कितनी गिरावट आई है। तभी आपको मालूम होगा कि राजस्थान जैसे बैकवर्ड स्टेट जिसकी आर्थिक क्षमता दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत कम है, उसके नागरिक पर अधिक वजन किस बात का पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय सिंगरौली, सतपुड़ा या बदरपुर आदि ऐसे यूनिट्स से, जिनके पास बिजली देने की क्षमता है, या सरप्लस स्टेट्स से राजस्थान को बिजली देने की व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(आठ) पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर में प्रवेश करने तथा बाहर जाने के लिए जो मार्ग है, उस पर एन ई रेलवे का क्रासिंग है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पूरनपुर, बीसनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर तथा नेपाल को आगे जाने वाले ट्रक, बसें, मोटर-गाड़ियां तथा बैलगाड़ियां उसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। रेलवे क्रासिंग रेलों के आवागमन के कारण बहुत देर तक तथा प्रायः बन्द रहता है जिसे उपरोक्त वाहनों की भीड़ बड़ी देर तक लगी रहने के अत्यन्त कठिनाई होती है। जनता को सुविधा प्रदान करने हेतु इस रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु (ओवरब्रिज) बनाने के लिए निश्चय कर के रेलवे विभाग ने तदर्थ भूमि आदि का चयन कर के योजना बना ली थी, परन्तु अभी तक ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जनता की कठिनाई को देखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री से तुरन्त इस रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने का आग्रह करता हूं।

(नौ) दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उड़िया संस्कृति से सम्बन्धित और अधिक कार्यक्रम शामिल करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक): उड़ीसा की जनता ने दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य के जीवन और संस्कृति पर उपयुक्त प्रकरण न शामिल करने पर रोष व्यक्त किया है। उदा-

हरण के तौर पर उड़ीसा के पुराने स्वतंत्रता सैनानी वीर सुरेन्द्रा साई की मरण-शताब्दी के अवसर पर प्रसारण के लिए कई दृष्टि मूलक तथा टेप दिल्ली भेजे गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनमें से किसी को भी प्रसारित नहीं किया गया।

उड़िया फीचर फिल्म कुछ ही अवसरों पर प्रसारित की जाती है। यद्यपि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र कोट पुस्तकालय में उड़िया फीचर फिल्म के कई अच्छे प्रिन्ट्स रखे हुए हैं, किन्तु, चार महीनों में एक बार भी उड़िया फिल्म देखने को नहीं मिलती है।

कटक दूरदर्शन केन्द्र में उपलब्ध कैमरों की संख्या 3 है, जबकि वहां 4 प्रोड्यूसर कार्य कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन तीन कैमरों में से एक कैमरा खराब है और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद इसे बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

कोणार्क टेलीविजन के उत्पादन में वृद्धि हो जाने के साथ दूरदर्शन दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, और वे यह आशा करते हैं कि उड़ीसा की सांस्कृतिक परम्परा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए। अतएव, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कटक दूरदर्शन केन्द्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उड़ीसा के स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में उपयुक्त फीचर राष्ट्रीय कार्यक्रम में यथा प्रसारित किए जाने चाहिए।

(दस) महाराष्ट्र में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक स्विचिंग फैक्टरी स्थापित करना

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रानिकी स्विचिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली, पुणे, औरंगाबाद तथा नासिक के पास स्थापना-स्थल सुझाए हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्थापना—स्थल चयन समिति ने सितम्बर, 1981 में इन स्थापना-स्थलों का दौरा किया था।

महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में आई० टी० आई० जैसी एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का दूर-संचार एकक स्थापित करने के लिए पिछले 15 वर्षों से आग्रह करती आ रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार क्षमताएं हैं।

परियोजना की लागत लगभग 60 करोड़ रुपए होगी यह प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगी और अप्रत्यक्ष रोजगार इससे भी काफी अधिक होगा।

यह समझा जाता है कि स्थापना-स्थल चयन समिति ने इस परियोजना के लिए उपयुक्त स्थापना-स्थल का चयन करने हेतु आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब का भी दौरा किया था। केन्द्रीय सरकार के तदुद्देशीय बल द्वारा तैयार किए गए औरंगाबाद के लिए नाभिकीय कार्यक्रम में इस परियोजना के लिए स्थापना-स्थल औरंगाबाद में पहले ही सूचित किया गया है। लेकिन यह पता चला है कि स्थापना-स्थल चयन समिति अब इसे आन्ध्र प्रदेश के मेढ़क जिले में स्थापित करने का विचार कर रही है।

अतएव, इस मामले को उप मुख्यमंत्री तथा उद्योग मंत्री, बम्बई द्वारा 22 जुलाई 1983 को केन्द्रीय संचार राज्य मन्त्री के साथ उठाया गया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इलैट्रानिक्स स्विचिंग फैक्टरी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाए। मेरा अनुरोध है कि इलैक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग फैक्टरी शीघ्रातिशीघ्र महाराष्ट्र में स्थापित की जाए।

(ग्यारह) डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र का विकास

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : मेरे चुनाव क्षेत्र बांसवाड़ा की जनजातीय क्षेत्र को विगत में नजर अन्दाज किया गया है। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सभी क्षेत्रों में अधिक कुछ नहीं

किया गया है । अतएव, इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने की तुरन्त आवश्यकता है । मैं यह सुझाव दूंगा कि योजना आयोग को विशेष रूप से तुरन्त निम्नलिखित विकासशील कार्य करने के लिए कुछ विशेष योजनाओं पर विचार करना चाहिए ।

(एक) इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ।

(दो) इन जनजातीय क्षेत्रों को प्रभावी रूप से औद्योगिकीकृत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

(तीन) इन क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ।

(चार) इन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए ।

(पांच) पीने के पानी की सुविधाएं पर्याप्त तथा नियमित होनी चाहिए ।

(छः) आवासीय विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(सात) अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए ।

मैं यह आग्रह करूंगा कि इन जनजातीय क्षेत्रों में हमें सुविधाओं के प्रावधान के लिए तुरंत विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए । विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत भी कुछ कार्य युद्धस्तर पर हाथ में लिया जा सकता है ।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85

ऊर्जा मंत्रालय

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

महोदय विकसित होने की इच्छा रखने वाले एक देश के लिए ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है । बिना ऊर्जा के तथा बिना कोयले के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता । लेकिन ऊर्जा की इस भूसम्पदा में कोयला बिजली तथा तेल शामिल हैं । ये तीन मदें है जो इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ।

महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय श्री पी० शिव शंकर देश में विशेषरूप से गोदावरी बेसिन में इनमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तेल के निक्षेपों का पता लगाने में सफल हुए हैं । वे इस बारे में समस्त सदन की प्रशंसा के पात्र हैं ।

महोदय, हम इसके लिए अपनी इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे थे और अब हमने इस कारण से विदेशी मुद्रा बचानी शुरू कर दी है । इसी प्रकार कोयला देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । उसी ढंग से बिजली भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

मैं अपने मित्र श्री पी० शिव शंकर जी तथा उनके साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि वे कावेरी बेसिन, नागापट्टी नाम, अपतट, 'पाक स्ट्रेट्स' तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह अप तट में गम्भीरता के साथ खोजी प्रयासों को तीव्र करें । जब तक हम तेल, जो कि प्राथमिक ऊर्जा है, में आत्म-निर्भर नहीं बन जाते हैं, तब तक हम अपनी मुद्रा स्फीति को रोक नहीं सकेंगे ।

इसी प्रकार, बिजली एक दूसरी प्राथमिक ऊर्जा है जिस पर उनके द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना है । इस समय देश के सभी तापीय संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता को केवल 50 प्रतिशत

का ही उत्पादन करते हैं। क्यों ?ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि कोयला घटिया किस्म का था और इसमें राख की मात्रा अधिक थी। मशीन में राख अधिक जमा हो जाने से सब जगह बार-बार खराबी भी होने लगती है। अचानक कोई भी संयंत्र खराब हो जायेगा। क्यों ? इसका कारण यह है कि कोयले में 45 प्रतिशत राख है और कोयला केवल 55 प्रतिशत है। इस प्रकार कोयले में राख के इस अंश के कारण मशीने खराब और क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे कोयला धुलाई सयत्रों में कोयले की वैज्ञानिक ढग से धुलाई की जाये ऐसा इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि कोयला धुलाई संयत्र पुराने पड़ चुके हैं। हमारे पास आधुनिक मशीनें नहीं है। हमारी मशीनें पुरानी हैं। इसलिये अपने ताप बिजली संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिये हमें अपने कोयला धुलाई संयत्रों में आधुनिक मशीनें लगानी चाहिये। इसके लिये और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। विशेषकर हमारे क्षेत्र में ऐसा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिये आवंटित राशि में कटौती नहीं की जानी चाहिये; और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये। तब तक भारत सरकार को अच्छे किस्म के कोयले का आयात करके इसे ताप बिजलीघरों को सप्लाई करना चाहिये।

हमारे देश में बहुत अधिक कोयला है। आप इसे ताप बिजलीघरों को सप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिये तमिलनाडु के टूटीकोरिन स्थित ताप बिजलीघर तथा अन्य ताप बिजली घरों के लिये बहुत अधिक राख युक्त यह कोयला उत्तर से आता है। इस कोयले को प्राप्त करने में भी परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दैनिक कार्यकरण के लिये कोयला जहाज से ताप बिजलीघरों के दैनिक कार्यकरण पर गम्भीर रूप से असर पड़ता है।

कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण मद्रास में बेसिन ब्रिज ताप बिजलीघर खराब हो गया है। इसलिये ताप बिजलीघरों के लिये अच्छे किस्म के कोयले का आयात करना और उन्हें इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मैं अपने मित्र श्री शिव शंकर और उनके साथियों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कोयला सप्लाई न हो पाने की स्थिति में टूटीकोरिन के ताप बिजली घर के लिये भट्ठी तेल सप्लाई किया। आप उदारतावश भट्ठी तेल दे रहे हैं और हमारा संयंत्र चल रहा है। इसलिये मैं आपको बधाई दे रहा हूं।

भटठी तेल की कीमत बहुत अधिक है। इसलिये इससे सुपर ताप बिजलीघर की प्रचालन लागत में भी वृद्धि होगी। इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अपेक्षाकृत कम है। मेरा यह सुझाव है कि ताप बिजलीघर को सप्लाई किये जा रहे भट्टी तेल के लिये राजसहायता दी जानी चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि टूटीकोरिन जैसे उद्योग बहुल क्षेत्र की बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही बिजली की मांग को पूरा करने के लिये गैस टर्बाइन सप्लाई किये जाने चाहिये। ऐसा करना बहुत जरूरी है। यह बताया गया है कि हमारी तमिलनाडु सरकार ने ऐसे गैस टर्बाइन आयात करने की अनुमति मांगी है। मेरा यह सुझाव है कि उसे इसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमती प्रदान की जाए। मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री शिवशकर और उनके साथी इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने के लिए अपने पद का उपयोग करते हुये सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ कार्रवाई करेंगे।

तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। नेवेली ताप बिजलीघर के विस्तार के लिये स्वीकृति दी जानी चाहिये। इसी प्रकार तमिलनाडु से प्राप्त अन्य

अनेक प्रस्तावों पर भी योजना आयोग द्वारा शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये। इसलिये मेरा ऊर्जा मन्त्री से यह अनुरोध है कि वे तमिलनाडु से प्राप्त इन सभी अनुरोधों को स्वीकार कराने के लिये अपने पद का उपयोग करते हुए योजना आयोग के साथ कार्रवाई करें। केन्द्रीय सरकार 1000 मेगावाट क्षमता की होंगेनेकल बिजली परियोजना से सम्बन्धित मतभेदों को पूरा करने के लिए अवश्य ही इस मामले में हस्तक्षेप करें। श्री शिव शंकर इस मामले में अवश्य ही अपने प्रभाव का उपयोग करें। यह परियोजना केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं, बल्कि केरल के लिये भी उपयोगी होगी क्योंकि केरल में भी बिजली की कमी है। इससे दोनों राज्यों को लाभ पहुंचेगा।

इसी प्रकार उन्हें तिरुनेलवेलि जिले में कूडानकुलाम स्थित दूसरे परमाणु बिजली संयंत्र के लिए, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के स्थल इंजीनियरों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। इसे तमिलनाडु की 1980-85 की अवधि की पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा चुका है। इसी प्रकार जब तक तमिलनाडु में बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, कल्पक्कम में तैयार की जाने वाली सम्पूर्ण परमाणु बिजली अवश्य ही तमिलनाडु को सप्लाई की जानी चाहिए।

टूटीकोरिन में भारी जल संयन्त्र है। हर कोई जानता है कि भारी जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिजली की कमी के कारण यह संयत्र पिछले छः महीनों से बन्द कर दिया गया है। इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये। इस देश में बिजली का सर्वाधिक महत्व है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार गैर सरकारी क्षेत्र को ताप बिजली संयन्त्र स्थापित करने की अनुमती देने के लिए तैयार है। मैं यह सुझाव देता हूं कि संयुक्त क्षेत्र में बिजली निगम स्थापित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने ऐसे ही संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रस्ताव किया है। मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे बिजली के उत्पादन में सुधार होगा।

देश में अनेक वित्त निगम हैं बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये आप तत्काल एक विद्युत वित्त निगम की स्थापना कर सकते हैं। उद्योगों का विकास करने के लिए औद्योगिक निगम हैं। किन्तु बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। विद्युत वित्त विगम की स्थापना की जानी चाहिए।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में 19,666 मेगावाट बिजली सम्मिलित करने के लिए योजना बनाई गई थी। इस हिसाब से हमारे देश के अन्दर अधिक से अधिक बिजली होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि उसको घटाकर 14 हजार मेगावाट कर दिया गया है। गांवों के लिए यह कहा जा रहा है कि पांच लाख 76 हजार गांवों में से 3 लाख 23 हजार 881 गांवों को विद्युतीकरण किया गया है। सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। आप पंजाब से आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि विद्युतीकरण कैसे किया गया है। इसके बारे में शायद आप को जानकारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हालत तो यह है कि विद्युतीकरण हो गया है, खम्बे लगे हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं है। ट्यूबवैल के कनैक्शन्स दिए गए हैं, लेकिन बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश की हालत तो यह है कि चाहे बिजली लो या न लो, उसको इतने हार्स पावर के हिसाब से मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरे पास आठ एकड़ में ट्यूबवैल लगा हुआ है। लेकिन मैंने पांच एकड़ जमीन में गेहूं की फसल बोई हुई है और तीन एकड़ खाली छोड़ दिया है, जिससे पानी की कमी की वजह से वह कहीं सूख न जाए। मुझे पांच एकड़ के लिए भी बिजली पूरी नहीं मिल पाती है। फिर इतने सैट लगाने का क्या

फायदा है। गांवों को विद्युतीकरण करते हैं, लेकिन बिजली नहीं देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में दूसरे कामों के लिए बिजली मिल जाती है, लेकिन जिनसे देश का विकास हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, देश का उत्पादन बढ़ सकता है, उनके लिए बिजली की कमी है। गेहूं आप देखेंगे तो सूख रहे हैं। लेकिन यहां घास को पानी देने के लिए भी बिजली मिल जाती है। मकानों को ठण्डा करने और गर्म करने के लिए भी बिजली मिल रही है। सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि गांव में लड़का खेत में बिजली का इस्तेमाल न करे मकान ठण्डा करने में इस्तेमाल करता है, तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। लेकिन यहां मकानों को ठण्डा करने के लिए बिजली दी जाती है, ट्यूबवैल को देने के लिये बिजली नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपको प्राथमिकता देनी चाहिए।

मेरी दृष्टि में बात यह है कि सरकार की नीति यह है कि किसानों की स्थिति को ज्यादा न सुधारा जाए। यदि सुधर जाएगी तो समस्या एक हो जाएगी। फौज में भरती होने के लिए किसान का ही लड़का जाता है, बड़े-बड़े आदमियों के लड़के नहीं जाते हैं। इसलिए उनकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय को बधाई भी दूंगा कि उसने कच्चे तेल के उत्पादन में काफी प्रगति की है। रिफाइनरी में कच्चे तेल का उत्पादन 1970-71 में एक करोड़ 83 लाख 79 हजार हुआ, 1975-76 में 2 करोड़ 22 लाख 83 हजार हुआ, 1982-83 में 3 करोड़ 31 लाख 56 हजार हो गया। ऊर्जा मंत्रालय इसके लिए बधाई का पात्र है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मथुरा में तेल शोधन कारखाने का एलान किया गया। प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मथुरा के लोगों से कहा कि यह आप लोगों का सौभाग्य है कि यहां तेल शोधन कारखाना बन रहा है। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। आश्वासन दिया गया लेकिन उसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं।

यह आंकड़े ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में दिए गए हैं।

वर्ष	मथुरा जिले से भिन्न स्थानों पर रहने वाले अधिकारियों की संख्या	मथुरा जिले के रहने वाले अधिकारियों की संख्या
1979	131	3
1980	242	5
1981	313	6
1982	359	6
1983	382	8

इस प्रकार की स्थिति वहां के लोगों की है। जिस पर कि आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया कि जिसकी भूमि ली जाएगी, उसको नौकरी दी जाएगी। आप देखिए कि 396 से अधिक की भूमि ली गई और उनमें से एक के भी परिवार को नौकरी नहीं दी गई। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं; आपको सुनकर आश्चर्य होगा। कुछ चालाक लोग किसानों के पास गए; उनसे कहा कि हम तुम को नौकरी दिलवा देंगे, तुम नौकरी

के लिए हमारे लिए लिख दो। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि मथुरा के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाहर के लोगों को मथुरा का पता लिखाकर नौकरी पर रख लिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि आफिसेस में तो वहां के लोगों को लेने का सवाल ही नहीं है। जमीन मथुरा की गंदी हो रही है, यमुना का पानी मथुरा का गंदा हो रहा है। पहले तय किया गया था कि हैल्पर के पदों पर रखने के लिए एंप्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाए जाएंगे। जब नाम भेजने का समय आया तो ठेकेदारों को कह दिया कि उन लोगों को लोन के लिए जिनसे तुम्हारी सांठगांठ है, उनको प्रमाण पत्र दिलवा दो कि उन्होंने सरकारी ठेकेदार के अंडर में काम किया है। जब एंप्लायमेंट एक्सचेंज वालों से कहा कि तुम नाम क्यों नहीं दे रहे हो तो उन्होंने कहा कि इसमें क्वालिफिकेशन है कि सरकारी ठेकेदार के यहां हैल्पर के रूप में काम किया हो। याने चपरासी और मजदूर भी वही लिया जायेगा। इस तरह से ठेकेदारों की जिनसे सांठ-गांठ थी वे लोग आ गए। फिर उन लोगों को पता लगा कि हैल्पर रखने का तरीका यह है तो और लोगों ने भी प्रमाणपत्र लेकर दाखिल कर दिए। इसमें पता लगा कि बाहर के लोग आ जाएंगे तो नियम बदल दिया। यह कर दिया कि अब उन आदमियों को लिया जाएगा जो सरकारी ठेकेदार के यहां काम करते हों डेलीवेजेज पर काम करते थे, उनको मिल गया। उनको फिर भी नहीं मिला जिन्होंने प्रमाण-पत्र दाखिल किए थे। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि व्यक्ति जिसके पिता का फोटो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ है, जिसके पिता को राष्ट्रपति का अवार्ड मिला हुआ है, उसको मैंने प्रमाण पत्र दे दिया तो वह उसकी डिसक्वालिफिकेशन हो गई और उसको नहीं लिया गया। क्या यह न्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, रूस के एक अधिकारी आए। वहां के मंत्री आए। यहां मीटिंग हुई। कई लोगों को बुलाया गया लेकिन मैं वहां का संसद सदस्य था, मुझे नहीं बुलाया गया। मैं इनकी गलतियों को कहां तक बताऊं।

एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। गैस की एजेंसियां दी जा रही हैं। उसके लिए कमेटी बनाई गई हैं। उसमें नंबर एक, नंबर 2, नम्बर 3, उनके प्रमाण पत्र दे दिए गए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रीडम फाइटर या समाज सेवक। तो जो फ्रीडम फाइटर थे, समाज सेवक थे, उनको न देकर के, कांग्रेस के खिलाफ जिसने चुनाव लड़ा था, जो कभी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा, उसके परिवार का कोई आदमी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा, उसको दे दिया गया। लोग कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मैंने मामले की जांच पड़ताल की है। विधिवत गठित एजेंसी द्वारा श्रीमती सुरेश भाटिया का नाम पैनल में तीसरे नंबर पर रखा गया था। इसलिए उक्त एजेंसी के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका। दुर्भाग्य है कि मैं बहुत पुराना राजनीति में हूं। एक व्यक्ति कांग्रेस का, जिसने मेरे खिलाफ प्रचार भी किया था, लेकिन वह फ्रीडम फाइटर था इसलिए मैंने उसकी सिफारिश कर दी। उसको नहीं दिया गया। दूसरे नंबर वाले को दे दिया लेकिन पहले नंबर वाले को नहीं दिया। इस संबंध में कोर्ट ने क्या कहा, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोर्ट ने फैसला दिया है—

> "प्रतिवादी नं० 2 द्वारा श्रीमती शीला कौल, जो एक राजनीतिक नेता तथा उनकी सम्बंधी हैं, के माध्यम से राजनीतिक दबाव डाले जाने के कारण ऐसा हुआ।"

मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मजिस्ट्रेट ने जो अपने जजमेंट में लिखा है, उसे पढ़कर सुना रहा हूं। गवाही में बताया गया है कि शीला कौल, जो राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने अपने रिलेटिव के लिए प्रैशर डालकर यह काम करवाया है। आखिर में वह कहते हैं—

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं० 1 ने स्पष्टत: अनुच्छेद (1) (2) का उल्लंघन किया है। पेट्रोलियम विभाग ने मथुरा शहर के लिये तरल पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप वादी को आवन्टित न करके कानून को तोड़ा है और वादी तथा प्रतिवादी के बीच भेदभाव किया है। अत: प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। मजिस्ट्रेट कहता है कि कानून और संविधान के खिलाफ यह किया गया है। क्या मंत्री महोदय उस पर दोबारा विचार करके फिर स्वतंत्रता सेनानी या समाज सेवक को देने के लिए विचार करेंगे ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से जो होता रहा है, उससे देश का भला कैसे होगा ? मुझसे पूछे बगैर मेरे क्षेत्र में तीन गैस की एजेंसी दी गईं। हजारों की तादाद में कुकिंग गैस के कनैक्शन दिए जाते हैं। क्या मुझे एक सांसद होने के नाते यह भी अधिकार नहीं कि मैं भी दो-चार कनैक्शन किसी को दिलवा दूं। आप एक महीने में एक सांसद को एक कनैक्शन और साल में 12 देते हैं। लेकिन, उप जिले में रहकर यह एक सांसद को यह भी अधिकार नहीं कि वह किसी को कुकिंग गैस का कनैक्शन ही दिलवा दे ?

श्री पी० शिव शंकर : प्रायोरिटी के हिसाब से कनैक्शन दिए जाते हैं। किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है।

श्री दिगम्बर सिंह : किसके कहने से वहां इतने कनेक्शन दिए जा रहे हैं। एजेंसी के बारे में मैं मंत्री जी से निदेदन करना चाहूंगा कि उसको कैन्सिल करके किसी स्वतंत्रता सेनानी या समाज-सेवक को देने की कृपा करें। मंत्री जी के प्रति मेरे दिल में बहुत सम्मान है। अगर, उस एजेंसी का मामला मंत्री जी की जानकारी में है तो क्या वह उसे बदलने की कृपा करेंगे ? मंत्री जी मथुरा गए और साथ में रूस के भी मंत्री थे तो क्या यह आवश्यक नहीं कि वहां मैं भी उपस्थित हो सकूं। मैं ऐसा अपराधी नहीं हूं कि ऐसी सूचना मुझे न दी जाए। सेठी साहब जब जाते थे तो उसकी सूचना मिलती थी और मैं पहुंचता भी था। अगर मंत्री जी उस एजेंसी को कैन्सिल कर देंगे तो मेरे दिल में मंत्री जी के प्रति और श्रद्धा बढ़ जायेगी।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : महोदय मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

यह सुविदित तथ्य है कि ऊर्जा विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदानों में से एक है और आधुनिक जीवन का मूलाधार है। कृषि क्षेत्र हो, या उद्योग क्षेत्र बिजली के बिना भारी मात्रा में उत्पादन करना संभव नहीं है। आजकल बिजली की खपत को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है।

विकसित देशों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत बढ़ गई है। बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत कनाडा में लगभग 14,000 यूनिट, स्वीडन में 11,500 यूनिट, अमरीका में 10,500 यूनिट है जबकि भारत में, 1981 के आंकड़ों के अनुसार यह 175 यूनिट है। इस शताब्दि के अन्त तक बिजली की अनुमानित प्रति व्यक्ति खपत केवल 400 यूनिट होगी। इससे यह पता चलता है कि हम विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं।

हमारे देश में बिजली की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है ? वार्षिक बजट निष्पादन रिपोर्ट (1984 85) के अनुसार बिजली उत्पादन के विभिन्न साधनों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है : जल बिजली 13,055 मेगावाट, ताप बिजली 21,448 मेगावाट और परमाणु बिजली 860 मेगावाट। इस प्रकार यह कुल 35,363 मेगावाट है। जब तक हम इस दिशा में तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे, ऊर्जा क्षेत्र हमारे विकास में प्रमुख बाधा बना रहेगा।

यह सही है कि तीन दशक पूर्व ऊर्जा का उपयोग प्रारम्भिक चरण में था। वाणिज्यिक उपयोग की ऊर्जा बहुत सीमित मात्रा में थी और 70% ऊर्जा ईंधन लकड़ी कृषि अपशिष्ट और गोबर के उपलों से प्राप्त की जा रही थी। वाणिज्यिक ऊर्जा की सप्लाई का मुख्य स्रोत कोयला था।

तेल का वार्षिक उत्पादन केवल 2.5 लाख टन था और यह भी केवल असम राज्य से प्राप्त होता था तथा डिगबोई तेल शोधक ही एकमात्र तेल शोधक का जिसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। तेल और गैस के स्रोतों की खोज तब तक नहीं की गई थी।

किन्तु आधुनिक भारत के निर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू के दूरदर्शिता पूर्ण एवं अत्यन्त कारगर प्रयासों के कारण और बाद में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप हमारे देश में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई है। कच्चे तेल का उत्पादन 255 लाख टन तक होने की आशा है : असम में 50 लाख टन, गुजरात में 35 लाख टन और बम्बई हाई में 170 लाख टन तेल का उत्पादन किया जाता है। देश में तेल शोधकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 153 लाख टन तेल आयात करने का प्रस्ताव किया गया है। बम्बई हाई के 57 लाख टन तेल को, जिसे देश में परिष्कृत नहीं किया जा सकता, निर्यात किया जायेगा। इससे विदेशों से तेल का निवल आयात 96 लाख टन हो जायेगा।

गवेषणात्मक एवं उत्पादक कार्यकलापों को निरन्तर जारी रखने के कारण हमारे देश के अनेक भागों में तेल का पता चला है। 1979-80 में तेल का उत्पादन केवल 118 लाख टन था, जो कि 1981-82 तक बढ़कर 165 लाख टन हो गया। 1982-83 में हमने तेल का 216 लाख टन उत्पादन किया और अब हम तेल का 255 लाख टन उत्पादन कर रहे हैं तथा इस समय हमारे देश में जो 12 तेलशोधक कारखाने काम कर रहे हैं, 1983 के दौरान उनकी परिष्करण क्षमता 342 लाख टन की थी जो कि 1982 में परिष्कृत कच्चे तेल की तुलना में 120 लाख टन अधिक है। फिर भी हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अवश्य ही प्रयास करने चाहिये। जब उत्पादन अधिक होने लगेगा, तो हमें कम आयात करना पड़ेगा और आयात बिल में अवश्य ही कमी होगी। किन्तु तेल के उत्पादन के साथ-साथ हमें यह भी देखना होगा कि तेल का भण्डारण किया जा सके और यह कार्य बॉयलरों के आधुनिकीकरण और अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणाली, जो कि विकसित देशों के तेल शोधकों में संस्थापित की गई है, को संस्थापित करके ही किया जा सकता है विशेषज्ञों की भी यह राय है कि 220 करोड़ रुपये का निवेश करके हम प्रतिवर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं। अतः मेरा ऊर्जा मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे यह देखें कि मन्त्रालय द्वारा तेल के भण्डारण की दिशा में पहल की जाये और हम भारी मात्रा में तेल जमा कर सकें। तेल पर अपनी निर्भरता में कमी करने के लिये हमें गेसोहोल का उपयोग करना चाहिये, जैसा कि केनिया, जिम्बाब्वे और ब्राजील जैसे कई देशों में किया जा रहा है। यह चीनी और खजूर के तेल तथा मीठे आलू से प्राप्त किया जाता है। जिम्बाब्वे जिसने पहला ऐथनोल संयंत्र 1980 में स्थापित किया था, प्रतिवर्ष 100 से 120 लाख अमरीकी डालरों की बचत करता है। फिलिपाइन और इण्डोनेशिया ने अल्कोहल चालित कारों का उपयोग शुरू कर दिया है जो कि सस्ती पड़ती हैं।

हमारे देश में इसकी काफी क्षमता उपलब्ध है और हम तेल की बचत करके देश के विकास के लिए इस पर अपनी निर्भरता में कमी कर सकते हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सारे देश में बिजली की कमी बनी रहेगी। हालांकि बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी यह छठी योजना में निर्धारित बिजली उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य की तुलना मे बहुत कम है। 1951 के दौरान पूर्वी क्षेत्र इस मामले में अन्य क्षेत्रों से काफी आगे था, किन्तु अब यह बहुत पीछे रह गया है। इस क्षेत्र में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है।

असम में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत मात्र 36 यूनिट है, जबकि अखिल भारतीय स्तर 175 यूनिट है। छठी योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्षमता में केवल 3.4% वृद्धि हुई है जबकि उत्तरी क्षेत्र में 26.3% और पश्चिमी क्षेत्र में 30.2% वृद्धि हुई है। यदि बिजली के समान वितरण के लिये राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का समुचित रूप से कार्यान्वियन किया जाये, तो इस प्रकार के असंतुलित विकास के फलस्वरूप उत्पन्न इस स्थिति का समाधान किया जा सकता है। अत: ऊर्जा मन्त्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाये।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, पहली योजना के प्रारम्भ में हमें केवल 3000 गांवों का विद्युतीकरण करना था। अब इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की जा चुकी है और हम दूसरी योजना तीसरी योजना और तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान अधिक से अधिक गांवों को बिजली प्रदान कर सकते थे।

महोदय, 1984-85 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है --

"31-3-83 तक कुल 3,23,881 गांवों में (56.2%) बिजली पहुंचाई जा चुकी थी और लगभग 49.73 लाख कृषि-पंम्पसैटों को बिजली का कनेक्शन दिया गया था। 1-4-83 से 31-12-83 तक की अवधि के दौरान 8127 गांवों को विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार, दिसम्बर, 1983 के अन्त तक कुल 3,32,008 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और लगभग 51.37 लाख सिंचाई पम्प सैटों को बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है।"

यह वास्तव में मूल्यांकन है। इस कार्यनिष्पादन के लिए मैं ऊर्जा मंत्रालय को अवश्य बधाई देना चाहूंगा।

स्वाभाविक है, हमारे इंजीनियर और कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते। हर कोई कस्बों में काम करना पसन्द करता है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों को अवश्य बधाई दूंगा कि उन्होंने ग्रामीण लोगों तक बिजली पहुंचायी है जिससे उद्योगों और कृषि उत्पादन के विकास में निश्चय ही मदद मिलेगी।

हम सभी जानते हैं कि कृषि पर अधिक निर्भरता पिछड़ेपन की निशानी है। हमारे देश में 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। रूस में 25% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अमरीका में केवल 8%। अत: हम बहुत पीछे हैं और यदि हमें विकसित देशों से प्रतियोगिता करनी है तो हमें तीव्रता से चलना होगा।

यह कहा गया है कि राजाध्यक्ष समिति की कुल 303 सिफारिशों में से, केवल 154 सिफारिशें ही स्वीकार की गई हैं। मंत्रालय को उन शेष सिफारिशों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी मंत्रालय अभी जांच ही कर रहा है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि देश के विशाल हित में राजाध्यक्ष समिति की ये सभी सिफारिशें क्रियान्वित हों।

जहां तक ताप ऊर्जा का सम्बन्ध हैं, बहुत बड़ी राशि का निवेश करने के बाद भी पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है। हमारे पास पन बिजली की भी काफी सम्भाव्यता है। हम केवल अपने पन

बिजली स्रोतों का केवल 10% ही प्रयोग कर रहे हैं। अत: पन बिजली उत्पादन में विकास की काफी सम्भावना है। अब वह समय आ गया है जबकि ऊर्जा के नान-रिन्यूऐबल से रिन्यूऐबल स्रोतों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में, विराट ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल जल स्त्रोत की सम्भावनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी में, वर्ष भर में इस उप-महाद्वीप में अन्य नदियों से अधिक जल बहता है। ब्रह्मपुत्र ही में देश को एक ही घाटी में अधिकतम जल-सम्भाव्यता है। राज्य सरकार के ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा उक्त क्षेत्र में जांच की गई है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने एक राष्ट्रीय योजना बनायी है, अर्थात् ब्रह्मपुत्र तक दो बांध बनाना यानी एक सुबनसारी में और दूसरा दिहांग में। उन्होंने एक रिपोर्ट का प्रकाश किया है जिसमें कहा गया है कि सुबनसारी नदी में 257मीटर ऊंचा राक-फिल बांध बनाना सम्भव है, जिसमें 100 लाख एकड़ फुट जल का भण्डारण किया जा सकता है, जो न केवल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण करेगा अपितु इसका उपयोग विद्युत उत्पादन और सिचाई के लिए भी किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि दिहांग नदी पर 296 मीटर ऊंचा "राक-फिल्ड" बांध 380 लाख एकड़ फुट जल का भण्डारण कर सकेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिहांग के लिए 20,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता का प्रस्ताव किया है जो कि सम्पूर्ण विश्व में विद्युत संयंत्र की सबसे उच्च क्षमता होगी। तथा सुबनसिरी नदी में 5,000 मेगावाट क्षमता का भी प्रस्ताव किया गया है। इन दोनों नदियों के अतिरिक्त लुहित और दिबांग में भी विद्युत उत्पादन की काफी आकर्षक सम्भावनाएं हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में कुल 50,000 मेगावाट स्थापित क्षमता का आकलन किया गया है। किन्तु ये दोनों परियोजनायें बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई हैं। मैं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन परियोजनाओं को ऊर्जा क्षेत्र में ले ताकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इन दोनों परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सके।

इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण को लागत अनुमानत: 11000 करोड़ रुपये लगाई गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है। इन्हें केवल केंद्रीय क्षेत्र में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। यह अनुमान है कि इन परियोजनाओं से वर्ष में 7,50,000 लाख विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। जिसमें इतने बड़े निवेश का औचित्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए मैं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि ये परियोजनायें ऊर्जा क्षेत्र में क्रियान्वित हों। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इनका निर्माण शुरू करना चाहिए।

इन सम्बन्ध में हमें रूस और मैक्सिकों के अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। हाल ही में 300 मीटर ऊंचा न्यूरेक बांध रूस में बनाया गया है और 265 मीटर ऊंचा ग्रिजाल्वा बांध मैक्सिको में बनाया गया है। जो पूरा होने ही वाला है। हमें इन दोनों देशों के अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए और इन बड़े बांधों के निर्माण में रूस की सहायता लेनी चाहिए। मैं ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन दोनों बांधों के निर्माण में रूस का सहयोग लें। यदि ये दोनों बांध पूरे हो गए और इनसे विद्युत उत्पादन शुरू हो गया तो हम पूरे देश को ऊर्जा दे सकेंगे।

आधुनिक समय में अधिक से अधिक देश पन-बिजली उत्पादन का प्रयास कर रहे हैं न कि ताप संयंत्रों का। कनाडा, स्वीडन और नार्वे जैसे देश अपनी बिजली की मांग का 75 से 99% पन-बिजली स्रोतों से ही पूरा करते हैं। इसलिए हमें भी विद्युत उत्पादन हेतु इन पन-बिजली

स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए ताकि देश की सम्पूर्ण मांग पूरी की जा सके। यह कहा जाता है कि विश्व के सम्पूर्ण जल स्त्रोतों का 97% भाग समुद्र में चला जाता हैं, 2% ध्रुवीय बर्फ में स्थाई तौर से जमा रहता है और केवल 1% ही मानव जाति के लिए उपलब्ध है। यह असम का सौभाग्य है कि उसे प्रकृति की यह अदभुत देन उपलब्ध हैं। जिसे कि पूरे राष्ट्र के लाभ के लिए प्रयोग करना चाहिए।

3.00 म० प०

महोदय, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि दीर्घ कालीन और अल्प-कालीन योजना में अथक प्रयासों की जरूरत है। इसलिए यदि बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो हम सम्पूर्ण राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में समर्थ होंगे।

आजकल हम "नान-रिन्यूएबल" ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं। किन्तु ऊर्जा के इस क्षेत्र का कार्य निष्पादन क्या है? "बायो-गैस" के क्षेत्र में हमारा कार्यनिष्पादन उत्साहवर्धक नहीं है। चीन ने इसी क्षेत्र में हमारे देश से एक दशक बाद कार्य शुरू किया था। आज उनके पास हमारे से 100 गुने अधिक गोबर-गैस संयन्त्र हैं। बहुत से देशों ने पवन शक्ति के क्षेत्र में कार्य शुरू किया है। किन्तु हम पवन-शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। इसी प्रकार ज्वार भाटा और सौर-ऊर्जा के क्षेत्र में भी कोई खास काम नहीं हुआ है। हाल ही में, नोबल पुरस्कार विजेता सरजार्ज पोर्टर भारत आये थे और उन्होंने डोराब टाटा स्मारक भाषणमाला में "साईंस एण्ड पावर-ए-कू फ्राम 1984" विषय पर एक भाषण दिया था। उन्होंने एक प्रश्न किया कि विश्व ऊर्जा संकट दीर्घ-कालीन उत्तर क्या हो सकता है?

उन्होंने कहा कि ऊर्जा का असीमित स्त्रोत सूर्य की रोशनी है। इसलिए, इस क्षेत्र को जो महत्व दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि हम इसे प्राप्त करें और इसका देश के विकास के लिए इसका प्रयोग करे जिससे कि ऊर्जा के "रिन्यूऐबल" और "नान-रिन्यूएबल" दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ ही मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सभापति महोदय : अब मैं अनुपूरक कार्य सूची लेता हूं। श्री पी० सी० सेठी सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व)—महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, हमने इस बारे में एक सूचना दी है। इससे पहले कि वे वक्तव्य दें, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बार एक-एक करके कहें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, हमने नोटिस दिया है। पहली बात तो यह है कि गृह मंत्री जी नेशनल सिक्योरिटी (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस के तहत क्या टेबिल पर ले करने जा रहे हैं, यह हमको जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि 5 अप्रैल, जबकि आज हाउस

चल रहा है, राष्ट्रपति जी से बातचीत हुई है। जब कल यहां पर डिस्कशन चल रहा था, पंजाब की समस्या के ऊपर विचार किया जा रहा था, यह साथ-साथ क्यों नहीं किया गया। इसलिए मंत्री जी पहले हम लोगों को जानकारी दें कि सभापटल पटल पर क्या रखने जा रहे हैं। कौन सी चीज लेड-डाउन करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, वह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आपके कुप्रशासन के अधीन।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सदन जानना चाहता है कि वह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, निःसन्देह, भारत के राष्ट्रपति के पास असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किन्तु ऐसा कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही होता है। वह स्थिति काफी स्पष्ट है। जब ससद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, तभी और केवल तब ही, यदि राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हों कि असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है, यदि आवश्यक हो तो, इस प्रकार का अध्यादेश सदन के समक्ष लाया जायेगा। केवल तब ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यहां अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम यहां बैठे हैं। क्या इसमें कोई सन्देह है कि हम यहां बैठे नहीं हैं। क्या आपको अपने पर भी सन्देह है कि आप इस सदन का सभापतित्व कर रहे हैं ? महोदय, हम लोक सभा में ही हैं और अब बहस भी कर रहे हैं। इसलिए, जब लोक सभा का सत्र चल रहा हो तो कोई भी अध्यादेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरे हम इसके बारे में जानते भी नहीं। हमें केवल समाचार पत्रों से ही पता चला कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए एक अध्यादेश ला रही है। समाचार पत्रों से यह भी प्रतीत हो रहा है कि गिरफ्तारी के कारण बताने के लिए 15 दिन की अवधि को बढ़ाकर एक महीना किया जा रहा है। समाचार यह है कि सरकार परामर्शदात्री बोर्ड से सहमती अथवा अनुमोदन लेने के लिए 6 महीने के स्थान पर एक वर्ष का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह हुआ है कि जिस व्यक्ति को नजरबन्द किया गया है, वह बिना किसी सुनवाई के, और परामर्शदात्री बोर्ड से इसके लिए बिना कोई सहमति लिए बिना नजरबन्द रखा जा सकता है, जो कि केवल यही देखने के लिए है कि इसका दुरुपयोग न हो। अतः यह देश के हित में नहीं है। यह संसदीय लोकतंत्र के हित में नहीं है कि ऐसे क्रूर अध्यादेश सदन के सभापटल पर रखा जाये। अतः मैं महसूस करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सबसे पहले तो यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है। दूसरे आज की बैठक में हमें इस सूचना का सामना करना पड़ा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का एक संशोधन जो कि एक क्रूर विधान है, एक संशोधनकारी अध्यादेश द्वारा लाया जा रहा है और इस बात का लाभ उठाया जा रहा है कि राज्य सभा सत्र में नहीं है, यद्यपि इसका सत्र पहले ही बुलाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, कि इससे शक्ति का दुरुपयोग होगा यह भी स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि अपने अधिकार में सरकार सभी काले और दमनकारी कानूनों का सहारा लेकर भी कानन व व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में नहीं रख सकी है।

लोक सभा का सत्र चल रहा है। इसे विश्वास में नहीं लिया गया। कल भी जब हम पंजाब की स्थिति पर बहस कर रहे थे और माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित संशोधनकारी रा० सु० अ० के बारे में जरा सा संकेत भी नहीं किया। समाचार पत्र उनके अधिक विश्वासपात्र प्रतीत होते हैं। आज के पेपरों में कुछ रिपोर्टें हैं कि कुछ संशोधन होने जा रहा है। एक दम ही लोक सभा सदस्यों को सूचित किया गया कि 3 बजे ऐसा किया जायेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं। यह केवल संविधान के उल्लंघन का ही मामला नहीं है। यह संविधान की भावना का प्रश्न है। संसदीय लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है। कार्यपालिका द्वारा ऐसे नियम लागू करने के लिए, जिनका प्रभाव तत्काल पड़े, विधानमण्डल को एक तरफ रखते हुए अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग हो रहा है।

प्रो० रंगा हमें इस संसद और संसदीय लोकतंत्र की बार बार याद दिलाते हैं। मैं नहीं जानता कि वह अपने साथियों को नियंत्रित करने में असमर्थ कैसे रहे। उनके पक्ष में हर कोई पागल सा दौड़ता दीख रहा है। यह अत्यधिक क्रूर कानून के अलावा कुछ भी नहीं है। यह भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे कानून का परिवर्तन और संशोधन, विधानमण्डल को परे रखकर लोकसभा को परे रखकर नहीं किया जाना चाहिए और काम कर लेने के बाद ही लोक सभा में आना भी गलत है। यह किसी कागज की रिक्त पंक्तियों पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के समान है।

आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का संशोधन कर दिया गया है। यहां तक कि गृह मंत्री ने भी इस बारे में जानकारी नहीं दी और नोटिस से ऐसा प्रतीत होता है कि सदन को सूचित करने के बारे में भी नहीं सोचा गया। उन्हें चाहिए था कि वह प्रस्तावित संशोधन के बारे में लोक सभा सदस्यों को बताते। यह जानबूझ कर लोक सभा को अपमानित करना है। यह इस तथ्य के अतिरिक्त है कि रा० सु० अ० हमारे देश के सर्वाधिक काले कानूनों में भी अधिक काला कानून है जिसने हमारी संविधि पुस्तिका को प्रदूषित कर दिया है। स्पष्ट है कि इसे जनता तथा लोकप्रिय आंदोलनों के विरुद्ध अधिक से अधिक सख्त बनाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल दूसरे प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। इसे ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों तथा नेताओं के विरुद्ध किया गया है। इसका यह उद्देश्य है।

हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अथवा निवारक नजरबंदी कानूनों का सहारा लिए बिना पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार चला रहे हैं। हम इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। इस सभा में जो कुछ हो रहा है उससे इस सभा का जानबूझ कर अपमान किया जा रहा है। मैं इस अध्यादेश को सभा पटल पर रखे जाने पर भी अपना विरोध करता हूं। इस सभा की और अवमानना न की जाए। इसके पहले ही बहुत-कुछ अवमानना की जा चुकी है। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं श्री चित्त बसु तथा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन करता हूं। हम सिद्धांततः इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह काला कानून है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिए। परन्तु काले कानून के

माध्यम से नहीं। जनता के सहयोग के बिना राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। यह जन-विरोधी है; यह श्रमिक विरोधी है; यह हमारी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। अभी हमारे सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल ट्रेड यूनियनों के विरुद्ध, श्रमिकों के विरुद्ध किया गया परन्तु इसका प्रयोग उद्योगपतियों अथवा अन्य लोगों के विरुद्ध कभी नहीं किया गया। इसलिए हम ऐसा कोई काला अध्यादेश या काला कानून नहीं चाहते हैं। जनता की सहायता के बगैर राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत नहीं की जा सकती है। अतः हम इस अध्यादेश को सभा पटल रखने का विरोध करते है। यह लोक सभा के अपमान के सिवा और कुछ नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, मैंने अभी तक आर्डिनेंस देखा नहीं है इसलिए मैं आर्डिनेंस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पार्लियामेंट को मजाक बना रखा है। कल हम लोग सारा दिन इस विषय पर चर्चा करते रहे। कल आपने इसकी ओर कोई इशारा नहीं किया। आपको समस्याओं का समाधान करने के लिए कितने कानूनों की आवश्यकता है। समस्याओं के समाधान करने का यह कौन सा तरीका है। सदन का सत्र चल रहा है। राज्य सभा नहीं चल रही है, सिर्फ इस टेक्नीकल प्वाइन्ट को लेकर आप नहीं चल सकते हैं। इस टेक्नीकल बात का लाभ उठाने का प्रयास मत कीजिए।

इसके साथ ही मैं सदन पर जो आर्डिनेंस रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं अध्यक्ष के निदेश 2 तथा संविधान के अनुच्छेद 123 (1) तथा 19 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। ऐसा लगता है कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। निवारक नजरबंदी कानून को सख्त बनाने के लिए हमें जो तर्क सुनने को मिल रहे हैं तथा जिस ढंग से उन्हें 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान लागू किया गया था, लगता है प्रायः वही नाटक यहां चलाया जा रहा है। गड़बड़ जारी है और सरकार इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है और वह सख्त शक्ति हासिल करने का औचित्य ठहराने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष का निदेश 2 है जिसका पाठ इस प्रकार है :—

"जब तक कि अध्यक्ष किसी खास अवसर पर अन्यथा निदेश न दे····· "

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष ने निदेश दे दिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि बूटा सिंह जी यहां वही तरीका अपनाते हैं जैसा उन्होंने असम में चुनाव करवाते समय अपनाया था तो और बात है। परन्तु मैं कहता हूं कि यह बहुत स्पष्ट है कि "जब तक अध्यक्ष किसी खास अवसर पर अन्यथा निदेश न दे" ऐसा कोई विशेष अवसर होना चाहिए जो कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए उत्पन्न हो और इसलिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के समक्ष यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पटल पर रखे जाने वाले ये पत्र सवेरे कार्य सूची में शामिल किये जाने चाहिए सिवाय उन पत्रों के जिनमें 50 लाख या उससे अधिक राशि की सीमा शुल्क की छूट दी गई हो, जिसे सभा समाप्त होने से पहले रखा जाए। यहां बिना किसी वांछनीय कारण के निदेश-2 का उल्लंघन किया जा रहा है, और मेरे विचार से निदेश-2 के उद्देश्य का हनन किया जा रहा है।

दूसरे, अनुच्छेद 123 (1) में यह कहा गया है कि :

"यदि किसी भी समय, जब संसद के दोनों सदनों के सत्र चल रहे हों, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इसे आवश्यक ठहराती हैं....."।

'संसद के दोनों सदनों से यह अभिप्राय लगाया गया है कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैं इसे नहीं समझ सका हूं। यह शक्ति का दुरुपयोग है। जब दोनों सदन बुलाए जा सकते हैं, एक सभा का सत्र चल रहा है और दूसरी सभा किसी भी समय बुलाई जा सकती है, तो 'दोनों' शब्द का यह गलत अभिप्राय लगाया गया है कि सभा का सत्र चल ही नहीं रहा है। यह अनुच्छेद 123 (1) का निहितार्थ है।

अन्त में, समाचार पत्रों ने जो कुछ रहस्योद्घाटन किया है, स्पष्टत: यह अध्यादेश अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है और हम स्वयं इस सदन में संविधान को इस ढंग से कलुषित नहीं होने दे सकते हैं और सरकार पंजाब की समस्या पर नियंत्रण पाने में अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए तथा संभवत: देश में आपात स्थिति की घोषणा की तैयारी करने के लिए ऐसा अध्यादेश लेकर आई है।

सभापति महोदय : प्रो० दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इस अध्यादेश को सभा पटल पर रखने पर अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए आपका ध्यान न केवल संविधान के कुछ प्रावधानों की ओर दिलाना चाहता हूं बल्कि कुछ लोकतांत्रिक परम्पराओं जिन्हें इस सभा ने वास्तव में स्वीकार किया है और इन लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मैं कुछ पूर्व निर्णयों को भी उद्धत करूंगा। जब दादा साहेब भावलंकर इस सभा के अध्यक्ष थे, तो उस समय जब अनुच्छेद 123 (1) द्वारा राष्ट्रपति को दोनों सदनों का सत्र न होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई थी, तब जब संसद के सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या को यह प्रश्न उठा था तो लौह-पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय गृह मंत्री थे और आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वह बहुत समर्थ गृह मंत्री थे—वह हमेशा यह कहा करते थे कि "जब वह बूढ़ा आदमी पीठासीन है"—महोदय मैं आपको इंगित नहीं कर रहा हूं मैं दादा साहिब भावलंकर का जिक्र कर रहा हूं—"सत्र शुरू होने के कुछ दिन पहले ही अध्यादेश लाने का जोखिम मत उठाओ क्योंकि वह संविधान का मात्र शब्दश: पालन नहीं करते हैं बल्कि उसकी भावना का भी पालन करते हैं," और उन्होंने ऐसा कई बार इसी सदन में श्री विट्ठल भाई पटेल की तश्वीर के सामने जहां आज आप बैठे हैं—कहा है। उन्होंने बार-बार यह कहा कि "संविधान के केवल शब्द नहीं बल्कि उसकी भावना भी महत्वपूर्ण है और इस सभा में अध्यादेश लाते समय सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए।" इसलिए मैं आपके समक्ष परंपराऐं तथा संविधान के शब्द तथा उसकी भावना रखूंगा।

जैसा कि मेरे सहयोगी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पढ़ा है, अनुच्छेद 123 (1) के अनुसार—

"यदि किसी समय, जब संसद की दोनों सभाओं के सत्र न चल रहे हों, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उसे तुरन्त कार्रवाई करने के लिए जरूरी समझती है तो वह परिस्थितियों के अनुसार ऐसा अध्यादेश प्रस्थापित कर सकता है।"

वह इस तथ्य का सहारा ले रहे हैं कि दोनों सदनों के सत्र नहीं चल रहे हैं; केवल एक सदन का सत्र चल रहा है; दूसरा सदन स्थगित हो गया है। वह 23 तारीख को पुन: समवेत होगा। यह तो तकनीकी बात है। परन्तु मैं कहता हूं कि ऐसी परम्पराऐं मौजूद हैं जिन्हें संसद के विगत काल में सम्मान दिया गया, यहां तक कि जब संसद का सत्र नहीं होता है, संसद का सत्र शुरू होते समय, सत्र की पूर्व संध्या में, विगत समय में तत्कालीन सरकार को बेहतर मानदंडों तथा

उच्च मूल्यों का मार्गदर्शन किया गया—तो उसने सत्र की पूर्व संध्या को अध्यादेश लाने से इंकार कर दिया और इसलिए उन्होंने तकनीकी दृष्टि से इस बात का आश्रय लिया है कि केवल एक सदन का सत्र चल रहा है और दूसरे सदन का सत्र नहीं चला रहा है। यह एक पहलू है। यह और बड़ी महत्वपूर्ण परम्परा यह है जिसका पालन होना चाहिए। सभा का सत्र चल रहा है। माना कि दूसरी सभा की आज बैठक नहीं हो रही है, तो भी जब एक सभा परामर्श के लिए मौजूद है तो उससे परामर्श किया जाना चाहिए। और फिर जैसा कि कल वाद-विवाद के दौरान यही प्रकट हुआ कि इस सभा में, देश में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त उपाय करने, में तथा देश में उग्रवादियों से निबटने के संबंध में सर्वसम्मति जाहिर की गई, मैं कहता हूं कि अगर कानून तथा व्यवस्था की समस्या से निबटने तथा आतंकवाद पर काबू पाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए वास्तव में कोई उपाय किया जाता है तो इस सभा का कोई भी सदस्य उसका विरोध न करेगा। हम ऐसी गैर-जिम्मेदारीपूर्ण प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाहते। कृपया कम से कम यह तो स्वीकार करें कि हममें सत्ता पक्ष से अधिक नहीं तो उनके बराबर राष्ट्रभक्ति हैं। ऐसी स्थिति में कल इस सम्बन्ध में पूर्ण सर्वसम्मति प्रदर्शित की गई और इसलिये यह तो गौरव की बात है। मैंने सदैव यही कहा है कि सरकार में एक बात का अभाव है, उसमें बहुमत की कमी नहीं, बल्कि उसमें हर समय सदाशयता का अभाव रहता है। वह सही ढंग के काम की शुरुआत हमेशा गलत मौके पर करती है। इस मामले में भी ठीक यही बात हुई है। अध्यादेश की विषय-वस्तु के बारे में उसे पूरे सदन को विश्वास में लेना चाहिए था। उससे पहले वह विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुला सकती थी और फिर वह इस मामले को सदन में रख सकती थी। हालांकि दूसरे सदन के सत्र नहीं चल रहा है, केवल इसी सदन का सत्र चल रहा है तो भी वह परामर्श कर सकते थे और संभवत: बेहतर ढंग का कानून बनाया जाता और अध्यादेश की इस प्रक्रिया से जो प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है वही प्रयोजन इस तरह सिद्ध हो सकता था। यह काम करने के ढंग का सवाल है। यह लम्बे अरसे से सम्मानित मूल्यों तथा परम्पराओं का सवाल है। हमें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कि वह सत्ता में है या कोई और। पर समयानुसार मानदंडों तथा परम्पराओं का आदर किया जाना चाहिए। और उनका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए, इसे इस सभा पटल पर रखने का हम दृढ़ विरोध करते हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब चेयरमैन साहब, पहली बात मैं आप से गुजारिश करूंगा कि जहां तक यह आर्डिनेन्स है।

श्री बूटा सिंह : यह काश्मीर पर लागू नहीं होता।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कन्वेंशन बिल्कुल वाज है कि जब पार्लियामैंट का सैशन चल रहा है तो आर्डिनेन्स नहीं आना चाहिये किसी सूरत में भी। पार्लियामैंट की ही नहीं, बल्कि स्टेट लैजिस्लेचर्स की भी यही ट्रेडीशन रही है कि आर्डिनेन्स तब आयेगा जब पार्लियामैंट सैशन में नहीं हो।

इस समय लोक-सभा चल रही है और 23 तारीख को राज्य सभा फिर फंक्शन शुरू कर रही है, समन भी आ गया है, दोनों में कंटीन्युटी है, लोक-सभा के साथ राज्य-सभा भी शुरू हो जायेगी, मैं समझता हूं कि यह आर्डिनेन्स लाकर एक हिसाब से सरकार गलत ट्रेडीशन कायम कर रही है।

अगर पंजाब के गंभीर मसले पर सरकार इस किस्म से आर्डिनेन्स लाना चाहती है तो मैं बताना चाहता हूं कि कितनी बार हमने पंजाब के बारे में यहां डिस्कशन किया, कल भी डिस्कशन

किया है और मैं समझता हूं कि मौजू, मुनासिब वक्त यही था, लेकिन कल सरकार ने इस आर्डिनेन्स के बारे में हमें कांफीडेंस में नहीं लिया। अब इस बात का खतरा पैदा हो रहा है कि यह जो इस किस्म के आर्डिनेन्स आ रहे हैं, ये सियासी लोगों के लिये इस्तेमाल किये जायेंगे।

सभापति महोदय : पत्रों को सभा पटल पर रखने की वैधता का प्रश्न···

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस मौके पर नहीं आना चाहिए था।

सभापति महोदय : आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह जो आर्डिनेन्स लाया गया है, यह कन्टेंट आफ हाउस है, यह मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री ए० के० सेन।

श्री राम विलास पासवान : क्या इन्होंने नोटिस दिया है ?

सभापति महोदय : जी हां।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह विरोध करने के लिए है ? केवल वे व्यक्ति बोल सकते हैं जिन्होंने इसका विरोध करना है। क्या वे इसका विरोध कर रहे हैं ? वे इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे ? जब वे इसका विरोध नहीं करते···(**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं। जब भी सभा पटल पर विधेयक या अन्य पत्र रखे जाते हैं, यदि सदस्य नोटिस देता है कि वह विधेयक या पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करना चाहता है, तो उसी एक सदस्य को बोलने की स्वीकृति दी जाती है। इसलिए सौभाग्य से, यह अवसर केवल उन सदस्यों को प्राप्त है जिन्होंने··· (**व्यवधान**)।

श्री राम विलास पासवान : मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं। कोई सदस्य सपोर्ट करने के लिए नोटिस नहीं दे सकता। सदस्य केवल अपोज करने के लिए नोटिस दे सकते हैं। इन्होंने सपोर्ट के लिए नोटिस दिया है या अपोजीशन के लिए ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं एक अन्य व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं ?···(**व्यवधान**) कृपया मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुनिए और निर्णय दीजिए···(**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं···(**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनने से पहले निर्णय देना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। किसी सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न के बीच में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री भीखू राम जैन (चाँदनी चौक) : वह व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : क्या वह व्यवस्था के प्रश्न को उठा रहे हैं ?

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? इन्हें कहने दीजिए··· (**व्यवधान**)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय श्री अशोक सेन उनकी वकालत करने का प्रयास कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का समर्थन क्यों कर रहे हैं ?···(**व्यवधान**)

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : मैं उस हर व्यक्ति का बचाव करूंगा जो कटघरे में हैं और उसे जब तक दोषी नहीं पाया जाता। थोमस मान के मुकद्दमे में भी यह बात कही गई थी। मुझे यह देखकर बहुत खेद हुआ कि जबकि मेरे माननीय सदन को गरिमा का समर्थन कर रहे हैं दूसरी ओर वे प्रतिपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। इस बारे में हमें कुछ कहना है···(व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : यदि वे थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय दोषारोपण नहीं किया जा सकता। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न का स्वागत करता हूं :

श्री ए० के० सेन : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि श्री दण्डवते इस सभा के एक ऐसे सदस्य हैं जो सदन की गरिमा का तथा सदस्यों के अधिकारों का बहुत ख्याल रखते हैं इस सभा के साधारण सदस्य के रूप में मैं यहां काफी समय से हूं—मैं महसूस करता हूं कि सरकार अपने अधिकारों में समर्थ है तथा राष्ट्रपति महोदय इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने में अपने अधिकारों में समर्थ हैं जबकि एक सभा का सत्रावसान हो गया है। कुछ समय पहले राज्य सभा का सत्रावसान हो गया था। यह दलील दी गई कि जब तक एक सदन का भी सत्र चल रहा है राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। इससे संविधान के अनुच्छेद 123 का पुनः-लेखन होगा। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति देता है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है और यह शक्ति बहुत बड़े विशिष्ट व्यक्ति को दी गई है। यदि संविधान सभा की चर्चा को पढ़ा जाए तो जब इस खण्ड पर चर्चा चल रही थी, तब यह सुझाव दिए गए थे कि हम इस शक्ति का अनुकरण साम्राज्यवादी काल से कर रहे हैं तथा यह बात हमारे सभी नेताओं ने कही थी और इस खण्ड को सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि यह शक्ति देश के विशिष्ट व्यक्ति में निहित है और वही व्यक्ति आपातकालीन स्थिति का बेहतर ज्ञाता है यदि दोनों सदनों का सत्र न हो। यदि कोई कार्य तत्काल किया जाना है, इसका निर्णय कौन लेगा ? यह शक्ति राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए तथा राष्ट्रपति ने इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सोचविचार करके किया है। यह केवल पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ पर लागू है, यह समस्त देश में लागू नहीं है ··(व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कैसे जानते हैं ··(व्यवधान)।

श्री ए० के० सेन : यह जाने बिना तथा पूछताछ किए बिना कि यह कैसे लागू किया गया है और किन क्षेत्रों पर लागू किया गया है, यह आलोचना की गई···(व्यवधान)।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पढ़ रहा था।

श्री ए० के० सेन : जब दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो इस ओर के सदस्यों ने बीच में टोका-टाकी नहीं की। मुझे यह कहते हुए खेद है···(व्यवधान) उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

अब हम उस स्थिति को देखें जिसके अन्तर्गत यह अध्यादेश जारी किया गया है। क्या आप उन काले दिनों को भूल सकते हैं जो इस अध्यादेश को जारी करने के बाद आए। सारे देश में आंदोलन शुरू हो गया था तथा सारे सदन में उत्तेजना छा गई थी। हमें सदन में बताया गया कि सरकार काफी सतर्क नहीं है, पर्याप्त मजबूत नहीं है तथा कड़ाई से कार्य नहीं कर रही। परन्तु जब भी सरकार कार्य करती है तो उस पर सदन की अवमानना का दोष लगाया जाता है। यह सदन की अवमानना कैसे हुई ? विधेयक के रूप में अध्यादेश लाया जा रहा है जिस पर इस सदन में तथा राज्य सभा में चर्चा होगी। यदि यह पारित नहीं हुआ तो यह गिर जाएगा।

जहां तक इस मामले के गुणदोषों का संबंध है, यह बात स्पष्ट है कि समग्र देश चाहता है कि कुछ सतर्कतापूर्ण कार्रवाई की जाए, तथा सतर्कता के साथ-साथ वह कार्यवाही न्यायपूर्ण भी हो। मैं गृह मन्त्री से अपील करता हूं कि इस कठोर कानून तथा इसकी कड़ी शक्तियों को लागू करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाये। मुझे याद है कि पंडित जी···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपातकाल के दौरान आपका क्या अनुभव रहा ?

श्री ए० के० सेन : इसमें संदेह नहीं कि इस संबंध में समग्र राष्ट्र हमारे साथ है कि जब बहुत ही अनिवार्य हो जाए तो निवारक नजरबन्दी का सहारा लिया जाना चाहिए और यह केवल उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनकी गतिविधियां राष्ट्र के हितों के खिलाफ हों।

श्री इन्द्रजीत सिंह (बसीरहाट) : इसका पहला शिकार श्री ए० के० राय थे जोकि इस सभा के सदस्य हैं।

श्री ए० के० सेन : यदि वे इस कानून का शिकार बने तो यह बहुत बुरी बात है। उन्हें इसका शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए था। मुझे याद है पंडित जी ने कहा था कि इस शक्ति का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जायेगा। इसका प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक तथा शीघ्र इस सभा में लाया जायेगा। ताकि इस सभा का फैसला इस उपाय के औचित्य तथा दूरदर्शिता की पुष्टि करेगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में आपका निर्णय क्या है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): आपका निर्णय क्या है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ?

श्री सेन उठाए गए मुद्दे पर बोल चुके हैं। यदि इस पर गृह मंत्री जी कुछ कहना है, निश्चित रूप से वह बोल सकते हैं। इसके बाद, यदि आपको कुछ करना है तो आप बोल सकते हैं। इसके बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123[2](क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 की सं० 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतर) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं··· **(व्यवधान)[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8092-ए/84]**

श्री मधु दंडवते : महोदय, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं ? हम इसका विरोध कर रहे हैं। वस्तुतः, वे सभा पटल पर रख चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें कहिये कि वे इस संबंध में कुछ कहें, आपने उन्हें इस अध्यादेश की प्रति को सभा पटल पर रखने के लिए नहीं कहा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, जैसाकि मेरे साथी श्री सेन ने बताया कि यह केवल पजाब तथा चण्डीगढ़ पर लागू है। श्री चित्त बसु ने जो कहा वह सही नहीं है। नजरबंद किये गए व्यक्ति को कारणों के बारे में 15 दिन में सूचित किया जाना होता है। यह नजरबन्दी एक वर्ष के लिए नहीं बल्कि छह मास के लिए है। नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी

के कारण 5 दिन की बजाय 15 दिन में दिए जाने हैं। इसमें केवल इतना परिवर्तन किया गया है। अतः, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जायेगा तथा किसी राजनैतिक विरोधी के खिलाफ इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। कल, प्रो० दण्डवते चाहते थे कि हम सख्ती से कार्रवाई करें। इस प्रकार, जब हम सख्ती से नहीं निपटते तो उन्हें उसका समर्थन तो करना चाहिए। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, क्योंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा, इसलिए एक अति उपाय के रूप में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करके यह अध्यादेश जारी किया है जिसे इस सभा के सभा पटल पर रखा जाना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने स्पष्टीकरण की सूचना दी है।

महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं है इसलिए राष्ट्रपति जी ने यह अध्यादेश जारी किया है। परन्तु इसका प्रजातांत्रिक तरीका यह होना चाहिए था कि राज्य सभा की बैठक बुलाई जाती। अल्प सूचना के भीतर ही राज्य सभा की बैठक बुलाई जा सकती थी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सभा के समक्ष आ रहा है। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक सम्पन्न कार्य के रूप में आएगा।

संविधान में यह कहा गया है कि विधायी शक्तियां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में हैं। तथा संघ में दूसरी सभा भी शामिल है। केवल जब सभा का सत्र नहीं हो रहा इसलिए अस्थाई तौर पर कार्यपालिका यह कदम उठा सकती है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह उपाय प्रत्यक्ष से संविधान की भावना के खिलाफ है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय ये निरर्थक मुद्दे पर बोल रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : तुच्छ व्यक्तियों के लिए हर चीज तुच्छ है। आप उनके विपरीत गम्भीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।

महोदय श्री सैन तथा मंत्री महोदय की इस बात से हम सभी सहमत हैं कि पंजाब की स्थिति निःसन्देह गम्भीर है। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार इसके साथ कड़ाई से निपटे। वह सच है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह कार्य कानूनी तथा प्रजातांत्रिक ढंग से किया जाए न कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है। त्रिपुरा में, आप जानते हैं बड़े पैमाने पर अशांति थी। लेकिन तब सरकार इसे रोक सकती थी और इन कड़े कानूनों के किसी सहारे के बिना व्यवस्था कायम कर सकती थी। पंजाब में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह मेरा प्रश्न है। कानून में हर चीज मौजूद है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे त्रिपुरा सरकार से कोई सीख लें। उन्होंने कैसे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना ऐसा किया है और उन्होंने स्थिति को काबू में किया है। सरकार को यहां भी ऐसा ही करना चाहिए।

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : मैं श्री चक्रवर्ती को बुलाऊंगा और उनसे कोई शिक्षा लूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपके निदेशों का सख्ती से पालन करता हूं। पहले, मैं उसका उल्लेख करूंगा जो आपने कहा है। विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न तथा मामलों के बाद ही आपने कहा है कि मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे और उसके बाद यदि हम

कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। इसलिए मैं केवल स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मैं केवल उसी बात का उल्लेख कह रहा हूं जो गृह मत्री महोदय ने कहा था और मैं उसका स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। महोदय, वे कहते है कि हम इस अध्यादेश की व्यवस्था कर रहे हैं और हम सरकार की ओर से यह आश्वासन देते हैं कि इस कदम का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। मैं आपका ध्यान तथा आपके माध्यम से समस्त-सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पांचवीं लोक सभा में जब 'मीसा' लगाया गया था उस समय इस देश की प्रधान मन्त्री महोदया तथा तत्कालीन गृह मन्त्री महोदय ने हमें एक आश्वासन दिया था - मैं उस समय विपक्ष में बैठा हुआ था -कि 'मीसा' का समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ उपयोग करने के सिवाय, कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और, महोदय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु, स्वय मुझे संसद के सभी सदस्यों तथा गैर-सदस्यों को सबसे पहले 'मीसा' के अन्तर्गत बन्द किया गया था। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अध्यादेश का भविष्य वही होगा जो उस 'मीसा' का हुआ था ? मैंने एक ठोस उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने विगत में दिए गए आश्वासनों का निरादर किया था। क्या वे इस बात को देखेंगे कि वे उस आश्वासन को निरादर नहीं करेंगे। जो आपने इस सदन में दिया है, जैसा कि विगत में किया गया था।

सभापति महोदय : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब कृपया आप बैठ जाइए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने एक ठोस उदाहरण दिया है कि इस सदन में प्रधान मंत्री महोदया द्वारा दिए गए आश्वासन का तत्कालीन गृह मत्री महोदय द्वारा तथा समस्त सरकार द्वारा निरादर किया गया था।

सभापति महोदय : इसी सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इन परिस्थितियों में विषय-वस्तु या गुणावगुणों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि स्पष्टीकरण भरने के लिए मैं कुछ सख्त हो गया हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापित महोदय : जी, नहीं, मैंने काफी सुन लिया है। जी, नहीं, यह चर्चा का हिस्सा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं एक छोटा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में और संशोधन नहीं किए जाएंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या-क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं ?

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : जी, नहीं, जी, नहीं, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नजरबंदी के बारे में 5 दिन के बजाए 15 दिन में सूचित किया जाएगा और उन्हें केवल 6 मास के लिए नजरबन्द रखा जाएगा न कि एक वर्ष के लिए जैसी कि श्री चित्त बसु आशंका करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप यह कहेंगे कि यह अंतिम संशोधन है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है ?

सभापति महोदय : यह चर्चा करने का समय नहीं है। कृपया आप मेरी बात सुनिए। प्रो० तिवारी, आपका एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने जो सब कुछ कहा है उसी के बारे में है। वास्तव में उन्हें ये सब टिप्पणियां, जो उन्होंने दी है, देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती तथा प्रो० दण्डवते के लम्बे भाषणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कल पंजाब की स्थिति के बारे में जो उत्सुकता वे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वह बिल्कुल खोखली है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जी, नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई स्पष्टीकरण अथवा चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभापति के फैसले के बाद न कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा और न कोई चर्चा होगी, मैं पहले आपको यह बता चुका हूं। और अब, यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है जिसके लिए आप कह रहे हैं। यह वह बात नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं तो केवल जो कुछ प्रो० दण्डवते तथा प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कहा है उस पर टिप्पणी कर रहा हूं।

सभापति महोदय : जी, नहीं, जी, नहीं। यह संगत नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइगा। मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। उस बारे में अब ज्यादा बात नहीं। मैं आपको इस समस्या का जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक मिनट, उन्होंने सभा पटल पर पत्र नहीं रखे हैं। उन्हें इसे सभा-पटल पर रखना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उस ओर की बात जान ली है और मैंने बड़े धैर्य के साथ आपकी बात भी सुनी है। मैं उससे ज्यादा नहीं सुनना चाहता। मैं एक निर्णय लेने जा रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मैं अपनी टिप्पणी दूंगा और उसके बाद···

श्री ए० के० राय : आपने सभी को अनुमति दी है। लेकिन आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें दे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? क्या इस बारे में कोई बढ़िया स्पष्टीकरण है?

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं आप से इस बात का कोई व्यक्तिगत आश्वासन प्राप्त नहीं कर रहा हूं कि क्या इसे पुनः मेरे खिलाफ लागू किया जाएगा अथवा नहीं। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि जब परिवर्तन इतने हल्के और गौण किस्म के हैं तो इसमें विशेष अनिवार्यता क्या थी जिससे उन्हें ऐसे संशोधन करने पड़े और ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है?

श्री एम० सत्य नारायण राव : उन्होंने किसी स्थिति का सामना नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : परिवर्तन बहुत मामूली से हैं। इसकी अनिवार्यता क्या थी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वे इसे सभा-पटल पर रखना भूल गए हैं।

सभापति महोदय : यह पहले ही रखा जा चुका है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने सदन को अध्यादेश की प्रति दे दी है जो छपी हुई है और मैंने यह कहा है कि 6 महीने में उनका मामला परामर्शदात्री बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा लेकिन, यदि आवश्यक हुआ, तो प्रशासन उन्हें अधिक समय तक भी हिरासत में रख सकता है।

सभापति महोदय : अब मैं अगले विषय को लेता हूं और मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। हम पहले ही इस पर चर्चा कर रहे थे। अब श्री आर० एल० पी० वर्मा अपना भाषण देंगे। वे उपस्थित नहीं हैं। अब श्री भानुप्रताप शर्मा अपना भाषण देंगे।

अनुदानों की माँगें सामान्य 1984-85

ऊर्जा मन्त्रालय—जारी

3.45 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके माध्यम से सब से पहले मैं ऊर्जा मन्त्री श्री शिवशंकर जी तथा उनके सहयोगी मन्त्रियों को इस बात के लिये बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों में हमारे राष्ट्र के ऊर्जा के उत्पादन, विकास, इस क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिये, हमारी सरकार ने जो प्रशंसनीय प्रयास किये हैं, निश्चित रूप से उतने प्रयास पिछले 10-15 वर्षों में भी नहीं हुए थे। चाहे कच्चे तेल के उत्पादन की बात हो, चाहे बिजली के उत्पादन की बात हो, चाहे, ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास की बात हो या कोयले के उत्पाद में वृद्धि की बात हो—हम यह कह सकते हैं कि पिछले चार वर्षों में हमने इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। तेल का उत्पादन हमारे देश में विगत 4 वर्षों में जितना बढ़ा है, उतना उस के पहले कभी नहीं बढ़ा। हम को याद है—जनता शासन काल में कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता घट कर 60 या 65 लाख टन रह गई थी, लेकिन 1980 के बाद से आज तक उस में लगातार वृद्धि हो रही है, स्वदेशी तेल के उत्पादन को बढ़ाने में जो प्रयास किये गये उस के कारण यह सम्भव हो सका है कि आज 250 लाख मीट्रिक टन तेल हम अपने देश के ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह बम्बई हाई हो, आसाम हो या दूसरे स्थान हों। केवल बम्बई हाई से 170 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। जहां इस में करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, वहीं स्वदेशी तेल के उत्पादन में जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल साफ करने की कम्पनियां और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान हैं उनको भारी मुनाफा हुआ है। 1982-83 का जो मुनाफा सामने आया है वह करीब 1628 करोड़ रुपये है, जितना आज तक कभी भी किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी का नहीं रहा है। इस में चाहे ओ० एन० जी० सी० का सहयोग रहा हो, चाहे आयल इण्डिया या इण्डियन आयल का सहयोग रहा हो, निश्चित रूप से वे सब इस के लिये बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन तीन कम्पनियों का अकेला मुनाफा 1538 करोड़ रुपये के करीब है।

इतना ही नहीं, हम ने बम्बई हाई से मिलने वाले तेल को हमारे देश से बाहर भेज कर जो अन्य तेल लाने का काम किया है, वह इस बात का प्रतीक है कि जिस तेल को हम अपने देश में रिफाइन नहीं कर सकते या उस के साधन हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं, उस को बाहर भेज कर उसके बदले अच्छा तेल भी बाहर से मंगवाया है।

इसी तरह से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पिछले तीन-चार सालों में जो वृद्धि हुई है, वह भी सराहनीय है। परन्तु इस वृद्धि के साथ-साथ प्राकृतिक गैस का जितना उपयोग होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है। विशेष रूप से गैस पर आधारित खाद के कारखानों की स्थापना का प्रश्न हो या ताप-बिजली घरों (थर्मल पावर स्टेशन्ज) की स्थापना की बात हो या गैस के प्रोसेस कर के उस को एल० पी० जी० (जलाऊ गैस) बनाने की बात हो, हम गैस को पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं, क्योंकि वर्तमान के जो आकड़े मन्त्रालय की तरफ से दिये गये हैं उन के अनुसार 5 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ है। हमारे यहां आफ-शोर और आन-शोर से जो गैस प्राप्त हो रही है उस को हम पूरी तरह से स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक बार जब गैस प्राकृतिक स्रोत से निकलती है तो वायु मंडल में चली जाती है। जैसे कच्चा तेल हम स्टोर में रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार खर्च कर सकते हैं, इस को रखने के साधन हमारे पास नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि हमें जल्द से जल्द ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिन से हम इस गैस का देश के उत्पादन में उपयोग कर सकें, जैसे गैस पर आधारित खाद के कारखाने बनाये जांय या ताप बिजली घरों की स्थापना कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में गुजरात राज्य ने भी कुछ योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं। जहां से गैस लाइन पास हो रही है, जैसे मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां पर गैस आधारित कारखानों की स्थापना की चर्चा चल रही है, इस प्रयास में हमें तेजी से आगे बढ़ना है। तभी हम निश्चित रूप से इसका राष्ट्रीय ऊर्जा की आवश्यकता में प्रयोग कर पाएंगे।

यह सही है कि जो लक्ष्य छटीपंचवर्षीय योजना के लिए रखा गया था 19666 मेगावाट वह हम 1985 तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके कई कारण रहे, समय पर संयंत्र नहीं मिल पाया पिछले साल मिडटर्म अप्रेजल हुआ था। उसमें अपेक्षा की गई थी कि 14500 मेगावाट तक 1985 के अन्त तक हम क्षमता प्राप्त कर लेगे। इससे हमारी कुल स्थापित क्षमता बढ़कर करीब 45 हजार मेगावाट के करीब हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में, उद्योग और ग्रामीण विकास क्षेत्र की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसका हर एक क्षेत्र में काफी सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। हमें खुशी है कि केन्द्र सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन बनाया है। इससे ग्रामीण विद्युतीकरण का काम तेजी से हो रहा है। आज हमारे देश के 58 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। 333000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, 58 लाख विद्युत पम्पों को बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत। कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि कनेक्शन कहां दिए गए हैं, या बिजली कहां पहुंचती है, कुछ सामने नहीं आता। गांवों में बिजली समय पर नहीं मिलती। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के शासन काल में 4-5 घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिलती थी। जब वह खेत में जाता था तो बिजली नहीं होती थी। जब वह घर सोने के लिए आता था तो बिजली आ जाती थी। आज 15-16 और 18 घंटे तक बिजली दी जा रही है।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : 6 घटे भी बिजली नहीं मिल रही है ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैंने कहा है कि कुछ राज्यों में अभी स्थिति ठीक नहीं है । मैं मध्यप्रदेश की बात कर रहा हूं । वहां पर विद्युत उत्पादन की क्षमता 2500 मेगावाट तक हो गई है । जनता शासन में यह 1100 मेगावाट ही थी । थर्मल पावर स्टेशन और हाइड्रल पावर स्टेशन हमारे देश में तेजी से स्थापित हो रहे हैं । इससे किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली उपलब्ध हो सकेगी ।

रीजनल इंबेलेंसेस की बात कही गई है । कई जगहों पर उत्पादन लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पा रहा है । इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा । मध्यप्रदेश में बराबर विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है । उसका लाभ मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है । जनवरी 1980 में 3 हजार में से 498 गाँवों में बिजली थी । आज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के परिणामस्वरूप 1150 गांवों में बिजली है । जो विद्युतीकरण 14 प्रतिशत था, वह बढ़कर 38 और 39 प्रतिशत के करीब हो गया है । इससे किसानों, लघु उद्योगों और स्व—रोजगार के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को लाभ पहुंचा है । इसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार बधाई की पात्र है । ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयास भी हमारी सरकार ने 1982 के बाद से किया है । आज की ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता को हम उपलब्ध स्रोतों से किसी हद तक पूरा नहीं कर पायेंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का जल्द से जल्द विकास किया जाए । अक्टूबर 1983 में दिल्ली में विश्व ऊर्जा सम्मेलन हुआ था । उस समय दुनिया के अनेक राष्ट्रों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ था । हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने उस समय कहा था कि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का भी विकास करना चाहिए । सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर उसके प्रयोगों को बढ़ाने की भी बात उन्होंने कही थी । विगत डेढ़ साल में हमारा गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों का भी जो विभाग है, उसने इस दिशा में जो कार्य किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के सहयोग से जो नेशनल सोलर एनर्जी फोटो वोल्टेक डिमान्सट्रेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसकी सराहना करना चाहूंगा । उसने 1985 तक एक मैगावाट प्रति वर्ष विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है । सोलर एनर्जी थर्मल सेंटर दिल्ली में बनाया गया है । ऐसे सेंटर हमारे देश में बन रहे हैं जिनके माध्यम से हम बता सकेंगे कि सौर ऊर्जा के विद्युत तापीय प्रयोगों का कैसे विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकेंगे । सोलर एनर्जी के माध्यम से फोटो वोल्टेक सैल को डवलप करके हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे साधन बनाए हैं जिनसे टेलीविजन आदि की विद्युत मांग को पूरा किया जा सकता है । भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर आठ से नौ महीने तक सोलर एनर्जी उपलब्ध होती है । इसलिए, यह आवश्यक है कि सौर ऊर्जा पर आधारित जो भी नए सिस्टम बना सकते हैं, उनका विकास करना चाहिए । हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने एक नया विभाग कायम किया है, जिसने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाई है । उसके अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है । एक सुझाव यह है कि कई प्रदेशों में ऐसे सेन्टर कायम होने चाहिए जिससे कि जन साधारण को हम ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास का प्रदर्शन दिखा सकें ।

4.00 म०प०

हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में दो-दो तीन-तीन ऐसे केन्द्र कायम हो जायें जहां पर सोलर एनर्जी के नेशनल सोलर फोटो वाटिक वालटेक डिमांस्ट्रेशन सेंटर और सोलर एनर्जी से चलने वाली अन्य

योजनाएं और वायो-गैस एनर्जी या अन्य सोर्सेज से चलने वाली योजनाओं को हम जन-साधारण तक पहुंचा सकें और उसका लाभ वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र को मिल सके और हम उनका व्यावहारिक प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकें।

अन्त में मैं अपने ऊर्जा मंत्री और अपनी देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इन ऊर्जा साधनों के विकास के लिये राष्ट्र में प्राथमिकता निर्धारित की और जो भी साधन हमारे उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकते थे, उनका पूरा दोहन करके राष्ट्र के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, ऊर्जा यानी एनर्जी का अपना एक महत्व है। बिना ऊर्जा के कोई भी काम सम्भव नहीं, उसकी कल्पना करना ठीक नहीं है।

ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर विचार करते हुए हमें यह ध्यान रखना कि कोयला, पैट्रोलियम और विद्युत का उत्पादन इसमें महत्वपूर्ण है। जितना अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन हम करेंगे, हमारे उद्योग और उस पर निर्भर रहने वाले जो हमारे दूसरे स्रोत हैं, वह ठीक से काम कर पायेंगे।

कोयले के उत्पादन में प्रायः स्थिति यह रहती है कि उसका उत्पादन ठीक नहीं होता, इसीलिये रेलें ठीक नहीं चलतीं। बिजली के उत्पादन में भी यही एक बात है कि कोयले का उत्पादन ठीक नहीं होता इससे थर्मल पावर स्टेशन को कोयला ठीक नहीं मिलता और वहां भी जैनरेशन का काम प्रभावित होता है।

पैट्रोलियम गैस हमारे देश में जितनी उत्पादित होती है, उसमें से बहुत सी व्यर्थ चली जा रही है, इसके लिये हमारे पास न तो स्टोरेज की क्षमता है और न ही हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इसका उपयोग हम खाद के उत्पादन में कर रहे हैं परन्तु जो प्रोडक्ट बनाये जा रहे हैं, उनको और भी विकसित करना होगा। इसका ज्यादा उपयोग हम कर सकें और वेस्टेज कम-से-कम हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

जिस प्रकार से हम कोयला उत्पादित करने जा रहे हैं, उसके आधार पर और भी प्रोजेक्ट बनाये जा सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिये। इसके उत्पादन में हुई कमी को दूर करने की आवश्यकता है। कोयले के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की दशा को भी सुधारने के लिये पर्याप्त उपाय करने चाहिए। आज के काम करने की जो स्थिति है, उसमें काफी परिवर्तन की गुंजाइश है। अच्छे कर्मचारियों को यदि अधिक सुविधाएं दी गईं तो हमारे उत्पादन पर उसका ठीक असर पड़ेगा। कोयले के क्षेत्र में यह काम बहुत आवश्यक है।

पैट्रोलियम की दृष्टि से भी हमारे यहां कोयले और बिजली मंहगे होते जा रहे हैं। जितना ऊर्जा का क्षेत्र मंहगा होगा, उतना उत्पादन की लागत बढ़ेगी इसलिये पैट्रोलियम और इसके कोई-प्रोडक्ट्स की कीमतों पर आपको नियंत्रण करना जरूरी है अगर यह नहीं होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

एल० पी० जी० गैस भी अधिक-से-अधिक लोगों को हम किस तरह से दे सकेंगे, इसका वितरण भी सुविधा से हो सके, इसके लिये उपाय करने जरूरी हैं। आज के समय में एल०पी०जी० बहुत महत्वपूर्ण मीडिया कुकिंग के लिये है। इसकी सप्लाई को ठीक करने की ओर हमें प्रयास करना होगा। अनेक जगहों पर वनों की लकड़ी या पुराने स्रोतों से जो काम हो रहा है, उनके कारण पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है।

हमारे पास गैस है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक साधन नहीं है। इसलिए हमें स्टोरेज कंपेसिटी को डेवेलप कर के और अधिक से अधिक सिलेंडरों का निर्माण कर के खाना पकाने के माध्यम के रूप में एल० पी० जी० को आम जनता को सप्लाई करना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली-उत्पादन में प्रगति हुई है। यह अच्छी बात है। बिजली की सप्लाई को हम जितना रेगुलर कर पाएंगे, उद्योगों का काम तथा उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। परन्तु तथ्य यह है कि आज भी देश में बिजली की कमी है और उसकी कटौती हो रही है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में 23 फरवरी को बताया गया कि हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तामिलनाडु, बिहार, वैस्ट, बंगाल और नार्थ ईस्टर्न रिजन में बिजली की कमी है। कहीं कहीं बिजली की कमी ज्यादा है और कहीं कम है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात में 200 से 300 मेगावाट तक की कमी है। इस कमी की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि इससे औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही श्रमिक बेरोजगार होते हैं।

बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हम बरसों से पिछड़ रहे हैं। आजादी के बाद हाइडल जेनीरेशन में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। जल-विद्युत उत्पादन सस्ती बिजली का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्रकृति ने हमें ऊर्जा उत्पादन का जो महत्वपूर्ण साधन दिया है, उसका उपयोग करने के लिए हमें हाइडल जेनीरेशन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चार प्रदेशों के लिए नर्वदा पर एक योजना बनाई गई है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : बांधों पर।

श्री सत्यनारायण जटिया: ऐसी प्राजेक्ट से सिंचाई और बिजली-उत्पादन दोनों की व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में इस योजना का काम संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है।

4.07 म० प०

(श्री एन० के शेजवलकर पीठासीन हुए)

गुजरात में सरदार सरोवर का काम हो रहा है। पता लगा है कि उसके बांध की ऊंचाई बढ़ रही है। अगर वह ऊंचाई बढ़ गई, तो नदी के उद्गम की ओर जल-स्तर में वृद्धि होगी और उससे हमारे यहां बांध बनाने में कठिनाई होगी। मध्य प्रदेश में नर्वदासागर पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम प्लानिंग के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में यह प्राजेक्ट ठीक प्रकार से प्रोग्रेस कर सके और ये सारी प्राजेक्ट्स एक-साथ कम्पलीट हो सके। नर्वदा पर हाइडल प्राजेक्ट की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार ने, एक नर्वदा ट्रांस-वैली प्राजेक्ट बनाई थी, जिसके अन्तर्गत नर्वदा के जल को मांडव के स्थान पर लिफ्ट कर के गंगा के वेसिन में लाना है। उस योजना से धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और देवास जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और चम्बल का जल-स्तर बढ़ेगा। चम्बल प्राजेक्ट इरिगेशन और बिजली-उत्पादन के लिए बनाई गई है, लेकिन चम्बल में पानी न होने के कारण बिजली का उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो रहा है और इस कारण गांधीसागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध जवाहरसागर बांध से बिजली-उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। चम्बल पर बिजली उत्पादन की तीन योजनाएं बनाई गई है किन्तु स्थिति यह है कि पानी नहीं है। इसलिए न बिजली का उत्पादन हो सकता है और न सिंचाई हो सकती

है। इसलिए यह जो नर्मदा में एक्सेस वाटर है इस के ऊपर जो बांध बनाने की बात है नर्मदा-सागर बांध, उस बांध को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाय। नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो उस में बहुत बड़ा फ्लो होता है। रावी सतलज और व्यास इन तीनों नदियों को मिला कर जितना पानी होता है उतना पानी अकेले नर्मदा में होता है। इसलिए जितना एक्सेस वाटर आ जाता है उस से अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर के उस पानी को लिफ्ट कर के क्षिप्रा में डाल दिया जाये, उस के माध्यम से वह चम्बल में आ जाएगा। इस तरह से गांधी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर इन तीनों से बिजली उत्पादन का काम किया जा सकेगा और अन्त में कोटा बैरेज से सिचाई की जो योजना बनी हुई है उस में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना को कारगर करने की दृष्टि से हमें तेज रफ्तार से प्रयास करना पड़ेगा अन्यथा जिस रफ्तार से सरकारी प्राजेक्ट पूरे किए जाते हैं उस रफ्तार से काम चलेगा तो कोई बात बनने वाली नहीं है। इस के द्वारा हम चम्बल परियोजना को असफल होने से बचा सकेंगे। मेरा माननीय मत्री जी स अनुरोध है कि ऊर्जा के इस सारे प्राकृतिक स्रोत को हम इस्तेमाल करें और उस से बिजली उत्पादन करें। अगर यह हम कर सकें तो बीजली के उत्पादन की कास्ट भी कम होगी और ऊर्जा भी काफी मिल जायगी।

जहां तक थर्मल पावर स्टेशंस की बात है थर्मल पावर स्टेशन की सब से बड़ी शिकायत यह होती है कि जिस श्रेणी का कोयला उन को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार के कोयले के ऊपर उसका वायलर डिजाइन किया जाता है उस श्रेणी का कोयला नहीं मिल पाने से उस वायलर के द्वारा चलने वाला टर्बाइन और वायलर सब खराब हो जाते हैं और ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। बी० एच० ई० एल० वाले कहते हैं कि मेन्टिनेंस के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया इस से जेनरेशन अफेक्ट हो रहा है और बिजली उत्पादन करने वाले कहा करते हैं कि इन्होंने ठीक उपकरण नहीं दिया जिस की वजह से वह ठीक काम नहीं कर रहा है। इसलिए उन को कोयला ठीक तरह का मिलना चाहिए। दूसरे, थर्मल पावर स्टेशन के सम्बन्ध में एक बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि जहां कोयला उत्पादन होता है वहां से दूर ले जा कर बिजली बनाएगे तो वह बिजली महंगी पड़ेगी। इसलिए जहां कोयला हमारे पास है वही थर्मलपावर स्टेशन बनाए तो निश्चित रूप से आप को इस का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोयले का काफी बड़ा भण्डार है। एन० टी० पी० सी० के माध्यम से वहां कोरवा में प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं।

मध्य प्रदेश एक समय में सरप्लस स्टेट था बिजली के मामले में। 1969 से पहले तक काफी बिजली वहां मिलती थी। लेकिन पिछले दस बारह वर्षों में बिजली के उत्पादन में विशेष प्रगति नहीं हुई है। नये नये थर्मल पावर स्टेशन आने से हमारी मांग तो पूरी हो रही है लेकिन अब कभी कभी जब 100 मेगावाट या 110 मेगावाट का यूनिट बन्द हो जाता है तो उतनी बिजली की कमी पड़ जाती है और उस से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है, श्रमिकों को भी बेकार बैठना पड़ता है। इसलिए बिजली के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस के लिए स्टैंड-बाई अरेंजमेंट रखना चाहिए, अतिरिक्त क्षमता बिजली उत्पादन करने की बनानी चाहिए और इस दृष्टि से सारे देश में कोई ग्रिड बनाया जाना चाहिए। जिन जिन प्रदेशों में आकस्मिक संकट बिजली कमी का पैदा हो वहां पर बिजली की आकस्मिक सप्लाई उस अतिरिक्त क्षमता से कर के उस कमी को पूरा करना चाहिए।

हाई पावर समिशन का अधिक से अधिक जाल बुनना चाहिए जिस से लासेज कम हो सकें और बिजली अधिक से अधिक उपलब्ध करायी जा सके। इस के वितरण के सम्बन्ध में अलग अलग

प्रदेश में अलग अलग पद्धतियां हैं। मध्य प्रदेश में तो बिजली ठीक समय पर नहीं आती है। स्थिति यह है कि ठण्ड के मौसम में किसानों को सिंचाई के लिए रात के समय बिजली दी जाती है। उसका कोई औचित्य नहीं है। कारखानों को तो आप दिन में भी चला सकते हैं लेकिन अगर किसान को रात के समय ठंड में बिजली की आपूर्ति की जायेगी तो उसके लिए अपना काम करना काफी असुविधाजनक और खतरनाक होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इर्रीगेशन के लिए किसान को जो बिजली की आपूर्ति की जाए उसके सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित करें कि वह दिन में ही दी जायेगी ताकि हमारे देश के किसान देश की पैदावार को बढ़ा सकें। साथ ही साथ किसान को प्रार्थी बेसिस पर विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए।

इसके साथ साथ मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्युत के वितरण में जो कमियां हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए। तीन-तीन, चार-चार महीने तक बिल्स नहीं आते हैं और बिल्स ठीक भी नहीं बनाए जाते हैं। कभी कभी 6 महीने का औसत निकाल कर और पुराने एरियर जोड़ के बिल भेज दिए जाते हैं। बाद में कहीं पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। जैसे जैसे देश में बिजली का विस्तार होता जा रहा है, बिजली के विवरण पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है—ऐसा प्रतीत होता है। बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसके वितरण में जो अनियमितायें हो रही हैं उनको भी दूर करना नितान्त आवश्यक है। बिजली को जो चोरी होती है उसको भी रोकना बहुत आवश्यक है।

एटामिक पावर यद्यपि इस मंत्रालय के अधीन नहीं आती है लेकिन यह भी ऊर्जा का एक स्रोत है। हमारे प्रदेश में आर० ए० पी० पी० की एक यूनिट 1982 से बन्द पड़ी है। क्यों बन्द है। उसका कारण तो सरकार ही अच्छी तरह से जानती होगी। उसको भी ठीक करकार ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं ऊर्जा के उत्पादन की दृष्टि से मैंने यहां पर जो भी सुझाव दिए हैं उन पर सरकार ठीक से निर्णय लेगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके।

अंत में मैं पुनः एक बार मंत्री जी का ध्यान नर्मदा प्रोजेक्ट की ओर दिलाना चाहूंगा। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। मैं समझता हूं आजादी के बाद इसको जितना महत्व दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है। विशेष महत्व देकर इसका निर्माण कार्य होना चाहिए। इससे मध्य प्रदेश की सम्पन्नता बढ़ेगी। उससे सिंचाई के साधन और अधिक बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इस समय जो बिजली की कमी रहती है वह दूर हो जायेगी। इसलिए नर्मदा प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार उस ओर क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है, उसकी क्या कमियां हैं उसको आपको देखना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

साथ ही साथ कोयला, पेट्रोलियम, बिजली के क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों की वर्किंग कण्डीशन्स की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। उनको अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि मुख्य रूप से ऊर्जा का उत्पादन उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। कुकिंग गैस के सम्बन्ध में आपने बताया है कि एकाध जगह फिलिंग प्लान्ट्स कीमती है। लेकिन आज की स्थिति में दो-दो महीने तक गैस की आपूर्ति नहीं होती है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। साथ ही गैस एजेंसी के लोगों का व्यवहार भी जनता के साथ ठीक नहीं रहता

है। वे लोग अनेक प्रकार के कदाचार, भ्रष्टाचार भी करते हैं। यदि आपके पास जनता की ओर से उनके बारे में शिकायतें आयें तो प्रार्थी के आधार पर उनको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए।

मैं इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने यहां पर जो सुझाव रखे हैं उन पर मन्त्री जी उचित ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, विद्युत से संबंधित, पैट्रोलियम कोयला और अन्य प्रकार की जो डिमाण्डस रखी गई हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आपके जरिए से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है। राजस्थान में जितनी बिजली चाहिए, उतनी बिजली उपलब्ध नहीं होती है। उसका कारण यह है कि राजस्थान में कोई ऐसा पावर प्रोजेक्ट नहीं है, जिसका वह पूर्ण रूप से स्वयं इस्तेमाल कर सकें। हमको जहां से भी बिजली मिलती है। बाहर से मिलती है। मध्य प्रदेश सतपुड़ा से, भाखड़ा पंजाब से और सिंगरौली उत्तर प्रदेश से बिजली मिलती है। इनके ऊपर हमारा किसी तरह का कन्ट्रोल नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सतपुड़ा स्टेशन की बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश कर रहा है। वहां से यूनिट बिजली उपलब्ध नहीं होती है। भाखड़ा में जो बिजली बनती है, उसको पंजाब इस्तेमाल करता है, हमारा पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। इसी प्रकार सिंगरौली से भी हमें जितना हिस्सा मिलना चाहिए, उतना हिस्सा नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एटोमिक प्लान्ट आपने वहां पर लगाया है, उसमें एक यूनिट काम करता है और दूसरा यूनिट साल-दो साल बराबर खराब पड़ा हुआ है। जहां पर 220 मेगावाट बिजली उपलब्ध न होती हो, वहां की हालत क्या होगी, इसका अन्दाजा आप स्वय लगा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक राजस्थान के लिए ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे, तब तक राजस्थान कभी भी बिजली के मामले सैल्फ-सफिशियेंट नहीं हो सकेगा। आपने बड़ी कृपा की है कि दो यूनिट दिए हैं। इस यूनिट को आप जल्दी से जल्दी बनाइए, तो राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। मगर उसमें देरी होती जा रही है। काफी समय निकल गया है। इसको आप जल्दी से जल्दी करवाइए ताकि राजस्थान को बिजली ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सके।

हम दो-तीन साल से बराबर निवेदन कर रहे हैं। लिगनाइट के भंडार राजस्थान के अपार हैं। बाड़मेर क्षेत्र में भी है। जिसका सर्वे अभी करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस सबंध में कोई प्रगती नहीं हुई है। चार यूनिट आपको लिगनाइट के ऊपर लगाने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था आपको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। मगर आप अभी तक प्लानिंग कमीशन से एप्रूव नहीं करा पाए हैं। आपने अपने डिपार्टमेंट में भी इसकी एप्रूवल नहीं दी है। जिसकी वजह से बिजली की यूनिट हमारे यहां पर नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से हमारी सारी इन्डस्ट्री ठप्प पड़ी हुई है, लेबर के अन्दर इन्डस्ट्रीयल अनरैस्ट इतना है कि लोगों को खाना भी ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। आप अन्दाजा लगाइए उन सारी इन्डस्ट्रीज में कम से कम तीन-चार हजार करोड़ रुपए का माल तैयार होना चाहिए था, उस उत्पादन का तो लॉस हुआ ही, मगर मजदूरों की जीविका जो उससे चलती थी, जिनका पालन पोषण उन इन्डस्ट्रीज से होता था, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की योजनायें आप वहां पर लागू कीजिए, जिससे वहां बिजली उपलब्ध हो सके और वहां की इन्डस्ट्री ठीक प्रकार से चल सके और कृषि का भी उत्पादन बढ़ सके। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

हमारे यहां पर ऐसे इन्डस्ट्रीयल क्षेत्र हैं, जहां पर बिजली के अलग यूनिट लगाने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि दूसरी जगह से बिजली प्राप्त नहीं होती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र इन्डस्ट्रियल क्षेत्र है, उदयपुर इन्डस्ट्रियल क्षेत्र है, कोटा के अलावा गंगा नगर इन्डस्ट्रियल क्षेत्र है और जयपुर इण्डस्ट्रियल क्षेत्र है। हमारे यहां की इण्डस्ट्री को पावर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप ऐसे स्थानों पर थर्मल प्रोजेक्ट दीजिए, जिससे वहां की इन्डस्ट्री को पावर मिल सके। इन्डस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो सके। उस प्रोडक्शन के जरिए से वहां की आर्थिक स्थिति, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस प्रकार की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए मेरे आप से निवेदन है, जहां जहां इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र हैं, वहां लोकल लेबिल पर कुछ ऐसे थर्मल प्राजेक्ट्स दें जिन से उन इण्डस्ट्रीज को फीड किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।

अभी हमारे जटिया जी कह रहे थे कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन्ज ऐसे स्थानों पर लगाये जांय जहां कोयला मिलता हो। यह ठीक बात है, क्योंकि वहां लगाने से खर्चा कम होगा, ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा बचेगा, ट्रांस्मीशन लास कम होगा। लेकिन देश में ऐसी स्टेट्स भी हैं जो बिलकुल बैकवर्ड हैं, वहां पर ज्यादा पैसा खर्च कर के भी सुपर थर्मल पावर स्टेशन्ज लगाये जाने चाहिये। आप यू० पी० और बिहार में लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान बिलकुल पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये वहां पर भी इसको लगाया जाय तो वहां के लोगों को लाभ हो सकता है।

मंत्री महोदय, आप के आने के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ा है—इस में दो रायें नहीं हो सकतीं और इस के लिये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन बिजली का उत्पादन इतना होना चाहिए जिससे सारे देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अभी असम के एक माननीय सदस्य बतला रहे थे—ब्रह्मपुत्र योजना इतनी बड़ी है, यदि उसको ही बना डालें तो सारे देश की बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह योजना 15 हजार करोड़ रुपये की है यदि इतना पैसा अगले एक साल में उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस योजना को आप सातवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लीजिये ताकि उसके जरिये सारे देश को बिजली उपलब्ध करा सकें।

मेरी अपनी कांस्टीचूएन्सी भीलवाड़ा से आर० ई० सी० की कई योजनायें आप के पास बहुत अर्से से पड़ी हुई हैं जो अभी तक स्वीकृत होकर नहीं आई हैं। यदि उन योजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृत करा कर भिजवा दें तो वहां की जनता को बहुत लाभ हो सकता है।

हमारे यहां जितने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं—उनमें बड़ा घपला है। आप ने स्वयं इस बात को मन्जूर किया है। इसमें राजस्थान ही नहीं, वेस्ट बंगाल के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी, जहां के लोग यहां बहुत हल्ला मचाते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जहां पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, जैसे काश्मीर के लोग यहां बैठे हैं उनके यहां भी बहुत घपला है···

श्री रामवतर शास्त्री : कांग्रेसी राज्यों में यह घपला नहीं है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिजली के ट्रांसमीशन में बहुत चोरी होती है। इन सारी बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आप "नेशनल ग्रिड" जल्द से जल्द बनायें ताकि इस चोरी, बदमाशी और बेइमानी को रोका जा सके। मैं एक नजीर देना चाहता हूं—हमारे यहां भीलवाड़ा से

पाली के लिए एक 132 के० वी० की लाइन निकली है, उस में खम्बे लगाने का ठेका दिया गया, वहां एक करोड़ रुपये का सामान लोग खा गये और उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। पचास-पचास लाख रुपये की मशीनरी खरीद कर यों ही डाल रखी है और काम में नहीं आ रही है। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में करोड़ों रुपयों का सामान जमा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जो चीज उन्हें चाहिये, वे नहीं लेते हैं और जिस चीज की उनको जरूरत नहीं है और जो बेचनेवालों के पास बिक नहीं रही है, वे कांटक्ट कर के यहां बेच देते हैं। यह हालत सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, सभी इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों का यही हाल है। अगर आप सारे देश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की जांच करायेंगे तो अरबों रुपयों का घोटाला आप को मिलेगा। नेशनल ग्रिड अगर बना दिया जाय, तो उसमें आम निगरानी रख सकेंगे, बिजली की सप्लाई का ट्रांसमीशन लास कम होगा, बिजली की चोरी कम होगी, करोड़ों रुपयों का स्टोर जिस को कमीशन खाकर वे लोग खरीद लेते हैं, उस को रोक सकेंगे। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि भारत सरकार इस संबंध में कोई न निर्णय ले जिससे ये घपले समाप्त किए जा सकें। इससे सारे देश को लाभ होगा। राजस्थान को खासतौर से लाभ होगा।

दूसरा निवेदन कोयले के संबंध में है। आपने कोयले का प्रौडक्शन बढ़ाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके अन्दर जो गड़बड़ी हो रही है, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में खासतौर से राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कोयला ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता। डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी आपने स्माल स्केल इंडस्ट्री को बनाया है और इसके अलावा भी कई एजेंसीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। लेकिन कोई भी एजेंसी ठीक तरह से कोयला उपलब्ध नहीं करा रही है। लोगों को कोयला ब्लैक में लेना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोल इंडिया की तरफ से कोई अपनी एजेंसी जगह जगह पर स्थापित कीजिए।

श्री पी० शिवशंकर : स्टाक यार्ड्स हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान में फिर भी कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को कोयला आसानी से उपलब्ध हो सके।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : 1200 में से 400 वैगन ले लिए गए हैं। इसके लिए मैंने आपको भी पत्र लिखा है और रेलवे मिनिस्टर को भी लिखा है। कोयला कैसे पहुंच पाएगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वे 400 भी नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही नीलाम हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

इसके अलावा कोयले की चोरी बहुत होती है। जहां पर आपकी खदाने हैं वहां पर चोरी होती है। आपके जो कांट्रेक्टर्स काम करते हैं और जो ट्रेड यूनियन्स के लीडर हैं वे इसमें लगे हुए हैं। सी० पी० एम० के लोग यहां नहीं हैं, उनको मैं बताना चाहता था। लीडर्स अपनी दादागिरी दिखाकर कोयले की चोरी करवाते हैं इससे इस इंडस्ट्री को बहुत नुक्सान हो रहा है। (व्यवधान)

इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। किसी भी पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हों इनको हर हालत में रोकना चाहिए। सारा नुक्सान इनकी वजह से होता है।

पैट्रोलियम के बारे में बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी प्रकार काम कर के इस देश को पैट्रोलियम के बारे में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। इससे जो पैसा बचेगा उससे हमारे देश की गरीबी दूर होगी।

श्री सतीश अग्रवाल : 1100 करोड़ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं भी यही कह रहा हूं कि इससे जो पैसा बचेगा उससे इस देश को बहुत लाभ होने वाला है।

दो तीन समस्याएं हमारी हैं, उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक शाहपुरा के संबंध में है। हमारे यहां शाहपुर में एक आर० एस० एस० के आदमी को पैट्रोल पम्प दिया हुआ है। जब किसानों को डीजल की जरूरत पड़ती है तो वह नहीं देता। इसलिए, मैं चाहूंगा कि आप इसका एक आउट-लेट वहा दीजिए ताकि किसानों को डीजल की सप्लाई ठीक प्रकार से हो सके।

श्री सतीश अग्रवाल : अगर यह सही बात है, तो इसकी अवश्य जांच होनी चाहिए।.....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसी प्रकार से भीलवाड़ा में गुलाबपुरा है, वहां पर भी एक आउट-लेट होना चाहिए। वहां से चार किलोमीटर दूर विजयनगर में तो पैट्रोल-पम्प है लेकिन वह अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जब कठिनाई आती है तो भीलवाड़ा और अजमेर अलग-अलग हो जाते हैं। इसलिए, गुलाबपुरा की हमारी मांग को मान लिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जितने भी आउट-लेट हमने मांगे हैं, वह आपने हमको दिए हैं। इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की डिमाण्ड्स का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट को दिन-दूना रात-चौगुना आगे बढ़ायेंगे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, माननीय, श्री शिव शंकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय की अनुदान मांगे यहां पर रखी हैं। अगर यह कहा जाए कि प्रधान मंत्री के पास जो मंत्रालय है, उससे कई गुना महत्वपूर्ण इनका मंत्रालय है तो यह कोई अतिशियोक्ति न होगी क्योंकि इनके मंत्रालय का हर अंग मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। वह चाहे, बिजली, कोयला या पैट्रोलियम-पदार्थ हो। लेकिन, दुर्भाग्य है कि मन्त्री जी ने जब से इस काम को संभाला ऐसा लगता था कि जिस गति से इन्होंने काम किया है तो देश को अवश्य लाभ होगा और दूसरे देशों के मुकाबले में चाहे, कोयला, बिजली या पैट्रोलियम पदार्थ हो, इस प्रकार से बढ़ोत्तरी करेंगे तो उससे आम आदमी की अधिक से अधिक जरूरतें पूरी होंगी। ऐसा विश्वास था। जब इनके उत्पादन के आंकड़ों को मैं देखता हूं तो दूसरे देशों के मुकाबले में जो इन्होंने उत्पादन किया है, वह कम तो है ही, उसके साथ-साथ हर चीज में वह चाहे कोयला, बिजली या पैट्रोलियल पदार्थ हो, लागत ज्यादा बैठी है। सबसे पहले मैं कोयले के बारे में कहना चाहूंगा। अगर तुलना करें तो किसी जमाने में चीन का और हमारा कोयले का उत्पादन एक ही स्तर पर था। अब आप स्वयं जानते होंगे कि चीन यहां से दुगना कोयला पैदा कर रहा है और हमारा देश उससे पिछड़ गया है। जिनमें कोयले के उत्पादन की लागत आपसे कई गुना कम है, आपकी लागत कई गुना ज्यादा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने जाकर कहीं खान में देखा है कि जो कोयला निकालने वाला है, उसके पीछे कितने आदमी सुपरवाइजर लगे हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा। आप इसका पता लगाइये। एक आदमी कोयला निकालता है तो 3 आदमी सुपरवाइजरी का काम करते हैं। एक आदमी सुपरवाइज करने के लिये काफी है। इसके मायने यह है कि दो आदमी बेकार हैं। इन दो के वेतन से कोयले की लागत बढ़ती जा रही है इसलिए आप उपभोक्ता को अभी तक सस्ता कोयला उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

मंत्री जी को याद होगा कि 1980 से लेकर अब तक 5 बार कोयले के दाम बढ़ाये गये हैं। इनके पक्ष के लोग कहते हैं कि मंत्री जी कमाल का काम करते हैं। कोयला पैदा हो, दाम बढ़ते

जायें और उपभोक्ता दबता जाये और उसके बाद आप पैदा इतना करें कि आवश्यकता की भी पूर्ति न हो तो हम कैसे मंत्री जी की तारीफ करें?

आप मानव-शक्ति की कद्र नहीं करते, मशीनरी पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन आपकी जो मशीनरी कोयला तोड़ने का काम कर रही है, 10, 11 साल पहले संभवत:,

श्री पी० शिव शंकर : अभी आप फारमा रहे थे कि मानव-शक्ति ज्यादा है।

श्री रामलाल राही : मैं कह रहा था कि मानव शक्ति जाया कर रहे हैं। इसके मायने यह तो नहीं कि एक आदमी काम करे और 10 को आप बैठा लें। आप इसे पसन्द करते होंगे, मैं तो नहीं करता।

10, 11 बरस हुए, दो हजार करोड़ रुपये की मशीनरी कोयला तोड़ने के लिये आई थी। जब मंत्री जी जवाब दें तो बतायें कि उस मशीनरी से क्या काम ले रहे हैं क्या वह काम दे रही है?

श्री पी० शिवशंकर : 2 हजार करोड़ की कौनसी मशीन है?

श्री राम लाल राही : एक कोयला तोड़ने की मशीनरी है और यह 2 हजार करोड़ रुपये की 10, 11 साल पहले की है जो कि बेकार पड़ी है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

आप एक कमाल और करना चाहते हैं। आप 4 हजार करोड़ की दूसरी मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। मैं समझता हूं कि यह एक तरीके का राष्ट्रीय धन का अपव्यय है, इसको रोकना चाहिए। जो मशीनरी आपके पास है, पहले उसको काम के लायक बनायें। अगर वह इस लायक नहीं बनती है तो फिर आप दूसरी मशीनरी खरीदें। अगर वह मशीनरी काम लायक नहीं है तो उसे कौन लाया था, कैसे और कहां से खरीदी थी इसका पता लगायें।

यह करोड़ों और अरबों रुपये की जो मशीनरी बाहर से आती है, इनमें कमीशन अच्छी बन जाती है। अगर कमीशन के सहारे मशीनें आती रहें तो राष्ट्रीय धन का क्या और कैसे उपयोग आप करते जा रहे है?

मेरा चार्ज है कि आपके यहां कोयले के दाम इसीलिये बढ़ते हैं कि जन-शक्ति की उपेक्षा हुई है और मशीनरी का इस्तेमाल गलत ढंग से हुआ है। उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाये। इसलिये आवश्यकता है कि आप इसे दुरुस्त करें और सुधारें। अगर मैं कहूं कि सरकार पिछले चार पांच साल में कोयले के उत्पादन में 25 या 30 परसेंट बढ़ोत्तरी भी नहीं कर पाई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चीन एक जमाने में हमारे लेबल पर था, मगर उसने इस अवधि में कोयले के दो तीन गुना अधिक स्रोत कायम कर लिए हैं। कोयले के स्रोत न बढ़ाने से हमें निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

हमारे देश में जो खानें हैं, उनमें पाए जाने वाले कोयले की क्वालिटी में फर्क है। रानीगंज-झरिया का कोयला बहुत अच्छा है, अच्छी ऊर्जा वाला कोयला है और सारे देश में उसकी मांग है। वहां पर खुदाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और अधिक खानें कायम करनी चाहिए, लेकिन उसकी उपेक्षा की गई है। अब जो नए चेयरमैन, मि० गुजराल, आए हैं, पहले जो प्रति-दिन हजारों गाड़ियों की चोरी होती थी, वह उसको बिल्कुल तो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन उसको रोकने में काफी सफल हुए हैं। मैंने पहले भी उनकी प्रशंसा की थी और आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर वह बराबर इस बारे में प्रयास करते रहे, तो कोयले की ब्लैक-मार्केटिंग पर रोक लगेगी और सरकार को लाभ होगा।

यह मंत्रालय दूसरे देशो की तरह कोयले के उत्पादन की ओर पूरा ध्यान नही दे रहा है। कोयला मनुष्य के जीवन का अग बन गया है। अगर कोयला नहीं होगा, तो बिजली नही होगी और अगर बिजली नहीं होगी, तो पानी नहीं मिलेगा, कारखाने नहीं चलेगे, पैदावार नहीं होगी, न कपड़ा बन सकेगा और न दूसरी चीजों का निर्माण हो सकेगा। जब कभी कोयले के बारे में सवाल उठाया गया, तो सरकार ने कहा कि उसका उत्पादन बिजली की ठीक सप्लाई न होने के कारण घट गया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मशवरा करके कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय करे।

पेट्रोलियम पदार्थों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। यह ठीक है कि तेल के कई नए स्रोत मिले हैं और पैट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में प्रगती हुई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि जहां जहां समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, वहां पर कितनी गैस को जलाया जा रहा है। सरकार अभी तक उस गैस का उपयोग नहीं सोच पाई है। क्या आप को पता नहीं है कि कई चीजें उसमें निकल रही हैं जिसमें एल० पी० जी० निकल रही है, मिथैन निकल रहा है और अन्य पैट्रोलियम पदार्थ निकल रहे हैं जिन से कपड़ा बन सकता है, जूते बन सकते हैं और दवाइयां बन सकती हैं। आखिर यह जो गैस जल रही है जिसका कोई उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, धरती से निकल कर जिसका सत्यानाश हो रहा है, इसका कोई उपाय आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मंत्री महोदय जब उत्तर देने के लिए खड़े हों तो बताएं कि एक साल में कितनी गैस आपकी जल जाती है, इसका कोई अनुमान उनको है? इस गैस को अगर रोका जाय तो कितना कपड़ा बनेगा, कितना इसका इस्तेमाल जूतों के लिए होगा और कितना दवाइयों के लिए होगा? इस पर आप को विचार करने की जरूरत है। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मैं ऐसा मान कर चलूंगा कि जो तेल निकल रहा है, तेल तो आप बहा रहे हैं लेकिन एक तरीके से बहुत बड़ी राष्ट्र की क्षति आप कर रहे हैं, उत्पादन का नुकसान कर रहे हैं। जनहित में उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो उत्पादन आपका हो रहा है इसका जनहित में सही इस्तेमाल किया जाय। आपने तेल बहाया, इसमें दो राय नहीं है लेकिन उपभोक्ता को, 70 करोड़ जनता को क्या दिया? पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि बाहर से जो तेल आता था उसकी लागत ज्यादा थी और आप का जो पैदा किया हुआ तेल है उसकी लागत कम है। आज आप 70 प्रतिशत तेल पैदा करने लगे हैं, 30 प्रतिशत ही बाहर से आता है। जब 30 प्रतिशत पैदा करते थे और 70 प्रतिशत बाहर से मंगाते थे तब भी वही हालत थी और आज जब 70 प्रतिशत पैदा करने लगे तब भी वही हालत है। आप दाम बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आखिर आपको इस देश के उपभोक्ता को कोई फैसिलिटी देनी है या नहीं? यह सही है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लाभ को लगा रहे हैं लेकिन आपको एक प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए कि तीन चौथाई उत्पादन बढ़ाने के लिए लगाएंगे और एक चौथाई का लाभ आम जनता को देंगे, उससे दाम कम करेंगे।

मिलावट का एक बहुत बड़ा मामला इस देश मे चल रहा है। पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है, डीजल में मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है। यह मशीनों में काम आने वाली चीज है। जिस मशीन की औकात दस साल चलने की है उसमें मिलावट किया हुआ तेल डालते हैं तो वह पांच साल में ही नष्ट हो जाती है।

मैंने कई महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मत्री जी को कई बार दिए हैं लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हवाई जहाज में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमे एक बूंद भी पानी हो तो

आप ने एक कैमिकल ऐसा बना रखा है जिससे मालूम हो जाता है कि इसमें पानी मिला हुआ है। इसी तरह पेट्रोल और मिट्टी के तेल की जो मिलावट होती है उसके लिए क्यों नहीं ऐसी कोई तकनीक निकालते हैं जिससे मिलावट का पता चल सके और मिलावट रुके। आज मिट्टी का तेल और पेट्रोल, ये आम आदमी के जरूरत की चीजें हो गई हैं। दोनों के दामों में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी कर के ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि यह मिलावट न हो सके। आप सोचेंगे कि चुनाव आ रहा है, मिट्टी के तेल का दाम बढ़ा दिया तो उसका असर अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे मिलावट रुक जाएगी और इस तरह से उससे जो राष्ट्रीय क्षति हो रही है उसको आप रोक सकेंगे।···(व्यवधान)···मिलावट को रोकने के बारे में आपकी क्या नीति है, क्या उपाय किये हैं, क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में आपको सदन में स्पष्ट करना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो यह काम चलने वाला नहीं है।

बिजली के बारे में एक सेन्टेंस कहकर समाप्त करूंगा। आज बिजली का रेट बराबर बढ़ाते जा रहे हैं जो कि निन्दनीय है। साथ ही आप जो मिनिमम चार्जेज लेते हैं वह सबसे ज्यादा गलत बात है। कोई भी किसी को कोई चीज देता है तो उसके दाम लेता है लेकिन आप जो चीज बराबर दे नहीं पाते हैं उसका दाम आप मिनिमम चार्ज के रूप में क्यों लेते हैं। मेरा आग्रह है कि यह मिनिमम चार्जेज बन्द होने चाहिये। आप जितनी बिजली दें उसके दाम लें। भले ही आप दाम बढ़ा दें लेकिन मिनिमम चार्ज लेना बिल्कुल अन्याय है। यदि सरकार ही अन्याय करेगी तो सोसायटी और बड़े व्यवसायी अन्याय करने से कैसे चूकेंगे?

श्री काली चरण शर्मा (भिण्ड) : माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय की ओर से इस सदन में जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। वहां पर नदियों से बिजली उत्पादन के बहुत साधन उपलब्ध हो सकते हैं। नर्मदा नदी है, सिंध नदी है तथा अन्य नदियां हैं उन पर आप योजना मन्त्री से परामर्श करके बिजली उत्पादन की योजनायें बनायें तो प्रदेश का बहुत लाभ हो सकता है।

इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सागर डैम है उसमें तीन, साढे तीन करोड़ का लास होता है इसलिए उसके सुधार की भी आप व्यवस्था करें। पानी की और कुछ दूसरी कमियां हैं जिनके कारण प्रतिवर्ष राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन में कमी होती है। इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिण्ड तथा दतिया में सन् 1985 तक पूरा इलाका रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन से कवर होने वाला है लेकिन जो राज्य बिजली बोर्ड है उनमें बड़े बड़े घोटाले हैं। उनमें कभी एक सामान नहीं है तो कभी दूसरा सामान नहीं है। कभी वहां पर तार नहीं हैं, कभी मीटर नहीं हैं तो कभी खम्बे नहीं हैं। इसकी वजह से किसान बड़ा सफर करते हैं। अभी अभी हमारे साथी मिनिमम चार्जेज के सम्बन्ध में कह रहे थे। आप बिजली तो दे नहीं पाते लेकिन मिनिमम चार्जेज लेते रहते हैं। रेट भी आप बढ़ा रहे हैं। इसलिये आप कोई भी व्यवस्था कीजिए, चाहे नेशनल ग्रिड बनायें या कोई अन्य व्यवस्था करें लेकिन आज किसान और राष्ट्र को जो कृषि के उत्पादन में बिजली न मिलने के कारण ह्रास होता है उसको रोका जाना चाहिये।

दो-चार बातें मुझे और भी कहनी हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों से मिलकर काफी बिजली की चोरी करवाते हैं। उसको रोकने का भी कोई तरीका निकाला जाना चाहिये ताकि बिजली की चोरी बन्द हो सके।

पेट्रोल के मामले में आपने देश को काफी हदतक आत्मनिर्भर बनाया है जिसके लिए आप बधायी के पात्र हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र भिण्ड और दतिया में पेट्रोल और डीजल का एक-एक पम्प खोलना नितान्त आवश्यक है ताकि वहां पर इस समय जो डीजल और पेट्रोल की कमी है उसको दूर किया जा सके। इसके साथ साथ गोवर गैस प्लान्ट भी ऊर्जा मन्त्रालय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने चाहिए। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए जो नयी टेक्नीक हो उसको अपनाकर इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ऊर्जा की समस्या काफी हदतक दूर हो सके। आप देश में कोयले का काफी उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन सप्लाई की व्यवस्था में काफी गड़बड़ी है। हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन में खासतौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 5.00 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कोयले की बड़ी दिक्कत है। आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए, जिससे वहाँ के लोगों को, उप भोक्ताओं को कोयला उपलब्ध हो सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भट्टों का काम बहुत होता है। उनके लिए भी कोयले की दिक्कत बनी रहती है। आपके कभी वैगन्स नहीं मिलते हैं, और कभी कोयला नहीं मिलता है। काफी अव्यवस्था वहां पर रहती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप कोयले की सप्लाई का कोई न कोई ऐसा तरीका एडाप्ट करें, जिससे बराबर उपभोक्ताओं को कोयला मिलता रहे।

इन शब्दों के साथ ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी हमारे क्षेत्र की जो बिजली की समस्या है, उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की ओर ध्यान देंगे।

श्री ए० के० राय (धनवाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् आप संस्कृत की कहावत को जानते हैं

अंगारो शत धोते तू सुनिनतदुश्यते

कोयले को सौ बार धोने पर भी साफ नहीं किया जा सकता है। अब एक नयी कहावत बननी चाहिए : क्या कोयले की खान को सौ बार धोने पर साफ किया जा सकता है या नहीं ? कोयला क्षेत्र जैसे बहुत मंत्री कर्मचारी तथा नेता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आज यह पता लगा है कि आप भी संस्कृत के विद्वान हैं।

श्री ए० के० राय : लेकिन यह वैसा ही बना रहता है जैसा यह था। कुछ समय पहले मैं ऊर्जा मन्त्रालय की सलाहाकार समिति में था। इस बार उन्होंने आसानी से मुझे निकाल दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सलाहाकार समिति में आपको अपनी राय देनी पड़ती है।

श्री ए० के० राय : यह उस पर ठीक एक टिप्पणी है।

मुझे याद है एक बैठक में मेरे मित्रों में से एक मित्र ने मुझ से पूछा था ? क्या आपने एक खबर सुनी है ? मैंने पूछा क्या ? उन्होंने कहा: हमें बताया गया है कि भारी संख्या में माफिया बाहर आ गये हैं। उनकी यह भावना थी कि माफिया कुछ नये पशु हैं। कुछ पृथक दिखाई देंगे। हिन्दी में उसने पूछा:—

सुना है माफिया निकला है ? माफिया निकला है। आप कोयला साफ करना जानते हैं। धोवनशाला के डिजाइन बना लिये गये हैं। धोवनशाला का उद्देश्य कोयले में राख की मात्रा को कम करना है। इसी प्रकार हमें एक ऐसी धोवनशाला का डिजाइन तैयार करना चाहिए जो

कोयला कम्पनियों मंत्रियों तथा कर्मचारियों माफिया आदि की राख की मात्रा को कम करें। और उन्होने अभी अभी रेलवे के एक सेवानिवृत्त सभापति से ठेके के आधार पर एक धोवनशाला का डिजाइन तैयार कराया है। वस्तुतः मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं। अतः यह एक नई वाशरी है जो कोयले के क्षेत्र में खोली गई हैं। इससे वहां भारी मात्रा में उत्तेजना पैदा कर रही है। श्रीमन आप यह जानते हैं, एक वाशरी में तीन अनुभाग बनाये गये हैं। एक अनुभाग धुले कोयले का है दूसरा मध्यम तथा तीसरा रद्द किये गये कोयले का है। वाशरी का उद्देश्य अच्छी किस्म का धुला कोयला निकलना घटिया कोयले को रद्द करना और मध्यम कोयले को बिजली घरों में भेजना। लेकिन कोयला क्षेत्र में इस वाशरी जो कोयला क्षेत्र की धुलाई करने के लिए स्थापित की गयी है का नया डिजाइन बनाने वाला अच्छे कोयले को रद्द कर रहा है और घटिया कोयलों का परिक्षण कर रहा है।

अभी अभी गत वर्ष के आखिरी दिनों में एक प्रेस सम्मेलन हुआ था जिसमें कोल इण्डिया लि० के चेयरमैन ने कहा था कि अनुशासन लागू करने के लिए वह कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। यह अनुशासन लागू करने के नाम से है कि अनुपस्थिति के सवाल पर 4980 व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया, अन्य 499 को मुअत्तल किया गया, 500 को स्थानापन्न में बदला गया, 1177 को निलंबित किया गया, 4645 को आरोप पत्र दिये गये। किसी अन्य की तुलना में यह एक बहुत ही भयावह बात है। मैं मन्त्री से पूछना चाहता हूं; क्या आपने कभी यह जांच की है कि वे कौन हैं क्या वे माफिया हैं ? क्या वे परजीवी हैं ? क्या वे सफेद पोषी वाले व्यक्ति हैं अथवा क्या वे वह तत्व हैं जो कोयला क्षेत्रों की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं अपने ऊपरी खर्चों को बढ़ा रहे हैं। नहीं श्रीमन मैं जो कुछ कह रहा हूं वह वही है। जो व्यक्ति कोयला क्षेत्र के लिए वाशरी की डिजाइन बनाता है वह एक योग्य डिजाइन बनाने वाला होना चाहिए। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए की घटिया कोयला कौनसा है, मध्यम कोयला कौनसा है ? और धुला कोयला कौनसा हैं। वे आपकी कोयला कम्पनियों के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं वे लदान करने वाले हैं वे अत्यधिक कुशल व्यक्ति है जिन्हें देर से आने के कारण निकाला जा रहा है क्यों ? वे अधिकांश आदिवासी हैं। वे हरिजन हैं। वे.....तथा तकनीकता तथा सभी बातों के बारे कुछ नहीं जानते हैं। वे देर से आते हैं इसका कारण यह है कि वे दूर रहते हैं। आप उन्हें आवास देने में असमर्थ रहे हैं, यदि वे देर आते हैं और उन्हें निकाल रहे हैं और वह कहते हैं कि यह अनुशासन लागू करना है। वे लिखन नहीं जानते उन्हें डाक्टरी प्रमाण पत्र लेने के तौरीके के बारे में पता नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों में से डिजाइनर लिया है। लेकिन उसे इतनी भी जान कारी नहीं है कि किन चीजों को रखता है और वह उन चीजों को रद्द करता है वह उन बीजो को कुछ कर रहा है जिन्हें रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कोयला क्षेत्रों में लोगों की क्या समस्याएं होनी चाहिएं। क्या कभी आपने इसकी जांच की है ? जब कभी मैं श्री शिवशकर जी से मिलता हूं वह कोयले के मंत्री ही मालूम नहीं पड़ते। जहां तक मेरा विचार है वह कोयले के मंत्री नहीं हैं वह कोयले के लिए एक विधि मंत्री हैं। और आप यह जानते हैं कि कोयले के क्षेत्र के अन्दर और उसके वाहर के कानून से सम्पूर्ण क्षेत्र में ये सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपके माध्यम से मैं श्री शिवशकर जी से कहना चाहूंगा कि वह बहुत कुशल हैं, वह बहुत ही ईमानदार हैं एक अच्छा आदमी होने के नाते हमारे क्षेत्र में उनका सम्मान है। उन्हें इसे बड़ी बड़ी गहराई से देखना चाहिए। क्या प्रगति है। कोयला क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है लोग ऊर्जा और पेट्रोलियम के बहुत इच्छुक हैं। लोग कोयले

का कार्य नहीं करना चाहते । लेकिन कोयला एक मूल बस्तु है । और यह एक किफायती वस्तु ही नहीं है बल्कि एक राजनैतिक वस्तु भी है। कोई भी व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता है कि कोयला खानें किस ढंग से चलेगी । इंगलैण्ड में कोयला की हड़ताल चल रही है शायद आपने इस बारे में अखबार में पढ़ लिया हो । नये स्टेट्समैन बहुत सी महत्वपूर्ण बातें निकाली गयी हैं, मंत्रियों को वहां जाना होगा, प्रधान मन्त्री को भी वहां जाना होगा और वह स्वरूप इंगलैंड से लेना पड़ेगा । कोयले के खनक आपकी परिसम्पत्तियां है और वे अधिकांशतः अत्यन्त पिछड़े वर्गों के होते हैं जिनका सीधा सम्बंध उत्पादन से होता है । पिछले खनक, लदान करने वालों को भूगत रहना पड़ता है और वे मर जाते हैं । क्या आपने ऐसा किसी दुर्घटना में नहीं देखा है । जब हुराल्दी दुर्घटना घटी आप वहां तत्काल नहीं गये । मैंने सुना था कि कुछ समय पश्चात् आप वहां जांच करने गये । उस दुर्घटना में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनमें से एक को छोड़ कर सभी खनक थे । अन्य कहां थे ? जब टोपा दुर्घटना हुई मैं भूमि के नीचे गया और सारी दुर्घटना की जांच की । मैंने उनसे पूछा आपके अन्य पर्यवेक्षक प्रबंधक कहां है ?

जब मृत्यु का प्रश्न आता है केवल खनक ही मरते हैं और सम्पूर्ण दोष गरीब खनकों पर लगता है । अन्य कहां हैं ? वे भाग गये हैं ।

कोयला खानों की तीन समस्याएं हैं; सुरक्षा किस्म तथा उत्पादकता । यदि आप अनुशासन लागू करते हैं तो आपको नीचे की बजाय ऊपर से अनुशासन लागू करना होगा । क्या आपने कभी यह जांच की है कि क्या आपका प्रबंधक खानों में जाता है ? टोपा कोयलाखान दुर्घटना के बारे में यदि आप स्वयं आप का ही विश्लेषण करें तो आपको सत्यता का पता लग जायेगा । नियम के अनुसार प्रबंधकों को भूगत जाना चाहिए । प्रबंधक भूगत खानों के लिए होते हैं वे गपशप करने तथा कार्यालय में बैठने के लिए नहीं हैं ।

प्रबन्धकों को 7 बजे जाना चाहिए । खनिकों से प्रभारी और पर्यवेक्षकों को 7.30 बजे जाना चाहिए । अन्य लोगों को 8 बजे जाना चाहिए । उन्हें सम्पूर्ण खानों को उत्पादन के लिए तैयार रखना चाहिए । उन्हें सम्पूर्ण खान तथा प्रत्येक वस्तु की जांच करनी चाहिए जिससे कुछ नीचे न आ सके । 8 या 8.30 बजे खनकों को जाना चाहिए । जैसे ही वे चले जायें उन्हें प्रत्येक वस्तु तैयार मिलनी चाहिए । उन्हें उत्पादन में लगाना चाहिए । वे उत्पादन करेंगे । क्या ऐसा होता है ? क्या आप एक साधारण काम नहीं कर सकते ? आप उनका स्पष्टीकरण माँग सकते हैं ? आपको स्वयं यह देखना चाहिए कि कौनसा प्रबंधक कौनसी खान में जायेगा । आप वरिष्ठ प्रबंधक, प्रवर प्रबंधक सभी प्रकार के पर्यवेक्षी कार्मिक प्रतिनियुक्त करने चाहिए ।

मजदूरों की तरह उन्हें भी 8 घंटे की सुबह की पारी में ड्यूटी देनी चाहिए । उन्हें मजदूरों से पहले जाना चाहिए । यदि आप ऐसा करते हैं तो न तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं और न उत्पादन में कोई कठिनाई होगी । कुछ नहीं हो सकता है ।

टोपा कोयला खान में क्या हुआ ? प्रबंधक नहीं है प्रवर प्रबंधक नहीं प्रभारी चाय पी रहा है जिस समयमैं भीतर गया । ऊपर एक प्रमुख सरदार ने सभी लोगों को परियोजना अधिकारी की ओर से दोषी ठहराया । उसने मुझे बताया कि उसे इतना अधिक विश्वास है । वह उन्हें खतरनाक क्षेत्र में ले गया । यह गिर गया और वे मर गये । चूंकि खान के सरदार ने निर्णय किया था मैंने उसे गलत निर्णय समझा । वह भी स्वयं मर गया । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अन्य कहां थे । एक सरदार निर्णय ले रहा है । वे खतरनाक क्षेत्र में जाते हैं । वह स्वयं भी मरता है और दूसरे भी मर

जाते हैं । ऊपर कुछ अन्य व्यक्ति भी जाने पर उस पर रोक लगाने के लिए होने चाहिए थे वे कहां थे ? वे भाग गये थे । वे मरने के डर से भाग गये थे । क्या यह ऐसा नहीं है ?

आस पास की कोयला खानों का एक अन्य परियोजना अधिकारी श्री देव वहां पर था । मैं यह नहीं जानता कि अब वह कहां है । वह भाग गया । मजदूरों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने बचाने की कार्यवाही की । दूसरे भाग गये । पास की कोयला खान का एक परियोजना अधिकारी टोपा खान में भागकर आया । इसी प्रकार हुराल्दी में क्या हुआ ? वे न्यायिक जांच करा रहे थे । यह किस किस्म की न्यायिक जांच की थी ? क्या इसके लिए न्यायिक की जांच आवश्यकता है । कोई व्यक्ति आप से कह सकता है । प्रत्येक छः महीने में डी जी एम एस द्वारा खानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए था । यह नहीं किया गया है । इसके लिए दोषी कौन है । आपके प्राधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि वहां एक गैलरी एक सुरंग है । पूरा भूगत नक्शा गलत है । मैंने उस समय डी जी एम एस और अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी । आवश्यक होने पर आपको झरिया धनवाद आदि में भूगत सर्वेक्षण कराना चाहिए । आवश्यक होने पर यह पता लगाने के लिए कि कहां पोल जल भराव है, रास्ता बनाना चाहिए हुराल्डी कुछ नहीं है लेकिन चशनाला किस्म की दुर्घटना में अकेले चशनाला की खान में ही 500 खनिक हैं और हुराल्डी में 25 खनिक हैं । आपको यह जानकारी नहीं है कि एक पोल, पानी का एक पड़ा भंडार है ।

कागजात में आप बता रहे हैं कि जल और खान के मध्य फासला 50 फुट है लेकिन वास्तव में यह 5 फुट या 4 फुट है । आपका पूरा नक्शा गलत है । यह मजदूरों का दोष नहीं है । मजदूर नक्शा नहीं बना रहे हैं । वे नक्शों को नहीं देखते हैं । पर्यवेक्षकों प्रबंधकों को खानों में जाना चाहिए । उन्हें जांच करनी चाहिए और फिर आपको उत्पादन सुरक्षा तथा किस्म मिल सकती है ।

पिछली बार यदि आपको याद हो, मैंने कहा था---सभी भड़कीलापन सोना नहीं होता है और सभी काला कोयला नहीं होता है । आप यह कह सकते हैं यह शब्दों का जाल है यह नहीं है ।

क्या आपने आज अखबारों में पढ़ा है ? वे बातें कर रहे थे । वे यह कह रहे थे कि उन्होंने 1,500 मि० टन पिटहेड कोयला प्राप्त किया है । पिटहेड कोयला से अभिप्राय है ढेर में मिलने वाला कोयला । यह प्रत्येक व्यक्ति को धोखा देने का एक अनोखा तरीका है ।

ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि वहां कितना कोयला है । अब वो यह बताते हैं कि खान से निकाले गए 1 करोड़ 50 लाख टन कोयले में से 80 लाख टन कृत्रिम कोयला है अथवा पत्थरों का काला ढेर है । उन्हें बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए । 80 लाख टन कोयले की क्या कीमत होगी यह 160 करोड़ रुपये से अधिक होगी । इस बार आपकी कुल हानि 30 अथवा 40 करोड़ रुपये होगी । आप इतना गंवा रहे हैं । अभी तक वह यह कह रहे थे कि खान से 1 करोड़ 50 लाख टन कोयला निकाला गया है । अब वे यह कहते हैं कि प्रत्यक्ष जांच करने के बाद 160 करोड़ रुपये मूल्य का 80 लाख टन कोयला कृत्रिम है और वहां सारा काले पत्थरों का ढ़ेर है । इसको बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए । क्या आपने इस बात के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है । इसलिए दूसरे को बेवकूफ बनाते रहना अच्छा नहीं है । आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं ? आप काले पत्थरों के ढ़ेर की सप्लाई कर रहे हैं । मैं कोयला खानों के बारे में जानता हूं । मैं आपको नाम बता सकता हूं । वहां सब पत्थर हैं । कुछ समय पहले मैं वहां गया था और वहां लोगों से पूछताछ की । उन्होंने कहा कि पत्थरों का काला ढ़ेर

बोकारो की धमन भट्टी को भेजा गया है। एक दिन वह पहाड़ों को कोयला बतायेंगे। काले पत्थरों आदि की सप्लाई करके आप बोकारो की धमन भट्ठी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिन्दरी के बॉयलर तथा चन्द्रपुरा के बिजली घर को क्षति पहुंचा रहे हैं। आप किसे सप्लाई कर रह हैं? आप कहते हैं कि आप उत्पादन कर रहे हैं। क्या यह उत्पादन है? आपसे एक बात पूछता हूं। आप जांच कर सकते हैं। किसी भी कोयला खान में पहले औरतें काम किया करती थीं। उनका काम कोयले में से पत्थर निकालना था पिछली बार जब मैं वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गया था तो वहां भी मैंने प्रत्येक महाप्रबंधक से इस बारे में पूछताछ की थी उस समिति का सदस्य होने के नाते मुझे उन्हें वहां ले जाना पड़ा।

मैंने उनसे पूछा कि महिलाएं जो यहां पत्थर निकालने का काम करती थी वे कहां हैं। उन्हें पत्थर चुनने वाली अथवा महिला कामगर कहा जाता था। उनमें से 30,000 से 50,000 को या हटा दिया गया है या फिर उन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है। आप सुदामडीह संयंत्र का उद्घाटन करने सुदामडीह गए थे। क्या आपने यह पूछा था कि क्या उनके वहां कोई पत्थर चुनने वाला है? आप जानते हैं कि मशीनीकृत खानों में पत्थरों के होने की संभावना अधिक होती है। वहां एक भी पत्थर निकालने वाला नहीं है। वह कहते है कि वह यह नहीं चाहते कि कोयले में से पत्थर निकाला जाए आपकी खानें किस प्रकार की हैं?

आप सदा आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं और आपने स्वयं ही कहा है कि अब आप खुले गर्त वाली खानों से अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। उसमें पत्थरों के कोयले में मिलने की संभावना अधिक है और आपकी अधिक महिला कामगरों तथा पत्थर चुनने वाली महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और आप जांच कीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें महिला कामगारों की आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 30,000 कामगारों की संख्या को कम करके 15,000 कर दिया गया। अभी भी आप कहते हैं कि आप महिला कामगारों के बारे में नहीं जानते। वे महिला कामगार कौन हैं? वह जनजातीय तथा हरिजन हैं। वे दफ्तरों में नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं अथवा ऊंची जाति के लोग नहीं है जो उस काम के लिए तैयार नहीं होते। अनुपस्थित रहने की आड़ में आप जनजातीय लोगों को हटा रहें हैं तथा पत्थर निकालने का कार्य समाप्त करने की आड़ में आप महिलाओं को निकाल रहे हैं। उसका मतलब यह है कि आप सभी उत्पादक तत्वों को हटा रहे हैं। और आप उत्पादकता तथा अधिक उत्पादन चाहते हैं। आप कहते हैं कि आपके पास फालतू श्रम शक्ति है। क्या आपने जांच की है कि 1980 से 1983 तक आपने कितने लोगों की भर्ती की है? 40,000 लोग भर्ती किए गए हैं। आपके पास कर्मचारियों की संख्या 6,40,000 थी। अब यह बढ़ कर 6,80,000 हो गई है।

ये 40,000 लोग जिन्हें भर्ती किया गया कौन हैं। क्या जनजातीय हैं। क्या वे महिला कामगार हैं जो कोयले में से पत्थर निकालती थीं। क्या वे विस्थापित लोग हैं। आप कहते हैं कि आप भूमि गंवाने वालों को काम नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास फालतू श्रमशक्ति है। वह 40,000 लोग कौन हैं? क्या यह भूमि गंवाने वाले लोग हैं? आपने कितनी भूमि ली है? भूमि गंवाने वालों की प्रतिशता क्या है—10% भी नहीं? वे कौन हैं? तकनीकी लोगों की भर्ती करने की आड़ में वह तथाकथित तकनीकी लोग भर्ती कर रहे हैं। मैंने बी० सी० एल० को सुझाव दिया है कि "कृपया इन तथाकथित तकनीकी लोगों को भर्ती न करें। आप जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण दें।" इसके बावजूद झूठे प्रमाण-पत्रों के साथ गलत तरीके से, रिश्वत देकर

सभी उच्च वर्ग के लोग कोयला खानों में तकनीकी कर्मचारियों के रूप में भर्ती हो रहे हैं। आप के कोयला खानों में काम करने वाले लोगों को उच्च वर्ग का बना रहे हैं। यदि एक बार ऐसा हो जाता है तो आप उत्पादन नहीं करवा सकते। इस प्रकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानें हानि उठा रही हैं और राज्य बिजली बोर्ड भी हानि उठा रहे।

जहां तक मशीनीकरण का संबंध है, मैंने खान के लोगों से बातचीत की है। वह कहते हैं कि केवल मशीनीकरण ही एक रास्ता है। क्या मशीनीकरण हवा में होती है ? क्या इसका देश की सामाजिक स्थिति की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता ? क्या आप कमजोर आधार पर कोई बड़ा ढ़ांचा खड़ा कर सकते हैं ? मेरे माननीय मित्र ने कहा कि अब तक वह 2000 करोड़ रुपये की मशीनें खरीद चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय निष्पक्ष व्यक्ति हैं : वह न्यायाधीश रहे हैं, वह कानूनी पेशे से सम्बन्धित हैं। उन्हें विश्लेषण करने दीजिए। आपने कोयला खानों 2000 करोड़ रुपये की मशीनें लगा दी हैं। इसका क्या परिणाम निकला है ? क्या आपने इसका विश्लेषण किया है ? आपकी भूमिगत उत्पादिकता ओ० एम० एस० के संदर्भ में 0.61 से बढ़कर 0.54 हो गई है तथा कुल उत्पादन वही है। आपके मंत्रालय के प्रतिवेदन से भी यही पता चलता है कि यह 0.78 से 0.8 ही हुआ है। उत्पादन में यह स्थिरता क्यों है ? 2000 करोड़ रुपये की मशीनों का क्या लाभ है ? आप 4000 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह गम्भीर मामला है। आपको इसका विश्लेषण करना चाहिए। लाभ कहां जा रहा है ?

उनके पास मशीने हैं। लेकिन फालतू कलपुर्जे नहीं हैं। वह मरम्मत की दुकानें नहीं बना सके। वह लोगों को प्रशिक्षण नहीं दे सके। मशीनों की क्षमता 40% अथवा 30% अथवा 25% का ही उपयोग हो रहा है। क्या ऐसा नहीं कि आप बेरोजगारी की समस्या के प्रति अपराध कर रहे हैं ? क्या ऐसा आप दुर्लभ स्त्रोतों के प्रति अपराध नहीं कर रहे ? क्या आप कोयला खानों के भविष्य के प्रति अपराध नहीं कर रहे ? आप स्वयं अपनी मशीनें विकसित करनी चाहिए; अपनी मरम्मत की दुकानें बनानी चाहिए; अपनी मशीनें बनाने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए; अपनी तकनीक विकसित करनी चाहिए और, धीरे-धीरे आधारभूत ढ़ांचा बनाना चाहिए कोई जल्दी नहीं है। आपको अपना उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिए।

जब भी आप मशीनीकरण करें आपको इसके परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। उत्पादकता के प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति अवश्य होनी चाहिए। पूरी तरह से हस्त-चलित खानों के मामले में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2-3 टन कोयला उठा सकता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रम में श्रम अनुपात अति सरल है। यह 2 : 1 है। परतु जैसे ही आप मशीनें लगाते हैं अप्रत्यक्ष श्रम शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि एक मशीन 100 टन उत्पादन करे परतु उस मशीन के लिए 100 व्यक्तियों की अप्रत्यक्ष श्रम शक्ति के रूप में आवश्यकता होती है। यदि मशीन किसी कारण से बेकार पड़ी हो तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। तब हानि होती है। इसलिए धनबाद कोयला खान की आश्चर्यजनक बात यह है कि हस्तचालित कोयला खानों से सस्ता कोयला प्राप्त होता है तथा सुदामडीह और मुनिदिह जैसी मशीनीकृत कोयला खानों में कोयले की उत्पादन लागत हस्तचालित कोयला खानों की अपेक्षा तीन गुना है। मशीनीकृत कोयला खानों में उत्पादन लागत कम होनी चाहिए। परन्तु इसके विपरीत यदि सुदामडीह तथा मुनिदिह जैसी मशीनीकृत खानों में उत्पादन लागत अधिक है तो इसके पीछे क्या कारण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बैलगाड़ी वाली सभ्यता में रहना चाहते हैं ?

श्री ए० के० राय : मैं नहीं चाहता । लेकिन मैं एक बैलगाड़ी वाली सड़क पर रोल्स रायस गाड़ी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता । इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अम्बेसडर कार चाहिए । आप वैसी सभ्यता चाहते हैं राल्स रायस वाली नहीं ।

श्री ए० के० राय : हम स्वदेशी कार चाहते हैं। वह उतनी अच्छी हो या बा हो । वह उतनी कार्यकुशल हो अथवा नहीं । लेकिन स्वदेशी कार को प्राथमिकता दूंगा ।

आप 'बैक हो अटैचमैंट' खरीदते हैं । इसे उत्पादन के लिए 'शोवल' से नहीं जोड़ना पड़ता । यह ढीली मिट्टी के लिए बनाई गई है । आप इसे खरीद लेते हैं और कोयले के अभाव में यह बेकार पड़ी रहती है । आपने इस पर 12 लाख रुपये खर्च किए । इसे जंग लग रहा है और यह क्षतिग्रस्त हो रही है । यह और कुछ नहीं सरकार की ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार है।

आप कोयला खानों को नहीं जानते लेकिन कम से कम कानून को तो जानते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय में एक बात यह है कि वह भाषण देते समय राजनीति में नहीं उलझते । वह विषय पर बात करते हैं । इसीलिए मैं उन्हें समय समाप्त होने के बाद भी बोलते रहने की अनुमति देता हूं ।

श्री ए० के० राय : यदि आप कानून को लागू करवाना चाहते हैं तो आपको उसका आदर करना पड़ेगा । परन्तु इसके बजाय यदि आप कामगारों में असंतोष पैदा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्वतन्त्र हैं । परन्तु आप याद रखें कि कोयला खानों के कामगरों में असन्तोष पैदा करने का मतलब होगा कोयले में आग लगाना । जब कोयले में आग लग जाएगी तो आपकी नौकरशाही उस आग में जल जाएगी । सदा याद रखें कि जैसा कोयला है वैसे ही कोयला खानों के मजदूर हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनके नेता हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यदि कोयले में इतनी आग है तो माननीय मन्त्री महोदय उस पर पानी डाल देंगे ।

श्री ए० के० राय : दुर्भाग्यवश सरकार ने एक गलत धारणा बना रखी है कि कोयला खानों के मजदूर केवल पैसा चाहते हैं । नहीं । वह न्याय चाहते हैं । उन्हें न्याय देकर, उनकी मेहनत को मान्यता देकर तथा उन्हें उचित सम्मान देकर आप बदले में मजदूरों से अधिक काम ले सकते हैं । कोयला खानों में मजदूर देश भक्ति की भावना के साथ काम कर रहे हैं । लेकिन वे गरीब हैं । वे उसी समय ही कमा कर खाते हैं । उन्हें भूमिगत खानों में जिंदगी और मौत में से एक का चुनाव करना होता है ।

क्या आपने जांच की है कि ट्रिब्यूनल एवार्ड का कितना प्रतिशत कार्यान्वित किया गया है ?

यदि आप हड़ताल और असंतोष नहीं चाहते हैं तो आपको समझौता तंत्र की भांति संगठनात्मक तत्र को भी मजबूत करना होगा ।

न्यायाधिकरण द्वारा जो भी पंचाट दिया जाता है उसका कार्यान्वयन होना चाहिए ।

सदन में 22 नवम्बर 1983 को एक प्रश्न के उत्तर में दी गई जानकारी यह है कि 1982 तक 34 में से केवल 12 पंचाटों को कार्यान्वित किया गया था तथा इस वर्ष स्थिति और भी खराब है। पंचाटों के कार्यान्वयन के बारे में नवम्बर 1983 तक उपलब्ध जानकारी है।

ऐसा हो सकता है कि एक या दो मामलों में टिब्यूनल गलत हो। राष्ट्रीय टिब्यूनल उच्च न्यायालय के जजों की अध्यक्षता में होते हैं। इसके बावजूद यदि आप मुकदमेबाजी और मामले को घसीटते जायेंगे तो मजदूर भूखे मर जायेंगे। यदि आप उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में एक या दो मामलों के लिये अपील करते हैं तो उसका कुछ मतलब है। इस तथ्य से कि सरकार ने अभी तक 34 में से 12 एवार्डों का कार्यान्वयन किया है यह मालूम होता है कि सरकार असंतोष को आमन्त्रण दे रही है। आप मजदूरों की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको अपने द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल के एवार्डों पर भरोसा नहीं है। आप निरंतर अपील करते रहते हैं। क्या यही तरीका है ?

अंततः क्या आपने यह देखा है कि कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों की प्रणाली दोषपूर्ण है ? क्या आपको इसकी जानकारी है ? यदि आपको इसकी जानकारी है। तो कृपया इसकी जांच कीजिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इसी का उल्लेख किया है और उन्होंने यही बताया है कि करोड़ों रुपए की संबंधी लेखा-प्रणाली दोषपूर्ण है। क्या आपने इसे लक्षित किया है ? एक लेखापरीक्षक की हत्या कर दी गई क्योंकि वह ईमानदार था और उसने आपके लेखाओं की जांच करनी चाही थी। और अब नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने यह रिपोर्ट पेश की है कि पूरी लेखा प्रणाली ही गलत है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

चीन में—मंत्री महोदय को यह बात जाननी ही चाहिए क्योंकि हम सभी 'लैंडों' से सहयोग कर रहे हैं—हौलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, नीदरलैंड···

एक माननीय सदस्य : स्विट्जरलैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री ए० के० राय : एक दिन उसके साथ भी होगा। जर्मन भाषा में उसे 'लान' के रूप में उच्चरित करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बजाए हम चीन से कुछ सीखें तो बेहतर होगा। स्वतंत्रता के समय हम 3 करोड़ टन उत्पादित कर रहे थे। अब चीन का उत्पादन 70 करोड़ टन है और हम केवल 13.50 करोड़ टन का ही उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया ? उन्होंने कोयला भंडारों की दो श्रेणियां बना दी—कम गहरी कोयला खानें—उनमें पूरी तरह से हाथ ही से काम होता है, और छोटे क्षेत्रों में छोटी कोयला खानें हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : चीन के खान-मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है ?

श्री ए० के० राय : जी हां। उन्हें निर्णय देने का अधिकार है। वहां खान मजदूरों के कारण ही क्रांति हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां आपको मजदूर संघ गठित करने के अधिकार प्राप्त हैं।

श्री ए० के० राय : जब माओ-त्से-तुंग जो भूमिगत होना पड़ा था तो हुनान के खान-मजदूर ही ने उनका समर्थन किया था तथा च्यांग-कार्ड-शेक से संघर्ष किया था और जापानी आक्रमण का सामना किया था। (व्यवधान)

चीन में केवल 20% ही मशीनीकरण है। फिर भी उनका ओ० एम० एस० दुगुने से भी अधिक है। ये कैसे हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात खत्म कीजिए। आपने 30 मिनट ले लिए हैं।

श्री ए० के० राय : मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। बिहार सरकार को दो बंद कोयला खानों को संचालन की अनुमति दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दे दी है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपका विघटन हो रहा है ? या आप कर रहे हैं। बिहार सरकार को ही ऐसा क्यों करना चाहिए ? फिर से कोई माफिया सामने आ जाएगा। बिहार सरकार ने अपील की है कि सभी बन्द खानें खोली जाएं। आपने नहीं खोलीं। अब उच्चतम न्यायालय ने अनुमति दे दी है। किंतु बिहार सरकार के पास संचालन के लिए कोई तंत्र ही नहीं है, वे इन्हें कुछ ठेकेदारों को दे देंगे और फिर माफिया बनाया जाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं ? बंद खानों के संचालन के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोयला तो शुरूआत है। लोग पैट्रोलियम की चर्चा कर सकते हैं और अन्य अनेक बातें, किंतु कोयला तो सबसे पहले है। धरती मां इसे देती हैं। यह सभी रसायनों का आधार है यह सभी रसायन उद्योग, उर्वरक आदि अनेक का आधार हो सकता है। इसकी जरा सतर्कता से निगरानी कीजिए और कोयला क्षेत्र में लगे हुए लोगों के बारे में बड़ी नरमी से काम करें; निश्चयतः वे आपकी अधिक धन राशि खर्च करवाए बिना चमत्कार कर सकते हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर जो चर्चा चल रही है और माननीय सदस्यों ने जो बहुत से प्रश्न उठाए हैं उस का विस्तार में जवाब मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय ऊर्जा मंत्री देंगे, मैं तो केवल विद्युत विभाग से सम्बन्धित चन्द बातें कहूंगा और जो कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाए हैं उस के बारे में भी कहना चाहूंगा। आज के दौर में जब किसी भी देश की प्रगति का सूचक वहां पर होने वाली ऊर्जा खपत है तो इस विषय के महत्व पर जितना भी कहा जाए वह कम है। मैं समझता हूं इस चर्चा में जो रुचि माननीय सदस्यों ने दिखाई है और जो लाभकारी सुझाव दिए हैं वह खुद इसके परिचायक हैं कि माननीय सदस्य इस विषय को वह महत्व देते हैं जिसका कि यह अधिकारी है।

यदि आपने देश की विद्युत की स्थिति पर नजर डालें तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ ऐसा है जि से पूरा सन्तोष हो जाए लेकिन वास्तविक उपलब्धियों को देखकर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ता है और खुशी भी होती है 1947 में 4.1 बिलियन यूनिट की उत्पादन क्षमता रखने वाला हमारा देश 1983-84 में 140 बिलियन यूनिट उत्पादन क्षमता पर और 1984-85 में जैसा कि अनुमान है, हमारी उत्पादन क्षमता 154 बिलियन यूनिट तक पहुंच जायेगी। इस अवधि में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उत्पादन जहां 8 यूनिट से भी कम था स्वतन्त्रता के फौरन बाद, आज प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उत्पादन 200 यूनिट है। हमारी उत्पादन क्षमता 1947 में जहां 1362 मेगावाट थी, आज 39,454 मेगावाट है। पिछले चार वर्षों में 11,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि हमने की है और यह अनुमान है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल मिलाकर 14,500 मेगावाट की अधिक उत्पादन क्षमता को इस सन्दर्भ में देखा जाए कि 1980 में जो हमारी उत्पादन क्षमता थी, उसका यह लगभग 50 प्रतिशत है। इस वक्त हमारी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अपने आप में चार हजार मेगावाट प्रति वर्ष की है।

श्री टी० दामोदर रेड्डी (नलगोंडा) : छठी योजना का लक्ष्य क्या है और क्या उपलब्धि हैं ? प्रश्न तो यही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह कई बार बतला चुके हैं, यह कोई रहस्य नहीं है कि 19,666 मेगावाट की अधिक क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन प्लान की पुनर्समीक्षा होते समय, संसाधनों की कमी को देखते हुए, कई जगह कमी करनी पड़ी परन्तु उसके बाद जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको लगभग हर वर्ष पूरा किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमारी उपलब्धियां सामान्य नहीं हैं, आज दुनिया में ऐसे बहुत कम देश होंगे जो प्रति वर्ष चार हजार मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़ सकें। ऐसा बहुत कम जगह हो रहा होगा। अत: इसके लिए हम जितनी भी प्रशंसा करें, अपने इंजीनियर्स की, अपने वैज्ञानिकों की, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की और मजदूरों की जोकि प्रोजेक्टस में दिन रात काम करते हैं, वह कम ही होगी। उनकी प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए। निश्चित ही इसका श्रेय सरकार की नीतियों को है। जहां हम यह मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इनपुट, चाहे कृषि के लिए हो या चाहे उद्योग के लिए हो, दूसरे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको जो प्रगति दी गई है, जो महत्व दिया गया है, उसी के कारण मैं यह समझता हूं कि उपलब्धियां संभव हो सकी हैं।

जहां एक तरफ हमारी उपलब्धियां हैं, वहाँ समस्याओं से भी हमें सामना करना पड़ता है। ऊर्जा, विद्युत उत्पादन और उसकी क्षमता के साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कहां-कहां कमियां हैं, क्या मुश्किलें हैं और क्या संकट हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है मांग बिजली की निश्चित ही ज्यादा है। उस दर से जिस दर से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं या बिजली का उत्पादन करने की क्षमता हमने हासिल की है। इस बुनियाद पर कई साल पहले के आंकड़े देकर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पहले सरप्लस प्रोडक्शन था और अब डैफिसिट में है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जैसे आन्ध्र प्रदेश।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं किसी खास राज्य के बारे में नहीं कह रहा हूं। चूंकि इस बात को लेकर थोड़ी आलोचना की गई है, मेरे कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में बिजली का उत्पादन कम हुआ हो या उत्पादन की क्षमता में कमी हुई हो। अगर कमियां हैं, अगर डैफिसिट में आया है तो उसका कारण यह है कि मांग ज्यादा बढ़ी है। जब रास्ता हमने आगे की तरफ बढ़ने का अपनाया है, विकास की तरफ बढ़ने का अपनाया है, तब तक हम अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, उस वक्त तक हमारी जो गतिविधियां हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा चाहे वह उद्योग हो, कृषि हो या कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। हमारी मांग बढ़ती ही जाएगी। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में कठिनाई तो होगी ही होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह इस बात का सबूत है कि हम लोगों की बिजली की मांग बढ़ी है। यह इस बात का भी सबूत है कि हमारी आर्थिक प्रगति और विकास के आयाम भी बढ़े हैं। जब इस तरफ हमने चलने का निश्चय किया निश्चिय किया है, तो हमारी भी रफ्तार तेज हुई है।

अभी उत्पादन क्षमता में वृद्धि का प्रश्न है, इसके बारे में माननीय सदस्य भी पूछ रहे थे। सरकार का ध्यान केवल इस बात पर ही नहीं है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाए, सरकार का ध्यान इस बात पर भी है कि पहले जो हमारी प्रतिष्ठित इंकाइयां हैं उनकी कार्य क्षमता में कार्य निष्पादन में सुधार लाया जाए। जिसका मतलब यह है कि प्लान्ट लोड फैक्टर और संयत्र के

अनुपात को भी बढ़ाया जाए। इससे संबंधित माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इन्सैन्टिव एवार्ड स्कीम और प्लान्ट रैनोवेशन स्कीम-दो कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस बात की तरफ भी माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया था, क्योंकि हमने पहले निर्धारित लक्ष्य 19,666 मेगावाट का किया था। निर्धारित लक्ष्य में कमी के कारण बिजली में कमी न आने पाए और उसके लिए ऐसे ठोस कदम उठाये जायें और मौजूदा इकाइयों को इम्प्रूव करके, उसमें सुधार ला कर के बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस के लिये जैसा मैंने पहले कहा है यह इन्सेन्टिव एवार्ड स्कीम है, जिस के अन्तर्गत 15 करोड़ से ज्यादा धनराशि कई राज्यों को दी गई है। जहां प्लांट-लोड-फैक्टर इम्प्रूव हुआ है, वहां प्राजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के लिये, जिन में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब के इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस हैं, यह रुपया दिया गया है। गांधी नगर···

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को 1,311 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ था। आप केवल 15 करोड़ रुपए ही दे रहे हैं। इससे मदद कैसे मिलेगी ?

श्री पी० शिव शंकर : यह तो प्रोत्साहन देना ही होगा।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : मेरा खयाल है कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया हूं। ये प्रोत्साहन पंचाट स्कीम के अन्तर्गत है। यह इन्सेन्टिव मजदूरों को देने के लिये 15 करोड़ रुपए दिए गये हैं।

इसका उस नुकसान से कोई मतलब नहीं है जिसे राज्य विद्युत बोर्डों को वहन करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नुकसान के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : जी जनाब ये प्रोत्साहन उन्हें 'संयंत्र भार घटक' में सुधार करने अर्थात् बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन बोर्डों को हानि होती है उन्हें ही इसे दिया जाना चाहिए था। आप ये उन्हें नहीं दें जिन्हें हानि होती रहती है।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : सभी बोर्डों को नहीं दिया है। हमने ये उन्हीं को दिया है जो बेहतर कार्य निष्पादन में समर्थ हैं, जो संयंत्र भार बढ़ा पाए हैं बिजली का अधिक उत्पादन कर पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो ठीक ही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जिन्होंने अच्छे रिजल्टस दिखलायें हैं, मैंने उनके नाम आप को बतलाये हैं।

इसी तरह से मैंने कुछ दूसरे प्रोग्राम्स की बाबत भी आप को बतलाया है जैसे प्लांट रेनोवेशन का प्रोग्राम इस समय ऊर्जा मंत्रालय के विचाराधीन है, जिसको हम 500 करोड़ रुपये की लागत से शुरू करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में 3 वर्ष का समय लगेगा। अखिल भारतीय स्तर पर 36 इकाइयों को, पावर प्रोजेक्ट्स को आइडेन्टिफाई किया गया है —रेनोवेशन और गाडर्नाइजेशन के लिए। हमारा यह अनुमान है कि इस 500 करोड़ रुपये की

लागत के बाद इन 36 इकाइयों का रेनोवेशन और माडर्नाइजेशन करने के बाद उनसे 1400 मेगावाट एडीशनल पावर जेनरेट हो सकेगी। यह नये यूनिटस की बात नहीं है, मैं पुराने यूनिट्स की बात कर रहा हूं। इस योजना के लागू होने के बाद हम ऐसा समझते हैं कि कुल मिलाकर बिजली के उत्पादन में कमी नहीं होने दी जाएगी।

इसी तरह से कुछ और कदम उठाये गये हैं—कार्य क्षमता में सुधार लाने का प्रयास किया है, जैसे सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी, बी० एच० ई० एल० और जो अन्य सम्बन्धित संस्थायें हैं, उन का संयुक्त दल निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। उन्होंने वहां जा कर मौके पर प्लांट को देख कर उसमें जो खराबियां और कमियां हैं, उनका पता लगाया है और परामर्श दिया है कि किस तरह से उन खराबियों और कमियों को दूर किया जा सकता है।

इसी तरह से यह कोशिश भी की गई है कि पिछले वर्ष में अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाय—अपने इन बिजली बनाने वाले कारखानों को। विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों के कार्य संचालन को सुधारने के लिए ध्यान दिया गया है। कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मिले जुले प्रयास से वहां के मैनजमेंट में सुधार लाया जाएगा

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने पिछले एकसाल में काफी संतोषजनक काम किया है। केन्द्रीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1405 मेगावाट अधिक उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है, उसमें 830 मेगावाट एन० टी० पी० सी० के जरिए कमीशंड की गई है। इसके लिए वहां पर काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी, अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

दो यूनिट, सिंगरौली-5, रामगुंडम-1, इनको समय से पहले ही, निर्धारित समय से पहले शुरू कर दिया गया है। इसके बोर में पिछले बजट में 654 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। एन० टी० पी० सी० 655 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अर्थात् एक करोड़ ज्यादा का उपयोग किया गया है। इंटरनेशनल असिस्टेंस जो कि 315.36 करोड़ रखी गई थी, उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। आई० डी० ए० और वर्ल्ड बैंक से सहायता का जो टारगेट था, उस टारगेट से भी ज्यादा उनकी उपलब्धियां रही हैं। 9 यूनिट 200 मेगावाट के, उसके बारे में बताया है कि इस बीच में उसने कमीशंड किए और 9 में से 7 यूनिट्स का कमर्शियल प्लांट यूटिलाइजेशन 60 परसेंट से ज्यादा है। इसी प्रकार दूसरा सार्वजनिक उद्यम ऊर्जा मंत्रालय का, एन० एच० पी० सी० है, उसने जिस तरह से नेपाल में देवीघाट प्रोजेक्ट जो कि 5 साल में पूरा होना था, उसको साढ़े तीन साल में ही पूरा किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसकी क्षमता 14.1 मेगावाट की है।

जल विद्युत प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, हमें भी इस बात का अहसास है कि जल विद्युत परियोजनाओं की ओर किसी कारण से उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। इससे ऊर्जा की मांग की पूर्ति की सकती है। इसको देखते हुए, संतुलन लाने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर जोर देना मैं समझता हूं कि नितांत आवश्यक है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इस संतुलन को बनाकर रखा जाए। मांग को पूरा करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को उतना ही महत्व दिया जाए, जिसकी वे अधिकारी हैं।

श्रीमन् जैसा कि बताया जा चुका है कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका संतुलित विकास हो इसके लिए यह भी जरूरी है कि ट्रांसमीशन क्षमता का भी उसी तरह से विकास होना चाहिए। जिससे विद्युत का वितरण देश के सभी भागों में संतुलित ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इसमें सफलता नहीं हुई।.....(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यही कह रहा हूं कि जितना कार्य इस क्षेत्र में होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। यही कारण है कि आज सदन में चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत की है कि जिन राज्यों का हिसा पहले से निर्धारित वह उनको कई जगह से नहीं मिल पा रहा है। इसकी आवश्यकता हम समझते हैं। ट्रांसमिशन क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, यह नीति का हिस्सा पहले से ही है। कई जगह, संसाधनों के अभाव में हम अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। इस बात को हम पूरी तरह से महसूस करते हैं कि इसकी आवश्यकता है और आने वाली योजनाओं में इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रांसमिशन क्षमता का विकास भी उन्हीं लाईनों पर कर सकें जिन लाईनों पर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का विकास किया गया है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करन्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को यथाशीघ्र लागू करने का ऊर्जा मंत्रालय का प्रस्ताव है। ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। हमने इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया है। कुछ राज्यों में किन्हीं कारणों से उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी।

श्री जोवियर अराकल : किस राज्य ने अपने सबसे ज्यादा गावों में बिजली का प्रसार किया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे खेद है कि मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्द खां : तमिलनाडु का रिकार्ड अच्छा है। एक मिनट के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दूंगा।

उपध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, तमिलनाडु का नाम लेने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि वे अच्छी तरह से काम करते हैं तो मैं अनेक बार उसका नाम लूंगा।

फरवरी 1984 तक छठी पंचवर्षीय योजना में जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और जितने पम्प सैटों का उर्जन हुआ है, उनकी संख्या इस प्रकार है। एक लाख गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। उसमें 87,575 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। पच्चीस लाख पम्प सेटों का लक्ष्य था लेकिन 12.58 लाख पम्प सैटों का उर्जन किया गया। छठी योजना के आरम्भ में कुल पांच लाख 76 हजार गांवों में से दो लाख पचास हजार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। और हमारी जो 120 लाख पम्प सैट लगाने की क्षमता है उसमें से 39.65 लाख पम्प सेटों का उर्जन भी हो चुका था। पहले जो फरवरी 1984 तक के फिगर्स दिए हैं, कुल मिलाकर उतने हो गए हैं। इसी तरह से हरिजन और आदिवासियों के गांवों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया है।

6.00 म०प०

1 लाख 25 हजार 79 कुल आदिवासी गांव हैं, उसमें 18 हजार 570 गांव में छठी प्लान के आरम्भ में विद्युतीकरण हो चुका था और अब 12 हजार 579 गांवों का 31 जनवरी, 1984 तक विद्युतीकरण किया गया। 40 हजार गांवों में, हरिजन बस्तियों की गलियों में लाइट का प्रावधान किया गया है। अब कुल मिलाकर 1 लाख 32 हजार गांव हैं, जिनमें बिजली पहुंची है। इनमें 1 लाख 26 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें हरिजन बस्तियों में बिजली देने का काम पूरा किया गया है।

हरयाणा, केरल, पंजाब में 100 परसेंट ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है और तमिलनाडु में 99.4 प्रतिशत हुआ है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान के बारे में बतायें ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राजस्थान की सूचना बाद में दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में खासतौर पर नार्थ बिहार का फिगर बताइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ सरकार की यह कोशिश रही है कि राज्य सरकारों को बराबर निर्देश दिये गये हैं कि वह कृषि के काम के लिये बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिये बिजली उपलब्ध करायें।

श्री रामवतार शास्त्री : कम से कम 5 घंटे बिजली देनी चाहिये, लेकिन देते कितने घंटे हैं यह बताइये ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण केवल एक, दो राज्यों से मिली सूचना के अनुसार वहां पर 8 घंटे से कम बिजली दी जा रही है, वरना बाकी सभी राज्यों में इस प्रकार है —

हरयाणा में रोजाना 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

पंजाब में 6 से लेकर 8 घंटे, जम्मू-काश्मीर में 11 घंटे, उत्तर प्रदेश में 7 घंटे, राजस्थान में 9 घंटे, गुजरात में 11 से 16 घंटे, तमिलनाडु में 14 घंटे, कर्नाटक में 15 घंटे और बिहार में 8 घंटे रोजाना बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, केरल में कोई कट नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में 8 घंटे नहीं मिलती, मुश्किल से घंटा, दो घंटा मिलती है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यहां पर वही सूचना दे रहा हूं जो राज्य सरकारों द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती है। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि किसी क्षेत्र या राज्य में इतनी बिजली राज्य सरकार नहीं देती हैं तो हम और विचार करेंगे। लो-वाल्टेज की वजह से;

श्री रामवतार शास्त्री : बिजली कम मिलने से गेहूं की फसल को पानी नहीं मिला।

श्री सतीश अग्रवाल : राजस्थान में 9 घंटे नहीं मिल रही है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बिल्कुल गलत है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सदन की यह परम्परा रही है कि अगर माननीय सदस्य कोई बात बतायें तो उस पर विश्वास करना चाहिये । लेकिन यह वह सूचना है जो राज्य सरकारों से उपलब्ध हुई है ।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, क्षमता बढ़ाने की दिशा में हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमने जो प्रगति की है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है । जैसा मैंने पहले कहा कि हम मानते हैं कि सारा आर्थिक विकास हमारे विद्युत के विकास पर ही निर्भर करता है । इसी दृष्टि से विद्युत-उत्पादन में वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है । हमारी स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक विकास की कल्पना जुड़ी हुई है । अपने उस राष्ट्रीय लक्ष्य और आदर्श को हासिल करने के लिए विद्युत विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं । देश के आर्थिक विकास और प्रगति के जिस काम में माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगी हुई है, विद्युत विभाग एक बार फिर उस काम की गति को तेज करने और उसे पूरा करने के संकल्प को दोहराता है । जहां हमें अपनी उपलब्धियों पर खुशी है, वहां आने वाले दिनों में और अधिक उपलब्धियों के लिए विद्युत विभाग अपने आप को समर्पित करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कला 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.06 म०प०

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 6 अप्रैल, 1984/17 चैत्र 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।